सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
http://www.persmin.gov.in

विषय–सूची

अध्यायों की सूची		पृष्ठ संख्या
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	
1.	आमुख	7–11
2.	वर्ष के दौरान मुख्य पहलें	13–21
3.	कार्मिक नीतियां भर्ती अभिकरण सेवाओं में आरक्षण	23–43
4.	संवर्ग प्रबंधन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस) केन्द्रीय व सचिवालय; लिपिक सेवा (सी एस सी एस) राज्य पुनर्गठन	45–63
5.	भारत सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ नियुक्तियां	65–70
6.	प्रशिक्षण नीति तथा कार्यक्रम	71–81
7.	प्रशिक्षण संस्थाएं	83–92
8.	प्रशासनिक सतर्कता	93–102
9.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	103–115
10.	संयुक्त परामर्शदायी तंत्र	117–118
11.	प्रशासनिक अधिकरण	119–123
12.	कर्मचारी कल्याण	125–135
13.	सूचना का अधिकार	137–141
14.	विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) और सिटीजन चार्टर	143–150
15.	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	151–153
16.	वित्तीय प्रबंधन	155–160
	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	
17.	प्रशासनिक सुधार	161–177
18.	लोक शिकायत	179–185
19.	संगठन एवं पद्धति प्रभाग	187–188
20.	ई–शासन	189–193
21.	अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एवं सहयोग (आई ई एवं सी)	195–202
22.	प्रलेखन एवं प्रचार प्रभाग (डी एंड डी) / अनुबंध / पुस्तकें / अध्यायवार प्रमुख पहल	203–216
23.	**पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग**	217–222

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

विजन

कुशल, प्रभावी, दायित्वपूर्ण, संवेदनशील तथा पारदर्शी सुशासन हेतु सरकार के मानव संसाधन के विकास तथा प्रबंधन हेतु सक्षम परिवेश का विकास।

मिशन

1. कार्मिक नीतियां तथा सरकारी कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए एक सक्षम ढांचे का प्रावधान करना।
2. सरकार में सक्षमता तथा नवीनता का विकास।
3. लोक सेवाओं को भलीभांति संपन्न करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर मानव संसाधनों का क्षमता निर्माण।
4. सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता, दायित्व की भावना लाने तथा भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए परिवेश का निर्माण करना तथा उसे समर्थन देना।
5. पणधारियों के साथ सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रणाली को संस्थागत बनाना।

अध्याय–I
आमुख

1.0 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत के प्रधान मंत्री के सीधे प्रभार के अंतर्गत आता है। राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन) के पास संसदीय कार्य तथा प्रधान मंत्री कार्यालय का पद भी है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, विशेषकर भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् के कामकाज।

1.1 इस मंत्रालय में तीन विभाग हैं:–

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी);

(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; और

(iii) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग;

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव (कार्मिक) के प्रभार में छः विंग अर्थात स्थापना अधिकारी, सेवाएं तथा सतर्कता, स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रशासन, प्रशिक्षण तथा सेवाएं हैं। इनमें से प्रत्येक विंग में संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव रैंक के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अगले पृष्ठ पर दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भर्ती से संबंधित नीतियों को बनाने, सेवा–शर्तों के विनियमन तथा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के कामकाज के अलावा कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के बारे में केन्द्र सरकार के सभी संगठनों को सलाह–मशविरा देने का कार्य करता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान की गई **मुख्य पहलें** अध्याय–2 में दी गई हैं।

कार्मिक नीतियां
(अध्याय–3)

1.2 यह विभाग भर्ती नियमों, पदोन्नति तथा वरिष्ठता लचीली अनुपूरक योजना, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रतिनियुक्ति और बच्चों के देखभाल हेतु छुट्टियों सहित सेवा–शर्तों को अभिशासित करने वाले नियम बनाने, सेवा को अभिशासित करने तथा विनियम के लिए जिम्मेदार है। उच्च सिविल पदों पर कार्मिकों की भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है, समूह 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के उत्थान तथा कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह विभाग केन्द्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में इन समूहों के लिए आरक्षण के प्रावधान संबंधी नीतियां बनाने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

संवर्ग प्रबंधन
(अध्याय–4)

1.3 यह विभाग अखिल भारतीय सेवा संवर्गों (ए.आई.एस.आई.पी.एस तथा आई.एफ.एस.) तथा तीनों सचिवालय सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (केन्द्रीय सचिवालय सेवा एस) और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के संबंध में प्रबंधन हेतु जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यह विभाग गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं विदेश

ORGANIZATIONAL CHART OF THE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

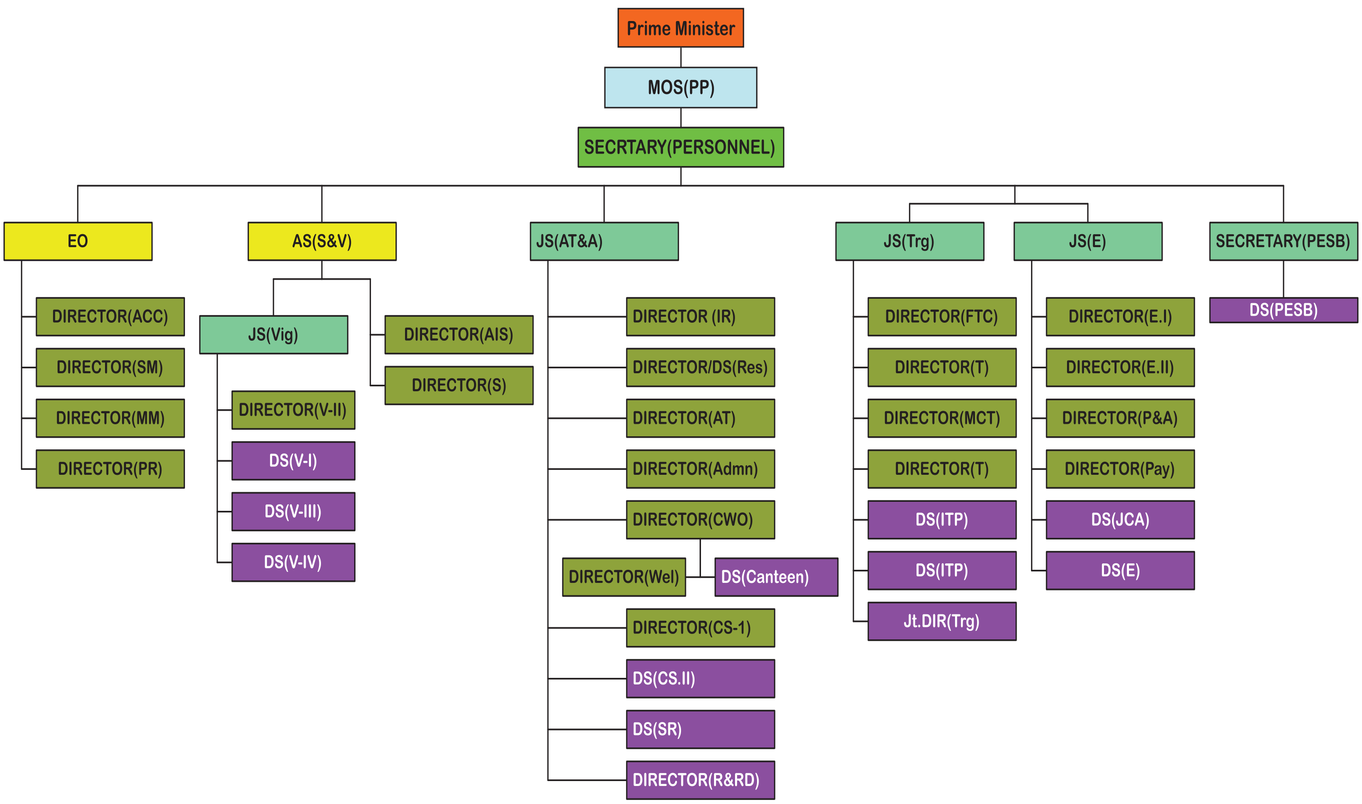

संगठनात्मक चार्ट में प्रयुक्त संक्षिपताक्षर (वर्ण क्रम में)

एसीसी –	मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
एआईएस–	अखिल भारतीय सेवा
एटी–	प्रशासनिक अधिकरण
सीएस–	केन्द्रीय सेवा
डीएस–	उपसचिव
ईओ–	स्थापना अधिकारी
आईटी–	सूचना प्रौद्योगिकी
जेसीए–	संयुक्त परामर्शदायी तंत्र माध्यस्थतम
एमएम–	मध्यवर्ती प्रबंधन
पी एंड ए–	वेतन और लेखा
पी आर–	व्यक्तिगत रिकार्ड
आर एंड आर–	पुनर्नियोजन तथा पुनप्रशिक्षण
एस–	सेवा
एसएम–	वरिष्ठ प्रबंधन
टीआरजी–	प्रशिक्षण
वी–	सतर्कता
एडी–	प्रशासन
एएस–	अपर सचिव
एटी एंड ए–	प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासन
सीडब्लूओ–	मुख्य कल्याण अधिकारी
ई–	स्थापन
एफटी–	विदेशी प्रशिक्षण
आई आर–	अंतर्राष्ट्रीय संबंध
जेएस–	संयुक्त सचिव
ओ एंड एम–	संगठन और पद्धति
पीपी–	नीति योजना
पीडब्लू–	पेंशन कल्याण
आरईएस–	आरक्षण
एस एंड वी–	सेवा और सतर्कता
एसआर–	राज्य पुनर्गठन
टीपी–	प्रशिक्षण परियोजना
डब्लू ई एल–	कल्याण

मंत्रालय के परामर्श से अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् आईपीएस तथा आईएफएस की शर्तों के संबंध में नियमों तथा विनियमों को बनाता है तथा उनमें संशोधन भी करता है। यह विभाग आवधिक आधार पर 58 केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग समीक्षा हेतु भी जिम्मेदार है।

भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां (अध्याय–5)

1.4 विभाग वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियों तथा भारत सरकार की कार्मिक नीतियों के संबंध में कार्य करता है। भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के उन सभी प्रस्तावों पर इस विभाग द्वारा कार्यवाई की जाती है, जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति– समिति (एससी) का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है। इनमें, केन्द्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड–स्तर की नियुक्तियां तथा मंत्रालयों/विभागों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर केन्द्रीय स्टाफिंग पैटर्न की नियुक्तियां शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, पदोननति द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी नियुक्तियों के मामलों, जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति–समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है, पर भी इस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रशिक्षण नीति तथा कार्यक्रम (अध्याय–6)

1.5 यह विभाग सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु नोडल विभाग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रशिक्षण विंग प्रशिक्षण के क्षेत्रों की पहचान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर, प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षण क्षमताओं का तथा प्रशिक्षण में प्रशासनिक नीतियों का विकास कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित नीतियां बनाता तथा उन नीतियों को कार्यान्वित करता है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई मुख्य प्रशिक्षण गतिविधियां इस प्रकार हैः– (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (ii) भारतीय प्रशासनिक सेवा का मध्य कॅरिअर–प्रशिक्षण (iii) विदेशी प्रशिक्षण का घरेलू वित्त पोषण (iv) लोक नीति में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (v) प्रशिक्षण सहायता (vi) गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (vii) प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में बढ़ोत्तरी (viii) गरीबी उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण (ix) दूरस्थ तथा ई–लर्निंग पहलें तथा (x) ई–शासन पहलें।

प्रशिक्षण संस्थान (अध्याय–7)

1.6 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड एवं सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, (आईएसटीएम), नई दिल्ली इस विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में दो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्थान केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन विकास की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ताकि उनके कॅरियर में प्रगति हो सके। यह विभाग भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को प्रशासकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को लोक प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है जो कि एक स्वायत्त संगठन है।

प्रशासनिक सतर्कता (अध्याय–8)

1.7 यह विभाग सरकार की सतर्कता तथा नीति बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल अभिकरण के रुप में कार्य करता है। विभाग का प्रशासनिक सतर्कता विंग अनुशासन बनाए रखने तथा लोक सेवाओं से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किए जाने के सरकार के कार्यक्रमों पर निगरानी रखता है। यह विभाग संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भ्रष्टाचार के

विरुद्ध सरकार की नीति को तैयार करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सभी तरह के सतर्कता मामलों में केन्द्र सरकार को सलाह देता है। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में वे सभी संगठन आते हैं, जिन पर भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां लागू होती हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अध्याय–9)

1.8 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थापना भारत सरकार के दिनांक 01 अप्रैल, 1963 के संकल्प द्वारा न केवल रिश्वत तथा भ्रष्टाचार के मामलों की, बल्कि केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघन, भारत सरकार के विभागों से जुड़े मुख्य घोटालों, लोक संयुक्त स्टाक कम्पनियों, पासपोर्ट घोटालों तथा संगठित गैंगों, व्यवसायिक अपराधियों द्वारा किए गंभीर अपराधों की भी जांच करने हेतु किया गया था। भारत सरकार के आर्थिक अपराध विंग को शामिल कर फरवरी 02,1964 के संकल्प द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को और सुदृढ़ किया गया।

संयुक्त परामर्शदायी तंत्र (अध्याय–10)

1.9 केन्द्र सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने आम हितों के मामले में केन्द्र सरकार तथा कर्मचारियों के बीच अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए तीन स्तरों पर संयुक्त परामर्श के प्रयोजन से केन्द्र सरकार ने एक तंत्र का प्रावधान किया गया है। इसके उद्देश्य कर्मचारियों के हितों के साथ–साथ लोक सेवाओं की दक्षता को बढ़ाना है। इस त्रिस्तरीय तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) राष्ट्रीय परषिद–कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन शीर्ष स्तर पर कार्यरत

(ii) विभागीय परिषदें–मंत्रालयों/विभागोंके अधीन कार्यालयों/संगठनों में कार्यरत।

(iii) कार्यालय परिषदें–विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन कार्यालयों/संगठनों में कार्यरत।

1.10 यह योजना, सेवा मामलों आदि के संबंध में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक प्रभावी मंच सिद्ध हुई है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्याय–11)

1.11 सरकार के निर्णयों से व्यथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय मुहैया करवाने के प्रयोजन से सरकार ने 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) स्थापित किया था जो अब सेवा से संबंधित सभी मामलों पर विचार करता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की 17 खंडपीठें हैं जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों की प्रधान सीटों से संचालित होती हैं और शेष दो जयपुर तथा लखनऊ में हैं।

कर्मचारी कल्याण (अध्याय–12)

1.12 देश के सबसे बड़े एकमात्र नियोक्ता होने के नाते केन्द्र सरकार कर्मचारियों के कल्याण के अपने दायित्व को विभिन्न कल्याणकारी उपायों के द्वारा पूरा करती है। यह विभाग विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों को भी सहायता प्रदान करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु स्थापित चार पंजीकृत समितियों के संबंध में नोडल अभिकरण (एजेंसी) है। इसके अतिरिक्त यह विभाग विभागीय कैण्टीन के लिए नीतियां भी निर्धारित करता है तथा आवासीय कल्याण संघों की सहायता प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार
(अध्याय–13)

1.13 इस विभाग ने भारत के नागरिकों को शासन के सभी मामलों में केन्द्र सरकार से लेकर स्थानीय स्वःशासन तक सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यापक कानून तैयार किया है। इस कानून (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005) में एक तंत्र का प्रावधान है जिसमें केन्द्रीय सूचना आयुक्त, केन्द्र में शीर्षस्थ निकाय होने के नाते अपने नागरिकों को समयबद्ध आसान और वहनीय दर पर सूचनाएं सुलभ कराता है।

विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों का परिणामी ढांचा (अध्याय–14)

1.14 सभी सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली लाई गई है। इस प्रणाली में वर्ष के लिए मुख्य उद्देश्यों तथा तदनुरुपी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करने का प्रावधान है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष के अंत में एक निश्चित समयावधि में अपने कार्य–निष्पादन की मॉनीटरिंग तथा समुचित मूल्यांकन हेतु प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हुए एक आरएफडी तैयार किया है। आरएफडी कार्य के एक हिस्से के रुप में इस विभाग ने सभी भागीदारों के परामर्श से पांच वर्षों के लिए एक नीति तथा नीतिगत योजना तैयार की है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग
(अध्याय–15)

1.5 यह विभाग राजभाषा के रुप में सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का समुचित रुप से पालन किए जाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा मार्गनिर्देशों की भावनाओं का अनुपालन लागू किया जाए। विभाग में एक राजभाषा प्रभाग है जो विभाग में इस नीति की मानीटरिंग तथा कार्यान्वयन करता है।

वित्तीय प्रबंध
(अध्याय–16)

1.16 इस विभाग द्वारा शासित विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2010–11 के लिए योजनेतर आबंटन के अंतर्गत 520.41 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना परिव्यय में 215 करोड़ का वार्षिक आबंटन किया गया। इसके संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की अपेक्षाओं तथा प्रशासनिकताओं का बजटीय आबंटन करते समय विभाग द्वारा ध्यान रखा गया। इस विभाग के संबंध में कोई पीएसी/पैरा लम्बित नहीं है। इस मंत्रालय के संबंध में सी एंड ए जी की टिप्पणियां/पैरा का इस अध्ययन में विस्तृत विवरण है।

अध्याय–2
वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलें

2.1. लोकपाल विधेयक

उच्च पदों पर भ्रष्टाचार सहित लोक कार्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित एक तंत्र स्थापित किये जाने की पुरानी मांग के मद्देनजर, सरकार ने भारत सरकार के नामित पांच मंत्रियों तथा श्री अन्ना हजारे (श्री अन्ना हजारे सहित) के पांच नामित व्यक्तियों की दिनांक 8.4.2011 को एक संयुक्त प्रारुप समिति का लोक पाल विधेयक का प्रारुप तैयार करने हेतु गठन किया गया। इस समिति के साथ हुए विचार–विमर्श तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राजनैतिक पक्षों से प्राप्त हुए इन–पुट के आधार पर सरकार ने संशोधित लोक पाल विधेयक, 2011 तैयार किया तथा इसे दिनांक 4.8.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त विधेयक को जांच तथा रिपोर्ट हेतु कार्मिक, लोक शिकायत, विधि तथा न्याय विभाग से संबंद्ध संसदीय स्थायी समिति को 8 अगस्त, 2011 को भेज दिया गया गया। स्टेक होल्डरो से व्यापक चर्चा करने के बाद, विभाग से संबंद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में इस विधेयक में राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना हेतु संघीय विधान में अपेक्षित उपबंध शामिल किए जाने सहित, ताकि उन राज्यों जहां ऐसा कोई संस्थान मौजूद नहीं है उन्हें लेवरेज मुहैया कराते हुए राज्य को लोकायुक्तों, जो पहले ही से कई राज्यों में स्थित हैं, से संबंधित कानूनों में एकरुपता लाने जैसे कई मुख्य संशोधनों सहित इस विधेयक के कार्यक्षेत्र तथा विषय–वस्तु दोनों ही की दृष्टि से इसमे संशोधन किए जाने का सुझाव दिया है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि लोकपाल तथा लोक आयुक्तों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।

2.1.1 उपर्युक्त स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, सरकार ने लोक सभा में लम्बित, लोकपाल विधेयक, 2011 को वापिस ले लिया तथा केन्द्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोक आयुक्त संस्थानों की स्थापना हेतु दिनांक 22.12.2011 को लोक सभा में एक नया तथा व्यापक लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 ले कर आई। इस विधेयक में, राष्ट्र के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर, एकरुपता, सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधी मान–चित्र का प्रावधान है। यह विधेयक अभियोजन तथा अन्वेषण को एक दूसरे से विलग करते हुए हितों के परस्पर विरोधों को दूर करता है और व्यवसायिकता तथा विशेषज्ञता के परिधि का विस्तार करता है। इसके अतिरिक्त लोकपाल तथा लोकायुक्त को संवैधानिक निकाय बनाए जाने संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 116वां संविधान संशोधन विधेयक, 2011 भी पेश किया।

2.1.2. लोकसभा द्वारा विचार हेतु इन विधेयकों को 27.12.2011 को उठाया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित कर दिया गया परन्तु संविधान संशोधन हेतु अपेक्षित बहुमत के अभाव में 116 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सका। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को चर्चा तथा पारित करने हेतु राज्य सभा में दिनांक 29.12.2011 को उठाया गया। यह चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी तथा लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 अभी राज्य सभा में पारित होना है।

2.2 भंडाफोड़कर्ता संरक्षण विधेयक

सरकार ने भंडाफोड़कर्ताओं से लिखित में शिकायत प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पदनामित अभिकरण के रुप में प्राधिकृत करते हुए दिनांक 21 अप्रैल, 2004 को एक संकल्प जारी किया। अन्य बातों के साथ–साथ इस संकल्प में भंडाफोड़कर्ताओं को उत्पीड़न से संरक्षण देने तथा उनकी पहचान को गुप्त रखने की दृष्टि से प्रावधान किए गए हैं। चूंकि यह महसूस किया गया है कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को संवैधानिक संरक्षण अपेक्षित है, भंडाफोड़कर्ताओं का 'लोक हित प्रकटन और संरक्षण' विधेयक, 2010 संसद में पेश किया गया । यह विधेयक विभाग से संबंद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया जिसने इस विधेयक में संशोधन का सुझाव देते हुए अपनी 46वीं रिपोर्ट में सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया तथा अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यह महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक के शीर्षक में परिवर्तन की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया तथा इस विधेयक को 'भंडाफोड़कर्ता संरक्षण विधेयक, 2011' के रुप में संशोधित किया गया। मंत्री परिषद के सदस्यों, उच्च न्यायपालिका सहित न्याय पालिका, नियामक प्राधिकारियों आदि को इस विधेयक के कार्य क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इसमें केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़ दिया गया है क्योंकि जहां तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का संबंध है इस पहलू को न्यायपालिका मानक तथा दायित्व विधेयक, 2010 में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में, सशस्त्र बलों, सुरक्षा तथा आसूचना अभिकरणों आदि को शामिल करने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिश भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। इस उद्देश्य हेतु अधिकारिक संशोधन लाए गए हैं। इस विधेयक को संशोधित किए अनुसार, 27 दिसम्बर, 2011 को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने हेतु इसे उठाया गया तथा इसे 28 दिसम्बर तथा 29 दिसम्बर की कार्य सूची में शामिल किया गया परन्तु इन दोनों ही तारीख को विचार हेतु इसे राज्य सभा में उठाया नहीं जा सका।

2.3 विदेशी रिश्वत विधेयक

हमारे घरेलू कानून, संघ राष्ट्र कंनवेंशन के आदेशात्मक उपबंधों का पर्याप्त पालन करते हैं, विदेश लोक सेवकों को तथा निजी क्षेत्र को रिश्वत देने से संबंधित अपेक्षा के अतिरिक्त/विदेश लोक सेवकों तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सेवकों की घूस देने के संबंध में 'विदेश लोक सेवको को घूस निवारक विधेयक, 2011' नामक एक विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश किया गया तथा यह अभी कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंद्ध स्थायी समिति के पास है।

2.4 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघ राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन

भारत ने मई, 2011 में संघ राष्ट्र के महासचिव के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघ राष्ट्र के अनुसमर्थन की सपुष्टि हेतु लेख पत्र जमा किया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक ऐसे देश के रुप में भारत की छवि सुधारेगी, जो भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने हेतु प्रतिबंध है। अक्तूबर, 2011 में सचिव (कार्मिक) ने अक्तूबर, 2011 को मारकेश, मोरक्को सम्राज्य में आयोजित यू एन सी ए सी की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

2.5 एशिया तथा प्रशांत भ्रष्टाचार निरोधी पहल से संबंद्ध ए डी बी–ओ ई सी डी का सांतवा क्षेत्रीय सम्मेलन

विश्व के देशों के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग बढ़ाने तथा सकारात्मक बातचीत हेतु प्रयासों के रुप में भारत सरकार ने एशिया तथा प्रशांत भ्रष्टाचार निरोधी पहल को संबंद्ध ए डी बी–ओ ई सी डी का सातवां क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। यह सम्मेलन 27 सितम्बर, 2011 को आयोजित ए डी बी/ओ ई सी डी के 16 स्टेरिंग समूह की बैठक की पहल के साथ आयोजित किया गया था। इस दो दिवसीय सम्मेलन का राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा शुभारंभ किया गया तथा इसमें ए डी बी/ओ ई सी डी के 28 सदस्य देशों तथा अर्थव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार निरोधी पहल तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, 'प्रमुख उद्यमों',

व्यवसायिक संघों तथा सिविल संस्था के विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, 78 विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों तथा 100 से अधिक भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। इसके उद्‌घाटन समारोह में श्री जियानू जाऊ, ए डी बी के उपाध्यक्ष तथा श्री रिचर्ड ए बाऊचर, उप महासचिव, ओ ई सी डी उपस्थित थे। सम्मेलन के विदाई भाषण का केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा संबोधित किया गया। इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार–विरोधी ढांचे की प्रभाविकता में सुधार तथा प्रवर्तन अभिकरणों के बीच भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष हेतु ठोस प्रयासों को बढ़ाने हेतु कई निष्कर्षों को अपनाया गया।

भ्रष्टाचार की रोकथाम पर विचार हेतु मंत्री समूह

सरकार ने भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु उपायों पर विचार करने के लिए जनवरी, 2011 में एक मंत्री समूह गठित किया। इस समूह को कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों सहित भ्रष्टाचार रोकने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सभी प्रकार के उपायों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है। यह समूह सरकार में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु व्यापक रणनीति तैयार कर उपाय प्रस्तुत करेगा। यह मंत्री समूह जिन विशिष्ट क्षेत्रों की जांच कर रहा है वे निम्न प्रकार हैं:

- चुनाव में सरकारी धन
- भ्रष्टाचार के अरोपी लोक सेवकों के मामलों का शीघ्र निपटान
- लोक प्रापण मानकों तथा लोक प्रापण नीति की व्यवस्था सहित लोक प्रापण तथा संविदाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य
- मंत्रियों द्वारा विवेकाधिकार संबंधी परित्याग
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु एक खुली तथा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति
- लोक सेवकों द्वारा गंभीर दुराचार अथवा व्यापक भ्रष्टाचार के मामलों में समरी प्रोसिडिंग हेतु संविधान संशोधन
- उच्च सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच आरंभ करने से पहले सरकार के पूर्वानुमोदन संबंधी संगतता/अपेक्षा बनाए रखने पर विचार

मंत्री समूह ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार ने उनमें संशोधन करते हुए पहले ही उसे अपना लिया है। इस मंत्री समूह की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने कार्यवाही आरंभ की दी है।

2.6 अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण

1. भारत सरकार ने धार्मिक तथा भाषायी अल्पसख्यकों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है, जो धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यको के बीच सामाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंडों के बारे में सुझाव देगी तथा सरकारी रोजगार में उनके आरक्षण सहित उनके कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करेगी। आयोग ने 10 मई, 2007 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपलब्ध 7 प्रतिशत आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यकों के लिये एक उप कोटा सृजित करने की सिफारिश की।

2. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशो पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण के भीतर से अल्पसंख्यकों के लिये 4.5 प्रतिशत उप कोटा निर्धारित करने का निर्णय किया जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा–ड. में परिभाषित दिया गया है।

केन्द्र की ओबीसी सूची में शामिल उपर्युक्त अल्पसंख्यको की जाति/समुदाय, सामाजिक तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित राज्य–वार के संबंधित उपकोटा द्वारा शासित होंगे। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2011 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 41018/2011–स्थापना (आरक्षण) जारी दिया गया है।

2.7 सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति विवरणी

वर्ष 2011 के दौरान प्राप्त की गई एक प्रमुख उपलब्धि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों और संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की जनवरी, 2011 की स्थिति अप्रसार अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी निकालने का निर्णय था। सभी तथा केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के अधिकारियों की आई.पी.आर. विभिन्न सेवाओं के संवर्ग भारतीय प्रशासनिक सेवा नियंत्रक प्राधिकारी के संबंधित विभागों की वेबसाइट पर दी गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

2.8 प्रशिक्षण में पहलें

सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 अनुमोदित कर दी है तथा अपनाये जाने हेतु उसे भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों को परिचारित कर दिया गया है।

विदेश प्रशिक्षण घरेलू वित्त पोषण (डी.एफ.एफ.टी) योजना के अंतर्गत इस वर्ष (2011–12) में एक ऑन लाइन प्रणाली शुरु की गई है। जो सभी दीर्घकालिक अथवा लघुकालिक विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ऑनलाइन आवेदन आदेशात्मक बनाती है। इसके अतिरिक्त, आवेदक अधिकारियों के संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी अब डी.ओ.पी.टी. को अपना नामांकन ऑन लाइन प्रणाली से करेंगे। डी.एफ.एफ.टी. योजना के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य विदेशी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता तथा पारदर्शिता लाना था।

मानव संसाधन प्रबंध के संबंध में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सिविल सेवाओं के लिये सक्षमता आधारित कार्य निष्पादन प्रबंध हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का शुभारंभ

माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय श्री वी.नारायण स्वामी द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन सम्मेलन

इस सम्मेलन का उद्देश्य सिविल सेवा में निष्पादन प्रबंधन के प्रति क्षमता आधारित दृष्टिकोण की संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर इसके लाभ और हानि, निष्पादन प्रबंधन में क्षमता आधारित दृष्टिकोण लागू करने में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली समझ प्राप्त करना था।

गहन प्रशिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, समेकित बाल विकास, पुलिस आदि सेक्टरों में प्रशिक्षण देने के लिए 50 अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया।

2.9 सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदावारों को सेवा आबंटन

सिविल सेवा परीक्षा 2010 की 1044 रिक्तियों पर संघ लोक सेवा आयोग ने 23 सेवाओं अर्थात आई.ए.एस, आई.एफ.एस, आई.पी.एस. तथा विभिन्न अन्य समूह 'क' तथा 'ख' सेवाओं के लिये 922 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की है। सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर चुने गये उम्मीदवारों को 11.8.2011 को सेवा आबंटन किया गया।

2.10 सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों हेतु आधारभूत पाठ्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के सफल उम्मीदवारों के लिये 86 वां आधारभूत पाठ्यक्रम 29 अगस्त, 2011 को 4 अकादमियों अर्थात आर.सी.वी.पी. नॉरॉनाहा अकादमी, भोपाल एन.ए.डी.टी., नागपुर तथा डा. एम.सी.एच.आर.डी संस्थान हैदराबाद में आरंभ किए गये। सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को एल.बी.एस.एन.ए.ए., मसूरी तथा आई. आई.ओ.एस. को बकाया अकादमियों में भेजा गया ताकि सभी बकाया अकादमियों में सभी सेवाओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो।

2.11 केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली, 1972 का संशोधन

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 को संशोधित करते हुए 3 अधिसूचनाएं अगस्त, 1911 माह में जारी की गईं जिससे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश संबंधी, एल.टी.सी. हेतु छुट्टियों के भुगतान पर ब्याज दंड और बालचर्या अवकाश की संशोधित शर्तें प्रवृत हुईं। यह सूचना कार्मिक और परिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.12. सुप्रसिद्ध संस्थानों द्वारा दी गई फेलोशिप के लिये अध्ययन अवकाश

स्थापना (छुट्टी) ने (1) के.के.बिरला फाउन्डेशन (2) भारतीय प्रबंधन संस्थान (3) प्रबंध विकास संस्थान गुडगांव तथा (4) लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान संस्थान द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप को जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल फेलोशिप द्वारा दी गई। फेलोशिप की शर्तों के अनुसार ही अध्ययन अवकाश प्रदान करने हेतु शामिल करते हुए सितम्बर, 2011 को अनुदेश जारी किये हैं।

2.13 अक्षम महिलाओं को बालचर्या हेतु विशेष भत्ता प्रदान किया जाना

विभाग ने 26 सितम्बर, 2011 को अक्षम महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिये विशेष भत्ता प्रदान किये जाने

के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये हैं। स्पष्ट किया जाता है कि विशेष भत्ता बच्चे के जन्म से 2 वर्षों के लिए प्रदान किया जायेगा, जब तक कि महिला कर्मचारी के दो से अधिक जीवित बच्चे न हों। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पहले बच्चे के जन्म के समय महिला कर्मचारी ने एक से अधिक बच्चों को जन्म दिया है तो दोगुनी दर से विशेष भत्ते की हकदारी नहीं होगी।

2.14 संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) तथा रॉयल सिविल सेवा आयोग, भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी) तथा रॉयल सिविल सेवा आयोग, भूटान के बीच थिम्पू, भूटान में 9.9.11 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यू.पी.एस.सी. ने अध्यक्ष, यू.पी.एस.सी. तथा अध्यक्ष, रॉयल सिविल सेवा आयोग भूटान द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति 14.9.2011 को अग्रेषित की है। इसमें आपसी सहमति के क्षेत्रों में दोनों पक्षों द्वारा सहयोग, पक्षों का दायित्व, लागत का विभाजन तथा अन्य प्रक्रियाएं दी गई हैं। सहयोग के क्षेत्र में भर्ती तथा चयन जैसे मामलों, विशेषज्ञ के आदान–प्रदान, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दोनों पक्षों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल के विकास से जुड़े अनुभवों तथा विशेषज्ञता का आदान–प्रदान शामिल है।

2.15 रक्षा संस्थानों के सिविलयन महिला औद्योगिक कर्मचारियों को बालचर्या अवकाश

बालचर्या अवकाश का लाभ रक्षा संस्थानों के सिविलयन महिला औद्योगिक कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल गैर औद्योगिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य आधार पर इस विभाग के 20 अक्तूबर, 2011 के आदेश द्वारा विस्तारित किया गया है।

2.16 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

(क) सूचना का अधिकार गीत

सूचना के अधिकार के संबंध में जागरुकता पैदा करने के लिए 15 अगस्त, 2011 को एक सूचना का अधिकार गीत आरंभ किया गया तथा इसे दूरदर्शन, रेडियो तथा थिएटर के माध्यम से देश भर में तथा ग्यारह भाषाओं में प्रसारित किया गया।

(ख) आर टी आई फेलोशिप

सिविल सोसाइटी और मीडिया क्षेत्र के चार लोगों के आर टी आई फेलोशिप प्रदान किए गए।

2.17 ई–शासन परियोजनाएं

ई–शासन परियोजनाओ के कार्यान्वयन हेतु इस विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इसकी प्राप्ति हेतु कुल 52 अलग–अलग सोफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जो इस विभाग के विभिन्न प्रभागों के कार्यों से संबंधित हैं।

2.18 जे सी एम की राष्ट्रीय विसंगति समिति की बैठक

सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित जे सी एम की राष्ट्रीय विसंगता समिति की बैठक दिनांक 5 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई।

2.19 भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षकों को संवर्ग आबंटन

माननीय प्रधान मंत्री के अनुमोदन से सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर चुने गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 149 परिवीक्षकों को संवर्ग आबंटित किए गए। इसे विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किया गया।

2.20 बच्चों को शिक्षा भत्ता

फरवरी माह, 2012 के दौरान दो कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए;

(i) बच्चों के शिक्षा भत्ते के दावे हेतु मूल रसीदों के खो जाने के मामले में अपनाई जाने वाली 'शुल्क' प्रक्रिया तथा महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सी ई ए में बढ़ोत्तरी तथा शैक्षणिक वर्ष की प्रथम दो तिमाही के दौरान हकदारी की मात्रा के संबंध में स्पष्टीकरण।

(ii) शिक्षण शुल्क के स्थान पर विद्यालय/संस्थान द्वारा लिया जाने वाला विकास शुल्क/चंदा अभिभावक, अक्षम बच्चों की विशेष देखभाल हेतु विद्यालय/संस्थान द्वारा लिया गये शुल्क हेतु भुगतान तथा सी ई ए/छात्रावास सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्रदान करना।

2.21 सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को डी ओ पी टी की वेबसाइट पर वर्ष 2011 हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संपत्ति विवरण को स्कैन करने तथा अपलोड करने की सुविधा

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2011 हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संपत्ति विवरण की स्कैनिंग तथा अपलोडिंग हेतु सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को सुविधा प्रदान दी है ताकि दस्तावेजों कर की प्राप्ति तथा स्वीकृति में विलम्ब न हो। स्थापना अधिकारी द्वारा दिनांक 17.2.2012 को सभी संवर्ग प्राधिकारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन किया गया ताकि इस प्रणाली की उपयोगिता का पता चल सके तथा इसकी फीड बैक प्रोत्साहित करने वाली थी। अधिकांश प्राधिकारियों ने डी ओ पी टी की वेबसाइट पर आई पी आर लोड करना शुरु कर दिया है।

2.22 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यशाला

दिनांक 09.03.2012 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2012 के उपलक्ष्य में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन माननीय कार्मिक राज्य मंत्री ने किया था।

विभाग की सभी महिलाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों पर व्याख्यान दिए गए। इसके बाद सहभागियों विभाग ने रखी जाने वाली उम्मीदों को प्रस्तुत किया। यह कार्यशाला आधुनिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में सबके लिए एक सूचनापरक और शिक्षण सत्र था जिसमें कामकाजी महिलाओं द्वारा घर और कार्यालय की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने पर भी बातचीत की गई ।

2.23 पेंशनभोगी कल्याण

केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में किए संशोधन, विभाग की दिनांक 15.02.2011 की अधिसूचना सं. 33/2/2010–पी एंड पी डब्ल्यू (एफ) द्वारा अधिसूचित कर दिए गए थे। पेशन तथा पेशन भोगी कलयाण विभाग ने एन आई सी की मद्द से सी पी ई एन जी आर ए एम एस का एक अद्यतन संस्करण विकसित किया। इस अद्यतन संस्करण में, पेंशन संबंधी शिकायतें अन्य अद्यतन संस्करण में, पेंशन संबंधी शिकायतें अन्य शिकायतों के साथ रखी जाएंगी अतः मंत्रालयों/विभागों को कई स्रोतों से प्राप्ति हासिल करनी अपेक्षित नहीं होगी। इससे उन सभी मंत्रालयों/विभागों का शिकायत निपटान सुलभ होगा जो सी जी जी आर ए एम में लाग कर सकते हैं तथा पेंशन संबंधी शिकायतों की जांच कर सकेंगे। विगत में उन्हें, सी पी इ एन जी आर ए एम तथा सी पी जी आर

अध्याय–3
कार्मिक नीतियां

3.0 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित संशोधित नियम तथा विनियम तैयार करने हेतु जिम्मेदार है। भर्ती नियमों/समूह 'क' तथा 'ख' पदो के भर्ती नियम/सेवा नियमावली के सृजन तथा संशोधन से संबंधित मसले इस विभाग में देखे जाते हैं। बहु कार्य कर्मचारियों सहित, समूह 'ग' पदों के संबंध में भर्ती नियम बनाने के अधिकार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित का दिए गए हैं। यह विभाग विभागीय पदोन्नति समितियों से संबंधित प्रक्रियाओं तथा वरिष्ठता से संबंधित नीति, लचीली अनुपूरक योजना के संबंध में आम नीति, छुट्टी यात्रा भत्ते, वेतन एवं भर्ती, आयु सीमा में छूट तथा सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मसलों के संबंध में नीति निर्धारण की जांच तथा प्रोसेसिंग भी करता है।

अध्याय–2 में सूचीबद्ध किए गए मसलों को छोड़कर वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण मामले निम्न प्रकार हैं:–

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिकों हेतु संशोधित लचीली अनुपूरक योजना

वैज्ञानिकों हेतु संशोधित लचीली अनुपूरक योजना के संबंध में विभाग द्वारा 10 सितम्बर, 2010 को अनुदेश जारी किए गए थे। विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से इस संबंध में प्राप्त हुए बहुत से अनुरोधों की मंत्रालय में जांच की गई तथा प्रक्रिया को सुलभ बनाया गया, मंत्रालय द्वारा संशोधित एफ सी एस से संबंधित एफ ए क्यू भी जारी किए गये।

भर्ती नियम बनाना तथा संशोधन

भर्ती नियम बनाने अथवा उनमें संशोधन अथवा छूट के प्रस्ताव आन लाइन प्रस्तुत करने तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई टिप्पणी/राय/प्रतिक्रियाओं को आन लाइन मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करने के बारे में एक निर्णय लिया गया है। सभी मंत्रालय/विभागों के लिए आई एस टी एम द्वारा एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस संबंध में केवल आन लाइन रुप में प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे तथा मंत्रालय/विभाग में कोई फाईल स्वीकार नही की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर समय से अधिक रुकना

विभाग ने अपने जून 17, 2010 तथा 20 नवम्बर, 2006 के निर्णयों को दोहराया है कि प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों के समयावधि से अधिक नहीं रुकने की जिम्मवारी तत्काल उसके उच्च अधिकारी की होगी। किसी भी कारण प्रतिनियुक्ति पर समय से अधिक रुकने के मामले में उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा इसके अन्य प्रतिकूल परिणाम होंगे, जिनमें अप्रधिकृत अवधि के दौरान की अवधि को पेंशन देयता तथा वेतन–वृद्धि के उद्देश्य से सेवा में संगणना नही किया जाना शामिल है। ऐसा संकलित प्रभाव से उस तारीख तक के लिए किया जाएगा जब तक कि अधिकारी अपने मूल संवर्ग में कार्य–भार नहीं ग्रहण कर लेता। मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि अब किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति में विलम्ब–अवधि को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी।

दिनांक 1.1.2011 से प्रभावी मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरुप विशेष भत्ते तथा नकदी हैंडलिंग भत्ते में संशोधन

विभाग ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2008 के लिए अपने निर्णय को दोहराया है कि विशेष भत्ते तथा नकदी हैंडलिंग भत्ते में संशोधन की दर संशोधित वेतनमानों पर देय महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर स्वतः 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

1.1.2006 से पूर्व नियुक्त/ पदोन्नत हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सीधी भर्ती वरिष्ठ सहायकों/ केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ निजी सहायकों तथा निजी सहायको के वेतन मानों में बढ़ोत्तरी (स्टेपिंग अप)

दिनांक 1.1.2006 में पूर्व सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले क्रमशः सी एस एस/सी एस एस एस के वरिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक जो 1.1.2006 के बाद पदोन्नत सी एस एस/सी एस एस एस के सहायकों/ वैयक्तिक सहायकों से कम वेतन आहरित कर रहे थे, उन्हें इस शर्त के अधीन वेतन बढ़ाने (स्टेपिंग अप) की अनुमति दी जाएगी कि सीधी भर्ती से आए वरिष्ठ सहायक/वैयक्तिक सहायक पूर्व संशोधित वेतनमान में कनिष्ठ पदोन्नत सहायकों/वैयक्तिक सहायकों से लगातार अधिक वेतन प्राप्त करते रहेंगे। इसी प्रकार 1.1.2006 से पूर्व नियुक्त/ प्रोन्नत सी एस एस एस के वरिष्ठ निजी सहायकों को 1.1.2006 के बाद किसी भी मंत्रालय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड घ के रुप में पदोन्नत व्यक्तियों के समकक्ष वेतनमान बढ़ाया जाएगा।

फेलोशिप अवार्ड प्रदान किए जाने पर अध्ययन अवकाश के नियमो में छूट

सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वयं कौशल विकास करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से (प) के.के.बिरला) फाउन्डेशन (पप) भारतीय प्रबंधन संस्थान (पपप) प्रबंध विकास संस्थान, गुडगांव तथा (पअ) लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान संस्थान द्वारा दी जाने वाली फेलोशिपों को शामिल करते हुए जवाहर लाल नेहरु मेमेरियल फेलोशिप द्वारा दी गई फेलोशिंप की शर्तो के अनुसार सरकारी सेवकों को इन संस्थानों की समग्र फेलाशिप अवधि हेतु अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। उन्हें फेलाशिप के अनुसार देय सभी प्रकार के लाभों की हकदारी होगी तथा इसके अतिरिक्त उन्हें वेतन के समान जो वे इस प्रकार की अवकाश अवधि पर जाने से ठीक पहले सरकारी कार्यावधि के दौरान आहरित कर रहे होते, वेतन आहरित करने तथा केन्द्रीय सरकार के अवकाश वेतन पर ग्राहय मंहगाई भते को आहरित करने की हकदारी होगी।

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए छुट्टियों के अग्रिम भुगतान हेतु प्रदान की गई राशि के अप्रयुक्त रहने पर दांडिक ब्याज

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 को छुट्टी यात्रा रियायत हेतु किए गए अग्रिम भुगतान के सी सी एस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में अप्रयुक्त रहने की दशा में कर्मचारियों पर भविष्य निधि की बकाया राशि पर सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक दर से, दाण्डिक ब्याज के प्रावधान को, दिनांक 26 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संशोधित करते हुए प्रावधान कर दिया गया है।

कश्मीर घाटी में कार्यरत केन्द्र सरकार के संबंद्ध तथा अधीनस्थ अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियो को विशेष रियायत सुविधाएं

सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कश्मीर घाटी में कार्यरत केन्द्र सरकार के संबंद्ध तथा अधीनस्थ अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियो को विशेष रियायत सुविधाएं के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को दिनांक 31.12.2011 तक बढ़ा दिया गया है। प्रोत्साहन के यह पैकेज, कश्मीर के मूल निवासियों सहित जम्मू कश्मीर के 6 जिलो अर्थात अनंतनाग, बारामूला, बुडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा तथा श्री नगर जिले में कार्यरत अधिकारियों को देय है। यह पैकेज भारत सरकार नैमित्तिक श्रमिकों (अस्थायी दर्जा तथा विनियमन) योजना के पैरा 5(1) की शर्तों के अनुसार कश्मीर घाटी में अस्थायी दर्ज के नैमित्तिक श्रमिकों को भी देय है।

अनुवाद हेतु मानदेय की दर का संशोधन

किसी भी भाषा से हिन्दी/अंग्रेजी में तथा विलोमतः अनुवाद हेतु मानदेय की दर संशोधित करके साधारण शब्दों के लिए 120/–रुपये प्रति हजार शब्द तथा तकनीकी शब्दों के लिए 130/– रुपये प्रति हजार शब्द कर दी गई है।

ई–सेवा पुस्तिका

प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने मिशन मॉड परियोजना के अंतर्गत ई–कार्यालय सॉफ्टवेयर विकसित किया है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग में पहले से उपलब्ध इस सॉफ्टवेयर को ई–सेवा पुस्तिका योजना के बुनियादी ढांचे के सृजन तथा अनुरक्षण हेतु उन्नयन किया जा रहा है।

वार्षिक अचल संपति विवरणी के प्रस्तुतीकरण न किए जाने के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रदान करने संबंधी मार्ग–निर्देश

केन्द्रीय सिविल सेवाओं/पदों के सभी सदस्यों के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रदान करने संबंधी मार्ग–निर्देश 27.9.2011 को संशोधित कर दिए गए है जिनके अनुसार किसी अधिकारी को पिछले वर्ष की 31 जनवरी तक की अवधि के लिए अपनी वार्षिक अचल विवरणी प्रस्तुत करने में असफल होने पर सतर्कता अनापत्ति मंजूर नहीं की जाएगी; जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचारण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के निर्णय अनुसार अपेक्षित है।

जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रुप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

दिनांक 5.12.2011 को जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रुप में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की विभागीय अनुशासनिक मामलो में मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है।

प्रशासन तथा सांसदों और विधायकों के बीच सरकारी काम–काज से संबंधित संशोधित मार्गनिर्देश समुचित प्रक्रिया के पालन संबंधी अनुदेशों में लोक सभा की विशेषधिकार समिति के परामर्श के बाद संशोधन

प्रशासन तथा सांसदों और विधायकों के बीच सरकारी काम–काज से संबंधित संशोधित मार्ग–निर्देश

समुचित प्रक्रिया के पालन संबंधी अनुदेशों में लोक सभा की विशेषधिकार समिति के परामर्श के बाद संशोधन संबंधी मार्ग–निर्देश दिनांक 1.2.2011 को संशोधित कर दिए गए थे। सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्यों के जिलों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारियों सहित इन अनुदेशों के ध्यानपूर्वक पालन पर बल देते हुए सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया।

वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी (आर पी आर) को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखना

केन्द्रीय संगठित समूह 'क' सेवाओं के सभी नियंत्रक प्राधिकारियों को ऐसे संवर्गो से संबंधित अधिकारियों को वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी को संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की वेबसाइट पर रखने के लिए कहा गया है।

वैज्ञानिक विभागों का विभागीय पीयर समीक्षा समिति का प्रमुख वैज्ञानिकों को अधिवर्षिता के आयु के आगे सेवा विस्तार प्रदान करने हेतु पुनर्गठन

मूल नियम 56 के उपबंधों के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिकों को लोक हित में सेवा विस्तार की अनुमति है।

मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वैज्ञानिकों को सेवा विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव कतिपय औपचारिकताओ के साथ अनुमोदित कर दिया है। मूल अपेक्षा विभाग–वार स्थायी पीयर समीक्षा समिति जिसे विभागीय पीयर समीक्षा समिति भी कहा जाता है, गठित करने की थी।

उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के आधार पर, कई वैज्ञानिकी विभागो के लिए नियत समयावधि हेतु डी पी आर सी गठित किए गये थे। इन मंत्रालयों/विभागों के वैज्ञानिक डी पी आर सी की सिफारिशों के आधार पर समय समय पर सेवा विस्तार प्राप्त कर रहे थे।

भर्ती अभिकरण

3.1 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शासित दो विनिर्दिष्ट भर्ती–अभिकरण (एजेन्सियां) हैं। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जबकि कर्मचारी चयन आयोग सरकार के एक संकल्प द्वारा गठित किया गया है और इसका दर्जा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक सम्बद्ध कार्यालय का है। ये दोनो अभिकरण सरकारी सेवाओं में उम्मीदवारों का चयन उचित, वस्तुनिष्ठ तथा पक्षपातरहित करने के लिए सुप्रसिद्ध है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से भिन्न–भिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले उम्मीदवार प्रतिभागिता करते है।

3.1.1 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अखिल भारतीय सेवा, समूह 'क' केन्द्रीय सिविल सेवाओं/पदों और समूह 'ख' राजपत्रित पदों के लिए भर्ती करता है। यह आयोग रक्षा बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन करता है। कुछ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) भी संघ राज्य क्षेत्र में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग की सेवाएं लेते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 में यथाविनिर्दिष्ट कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद

320(3) के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 समय–समय पर यथासंशोधित, सभी अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघ से संबंधित अन्य सेवाओं एवं पदों के लिए यह विनिर्दिष्ट करते हुए बनाए हैं कि किन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं होगा।

संघ लोक सेवा आयोग की 1.4.2010 से 31.3.2011 तक की अवधि की 62वीं रिपोर्ट लोक सभा तथा राज्य सभा में क्रमशः 14.12.2011 तथा 15.12.2011 को रख दी गई थी। उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2011 से एक नया एसएएमपीईआरए प्रपत्र (प्रपत्र ई) लागू किया गया है। इसके लागू करने के साथ एसएएमपीईआरए प्रपत्र की लागत को संशोधित करके 20 रुपये से 30 रुपये कर दिया है। इसके अनुसार आयोग की मुख्य गतिविधिया निम्न प्रकार से हैः–

- संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पध्दति के माध्यम से भर्ती के अंतर्गत 14 परीक्षाएं सिविल सेवाओं/पदों और 4 रक्षा सेवाओं हेतु आयोजित की थीं, कुल 1893030 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 5342 पर कार्रवाई की गई; सिविल सेवाओं/पदों के लिए 4896 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया (रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रक्षा सेवाओं के लिए साक्षात्कार लिए गए) और विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए 3079 सिविल सेवाएं/पदों हेतु 4896 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई (इसमें से रिजर्व सूची के माध्यम से संस्तुत किए गए 358 उम्मीदवार भी शामिल है) सिविल सेवाओं/पदों तथा रक्षा सेवाओं/पदों हेतु कुल 1817 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई।
- 2011 से सिविल सेवा परीक्षा की योजना में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटन को संशोधित कर दिया गया है। अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य परीक्षाएं प्रत्येक दो घंटों की अवधि की होती हैं। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं हालांकि इस स्तर पर सिविल सेवा परीक्षा की योजना में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कोई संशोधन नहीं लागू किया गया है।
- आयोग ने उम्मीदवारों/पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, संविलयन आदि के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से 3978 अधिकारियों /पदों के संबंध में सिफारिश की है।
- आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए साक्षात्कार द्वारा भर्ती के माध्यम से आरक्षित 22 पदों में से 11 उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति

आयोग ने अभियंत्रिक सेवा परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए फरवरी, 2011 से ऑन लाइन प्रणाली प्रारंभ की है । आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण किया जाता है तथा आंकड़े रियल टाइम आधार पर हासिल किए जाते है। इसके कारण समय सीमा में कटौती के साथ–साथ अधिक सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। क्योंकि उम्मीदवार स्वयं अपना विवरण भरते हैं। अन्य परीक्षा के लिए भी उम्मीदवारों का विवरण प्राप्त करने हेतु इस साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीदवारों को सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई

है और उन्हें अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आयोग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। इस परियोजना के फलस्वरुप परीक्षाओं के आयोजन के समय में कटौती होने के कारण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आयी है। 2011 से सुरक्षा प्रवेश के अंतर्गत केवल ऑनलाइन पद्धति के द्वारा ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रदान करने हेतु एक प्रणाली विकसित तथा कार्यान्वित की है। उम्मीदवारों को अपनी पृष्ठ भूमि माता–पिता संबंधित जानकारी, योग्यता, अनुभव तथा विकल्प/वरीयता के संबंध में विस्तृत जानकारी ऑनलाइन रुप में भरने के लिए कहा गया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रदान करना

आयोग ने ऐसी परीक्षाओं के आयोजन के तत्काल बाद से सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की शेयरिंग आरंभ कर दी है। सफल उम्मीदवारों तथा असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरा होने पर दी जाती है।

ऑन लाइन भर्ती परीक्षा का आयोजन

आयोग लगभग 4 हजार उम्मीदवार जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था के चुनाव हेतु, एक पॉयलट परियोजना के रुप में कतिपय पदों पर भर्ती के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। इस परीक्षा को देश भर में विभिन्न केंद्रों पर एक ही समय में आयोजित किया गया।

आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2012 से सभी अवसंरचनात्मक 14 परीक्षाओं के लिए ऑन लाइन रुप में आवेदन पत्र करने का निर्णय किया है। आयोग ने हाल ही में ई–प्रवेश पत्र बनाने हेतु एक यूजर फ्रैंडली साफ्टवेयर विकसित किया है जिसे आयोग के वेबसाइट से उम्मीदवार द्वारा डाउन लोड किया जा सकता है। यह प्रणाली शीघ्र ही चालू हो जाएगी। आयोग ने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न इक्का–दुक्का पदों पर भर्ती के लिए भी ऑन लाइन आवेदन पत्र करने का निर्णय किया है। यह परियोजना अभी परीक्षण तथा कार्यान्वयन के अधीन है।

द्विपक्षीय आदान प्रदान के द्वारा सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं की साझेदारी तथा बढ़ावा देने की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग तथा कनाडा के लोक सेवा आयोग के बीच 15 मार्च, 2011 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन 3 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

संघ लोक सेवा आयोग तथा भूटान के राजकीय सेवा सिविल सेवा आयोग के बीच भी 9 सितम्बर, 2011 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था। सहयोग के क्षेत्र में सिविल सेवा मामलों में भर्ती तथा चयन, संसाधन पूर्ण व्यक्तियों के आदान–प्रदान तथा अटैचमेंट तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों तथा अधिकारियों के व्यवसायिक कौशल में विकास जैसे अनुभव तथा विशेषज्ञताओं को शामिल किया जाएगा।

म्यांमार (दो बार), नेपाल, न्यूजीलैंड, किदगिज गणतंत्र तथा कनाडा से छः विदेश प्रतिनिधि मंडल ने आयोग का दौरा किया तथा चयन पद्धति से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की।

3.1.2 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)

कर्मचारी के आयोग (एसएससी) गठन तथा कार्यकलाप की संरचना में नई दिल्ली स्थित इसका मुख्यालय और देश के विभिन्न भागों में स्थित 09 क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में एक अध्यक्ष, दो सदस्य, एक परीक्षा सचिव–सह–नियंत्रक और अन्य सहायक अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। ये क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन की प्राप्ति और उन पर कार्रवाई करने, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने तथा क्षेत्रीय मुख्यालय पर क्षेत्र के अन्य मुख्य शहरों में परीक्षा, साक्षात्कार तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा (जहां अपेक्षित हो) के लिए जिम्मेदार हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	क्षेत्र	क्षेत्राधिकार
1.	नई दिल्ली स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तरांचल
2.	इलाहाबाद स्थित केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय	उत्तर प्रदेश, बिहार
3.	मुम्बई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
4.	कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, झारखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह
5.	गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
6.	चेन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी
7.	बेंगलुरु स्थित केरल–कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय	कर्नाटक, केरल और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप
8.	रायपुर स्थित मध्य प्रदेश उप–क्षेत्रीय कार्यालय	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
9.	चंडीगढ़ स्थित पश्चिमोत्तार उप–क्षेत्रीय कार्यालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

वर्ष 2011–2012 के दौरान (24 नवम्बर, 2011 तक) कर्मचारी चयन आयोग ने निम्न अखिल भारतीय स्तर खुली प्रतियोगिताएं तथा विभागीय परीक्षाएं आयोजित की हैं।

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तारीख	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	में बैठ अभ्यर्थियों की संख्या
1.	कनिष्ठ अभियंता (सी एंएंड एम) सी डब्लू सी में तथा कनिष्ठ अभियंता (ई) डाक विभाग में	1 मई, 2011	46246	15958
2.	कांस्टेबल (जीडी) असम राइफल परीक्षा 2011 में	15 मई, 2011	17014	15105
3.	कांस्टेबल (जीडी) आईटीबीपी परीक्षा, 2011	15 मई, 2011	36356	33726
4.	कांस्टेबल जीडी बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि परीक्षा 2011	5 जून, 2011	275889	263346
5.	संयुक्त स्नातक स्तर (चरण– I) परीक्षा, 2011	19/26 जून,2011	932358	609572
6.	सीआई,फ परीक्षा, 2011 में ,,सआई (आशुलिपिक)	31 जुलाई, 2011	107639	73572
7.	केन्द्रीय पुलिस संगठन में उप निरीक्षक आदि परीक्षा, 2011	28 अगस्त, 2011	232430	169747
8.	संयुक्त स्नातक स्तर (चरण– II) परीक्षा, 2011	3/4 सितम्बर, 2011	83494	74397
9	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' और 'सी' परीक्षा, 2011	16 अक्तूबर, 2011	210,863	127858
	कुल		**1,942,289**	**1383281**

विभागीय परीक्षा

वर्ष 2011–2012 के दौरान (24 नवम्बर, 2011 तक) कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न खुली प्रतियोगिताएं तथा विभाग परीक्षाएं आयोजित की है तथा परिणाम घोषित किए और नियुक्त हेतु 67861 उम्मीदवारों की सिफारिश की।

(24 नवम्बर, 2011 तक की स्थिति)

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तारीख	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	में बैठ अभ्यर्थियों की संख्या
1.	ग्रेड 'सी' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2011	16 जुलाई, 2011	518	460
2.	यूडी ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा, 2011	20 नवम्बर, 2011	153	100

आयोग की वेबसाइट का दोबारा से डिजाइन किया गया। कर्मचारी चयन आयोग ने निम्न नई पहलें की :–

(क) परिणाम घोषित किए जाने की तारीख को वेबसाइट पर मध्यस्तरीय सहित सभी परिणाम रखे गए। इस समय वेबसाइट पर सभी परिणाम पीडीएफ फारमेट में रखे गए है।

(ख) मध्यम स्तर में नही चुने गए उम्मीदवारों के अंको का रखा जाना।

(ग) परीक्षा के अंतिम स्तर में भाग लेने वाले उम्मीदवारों–चुने गए और नहीं चुने गए दोनों ही के अंकों का रखा जाना ।

(घ) इस समय परिणामों के प्रकाशन के तत्काल बाद ही परीक्षा के परिणाम के प्रत्येक स्तर पर सभी उम्मीदवारों के अंक पीडीएफ फारमेट में रखे जाते है।

(ड.) वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के मामले में सभी उम्मीदवारों के लिए (सितम्बर, 2011 से) के ओएमआर उत्तर पुस्तिका के स्कैन किए गए आंकड़ों का रखा जाना ।

(च) नौकरी के आवेदन के लिए सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए विस्तृत नोटिस, समय सारणी तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा संबंधित मुद्दों का रखा जाना।

(छ) आयोग द्वारा वेबसाइट पर ओएमआर उत्तर पुस्तिका से प्राप्त हुए स्कैन आंकड़ों के साथ–साथ प्रश्न पत्र के उत्तर भी रखे जाते हैं ताकि उम्मीदवार स्कैन की गई सूचना के संदर्भ में उसके प्रमाणन के संदर्भ में स्वयं सत्यापन करने का अवसर हासिल कर सके।

(ज) परीक्षा के तत्काल बाद उसकी उत्तर कुंजी का रखा जाना आपसी तालमेल के मुख्य घटक के रुप में वेबसाइट का निरंतर अद्यतन किया जाना अपेक्षित होता है तथा इस संबंध में आयोग के एनआईसी एकक में उत्कृष्ट सहायता प्रदान की है। स्टैटिक पृष्ट आवधिक आधार पर तथा गतिशील सूचनाएं लगभग दैनिक आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।

जनता के लाभ हेतु आयोग के नौ क्षेत्रीय कार्यालयों की अपनी वेबसाइट है क्षेत्रिय कार्यालय के वेबसाइटों पर उम्मीदवारो, जिनके आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर दिए जाते हैं, कारणों सहित प्रवेश पत्र डाउन लोड करने की सुविधा, साक्ष्यत्कार तथा कौशल परीक्षण आदि हेतु परीक्षा/साक्ष्यत्कार/कौशल परीक्षण की तारीख से एक सप्ताह पहले ही काल लेटर जारी करना, चुने गए संबंधित उपभोक्ता विभागों के संपर्क ब्यौरे सहित चुने गए उम्मीदवारो के नामांकन का ब्यौरा आदि जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

आयोग ने प्रैस सम्मेलन का प्रभावी प्रयोग किया है– आम तौर पर प्रश्न बैंक परियोजना के समय पर जो एक शैक्षणिक कार्य होता है– जिसमें स्थान टीआईबी अधिकारियों के सक्रिय सहायता के साथ इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया द्वारा भाग लिया जाता है।

फरवरी, 2010 में पहली बार ऑन लाइन पंजीकरण लागू किया गया तथा 22 लाख से अधिक आवेदको को ऑन लाइन रुप से पंजीकृत किया गया। मौजूदा समय में 40 प्रतिशत आवेदक ऑन लाइन पंजीकरण करते हैं जबकि 60 प्रतिशत अभी भी अपना आवेदन ऑफ लाइन रुप से भेजना पसंद करते है। ऑन लाइन आवेदन के मामलों में ॰ वदसपदमेइप.बवउ का प्रयोग करते हुए शुल्क तथा चलान के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इस समय ऑन लाइन आवेदन के मामलों में एसएमएस तथा ईमेल के संबंध में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

नौ में से आठ क्षेत्रीय कार्यालयों अपनी कार्रवाई में सतत सुधार समयबद्धता तथा उद्देश्य परख कार्यनिष्पादन अभिविनास तथा उपभोक्ता संतुष्टि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए को अपनी गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली हेतु आईएसओ 9001:2008 प्राप्त कर चुके हैं।

आयोग के कार्यो में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

सरकारी कार्य में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में उसके प्रयोग में दिलचस्पी बढ़ाने की दृष्टि से आयोग द्वारा एक नया हिन्दी सॉफ्टवेयर 'अक्षर नवीन' नियमित रुप प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 14 सितम्बर, 2011 से 28 सितम्बर, 2011 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता, जैसे प्रस्ताव लेखन, टंकण परीक्षा, टिप्पण तथा प्रारुपण, कविता पाठ, वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा राजभाषा प्रश्न–उत्तरी आयोजित की गई। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष द्वारा नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दिनांक 26 सितम्बर, 2011 को राजभाषा हिन्दी के रुप में सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग की संगतता पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यालय में 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.3 लोक उद्यम चयन बोर्ड

लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), व्यावसायिक निकाय के रुप में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के पदों पर अधिकारियों का चयन और नियुक्त करना था। उपर्युक्त उद्देश्य हेतु नियमित चयन बैठकों के आयोजन के अतिरिक्त इसके कार्यो में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समूह के बोर्ड स्तरीय वांछनीय अवसंरचना के संयुक्त मूल्यांकन के बाद कार्य विस्तार अवधि प्रदान करने तथा संपुष्टीकरण के संबंध में सलाह आदि देना शामिल है।

पीईएसबी में एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्य होते हैं। उन्हें तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। वे 65 वर्ष आयु सीमा की शर्त के अधीन दूसरी कार्य अवधि हेतु पुनःनियुक्ति पर विचार किये जाने के पात्र हैं। विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के विशिष्ट पूर्वा अनुमोदन के साथ पीईएसबी के माध्यम को छोड़कर किसी लोक सार्वजनिक उद्यम के पद अथवा पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। पीईएसबी केन्द्रीय लोक सार्वजनिक उद्यमों के कार्यकारी निदेशकों की स्थिति के संबंध में सार्वजनिक रुप से आंकड़े रखता है।

पीईएसबी केन्द्रीय लोक सार्वजनिक उद्यमों के बोर्ड

संरचना बनाया रखता है प्रशासनिक मंत्रालय परामर्श से केन्द्रीय लोक सार्वजनिक उद्यमों के पदों के विवरण को अद्यतन करता है, आवेदन आमंत्रित करता है चयन किए गए आवेदको को साक्षतत्कार हेतु चुनता है तथा सक्षम प्राधिकारी (अनुसूची क तथा ख हेतु मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति तथा केन्द्रीय लोक सार्वजनिक उद्यमों की समूह ग तथा घ अनुसूची हेतु प्रभारी मंत्री) के अनुमोदन से कार्रवाई हेतु की सिफारिशों के प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजता है।

पीईएसबी की चयन प्रक्रिया को समय पर पारदर्शी बनाने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए हैं उनके मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैंः–

(i) पीईएसबी द्वारा पदाधिकारी कार्य अवधि समाप्ति से एक वर्ष पूर्व विज्ञापन जारी किया जाना अपेक्षित होता है। जहां तक गैर अनुमानित रिक्तियों का संबंध है, पीईएसबी आवेदक हेतु तीन सप्ताह का तथा यदि रिक्ति पर आवेदक का चयन तथा संस्तुति की जाती है तो चार महीने का समय दिया जाएगा।

(ii) पीईएसबी द्वारा संबंधित मंत्रालयों को पदाधिकारी की कार्य अवधि की समाप्ति के छः महीने पहले सिफारिश की जाएगी ।

(iii) पीईएसबी द्वारा उन सभी व्यक्तियों का जिनका प्रत्येक रिक्ति हेतु साक्षात्कार अथवा सिफारिश की गई है का ब्यौरा पीईएसबी की वेबसाइट पर उसी दिन रख दिया जाएगा जिस दिन की साक्षात्कार पूर्ण हुए थे।

(iv) मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक की संपुष्टि मानी जाएगी जब तक कि इसके विपरीत एक वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद 30 दिन के भीतर मंत्रालय विभाग द्वारा पीईएसबी को प्रस्ताव नहीं भेजे जाते। पीईएसबी प्रस्ताव पास करने के एक माह के भीतर संयुक्त मूल्यांकन आयोजित करेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्थापना अधिकारी सभी पुष्टि के मामलों की प्रत्येक माह में मॉनटेरिंग करेगा तथा सूचनार्थ मंत्री मंडल की नियुक्ति समिति को सूचनार्थ रिपोर्ट भेजेगा

(v) पदाधिकारी द्वारा बैंचमार्क पूरे किये जाने के सभी प्रस्ताव के मामले में जिन में मंत्रालय/विभाग कार्यअवधि विस्तार प्रदान करने का निर्णय करते हैं अनुमोदनार्थ मंत्रीमंडल के नियुक्ति समिति को पदाअधिकारी की निर्धारित कार्य अवधि की समाप्ति से दो माह से अधिक अवधि से पहले संदर्भित करेंगे। नये संयुक्त मूल्यांकन के लिए पीईएसबी को संदर्भ भेजा जाना अपेक्षित नहीं होगा। पदाधिकारी द्वारा बैंचमार्क पूरे किये जाने के सभी प्रस्ताव के मामले में, परन्तु सतर्कता जैसे कुछ मसले होने पर जिनके लिए मंत्रालय/विभाग कार्य विस्तार अवधि की सिफारिश नहीं करना चाहता उन्हें पदाधिकारी की निर्धारित कार्य अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व ही मंत्रिमंडल के नियुक्त समिति को भेजना अपेक्षित होगा। पदाधिकारी द्वारा बैंच मार्क नहीं पूरे किये जाने के सभी प्रस्ताव के मामलों से संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग द्वारा पीईएसबी को संदर्भित किये जाएंगे। पदाधिकारी की निर्धारित कार्य अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व संदर्भ भेजे जाएंगे। मौजूदा स्थिति के अनुसार ही पीईएसबी के सिफारिशें मंत्रिमंडिल के नियुक्ति समिति को संदभित की जाएगी

(vi) जबकि सभी रिक्तियों का ब्यौरा रखना संबंधित सचिव का दायित्व होगा, मंत्रालय विभाग संबंधित संयुक्त सचिवों को विनिर्दिष्ट कार्य सौप सकते है

तथा इसे संबंधित अधिकारी 'की' डिवीलेवल इसे शामिल करेंगे।

3.2 केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और निरुशक्त व्यक्तियों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इन कदमों में से एक है सरकारी सेवाओं में उनका आरक्षण देना। भूतपूर्व सैनिकों को भी सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) ने राज्य को नागरिकों के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों अथवा पदों के संबंध में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया है, जिनको उसकी (राज्य की) राय में राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो। उपर्युक्त अनुच्छेद के खंड 4(क) में राज्य को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु, पदोन्नति के मामलों में, आरक्षण मुहैया करवाए जाने का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि संघ अथवा किसी राज्य सरकार के कार्यों से सम्बध्द सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार, प्रशासन की कुशलता लगतार बनाए रखते हुए किया जाए। उपर्युक्त अनुच्छेद के परन्तुक राज्य को, संघ अथवा राज्य सरकार के कार्यों से सम्बध्द किसी श्रेणी की सेवा अथवा किन्हीं श्रेणियों की सेवाओं में अथवा किसी श्रेणी के पद अथवा किन्हीं श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आरक्षण मुहैया करवाने की दृष्टि से, उनके पक्ष में, किसी परीक्षा में निर्धारित अर्हक अंकों में ढील दिए जाने अथवा मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक रखे जाने का कोई भी प्रावधान करने की शक्तियां प्रदान की हैं।

आरक्षण नीति

संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से, सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सेवाओं में आरक्षण मुहैया करवाने की दृष्टि से विभिन्न अनुदेश जारी कर दिए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के वे सदस्य जो नवोन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को सभी समूहों के पदों के संबंध में आरक्षण उपलब्ध है। अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के पदों के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण सुलभ है। अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता से इतर की जाने वाली सीधी भर्ती के मामले में, उपर्युक्त आरक्षण, क्रमशः 16.66 प्रतिशत, 17.5 प्रतिशत और 25.84 प्रतिशत है। सामान्यतः किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र विशेष से उम्मीदवार आमंत्रित करते हुए समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता, सामान्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है और ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, इस तरह निर्धारित किया जाता है कि जिसमें कि वह 27 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और

कुल आरक्षण, 50 प्रतिशत तक की आरक्षण की सीमा में ही रहे।

सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो के 27 प्रतिशित आरक्षण के भीतर से अल्पसंख्यको के लिए 4.5 प्रतिशत का उप कोटा बनाने का निर्णय लिया है, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियिम, 1992 की धारा 2(ग) में परिभाषित किया गया है इस निर्णय के परिणामस्वरुप समाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में राज्यवार अल्पसंख्यको की जातियों/समुदायों को 1 जनवरी 2012 से 4.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनेक रियायतें और छूटें दी गई हैं ताकि सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार हो सके। उदाहरण के लिए, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए ऊपरी आयु–सीमा में रियायत, निर्धारित छूट–प्राप्त आयु–सीमा के भीतर अवसरों की असीमित संख्या, परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट तथा उपयुक्तता के मानकों में रियायत मिली है। इसी प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा आदि में बैठने के लिए ऊपरी आयु–सीमा में तीन वर्ष की रियायतें, रियायत–प्राप्त आयु–सीमा के भीतर सात अवसरों की संख्या में रियायत जैसी छूट प्राप्त होती है। अपनी स्वयं की मैरिट पर नियुक्त हुए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित रिक्त–पदों के प्रति समायोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित पदों को केवल इन वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए, सीधी भर्ती के मामले में रिक्त–पदों के अनारक्षित करने पर प्रतिबंध है।

सभी समूहों की सेवाओं में गैर–चयन पद्धति द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों को क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की दर से आरक्षण सुलभ है। चयन पध्दति द्वारा पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों को समूह 'क'– के निम्नतम स्तर तक के पदों पर उपर्युक्त दरों पर आरक्षण सुलभ है। ऐसे मामलों में उनके लिए आरक्षण की दर वही है जो गैर–चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में है। ऐसे ग्रेड के पदों या सेवाओं की पदोन्नति जिनमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, 75 प्रतिशत से अधिक है तो उनमें कोई आरक्षण सुलभ नहीं है। पदोन्नति के मामले में, अन्य पिछड़े वर्गों को कोई भी आरक्षण सुलभ नहीं है।

समूह 'क' के पद, जिनमें 18,300/– रुपए का अधिकतम या कम (संशोधित–पूर्व वेतनमान में) वेतन है, में चयन द्वारा पदोन्नति की स्थिति में आरक्षण नहीं है, परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों, जो पदोन्नति के विचारणीय क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि रिक्त पदों, जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, की संख्या के भीतर आ सकें, को उस सूची में शामिल किया जाना है बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए आयोग्य माना गया हो।

किसी भी ग्रेड/संवर्ग में अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण की मात्रा का निर्धारण ग्रेड/संवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है। तथापि, 14 से कम पदों वाले लघु संवर्गों में, जहां इस सिध्दांत के आधार पर सभी तीन श्रेणियों को आरक्षण देना संभव नहीं है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/2/96–स्था.(आरक्षण) द्वारा निर्धारित एल आकार के 14–बिन्दु वाले रोस्टरों की रीति से रोटेशन द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाता है। आरक्षण का निर्धारण करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी संवर्ग में अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या संवर्ग में पदों की कुल संख्या

के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। साथ ही, किसी संवर्ग में एक वर्ष में चिह्नित आरक्षित रिक्त–पदों की कुल संख्या वर्ष के कुल रिक्त–पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, आरक्षित रिक्त–पदों के बैक्लॉग को पृथक और समूह के रूप में माना जाता है, जिस पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होती है।

अनुदेश विद्यमान हैं कि मंत्रालय/विभाग आदि अपने अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए गठित चयन बोर्डों, विभागीय पदोन्नति समितियों में, अधिकतम संभव सीमा तक, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी को नामित करने का प्रयास करें। विशेषकर, जहां चयन बोर्ड या विभागीय पदोन्नति समिति को बड़ी संख्या में रिक्त–पदों या एक ही बार में 30 या अधिक के लिए अधिकांश चयन करना है, वहां चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल करने के लिए किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी को ढूंढ़ने में हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए।

जहां कहीं भी समूह 'ग' या समूह 'घ' पदों/सेवाओं में 10 या अधिक रिक्त–पदों के लिए भर्ती करने के लिए चयन समिति/बोर्ड मौजूद है या गठित किया जाना है, वहां ऐसी समितियों/बोर्डों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के एक सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को रखना अनिवार्य है। चयन समिति/बोर्ड के सदस्यों में एक सदस्य, चाहे वह सामान्य श्रेणी से हो या अल्पसंख्यक समुदाय से हो या अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. से हो, महिला होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में, महिला सदस्य को समिति/बोर्ड में सहयोजित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां रिक्त–पद, जिसके लिए चयन किया जाना है, की संख्या 10 से कम हो, वहां ऐसी समितियों/बोर्डों में शामिल करने के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी, एक अल्पसंख्यक अधिकारी तथा एक महिला अधिकारी को ढूँढ़ने में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रभाव

आरक्षण संबंधी प्रावधान के कारण समय के साथ, भारत सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सहायता मिली है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 1 जनवरी, 1965 को क्रमशः 13.17 प्रतिशत और 2.25 प्रतिशत की तुलना में 1 जनवरी, 2009 को बढ़कर 17.2 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, विगत 46 वर्षों के दौरान समूह 'क' सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। जबकि वर्ष 1965 में समूह 'क' सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व मात्र 1.64 प्रतिशत था, अब यह 11.6 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, समूह 'क' सेवाओं में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व वर्ष 1965 में 0.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008 में 4.5 प्रतिशत हो गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अभी भी कम है क्योंकि उनके लिए आरक्षण मात्र वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया। यह भी ध्यान रखना महत्तवपूर्ण है कि अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी सूचना में अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे सदस्यों को शामिल नहीं किया गया होता है, जिन्हें उनके लिए आरक्षण की शुरुआत से पूर्व नियुक्त किया गया था जो नवोन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) के दायरे के भीतर आते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि आरक्षण की शुरुआत की जाने के फलस्वरूप, समय के साथ सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। 67 मंत्रालयों/विभागों ने 1 जनवरी, 2010 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व

संबंधी सूचना दी है। शेष 16 मंत्रालय/विभाग 1 जनवरी, 2008 का प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना दे सके हैं। इन दोनों सूचनाओं को संयुक्त करते हुए सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

समूह	व्यक्तियों की संख्या						
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य पिछड़े वर्ग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
क	88896	10315	11.6	3998	**4.5**	7505	8.4
ख	173493	26495	15.3	9923	**5.7**	10648	**6.1**
ग	2070666	330167	15.9	153844	**7.4**	306176	**14.8**
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	665739	123780	18.6	47702	**7.2**	101114	**15.2**
सफाई कर्मचारी	71324	35729	50.1	4314	**6.0**	7822	**11.0**
कुल (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	2998788	490727	16.36	215467	**7.19**	425443	**14.19**
कुल (सफाई कर्मचारियों को शामिल करते हुए)	3070112	526456	17.15	219781	**7.16**	433265	**14.11**

अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केंद्रीय सेवाओं, जिनके लिए सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है, में अनु.जा, अनु. जन. जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित लगभग सभी रिक्त–पदों को हाल के वर्षों में संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से भरा गया है। सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2010 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में आरक्षित रिक्त–पदों की संख्या तथा भरे गए पदा का ब्योरा निम्नलिखित विवरण में दिया गया है:

भारतीय पुलिस सेवा			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
सेवाएं	चिह्नित अनारक्षित रिक्त–पद	अनारक्षित के रूप में भरे गए रिक्त–पद	अनु.जा. के लिए आरक्षित चिह्नित रिक्त–पद	आरक्षण से अनु. जा. द्वारा भरे गए रिक्त–पद	अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित चिह्नित रिक्त–पद	आरक्षण से अनु.ज.जा. द्वारा भरे गए रिक्त– पद	अ.पि.व. के लिए आरक्षित चिह्नित रिक्त–पद	आरक्षण से अ.पि.व. द्वारा भरे गए रिक्त–पद
भा.प्र. से.	76	76	23	23	11	11	41	41
भा.वि.से.	18	18	03	03	06	06	08	08
भा.पु. से.	77	76′	22	22	11	11	40	40

*'एक उम्मीदवार की चिकित्सीय स्थिति अभी तक अनिर्धारित है।

संपर्क अधिकारी की नियुक्ति

प्रत्येक मंत्रालय विभाग में प्रशासन के प्रभारी उप सचिव अथवा कम से कम उप सचिव रैंक के किसी अधिकारी को उनके मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली सभी स्थापनाओं अथवा सेवा के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों में संपर्क अधिकारी के रुप में नियुक्त किया जाता है अन्य बातों के साथ–साथ वे अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित रिक्तियों तथा उन्हें गाह्य अन्य लाभों से संबंधित आदेशों तथा अनुदेशों के यथा अनुपालन हेतु जिम्मेवार होता है। प्रत्येक मंत्रालय विभाग ने संपर्क अधिकारी के प्रभावी कार्य में सहायता करने हेतु उसके सीधे नियंत्रण में एक एकक होना अपेक्षित होता है। विभाग अध्यक्ष के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में भी अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्यो के लिए संपर्क अधिकारी नामित किया जाता है।

ऐसे कार्यालय अध्यक्षों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के संपर्क अधिकारियों का कार्य मंत्रालय/विभागों के संपर्क अधिकारियों को दिए गए कार्य प्रभार के समान ही होता है।

अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षण से संबंधित मामलों की जांच के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक अलग संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए 6.3.1997 को आदेश जारी किए गए थे।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों में आरक्षण

भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी करने किए गए अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तन सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों सहित वित्त संस्थानों द्वारा अनुपालन किया जाता है। सांविधिक तथा अर्द्ध सरकारी निकार्यो जैसे स्वायत निकायों की सेवाओं में भी इसी प्रकार आरक्षण का अनुपालन किया जाता है। ऐसे स्वैच्छिक अभिकरणों जिनमें नियमित आधार पर 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तथा जिनका कम से कम 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय केन्द्र सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त होता है के अंतर्गत भी ऐसे आरक्षण के प्रधान हेतु एक खंड बनाए जाने के संबंध में अनुदेश विद्यमान है।

विशेष भर्ती अभियान

अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित समुदायों के हितों की सुरक्षा हेतु तथा इन श्रेणी से संबंधित पदों को केवल इन्हीं उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि जहां इनके लिए सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो ऐसे रिक्तियां नही भरी जाएंगी। ऐसी न भरी गई रिक्तियां अगले भर्ती वर्षों की बकाया आरक्षित रिक्तियां बन जाएंगी। यह विभाग समय–समय पर अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति की बकाया रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाता है। अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति की पिछली बकाया रिक्ति को भरने के लिए 1989,1990, 1991,1993, 1995, 1996 और 2004 में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए। वर्ष 2004 में इस अभियान द्वारा 60 हजार से ज्यादा बकाया रिक्तियां भरी गईं।

अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो की बकाया आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए पिछला विशेष भर्ती अभियान नवम्बर, 2008 में चलाया गया था। 73 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार 1 नवम्बर, 2008 तक कुल 77383 पिछली बकाया रिक्तियां जिनमें से नीचे दिए गए ब्यौरा के अनुसार जनवरी, 2012 के अंत तक 33550 भरी गई थी:

क्र.सं.	श्रेणी	चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की सं.			भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की सं.		
		सीधी भर्ती	पदोन्नति	कुल	सीधी भर्ती	पदोन्नति	कुल
1अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	11967	14110	26077	5611	7500	13111
2अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जन जाति	11703	16921	28624	4229	6667	10896
3अन्य पिछड़े वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग	22682	लागू नहीं	22682	9543	लागू नहीं	9543
	कुल	**46352**	**31031**	**77383**	**19383**	**14167**	**33550**

जून, 2011 में इस अभियान की प्रगति की समीक्षा करते समय यह पाया गया की बहुत सारी पिछले बकाया रिक्तियां अभी भरी जानी हैं। अतः यह अभियान 31.3.2012 तक पुनः प्रारंभ किया गया। सरकार इस अभियान की प्रगति पर नजर बनाये हुए है। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संपर्क अधिकारीयों से बैठकें की गईं जिनमें उन्हें इस अभियान को ध्यानपूर्वक चलाने की सलाह दी गई। उन्हें उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत आने वले संगठनों का दौरा करने तथा पिछली बकाया रिक्तियां भरने को सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई। राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने सभी मंत्रालय/विभागों के प्रभारियों को इस संबंध में पत्र लिखने के अतिरिक्त उन मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जिनमें 75 प्रतिशत से अधिक पिछली बकाया रिक्तियां हैं ताकि इन रिक्तियों को भरने हेतु संपर्क प्रयासों की अपेक्षा पर बल दिया जा सके।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) की धारा 33 में व्यवस्था है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में रिक्त–पदों का ऐसा प्रतिशत नियुक्त करेगी जो अपंग व्यक्तियों या अपंग व्यक्तियों की श्रेणी के लिए तीन प्रतिशत से कम न हो, जिनमें से एक–एक प्रतिशत प्रत्येक विकलांगता के लिए चिह्नित पदों में (प) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (पप) बधिरपन तथा (पपप) गति–विषयक अपंगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार सरकार से प्रतिष्ठानों में ऐसे पदों की पहचान करने की अपेक्षा होती है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

पीडब्ल्यूडी अधिनियम वर्ष 1996 में ही लागू हुआ। तथापि, समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में सीधी भर्ती के मामले में अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की शुरुआत काफी समय पूर्व नवंबर, 1977 में हो गई थी। इसे वर्ष 1989 में समूह 'ग' और 'घ' पदों में पदोन्नति के मामलों को बढ़ाया गया। अधिनियमन करते हुए, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को सीधी भर्ती के मामले में चिह्नित समूह 'क' और 'ख' पदों में भी लागू करवाया गया।

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने दिसंबर, 2005 में इस विषय पर समेकित अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण अब सीधी भर्ती के मामले में पदों के सभी समूहों में उपलब्ध है। पदोन्नति की स्थिति में, यह तब उपलब्ध है जब पदोन्नतियां समूह घ के भीतर, समूह घर से समूह 'ग' में समूह ग चिह्नित पदों के भीतर की जाती हैं। अधिनियम में यथाउपबंधित, आरक्षण का लाभ (प) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (पप) बधिरपन तथा (पपप) चलन अपंगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों को प्राप्त होगा, प्रत्येक श्रेणी 1ः आरक्षण की हकदार होगी।

विकलांग व्यक्तियों के मामलों को चलन अपंगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को अनेक रियायतें दी जाती हैं, जैसे समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पदों में सीधी भर्ती के मामले में विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु–सीमा में (क) 10 वर्षों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15

वर्ष तथा अ.पि.व. के लिए 13 वर्ष) तक; जहां भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अतिरिक्त अन्य प्रकार से की जाती है, वहां समूह 'क' तथा समूह 'ख' में सीधी भतीr के मामले में 5 वर्षों (अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए 10 वर्ष तथा अ.पि.व. के लिए 8 वर्ष) तक; तथा (ग) खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों में सीधी भर्ती के मामले में 10 वर्षों (अनु.जा./अनु.ज.जा के लिए 15 वर्ष तथा अ.पि.व. के लिए 13 वर्ष) तक छूट प्राप्त है। इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पद आरक्षित हैं या नहीं, उन्हें आयु–सीमा में छूट दी गई है बशर्ते कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किया गया हो। आयु–सीमा में छूट के अतिरिक्त, उन्हें आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान में तथा उपयुक्तता के मानकों में भी छूट प्राप्त होती है। 65 मंत्रालयों/विभागों ने 1 जनवरी, 2010 को केंद्र सरकार सेवाओं में अपंग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना दी है। 1 जनवरी, 2010 को केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अपंग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

अपंग व्यक्तियों की संख्या	अपंग व्यक्तियों की संख्या			
समूह	दृष्टिहीन	श्रवण क्षति	विकलांग	कुल
क	8	11	205	224
ख	47	32	370	449
ग	267	373	2046	2686
घ	131	105	429	665
कुल	**453**	**521**	**3050**	**4024**

*इन आंकड़ों में आठ मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना को शामिल नही किया गया है।

यदि अपंगता की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित किसी रिक्त–पद को उस अपंगता वाले उपयुक्त व्यक्ति के अनुपलब्ध रहने या अन्य किसी पर्याप्त कारण से अपंग व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जाता है तथा सेसे रिक्त पद को भरा नहीं जाता है तथा इसे अनुवर्ती भर्ती वर्ष में 'बैकलॉग आरक्षित रिक्त–पद' के रूप में अग्रेनीत कर दिया जाता है। अनुवर्ती भर्ती वर्ष में, 'बैकलॉग आरक्षित रिक्त–पद' को विकलांगता की उस श्रेणी के लिए आरक्षित के रूप में माना गया है जिसके लिए इसे भर्ती के आरंभिक वर्ष में आरक्षित किया गया था तथा इसी प्रकार इसे से भरा गया। तथापि, यदि अनुवर्ती भर्ती में भी विकलांगता का उपयुक्त व्यक्ति नहीं उपलब्ध होता है, उस स्थिति में इसे अपंगताओं की तीनों श्रेणियों में परस्पर–विनिमय द्वारा, ऐसा नहीं होने पर, विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है। इस प्रकार, यदि किसी रिक्त पद को अपंगता की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित चिह्नित कर दिया जाता है और भर्ती के आरंभिक वर्ष में इसे भरने के लिए उस विकलांगता का उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, उस स्थिति में यह प्रथम अनुवर्ती भर्ती वर्ष के लिए 'बैकलॉग आरक्षित रिक्त पद' बन जाएगा।

विकलांग व्यक्तियों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्त–पदों को भरने के लिए नवंबर, 2009 में एक विशेष भर्ती अभियान चालया गया था। 70 मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीधी भर्ती और पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों के 15 नवंबर, 2009 को कुल 8259 बैकलॉग रिक्त–पद थे। इनमें से 1742 रिक्त पदों को दिसंबर, 2012 तक भर लिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को प्रारंभ में वर्ष 1966 में दो वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसे समय–समय पर बढ़ाया गया तथा अब यह भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के रूप में उपलब्ध है। इन नियमों के अनुसार, कुछ शर्तों के अधीन, अर्द्ध–सैनिक बलों में सहायक कमाण्डेंट के स्तर के पदों में रिक्त–पदों का दस प्रतिशत, समूह 'ग' सेवाओं और पदों में रिक्त–पदों का दस प्रतिशत, तथा समूह 'घ' सेवाओं और पदों में रिक्त–पदों का बीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होते हैं। भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवाओं/पदों में किसी रिक्त–पद में, चाहे वे आरक्षित हों या नहीं, नियुक्ति के लिए आयु–सीमा में छूट प्राप्त करने के हकदार हैं। उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में अन्य नियोजन प्राप्त करने के लिए यथानिर्धारित आयु छूट का लाभ पाने के लिए हकदार हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक अर्हताओं की छूट/ रियायत संबंधी कुछ प्रावधान हैं। महानिदेशक (पुनर्वास), रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सरकार एजेंसियों में इस आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को 'अनुप्रस्थ' आरक्षण कहा जाता है तथा अनु.जा., अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण को 'अनुलम्ब' आरक्षण कहा जाता है। 'अनुप्रस्थ' आरक्षण को 'अनुलम्ब' आरक्षण के प्रति कैसे समायोजित करना है, इसे स्पष्ट करने वाले दिशा–निर्देश विद्यमान हैं।

अध्याय–4
संवर्ग प्रबंधन

4.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भा.व से.) के संवर्ग नियंत्रण हेतु जिम्मेवार है, जिसमें कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों तथा विनियमों को गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण तथा विदेश मंत्रालय के परामर्श से बनाना तथा संशोधित करना शामिल है। भर्ती नियमों के बनाने तथा संशोधित करने, नियमो के संबंध में स्पष्टीकरणों आदि से संबंधित मामलों की इस प्रभाग में जांच और प्रोसेसिंग की जाती है। वर्ष के दौरान, मुख्य मसलों/पहलो में निम्न शामिल हैं:–

अखिल भारतीय सेवा नियमावली में संशोधन

(i) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16 में संशोधन, दिनांक 5.5.2011 की संशोधन अधिसूचना सं. 11017/5–क/2011–अ.भा.से.–III द्वारा सेवा के सदस्यों की नियम 16 के अंतर्गत लेन–देन के संबंध में अधिकतम सीमा को 15000/–रुपये से बढ़ाकर दो माह के मूल वेतन की राशि के समतुल्य करना।

(ii) परिवीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित अखिल भारतीय सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 में संशोधन 10.5.2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(iii) परिवीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित भा.पु.से. (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5 में संशोधन 10.5.2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(iv) भारतीय वन सेवा के परिवीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित अ.व.से. (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 6 में संशोधन 10.5.2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(v) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 18 , 18(ग), 18(घ), 20क, 20(ख), 20(ग) में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुपालन में दिनांक 19.9.2011 को संशोधन अधिसूचित कर दिया गया।

(vi) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 11(7) में संशोधन जो भारतीय पुलिस सेवा के राज्य संवर्गों के पुलिस महानिदेशक वेतनमान में संवर्ग बाह्य पद के संबंध में था दिनांक 18.10.2011 को अधिसूचित कर दिया गया।

4.1.1 अचल संपत्ति विवरणी को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखना

सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा सभी संगठित केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा दिनांक 1 जनवरी, 2011 से सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखने का निर्णय किया गया है ताकि प्रशासन में पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी लायी जा सके। तदनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी विभाग की वेबसाइट पर रख दी गई है।

4.1.2 अखिल भारतीय सेवा मैनुअल का प्रकाशन तथा अद्यतन बनाना

अखिल भारतीय सेवा मैनुअल खंड–II मुद्रित करा लिया गया है। खंड–II में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर लागू होने वाले तथा खंड–III में भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर (अलग–अलग) लागू होने वाले नियम तथा विनियम निहित हैं।

4.1.3 भारतीय प्रशासनिक सेवा

भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग संख्या

दिनांक 1.1.2011 की स्थिति को भारतीय पुलिस सेवा की प्राधिकृत संवर्ग संख्या 6077 थी तथा पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या 4456 थी। दिनांक 1.1.2012 को तदनुरुपी आंकड़े क्रमशः 6154 तथा 4377 थे। वर्ष 1951 से विभिन्न वर्षों में अधिकारियों की प्राधिकृत संवर्ग संख्या तथा पर का कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष (1 जनवरी की स्थिति को)	प्राधिकृत संवर्ग संख्या	पद पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1951 **(सेवा के प्रारंभिक गठन के समय)**	**1232**	**957** **(भारतीय सिविल सेवा के 336 अधिकारियों सहित)**
1961	**1862**	**1722** **(भारतीय सिविल सेवा के 215 अधिकारियों सहित)**
1971	**3203**	**2754** **(भारतीय सिविल सेवा के 88 अधिकारियों सहित)**
1981	4599	3883
1991	5343	4881
2001	5159	5118
2002	5159	5051
2003	5159	4871
2004	5159	4791
2005	5261	4788
2006	5337	4790
2007	5422	4731
2008	5460	4761
2009	5671	4572
2010	5689	4534
2011	6077	4456
2012	6154	4377

4.1.4 कार्यकाल की स्थिरता

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की स्थिरता, विशेषकर राज्यों में, अब काफी समय से चिंता का विषय बनी हुई है। किसी भी पद पर उचित कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही अधिकारियों के बार–बार तथा मनमाने ढंग से स्थानांतरणों को सदा प्रशासन के गिरते स्तरों के प्रमुख कारण के रूप में माना जा रहा है। नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मामले में स्थिरता और पारदर्शिता की मात्रा लाने की दृष्टि से, संगत अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। तदनुसार, 13 राज्यों/ संयुक्त संवर्गों नामतः जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एजीएमयूटी, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा मणिपुर–त्रिपुरा के लिए इस आशय की अवधियों में अधिसूचनाएं जारी की गईं।

इन 13 राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनातियों के नियत कार्यकालों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण करने के लिए, प्रधान मंत्री कार्यालय के निदेशों के अनुसार सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिससे राज्यों में रहने के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होगी। रिपोर्ट का सारांश निम्नानुसार है:

- तेरह राज्यों (21 राज्यों, जब एजीएमयूटी के सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है) में से जिन्होंने सुनिश्चित न्यूनतम कार्यकाल की नीति को अपनाया है, उनमें न्यूनतम कार्यकाल के कार्यान्वयन की परिवर्ती मात्रा है।

- सामान्यतया तेरह (एजीएमयूटी राज्यों के साथ 21) में से छोटे राज्यों में बेहतर औसत कार्यकाल है। इस प्रतिमान का एकमात्र अपवाद आंध्र प्रदेश है, जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा राज्य होने के बावजूद, 1.9 वर्ष का औसत कार्यकाल है।

- तेरह राज्यों में से, आठ राज्यों अर्थात् एजीएमयूटी, मणिपुर–त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा ने न्यूनतम कार्यकाल अपेक्षा को लगभग पूरा किया है।

- कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ने 1–1 वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश और झारखंड 0.9 वर्ष के औसत कार्यकाल के साथ सूची में सबसे नीचे हैं।

- तीनों श्रेणियों में वरिष्ठ डयूटी पदों के सामान्य समूहन के आधार पर, तालिका में प्रस्तुत पैटर्न में एजीएमयूटी, मणिपुर–त्रिपुरा और जम्मू एवं कश्मीर सूची के शीर्ष पर उभर कर आए हैं। जब वरिष्ठ डयूटी पदों का तुलनात्मक समूह विश्लेषण किया गया, उस समय झारखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा निचले पायदान पर पाए गए।

3. शेष 11 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मेघालय के साथ इस मामले में परामर्श चल रहा है।

4.1.5 वाणिज्यिक रोजगार

अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 26 के अनुसार कोई भी पेंशनभोगी सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक कोई वाणिज्यिक रोजगार नहीं कर सकता। भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। वर्ष, 2011 के दौरान, केन्द्र सरकार ने इस नियम के अंतर्गत 6 सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को व्यावसायिक रोजगार करने के अनुमति (सेवा निवृत्ति के बाद) प्रदान की है।

4.1.6 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के त्याग–पत्र

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के त्याग पत्र का मामला अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 5 द्वारा शासित होता हैं। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 5(1) में प्रावधान है कि सेवा से पदच्युत किए अथवा हटाए गए व्यक्ति अथवा सेवा से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति को कोई सेवा निवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित नियमों में त्याग पत्र वापिस लेने से संबंधित कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इस संबंध में अखिल भारतीय सेवा नियमावली संशोधित किया जाना अपेक्षित लग रहा था। तदनुसार अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम के नियम 5 के उपनियम 1 के बाद उप नियम (1क) को दिनांक 28.7.2011 ख्जी एस आर संख्या 585 (ड.), की अधिसूचना द्वारा अंतःस्थापित किया गया। दिनांक 16.8.2011 को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा दिए गए त्याग पत्र की प्रोसेसिंग करने के संबंध में भी मार्ग निर्देश जारी किए गए।

सिविल सेवा परीक्षा

वर्ष 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने निम्न 24 सेवाओं, जिसमें से 19 समूह 'क' सेवाएं है तथा बकाया 5 समूह 'ख' के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया:

i) भारतीय प्रशासनिक सेवा

ii) भारतीय विदेश सेवा

iii) भारतीय पुलिस सेवा

iv) भारतीय पोस्ट एंड टेलिग्राफ लेखा तथा वित्तीय सेवा, समूह 'क'

v) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा समूह 'क'

vi) भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद) समूह 'क' सेवा

vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, समूह 'क'

viii) भारतीय राजस्व सेवा (आई टी) समूह 'क'

ix) भारतीय ओर्डिनैंस फैक्टरी सेवा, समूह 'क' (सहायक वर्क मैनेजर–गैर–तकनीकी)

x) भारतीय डाक सेवा समूह 'क'

xi) भारतीय सिविल लेखा सेवा, समूह 'क'

xii) भारतीय रेल यातायात सेवा समूह 'क'

xiii) भारतीय रेल लेखा सेवा समूह 'क'

xiv) भारतीय रेल कार्मिक सेवा समूह'क'

xv) रेल सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी समूह 'क' पद

xvi) भारतीय रक्षा परिसंपत्ति सेवा समूह 'क'

xvii) भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ग्रेड समूह 'क'

xviii) भारतीय व्यापार सेवा समूह 'क' (ग्रेड–प्प्प्)

xix) भारतीय कारपोरेट कानून सेवा समूह 'क' सेवा

xx) सशास्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, समूह 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

xxi) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप दमन तथा दीव तथा दादर तथा नागर हवेली सिविल सेवा समूह 'ख'

xxii) दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप, दमन तथा दीव तथा दादर तथा नागर हवेली पुलिस सेवा समूह 'ख'

xxiii) पुदुचेरी सिविल सेवा समूह 'ख'

xxiv) पुदुचेरी पुलिस सेवा समूह 'ख'

सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के वर्ष 2011 में घोषित परिणामों के आधार पर अब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय सेवा समूह 'क' तथा केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' में आबंटित उम्मीदवारों की संख्याः

सेवा	सामान्य	अ.पि.वर्ग.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
भारतीय प्रशासनिक सेवा	76	41	23	11	151
भारतीय विदेश सेवा	18	8	3	6	35
भारतीय पुलिस सेवा	76	40	22	11	149
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'	248	133	76	37	494
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख'	09	03	0	0	12
कुल	**427**	**225**	**124**	**65**	**841**

टिप्पणीः अनुपूरक सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर सेवा का आबंटन अभी तक नही किया गया है।

4.1.8 अंतर–संवर्ग प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण संबंधी व्यापक नीति

अंतर–संवर्ग प्रतिनियुक्तिः– अंतर–संवर्ग प्रतिनियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए अपनी सेवा के नौ वर्षों को पूरा करने पर तथा अपने मूल संवर्ग में अधिसमय मान में पदोन्नति पाने से पूर्व अनुमेय है। ऐसी प्रतिनियुक्ति में संबंधित अधिकारियों की निजी कठिनाइयों की दृष्टि से विचार किया जाता है तथा यह अधिकारियों के सम्पूर्ण सेवा कैरियर में 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए अनुमेय होती है तथा इसकी एक बार में अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है।

अंतर–संवर्ग स्थानांतरणः– अंतर–संवर्ग स्थानांतरण सामान्यतया अखिल भारतीय सेवा के अन्य अधिकारी से उसके/उनके विवाह के आधार पर ही अनुमेय होती है। दंपत्ति को अधिकारी, जिसका संवर्ग परिवर्तित किया गया है, के गृह राज्य को छोड़कर, सामान्यतया दो संवर्गों में से एक में स्थानांतरित किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं। दोनों संवर्गों द्वारा इन्कार किए जाने की स्थिति में, मामले को औपचारिक रूप से दोनों संवर्गों के पास दूसरी बार उठाया जाता है। संबंधित अधिकारियों को स्वीकार करने में दोनों संवर्गों द्वारा निरंतर इन्कार करने की स्थिति में, कमी होने वाले तीसरे संवर्ग में, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के अधीन, अधिकारियों के स्थानांतरण

के लिए संभावनाओं को तलाश जाता है। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संवर्ग स्थानांतरण के लिए अन्य आधार ''अत्यधिक कष्ट'' होता है जिसमें शामिल है (क) अधिकारी या उसके निकटतम परिवार को खतरा होना तथा (ख) उन्हें आबंटित राज्य की जलवायु या पर्यावरण के कारण अधिकारी या उसके निकटतम परिवार को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना। उत्तर–पूर्व संवर्गों की महिला अधिकारी अन्य संवर्ग के अधिकारी से विवाह करने की स्थिति में, महिला अधिकारी को, अपने मूल संवर्ग को छोड़कर, अपने पति के संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया जाता है यदि वह ऐसा अनुरोध करती है। उत्तार–पूर्व संवर्ग के अखिल भारतीय अधिकारियों को मौजूदा शर्तों में रियायत देते हुए किसी अन्य संवर्ग में, अंतरंगी कोटा में कमी होने के अधीन, संवर्ग स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है।

4.1.9 पदोन्नति कोटा रिक्त–पदों का निर्धारण

विभिन्न राज्यों/संवर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति के लिए चयन समिति की बैठक आयोजन करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस विभाग के साथ परामर्श में अंतिम रूप से तय नई समय–सारणी के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श में 31 मार्च, 2011 या इससे पूर्व सभी राज्यों के संबंध में राज्य सिविल सेवा तथा गैर–राज्य सिविल सेवा संवर्ग, दोनों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति कोटा रिक्त–पदों का निर्धारण किया था। इसके पश्चात्, इस विभाग ने चयन समिति बैठकों का आयोजन करने की दिशा में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकारों से अनुरोध किया था। इसे राज्यों/संघ लोक सेवा आयोग को बैठकों की अग्रिम योजना और समय–सारणी बनाने के लिए पर्याप्त समय मुहैया करने की दृष्टि से किया गया था ताकि उक्त वर्ष के अंत में एकत्र न हो जाए। इस विभाग के संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकारों के संगठित प्रयास से चयन वर्ष 2010 तक 13 राज्यों/संवर्ग के साथ संबंध में बैठकें आयोजित करना संभव हो सका है। इसके अतिरिक्त 9 राज्यों/सवर्गों के संबंध में केवल एक वर्ष के लिए चयन समिति की बैठक लंबित है।

4.1.10 पणधारियों के साथ परामर्श करना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती, भारतीय प्रशासनिक सेवा का संवर्ग प्रबंधन, डीएसपीई अधिनियम, 1946 का कार्यान्वयन, विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने संबंधी अनेक मुद्दों से संबंधित है। उक्त क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा बेहतर शासन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के संगठित प्रयास संबंधी आवश्यकता को उजागर करने की दृष्टि से, वर्ष 2011 के दौरान, सचिव (कार्मि)/ राज्य मंत्री (पीपी) की अध्यक्षता में पणधारियों अर्थात राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों (जीएडी), गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं।

4.1.11 समूह 'क' सेवाओं की संवर्ग समीक्षा

संवर्ग प्रबंध का अनिवार्य पहलू आवधिक संवर्ग समीक्षा होती है ऐसी समीक्षाओं से सेवाओं को शिक्षित नागरिकों से गुणवत्ता सेवा सुपुर्दगी बढ़ती हुई मांग तथा गुणवत्ता सेवा पर सरकार के नये फोकस से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाने में सहायता मिलती है। ऐसी समीक्षाओं से किसी संगठन की कार्यकारी अपेक्षाओं तथा उसके अधिकारियों की वैध कैरियर अपेक्षाओं के बीच एक स्वस्थ संतुलन भी सुनिश्चित होता है। मौजूदा मार्ग निदेशों के अनुसार आदर्श संवर्ग समीक्षा अवधि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है।

2. संवर्ग समीक्षा प्रभाग 58 केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं की समीक्षा हेतु जिम्मेदार होता है। ऐसी संवर्ग समीक्षा के प्रस्तावों की जांच कार्यकारी आवश्यकताओं, विभिन्न स्तरों पर प्रगति रोध, वित्तीय विवक्षा बचत हेतु उपाय,

संगठनात्मक कार्य निष्पादन आदि जैसे मोटे तथ्यों के मद्देनजर की जाती है उसके बाद उन प्रस्तावों को वित्तीय सहमति हेतु व्यय विभाग को संदर्भित किया जाता है तथा अनुमोदन के लिए संवर्ग समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। यह विभाग बेहतर संवर्ग प्रबंध हेतु संवर्ग नियंत्रक प्रभारी को भी सलाह देता है। यह विभाग वैयक्तिक सेवा/संवर्ग की समीक्षा हेतु गठित संवर्ग समीक्षा सीमित के लिए सचिवालय के रुप में भी कार्य करता है।

3. वर्ष 2011 के शुरु में 58 केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं में से 46 सेवाओं की समीक्षा की जानी थी। इनमें से भारतीय अभियंत्री रक्षा सेवा, केन्द्रीय विद्युत अभियंत्री सेवा, केन्द्रीय श्रम सेवा, केन्द्रीय अभियंत्री सेवा (सी पी डब्लू डी), केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिक सेवा (सी पी डब्लू डी), केन्द्रीय वास्तु सेवा (सी पी डब्लू डी), केन्द्रीय राजस्व सेवा (आयकर)। भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद कर) भारतीय सिविल लेखा सेवा तथा भारतीय ओर्डिनैंस फैक्ट्री सेवा की संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं। वर्ष के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय निरीक्षण सेवा, भारतीय आपूर्ति सेवा, भारतीय भू सर्वेक्षण सेवा तथा रक्षा अरोनेटिकल गुणवत्ता आश्वासन सेवा के प्रस्ताव इस वर्ष के दौरान अनुमोदित कर दिए गए हैं।

4. संवर्ग समीक्षा प्रभाग सभी केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के संख्यिकीय आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण भी करता है। जुलाई 1, 2010 के स्थिति के अनुसार ये आंकड़े संकलित किये जा चुके हैं। कतिपय सेवाओं के मामले में संवर्ग नियंत्रण प्रधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछली अथवा अनुवर्ती अवधि के आंकड़ों। इन आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि सेवाओं के गैर तकनीकी श्रेणीयों से संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अन्य श्रेणियों की तुलना में शीघ्र होते हैं। चालू वर्ष में समीक्षा की जाने वाले 10 सेवाओं में से 3 सेवाओं के प्रस्ताव पर सक्रिय विचार चल रहा है तथा एक प्रस्ताव अभी प्रतिपादन स्तर पर है। दूसरी ओर, 20 तकनीकी में से 18 तथा अन्य श्रेणी की 17 सेवाओं में से 12 सेवाओं की समीक्षा बकाया है। इस विलम्ब से कतिपय सेवाओं में प्रगतिरोध उत्पन्न हो गया है क्योंकि गैर तकनीकी श्रेणीयां अन्य श्रेणियों की तुलना में बेहतर होती है। निम्न बार चार्ट एच ए जी तथा एस ए जी स्तर के लिए पदोन्नति में लगने वाले समय को दर्शाता है ।

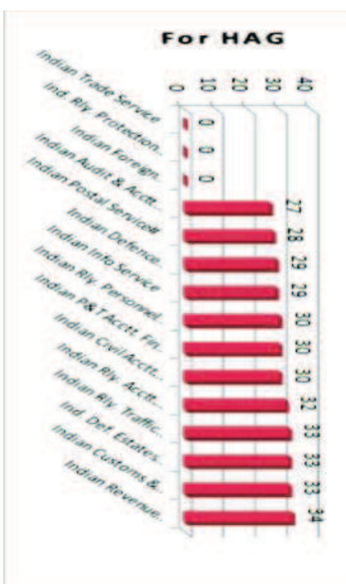

गैर तकनीकी सेवा

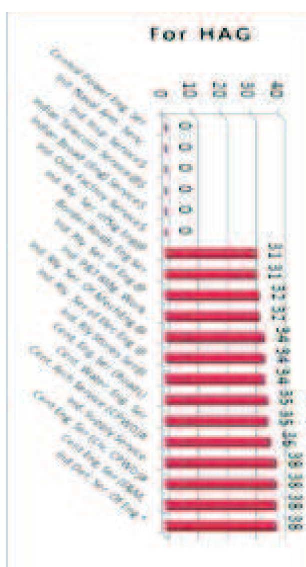

तकनीकी सेवा

अन्य सेवा

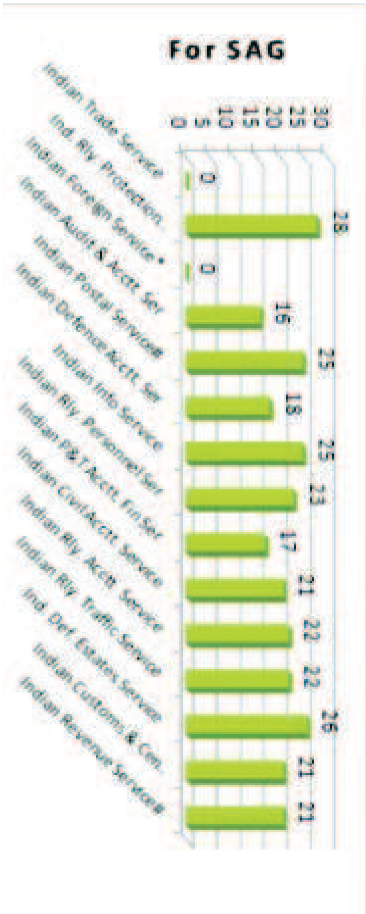

गैर तकनीकी सेवा

तकनीकी सेवा

अन्य सेवा

5. सवंर्ग समीक्षा प्रस्तावों की जांच करते समय इस पहलू का ध्यान रखा जाता है तथा संवर्ग समीक्षा के संबंध में संशोधित मार्ग निर्देशिकाओं में निहित उपबंधों भी लागू किया जाता है।

4.2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस)

4.2.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सी एस–1 प्रभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी कनिष्ठ सर्वेक्षक पदों की, बड़ी संख्या में मध्यम स्तरीय पदों तथा कुल वरिष्ठ प्रबंधक पदों की देखरेख करते है तथा इसकी कुल संवर्ग संख्या 11,000 अधिकारियों से अधिक है। सी एस–1 प्रभाग केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संबंध में नीति नियम तथा विनियम बनाता है तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के मानव संसाधनों का प्रबंधन करता है।

4.2.2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक), चयन ग्रेड (उप सचिव) ग्रेड–1 (अवर सचिव) अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड शामिल हैं। कतिपय संयुक्त सचिव (इन–सिटू) पदों पर भी केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद सी एस प्रभाग द्वारा केन्द्रीय रुप से शासित किए जाते हैं तथा संवर्ग प्रबंध से संबंधित सभी मामले इस विभाग द्वारा सीधे निपटाए जाते हैं

सहायक ग्रेड तथा अनुभाग अधिकारी आंशिक रुप से केन्द्रीकृत हैं तथा संवर्ग प्रबंधन कार्य जैसे कि पदोन्नति हेतु डी पी सी, प्रतिनियुक्ति हेतु संवर्ग अनापत्ति का कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है (जिन्हें संवर्ग एककों के नाम से भी जाना जाता है) तथा अन्य कार्य जैसे पदोन्नति हेतु विचारण रिक्तियों की गणना, आरक्षण रोस्टर आदि रखना, सी एस–1 प्रभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रुप से रखा जाता है।

4.2.3 भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग रेलवे, विदेश कार्य तथा अंतरिक्ष को छोड़कर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में स्टेक होल्डर है। अवर सचिव तथा उससे ऊपर के ग्रेड के लिए यह प्रभाग 74 सवंर्ग एककों अर्थात (मंत्रलाय/विभाग तथा अनुभाग अधिकारी तथा सहायको के 41 संवर्ग एककों) का कार्य करता है।

4.2.4 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी ग्रेडों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

ग्रेड	**वर्गीकरण**	**वेतनमान (रुपए)**	**ग्रेड (वेतन बैंबैंड)**	**वर्ष 2010 की पुनर्संरचना करने के पश्चात संस्वीकृत संख्या**
वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक)	समूह 'क' (राजपत्रित)	37400–67000 (पी बीबी–IV)	8700	600*
चयन ग्रेड (उप सचिव) ग्रेड–1 (अवर साचिव)	समूह 'क' (राजपत्रित)	15600–39100 (पी बीबी–III)	7600	
ग्रेड–1 (अवर साचिव)	समूह 'क' (राजपत्रित)	15600–39100 (पी बीबी–III)	6600	1476**
अनुभाग अधिकारी का ग्रेड – (4 वर्षों के लिए प्रवेश ग्रेड)	समूह 'ख' (राजपत्रित)	15600–39100 (पी बीबी–III)	5400	3040**
अनुभाग अधिकारी का ग्रेड – (4 वर्षों के लिए प्रवेश ग्रेड)		9300–34800 (पी बीबी–II)	4800	
सहायक का ग्रेड	समूह 'ख' (गैर–राराजपत्रित)	9300–34800 (पी बीबी–II)	4600	64545
कुल संख्या				**11570**

*इसमें संयुक्त सचिव (इन–सिटू) के पद शामिल है। संयुक्त सचिव (इन–सीटू) के 40 पद तथा निदेशक के 220 पदों के सीमा के अधीन, निदेशक तथा उप सचिव को परस्पर लचीलेपन के साथ 600 पर नियत किया गया है। संयुक्त सचिव के रुप में पैनल बढ़ किए गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों को उनके मौजूदा तैनाती के स्थान पर ही एस ए जी गेड में इन सिटू पदोन्नति प्रदान की जाएगी जब तक की उन्हें केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत ऐसी इन सिटू पदोन्नति के लिए 40 की संख्या तक सीमित नहीं किया जाता।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा में संवर्गबद्ध किए गए पद शामिल हैं।

$केन्द्रीय सचिवालय सेवा में संवर्गबद्ध किए पद तथा 8.7.2010 को प्रोन्नयन हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 1467 मद है।

4.2.5 वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाक्रम

पदोन्नति/नियुक्ति/स्थानांतरण

संयुक्त सचिव (इन–सीटू): केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव/समकक्ष पद धारित करने हेतु पैनलबद्ध किए जाने के बाद 18 केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के संबंध् में सचिव (इन–सीटू) की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिनांक 1.1.2012 की स्थिति के अनुसार, सचिवालय मे 28 अधिकारी संयुक्त सचिव (इन–सीटू) के रुप में कार्य कर रहे है।

निदेशक: आलोच्य वर्ष के दौरान, वर्ष 2011 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की प्रवर सूची दिनांक 1 जुलाई, 2011 को तथा वरिष्ठ चयन ग्रेड पर 45 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2011 को जिस तारीख को यह अधिकारी पदोन्नति हेतु पात्र हुए, जारी कर दिए गए।

उप सचिव: आलोच्य वर्ष के दौरान सुश्री गरिमा सिंह बनाम संघ भारत मामले में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के दिनांक 9.5.2011 के आदेश के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड उप सचिव की वर्ष 2010 तथा 2011 की अनुपूरक प्रवर सूची जारी नहीं की जा सकी। प्रवर सूची 2010 हेतु चयन ग्रेड में तीन अधिकारियों को शामिल करने हेतु दिसम्बर, 2011 में एक समीक्षा डी पी सी आयोजित की गई।

अवर सचिव: केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–1 की वर्ष 2008 हेतु प्रवर सूची जारी कर दी गई है। तथापि उपर्युक्त उल्लिखित न्यायालयी मामले के कारण अवर सूची ग्रेड के वर्ष के दौरान आगे कोई प्रवर सूची जारी नही की जा सकी। वर्ष 2009 की प्रवर सूची जारी करने हेत कार्यवाही चल रही है।

प्रवर सूची लम्बित होने के कारण अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति का मार्ग अपनाया गया है। तदर्थ पदोन्नति के लिए दो बार आदेश जारी किए गए तथा 284 अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव ग्रेड में पदोन्नत किया गया 21 अवर सचिव जिन्होंने किसी विभाग–विशेष में 10 वर्षों की अवधि पूरी कर ली थी, उन्हें रोटेशनल आधार पर स्थानांतरित किया गया।

अनुभाग अधिकारी: अनुभाग अधिकारी ग्रेड में रिक्तियों को भरने हेतु समय–समय पर सहायकों के पदोन्नति जोन को तदर्थ आधार पर विस्तारित किया गया। अंतिम विस्तार एस सी एस एल 2002 (सामान्य तथा अनुसूचित जाति) के सहायकों को समाहित करते हुए किया गया था।

वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 हेतु अनुभाग अधिकारी ग्रेड में संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के फलस्वरुप 328 अर्हक उम्मीदवारों को विभिन्न मंत्रालय/विभाग आबंटित किए गए।

सहायक ग्रेड

संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2010 के 470 सीधी भर्ती सहायकों को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। आई एस टी एम सीधी भर्ती सहायक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद, 172 सीधी सहायकों को विभिन्न संवर्ग एककों में तैनात कर दिया गया है। संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2010 के 247 सीधी भर्ती सहायकों के एक बैच की आई एस टी एम में प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण के 2 मार्च, 2012 में पूरा होने की आशा है। उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नामित कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सिविल सूची

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड–1 (अवर सचिव) की वर्ष, 2011 की सिविल सूची को अंतिम रुप दे दिया गया है तथा प्रकाशित कर दी गई है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस वर्ष दिनांक 31.1.2011 की देयता के अनुसार, आई पी आर प्राप्ति का लगभग 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की वार्षिक कार्य–निष्पान मूल्यांकन रिपोर्ट

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव तथा इससे ऊपर के अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट सी एस–1 प्रभाग में केन्द्रीकृत रुप से रखी जाती हैं। इन ए पी ए आर के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों को समयबद्ध रुप से इन ए पी ए आर की प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध दिए गए आवेदनों के निपटारे हेतु कार्यवाही करने के लिए निरंतर कहा जाता जाता है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के ए पी ए आर विवरणों को इस उद्देश्य हेतु विकसित एम एस एक्सेस सोफ्टवेयर में भी प्रविष्टि की जाती है। इससे आंकड़ों की आसानी से तथा शीघ्र पुनः प्राप्ति संभव हो पाती है। इन ए पी ए आर के लम्बन के बारे में विभाग की वेबसाइट पर उन्हें नियमित रुप से अपलोड किया जाता है तथा मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित कर्मचारी को इनके बारे में अनुस्मारक भेजे जाते हैं। अब ए पी ए आर का संग्रहण एन आई सी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों को नए ए पी ए आर मानीटरिंग सॉफ्टवेयर के कार्यकलाप के संबंध में प्रशिक्षित किया गया था।

पणधारी परामर्श

रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सी एस सी एस के संवर्ग प्रबंध से संबंधित मुद्दों पर पणधारियों (विभिन्न मंत्रालय/विभाग) के साथ तीन बैठकें की गई। यह तीनों सचिवालय सेवाओं के सहज संवर्ग प्रबंध हेतु एक उपयोगी तथा प्रभावी फोरम सिद्ध हुआ है।

संवर्ग प्रबंध के लिए वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

सी एस–1 प्रभाग ने मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय सचिवालय सेवा , केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा सी एस सी एस के संवर्ग प्रबंध हेतु एक वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसीत करने हेतु पहल की है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक परामर्शदायी विकास केन्द्र (सीडीसी), एक स्वायत संगठन को विस्तृत प्रणाली अध्ययन करने हेतु नियुक्त किया गया है, जो विस्तृत प्रणाली अध्ययन, बोली दस्तावेजों/आर एफ टी चयन तैयार करेगा तथा एक कार्यान्वयन अभिकरण के रुप में इस विभाग की सहायता करेगा। सी डी सी ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा का एक प्रणाली अध्ययन तथा सी एस प्रभाग के कार्यकलापों का अध्ययन किया है तथा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। उसने बोली दस्तावेज भी तैयार किये है। बोली को समाचार पत्रों के विज्ञापनों तथा बिड दस्तावेज के ऑनलाईन प्रकाशन के माध्यम से आमंत्रित किया गया। प्राप्त बोलियां का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा मूल्यांकन के बाद कार्यान्वयन अभिकरण का चयन किया जाएगा तथा शीघ्र ही संविदा दे दी जाएगी।

इन तीनों सेवाओं के प्रभावी तथा कुशल संवर्ग प्रबंध हेतु विकसीत की जा रही वेब आधारित संवर्ग प्रबंध प्रणाली सी एस प्रभाग के मौजूदा माननीय कार्यकलाप का स्थान ले लेगी तथा निर्णय हेतु व्यापक, सही समय पर और रियल टाइम आंकड़े प्रदान करेगी। आशा है कि यह प्रणाली से सी एस प्रभाग के कार्य जैसे तैनाती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में निर्णय की बेहतर गुणवत्ता तथा समय से करने को आसान बना देगी तथा साथ ही कर्मचारियों हेतु सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए एक पोर्टल प्रदान करेगी।

4.2.6 कें.स.से. के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना

कें.स.से. अधिकारियों के लिए एक व्यापक संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) को अंतिम रूप दे दिया गया है। आईएसटीएम जो कें.स.से. अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी है, को सीधी भर्ती से आए सहायकों के लिए आधारिक प्रशिक्षण सहित कें.स.से. अधिकारियों के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य प्रकृति के तथा अधिकारियों की अगली पदोन्नति से सम्बध्द होते हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, आईएसटीएम ने अब तक 1209 अधिकारियों को शामिल करते हुए सी एस एस–सीटीपी के अंतर्गत 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तथा दो प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, उ.श्रे.लि./सहायकों तथा तदर्थ अनुभाग अधिकारियों सहित के बैकलॉग प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए 23 कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तीन बैकलाग प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयाधीन है। तदर्थ सहायकों तथा तदर्थ अनुभाग अधिकारियों के लिए आई एस टी एम द्वारा दो विशेष बैकलाग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें 220 अधिकारी नामित किए गए थे। निम्नलिखित तालिका स्तरवार ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	पात्र अधिकारी	अवधि	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरा नामित अधिकारी
1.	सहायक सीधी भर्ती	कार्यभार ग्रहण करने वाले सीधी भर्ती सहायक	12 सप्ताह	3	495
2.	स्तर 'क'	उच्च श्रेणी लिपिक	4 सप्ताह	7	256
3.	स्तर 'ख'	सहायक	5 सप्ताह	4	158
4.	स्तर 'घ'	अनुभाग अधिकारी	8 सप्ताह	8	264
5.	स्तर 'ङ'	अवर सचिव	6 सप्ताह	1	36
6.	बैकलाग प्रशिक्षण	तदर्थ सहायक	2 सप्ताह	12	550
7.	बैकलाग प्रशिक्षण	तदर्थ अनुभाग अधिकारी	2 सप्ताह	11	570
वर्ष के दौरान प्रशिक्षित सी एस एस के कुल अधिकारी					**2,329**

संयुक्त सचिव (एटीएंडए) की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समूह तिमाही आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ध्यानपूर्वक निगरानी तथा समीक्षा करता है तथा सीटीपी में यथापरिकल्पित प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए अलग–अलग क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर डिजाइन तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर में नियमित सेवा के न्यूनतम वर्ष की अर्हक आवश्यकता में 13 जनवरी, 2012 से कमी की गई है।

4.3 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सचिवालय की तीन सेवाओं में से एक है। यह विभाग इस सेवा के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है।

सीएसएसएस में निम्नलिखित ग्रेड हैं:

ग्रेड	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	संस्वीकृत पद संख्या
प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ)	––	37400–67000 (वेतन बैंबैंड–IV)	8700	140
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस)	समूह 'क' (राजपत्रित)	15600–39100 (वेतन बैंबैंड –III)	7600	
प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)	समूह 'क' (राजपत्रित)	15600–39100 (वेतन बैंबैंड –III)	6600	773
निजी सचिव (पीएस) (4 वर्ष की सेवा के बाद)	समूह 'ख' (राजपत्रित)	15600–39100 (वेतन बैंबैंड –III)	5400	2041
निजी सचिव (पीएस) (4 वर्ष के लिए प्रवेश ग्रेड)	समूह 'ख' (राजपत्रित)	9300–34800 (वेतन बैंबैंड–II)	4800	
वैयक्तिक सहायक (पीए)	समूह 'ख' (अराजपत्रित)	9300–34800 (वेतन बैंबैंड–II)	4600	2524
आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	समूह 'ग' (अराजपत्रित)	5200–20200 (वेतन बैंबैंड–I)	2400	1282
कुल				**6760**

*सीएसएसएस की संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप संस्वीकृत पद संख्या में 20.01.2011 को संशोधन किया गया है।

प्रधान स्टाफ अधिकारी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के ग्रेड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से शासित होते हैं। इन ग्रेडों के संवर्ग प्रबंधन से संबंधित सभी मामले सीधे केन्द्रीय सेवा–II प्रभाग द्वारा देखे जाते हैं।

अन्य तीन ग्रेड अर्थात निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक ग्रेड 'डी' 41 संवर्ग यूनिटों में विकेन्द्रीकृत हैं। यह प्रभाग संवर्ग यूनिटों द्वारा रिपोर्ट की गई इन ग्रेडों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया का समन्वय करता है। तदनुसार, जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली और मौजूदा अनुदेशों में प्रावधान है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वरिष्ठता कोटा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में वरिष्ठता–सह–पात्रता के आधार पर पदोन्नति के जोन का नियंत्रण करता है। सीधी भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां, प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र करने के बाद भर्ती एजेंसी अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाती हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बैकलॉग पैनल सहित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सभी ग्रेडों में कई पैनल तैयार किए गए और जारी किए गए। इन पैनलों का ग्रेड–वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

प्रधान स्टाफ अधिकारी

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ) ग्रेड के लिए वर्ष 2011 की चयन

सूची जारी कर दी गई और सभी पात्र वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों को पीएसओ के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पी पी एस)

वर्ष 2010 की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की चयन सूची जारी कर दी गई है। वर्ष 2011 के लिए पैनल की तैयारी का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है।

प्रधान निजी सचिव (पी पी एस)

सी एस एस एस की संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरुप 627 पात्र निजी सचिवों को तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रुप में प्रोन्नत किया गया है। एस एल वर्ष 2010 के लिए सी एस एस एस के प्रधान निजी सचिव की नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित किया जा रहा है।

निजी सचिव (पी एस)

वर्ष 2009 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत निजी सचिव ग्रेड की चयन सूचियां जारी कर दी गई हैं। वर्ष 2010 के लिए निजी सचिव ग्रेड के लिए प्रोन्नति का जोन पी पी एस चयन सूची 2010 को जारी करने के बाद जारी की जायेगी।

वैयक्तिक सहायक

सी एस एस एस की संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरुप 357 पात्र स्टेनोग्राफर को ग्रेड डी को तदर्थ आधार पर वैयक्तिक सहायक बनाया गया है। वर्ष 2010 के लिए निजी सचिव के लिए प्रोन्नति जोन पी पी एस की चयन सूची 2010 जारी करने के बाद जारी की जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पीएस, पीए और आशुलिपिक ग्रेड 'डी' में भर्ती/नियुक्ति (परीक्षा के माध्यम से)

चयन सूची	निजी सचिव	वैयक्तिक सहायक	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	
	एलडीसीई कोटा	एलडीसीई कोटा (25 प्रतिशत)	द्विमासिक परीक्षा	सीधी भर्ती परीक्षा
2006	52	88		
2007	8	34	4	X
2008	9	76	$	$
2009	#	54	02	X
2010	#	$	शून्य	394

*आशुलिपिक ग्रेड 'सी' में सीधी भर्ती बंद कर दी गई है।

×परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

$कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा की जानी है।

#परीक्षा आयोजित की जानी है।

संवर्ग प्रशिक्षण योजना

जबकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव स्तर पर विगत में नियमित प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किए गए हैं और आशुलिपिकों तथा वैयक्तिक सहायकों के प्रशिक्षण के लिए आईएसटीएम द्वारा कुछ पाठयक्रम ऑफर किए गए, वहीं सीएसएसएस अधिकारियों के सतत स्तरोन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए कोई भी नियमित संवर्ग प्रशिक्षण योजना उपलब्ध नहीं थी।

इस खाई को पाटने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सीएसएसएस के लिए एक संवर्ग प्रशिक्षण योजना तैयार करने हेतु एक

समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशों को विभाग ने स्वीकार कर लिया है तथा कार्यकारी आदेश, जारी कर दिए गए हैं। सी एस एस एस के लिए नई संवर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत प्रथम स्तर–ण्ण् कार्यक्रम 21.11.2011 को प्रारंभ हुआ।

सीएसएस के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं

i) नए भर्ती किए गए स्टेनो ग्रेड डी के लिए एक आधारिक कार्यक्रम (इंडक्शन ट्रेनिंग) तैयार किया गया है (अवधि छह माह)

ii) अपने ग्रेड में सात वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले स्टेनो ग्रेड डी के लिए लेवल–I प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है (अवधि–तीन सप्ताह)

iii) अपने ग्रेड में तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले वैयक्तिक सहायकों के लिए लेवल–II प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है (अवधि–दो सप्ताह)

iv) अपने ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले निजी सचिवों के लिए लेवल–III प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है (अवधि–तीन सप्ताह)

iv) अपने ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले प्रधान निजी सचिवों के लिए लेवल–IV प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया है (अवधि–तीन सप्ताह)

v) जो वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान स्टाफ अधिकारी (पी एस ओ लेवल–V प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके उनके लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। (अवधि–दो सप्ताह)

सी एस एस कार्मिकों के लिए रोटेशनल स्थानांतरण नीति

रोटेशनल स्थानांतरण नीति (आर टी पी) के संबंध में समेकित अनुदेशन 15.7.2011 को जारी किए गए जिसमें प्रावधान किया गया है कि संवर्ग इकाई/मंत्रालय/विभाग विशेष में किसी सी एस एस एस कार्मिक की सेवा अवधि 10 वर्ष होगी। तथापि आमतौर पर कोई अधिकारी पदोन्नति होने पर ही संवर्ग इकाई/मंत्रालय/विभाग से बाहर तैनात किया जाएगा। कोई अधिकारी जो उपर्युक्त नीति के अनुसार संवर्ग इकाई/मंत्रालय/विभाग से स्थानांतरित किया जा सकता है, निम्नलिखित परस्थितियों में स्थानांतरित नही होगा।

(क) यदि अधिकारी के अधिवार्षिता प्राप्त होने में 2 वर्ष से कम समय शेष हो तो उसे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि संबंधित मंत्रालय/विभाग में उस ग्रेड में रिक्ति हो।

(ख) यदि अधिकारी 6 माह में अधिवार्षिता प्राप्त कर रहा हो और उस संवर्ग इकाई में कोई रिक्ति न हो तो उसे उसी संवर्ग इकाई में व्यक्तिगत स्तरोन्नयन दिया जाएगा तथा किसी अन्य संवर्ग इकाई में इस अवधि के लिए कोई रिक्ति स्थगित रखी जाएगी।

(ग) यदि सी एस एस एस का कोई अधिकारी भारत सरकार के सचिव के साथ तैनात हो तो उसे वहीं बने रहने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि इस संबंध में संबंधित सचिव से या सचिव द्वारा लिखित रुप में अनुरोध प्राप्त हो। इस प्रकार की बढ़ाई गई अवधि संबंधित सचिव के सेवानिवृत्त होने के बाद 3 माह तक अनुमत्य होगी। यह अवधि आगे और नही बढ़ाई जाएगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक अधिकारियों को भारत सरकार के सचिव के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हो, यह भी निर्णय लिया गया है कि सी एस एस एस का कोई अधिकारी सचिव के कार्यालय में अधिक से अधिक 10 वर्ष तक काम कर सकता है और भारत सरकार के सचिव के कार्यालय में तैनात करते समय संबंधित मंत्रालय/विभाग/संवर्ग इकाइयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा। तथापि यह शर्त वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, प्रधान स्टाफ अधिकारी के मामले में लागू नही होगी क्योंकि आमतौर पर किसी भी मंत्रालय/विभाग में ऐसा केवल एक पद ही होता है।

(घ) प्रधान मंत्री कार्यालय मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत के 'एटार्नी जनरल' और 'सालिसिटर जनरल' के कार्यालयों को इस नीति से छूट प्राप्त होगी।

4.4 केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सी एस सी एस)

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सी एस सी एस) केन्द्रीय सचिवालय की तीन सेवाओं में से एक है। सी एस–II प्रभाग इस सेवा के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।

सीएससीएस में निम्नलिखित ग्रेड है:

ग्रेड	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	ग्रेड (वेतन बैंबैंड) (रु.)
उच्च श्रेणी लिपिक (यू डीडी सी)		5200–20200 (पीबीबी–I)	2400
अवर श्रेणी लिपिक (एल डी सी)	समूह 'ग' (अराजपत्रित)	5200–20200 (पी बीबी– I)	1900

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा 41 संवर्ग यूनिटों में विकेन्द्रीकृत है। यह प्रभाग संवर्ग यूनिटों द्वारा रिपोर्ट की गई यूडीसी ग्रेड की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई का समन्वय करता है। तदनुसार, जैसाकि सीएससीएस नियमावली और मौजूदा अनुदेशों में प्रावधान है, विभाग वरिष्ठता कोटा के माध्यम से यूडीसी ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में वरिष्ठता–सह–पात्रता के आधार पर पदोन्नति के जोन का निधा्ररण करता है। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों से रिक्तियां एकत्र करने के बाद भर्ती एजेन्सी अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग को रिपोर्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सेवा–प्प प्रभाग वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत सीएसएस के सहायक ग्रेड में पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के रेंज का निर्धारण करता है।

वरिष्ठता कोटा के लिए वर्ष 2008 की चयन सूची के लिए वरिष्ठता के रेंज को अंतिम रूप दिया जाना विचाराधीन है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वर्ग 'ग' स्टाफ (ग्रेड पे 1800 रु.) के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सी एस सी एस के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में रिक्तियां भरने के संबंध में भी समन्वय करता है।

वर्ष 2010 तक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीएससीएस के यूडीसी/एलडीसी ग्रेडों में भर्ती/नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

चयन सूची वर्ष	उच्च श्रेणी ग्रेड (एलडीसीई)	अवर श्रेणी ग्रेड (एलडीई)
2005	99	42
2006	114	+
2007	124	62
2008	137	65
2009	86*	64
2010		26

सीएससीएस के अवर श्रेणी ग्रेड में सीधी भर्ती बंद कर दी गई है।

$रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोजित नहीं की गई।

*अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा 86 डोजियर प्राप्त हुए हैं।

उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) और आशुलिपिक ग्रेड 'घ' में गैर–कार्यात्मक चयन ग्रेड (एन एफएसजी) प्रारंभ करना

सी एस सी एस संवर्ग में उच्च श्रेणी लिपिक का नया ग्रेड (एन एफ एस जी) तथा सी एस सी एस संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'घ' (एन एफएस जी), का एक नया ग्रेड 22.6.2011 से 4200/रू. के ग्रेड पे और पे बैंड 2 में में सृजित किया गया है। सी एस सी एस के उच्च श्रेणी लिपिक और सी एस एस एस के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के रुप में 5 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर एन एफ एस जी में तैनाती के लिए पात्र होंगे परन्तु यह शर्त होगी कि ग्रेड में कुल संख्या संस्वीकृत संख्या के 30 प्रतिशत (अर्थात उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में (1104) तथा आशुलिपिक ग्रेड 'घ' में 385 तक) सीमित होगी।

4.5 राज्यों का पुनर्गठन

भूमिका

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार राज्यों के पुनर्गठन के लिए वर्ष 2000 में अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केवल केन्द्र सरकार को पुनर्गठित राज्यों के कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश/उत्ताखंड, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ और बिहार/झारखंड जैसे उत्तरवर्ती राज्यों में कर्मचारियों के आबंटन के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का राज्य पुनर्गठन (एस आर) प्रभाग को उत्तरवर्ती राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को छोड़कर) के आबंटन का कार्य सौंपा गया है।

'नियुक्त दिवस' पर विद्यमान कर्मचारियो/रिक्तियो की संख्या उत्तरवर्ती राज्यों के बीच मे पदो के आबंटन का आधार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के नियुक्ति दिवस क्रमशः 09.11.2000, 01.11.2000 तथा 15.11.2000 हैं।

आबंटन का मानदंड

संवर्ग का संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के एक संवर्ग के कर्मचारियों को उत्तरवर्ती राज्यों में प्रथमतः 'विकल्प' तत्पश्चात 'निवास' (गृह जिला) तथा अंततः कनिष्ठता के विपरीत क्रम में आबंटित किया जाता है। तथापि, आबंटन में विशेष ध्यान महिला कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, विकलांग व्यक्तियों, कुछ चिकित्सा आधारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को दिया जाता है, जहां कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर आबंटित किया जाता है। यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो तो उन्हें यथासंभव उनके विकल्प आधार पर किसी एक उत्तरवर्ती राज्य में तैनात किया जाता है।

पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कर्मचारियों के आबंटन को अंतिम रुप देने में सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सलाहकार समितियां गठित की गई थीं। आबंटन को सुकर बनाने के लिए राज्य सलाहकार समिति द्वारा कुछ दिशा निर्देश और प्रक्रियायें तैयार की गई थीं जिनका राज्य सलाहकार समिति द्वारा पालन करना था।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सलाहकार समिति की सिफारिशों, जो पुनर्गठन के सिद्धांतों पर आधारित हैं, को ध्यान में रखते हुए उत्तरवर्ती राज्यों में कर्मचारी आबंटन के अंतिम आदेश जारी करती है।

इन राज्यों के बहुत से कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमें दायर किए गए हैं जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध उत्तरवर्ती राज्य आबंटित किया गया था। ऐसे अधिकांश मुकदमें इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

आबंटन की स्थिति

मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में आबंटन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई थी। 46 मुकदमों का निपटान किया गया तथ राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के उत्तर में विभिन्न उच्च न्यायालयो में 10 काउंटर हलफनामे दायर किए गए। विभिन्न उच्च न्यायालयो में 367 मुकदमे लंबित हैं।

बिहार / झारखंड

बिहार/झारखंड में आबंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, के संबंध में आबंटन, अंतिम रुप दिए जाने के लिए लंबित है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं। 25 मुकदमों का निपटान किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के प्रतिक्रियास्वरुप विभिन्न न्यायालयों में 7 काउंटर हलफनामे दायर किए गए थे। इस समय विभिन्न राज्य न्यायालयों में 199 मुकदमें लंबित है।

उत्तर प्रदेश / झारखंड

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के संबंध में बहुत सा कार्य आबंटन पूरा किय जा चुका है। इसलिए 1.7.2010 से राज्य सलाहकार समिति को बंद किया जा चुका है तथा मंत्रालय में सबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव जो मंत्रालय में राज्य पुनर्गठन प्रभाग के अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शेष कार्य पर विचार किया जा रहा है। वित्त वर्ष के दौरान इस सलाहकार समिति की 2 बैठकें आयोजित की गई थी।

वर्ष के दौरान इस प्रभाग द्वारा संपन्न किए गए कार्य इस प्रकार हैंः–

उत्तराखंड के लिए अंतिम आबंटन आदेश जारी किया गया ।	80
कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया।	500
न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में स्पष्ट आदेश जारी किए गए	300
जीवन साथी (स्पाउस) नीति संबंधी मामलों पर विचार किया गया	50
चिकित्सा कठिनाई नीति संबंधी मामलों पर विचार किया गया	150
संशोधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नीति के आधार पर मामलों पर निर्णय लिया गया	35
मुकदमों का निपटान किया गया	95
काउंटर हलफनामे दायर किए गए	30
उच्चतम न्यायालय में एस एल पी दाखिल की गई	01
उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिकाएं दायर की गई	02

वर्ष 2000 मे पुनर्गठित मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़, बिहार/झारखंड और उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड की राज्य सरकारों से परामर्श कर पुनर्गठन के संबंध में मौजूदा दिशा निदेर्शो की समीक्षा का कार्य शुरु किया गया ताकि कमियों की पहचान की जा सके तथा नए दिशा निर्देश तैयार किए जा सकें। यह कार्य 31 दिसम्बर, 2011 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया जो निधारित अवधि थी।

अध्याय–5
भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ नियुक्तियां

5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग न केवल भारत की कार्मिक नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है बल्कि यह सरकार में वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियों की देख रेख करता है। इस प्रयोजन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का स्थापना अधिकारी और अपर सचिव, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के सचिव के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के उन सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई स्थापना अधिकारी के माध्यम से पूरी की जाती है जिनके संबंध में भारत सरकार के (कारोबार–संचालन नियम, 1961) के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है। इन प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड के स्तर की नियुक्तियां और संयुक्त सचिव स्तर की नियुक्तियां शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी नियुक्तियों पर भी कार्रवाई स्थापना अधिकारी के माध्यम से पूरी की जाती है, जिनके लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित होता है।

5.2 स्थापना अधिकारी सिविल सेवा बोर्ड के पदेन सदस्य–सचिव भी होते हैं, जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। यह बोर्ड, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति हेतु सिफारिश करता है। इसके अलावा, यह बोर्ड संयुक्त सचिव उपयुक्तता सूची में अधिकारियों के नाम शामिल किए जाने हेतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से सिफारिश करता है।

5.3 स्थापना अधिकारी केन्द्रीय स्थापना बोर्ड के सदस्य–सचिव भी होते हैं, जिसकी अध्यक्षता सचिव (कार्मिक) करते हैं। यह बोर्ड मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव और निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का मूल्यांकन करता है।

5.4 विदेशी नियुक्तियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 6(2)(पप) के अंतर्गत नियुक्तियों के अनुमोदन के लिए सचिव (कार्मिक) और वित्त सचिव को मिलाकर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली एक छानबीन समिति गठित की गई है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों से संबंधित मामलों के लिए समिति की सिफारिशों पर प्रधान मंत्री का अनुमोदन लिया जाता है।

केन्द्रीय स्टाफिंग योजना

5.5 केन्द्रीय स्टाफिंग योजना समूह 'क' सेवाओं के अन्दर विशिष्ट रूप से संवर्ग में शामिल अथवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती द्वारा भरे पदों को छोड़कर, केन्द्र में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों के चयन एवं नियुक्तियों की व्यवस्था करता है। भारत सरकार में अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों को छोड़कर) और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत की जाती हैं। यह नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं और प्रतियोगी समूह 'क' सेवाओं से अधिकारी मांगकर की जाती है। इसमें मुख्य सिध्दांत यह होता है कि इस प्रकार मांगे गए अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा करेंगे और अपने मूल संवर्ग में वापस चले जाएंगे। उनकी वृध्दि, विकास और कॅरिअर संभावाएं उनकी अपनी सेवा और संवर्ग के प्रति समर्पित रहेंगी।

5.6 ऐसी स्कीम को लाए जाने का मुख्य कारण नीति आयोजना, नीति नियंत्रण और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वरिष्ठ स्तरों पर विविध स्रोतों अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं और प्रतिभागी संगठित समूह 'क' सेवाओं से नवीन नियुक्ति हेतु केन्द्र की आवश्यकता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक तथा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कानून और चिकित्सा क्षेत्रों में पेशेवर की सेवाएं उन अधिकारियों से प्राप्त की जाती हैं जो विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहे हैं और सेवाकाल समाप्त होने पर अपने–अपने संवर्ग में वापस लौट आते हैं। इस आवागमन से सेवा संवर्ग और भारत सरकार दोनों ही परस्पर लाभान्वित होते हैं।

मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर नियुक्ति

5.7 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत कुल 462 अधिकारी, 52 सचिव स्तर पर, 45 अपर सचिव स्तर पर – 114 संयुक्त सचिव स्तर पर और 251 निदेशक और इससे नीचे के स्तर पर नियुक्त किए गए। इनमें से 222 भारतीय प्रशासनिक सेवा और शेष 240 अधिकारी संगठित समूह 'क' सेवाओं से जुड़े थे।

वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत की गई नियुक्तियों की संख्या

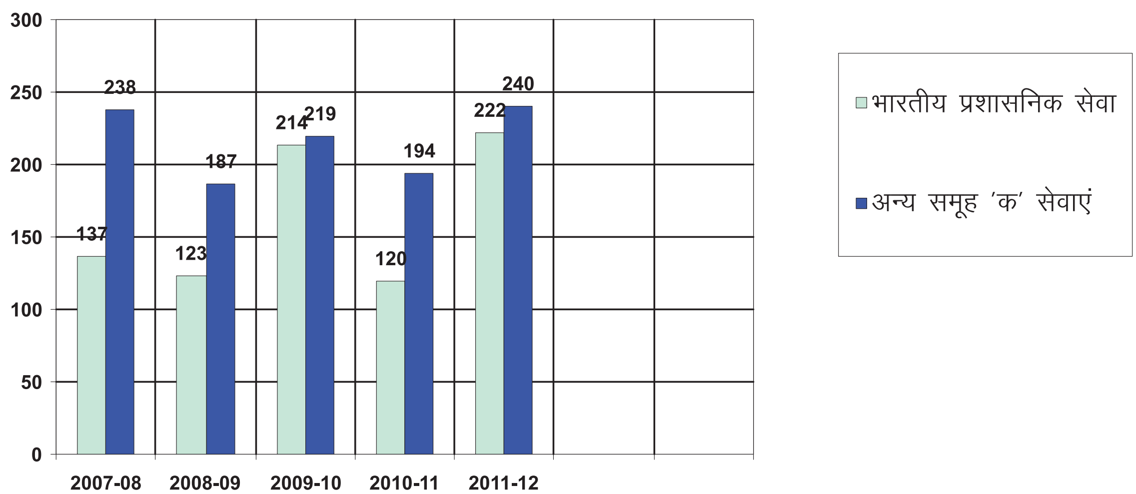

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व

5.8 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का स्थापना अधिकारी केन्द्र सरकार में कार्यरत समूह ''क' आई ए एस अधिकारियों तथा संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के अधिकारियों का इलेक्ट्रानिक डेटा बेस रखता है। ये रिकार्ड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों/पत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर अनुरक्षित किए जाते हैं। इस डेटाबेस का रख–रखाव/अनुरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सी एम अनुभाग सभी अधिकारियों के संबंध में डिजीटीकृत सूचनाएं तुरंत उपलब्ध कराने में मदद करता है तथा विदेश नियुक्ति/समनुदेशन और प्रशिक्षण आदि के मामलों पर कार्रवाई करने में मदद करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण

विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि द्वारा इस डेटाबेस का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष में अनुभव पर विचार करने के लिए किया जाता है ताकि केन्द्र में तैनाती की जा सके।

5.9 भारतीय प्रशासनिक सेवा विवरण के संबंध में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की राज्यवार संक्षिप्त संख्या दी गई है जो संस्वीकृत संख्या तथा वास्तविक संख्या की तुलना में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसमें वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों की स्तरवार संख्या भी दी गई है।

दिनांक 01.01.2012 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व आंकड़े

क्रम सं.	संवर्ग	कुल स्वीकृत पर संख्या	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	वास्तविक पद संख्या	समानुपातिक सीडीआर	केन्द्र में अधिकारियों की संख्या	समानुपातिक सीडीआर उपयोग
1	एजीएमयूटी	337	73	209	45	42	93
2	आंध्र प्रदेश	347	75	279	60	30	50
3	असम मेघालय	248	54	197	42	35	83
4	बिहार	326	70	188	40	34	85
5	छत्तीसगढ़	178	38	115	24	8	33
6	गुजरात	260	56	203	43	22	51
7	हरियाणा	205	44	171	36	23	63
8	हिमाचल प्रदेश	129	28	97	21	23	109
9	जम्मू व कश्मीर	137	30	87	19	17	89
10	झारखंड	208	45	100	21	15	71
11	कर्नाटक	299	65	211	45	27	60
12	केरल	214	46	153	32	40	125
13	मध्य प्रदेश	369	80	292	63	38	60
14	महाराष्ट्र	350	76	290	62	30	48
15	मणिपुर त्रिपुरा	207	45	135	29	38	131
16	नागालैंड	91	20	50	10	7	70
17	उड़ीसा	226	49	146	31	30	96
18	पंजाब	221	48	158	34	18	52
19	राजस्थान	296	64	177	38	25	65
20	सिक्किम	48	10	32	6	9	150
21	तमिलनाडु	355	77	279	60	39	65
22	उत्तर प्रदेश	592	128	363	78	79	101
23	उत्तराखंड	120	26	81	17	13	76
24	पश्चिम बंगाल	314	68	212	45	35	77
	कुल	**6077**	**1315**	**4225**	**901**	**677**	**79**

5.10 सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के अतिरिक्त 1.1.2011 से 31.12.2011 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंक/वित्तीय संस्थाओं में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/राज्यपाल/उप राज्यपाल, कार्यपालक निदेशक/अधिकारी कर्मचारी निदेशक, कामगार कर्मचारी निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, गैर सरकारी निदेशक के स्तर पर 425 नियुक्तियां की गईं। इसी अवधि के दौरान अध्यक्ष, वित्तीय आयुक्त, महाप्रबंधक/समकक्ष, सदस्य/अतिरिक्त सदस्य और पदोन्नति/इमपैनलमेंट स्तर पर रेल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न समूह क सेवाओं के 67,000–79,000/– और 75,500–80,000 के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्तियां की गईं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक/प्रबंध निदेशक की नियुक्तियों की संख्या

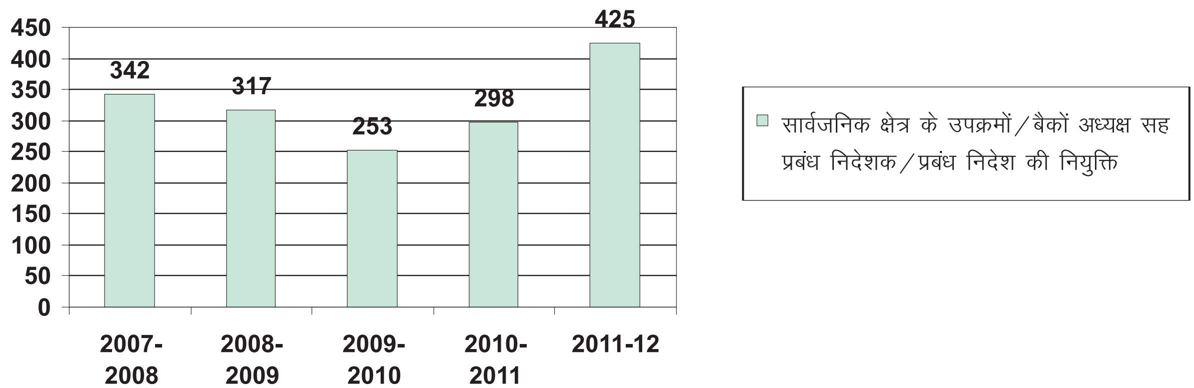

5.11 इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, रेल दावा अधिकरण (भारतीय रेल) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/कार्यकरण निदेशकों/महाप्रबंधकों के पद पर नियुक्ति तथा अतिरिक्त प्रभार संभालने व अवधि विस्तार/अवधि के अविस्तार प्रदान करने के लिए 272 अधिकारियों को अनुमोदित किया गया।

5.12 इस अवधि के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों, प्रशासनिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों में 101 नियुक्ति के लिए सदस्यों /अध्यक्षों/ मुख्य कार्यपाल अधिकारियों/ सलाहकार को अनुमोदित किया गया।

5.13 उन विभिन्न संगठित केन्द्रीय सेवाओं, जो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में शामिल नहीं हैं, में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर नियुक्ति (पदोन्नति, नामिकायन और प्रतिनियुक्ति सहित) हेतु और विभिन्न भारतीय दूतावासों/विदेशी मिशनों में तैनाती के लिए 66 महिला अधिकारियों सहित 1226 अधिकारियों की नियुक्ति हेतु उनके नामों का अनुमोदन किया गया।

5.14 दिनांक 1.12.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए प्रशासनिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों इत्यादि में 30 सदस्य/अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान नियुक्तियां/नामिकायन/प्रतिनियुक्ति/सेवा–विस्तार और अतिरिक्त प्रभार (गैर–केंद्रीय स्टाफिंग योजना) के लिए लगभग 350 मामले अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

5.15 31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या

पदनाम	अधिकारियों की संख्या
सचिव स्तर और समकक्ष	113
अपर सचिव स्तर और समकक्ष	119
संयुक्त सचिव स्तर और समकक्ष	449
निदेशक स्तर और समकक्ष	588
उप सचिव स्तर और समकक्ष	155

प्रशिक्षण

विदेशी प्रशिक्षण

5.16 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आई ए एस, दो अन्य अखिल भारतीय सेवाओं नामतः आई पी एस और आई एफ एस समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों तथा केन्द्रीय स्टफिंग स्कीम के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करता रहा है।

5.17 वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न विदेशी एजेंसियों/ सरकारों अर्थात यू एन डीपी, राष्ट्रमंडल कोलम्बो योजना, जे आई सी ए, सिंगापुर के डी आई कोरिया आदि के साथ लगभग 70 विदेशी वित्त पोषित विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समन्वित किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लगभग 60 अधिकारी नामित किए गए थे। एक आई ए एस अधिकारी को नेशनल डिफेंस कालेज कोर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012 के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

विदेशी वित्त पोषित विदेशी प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों की संख्या

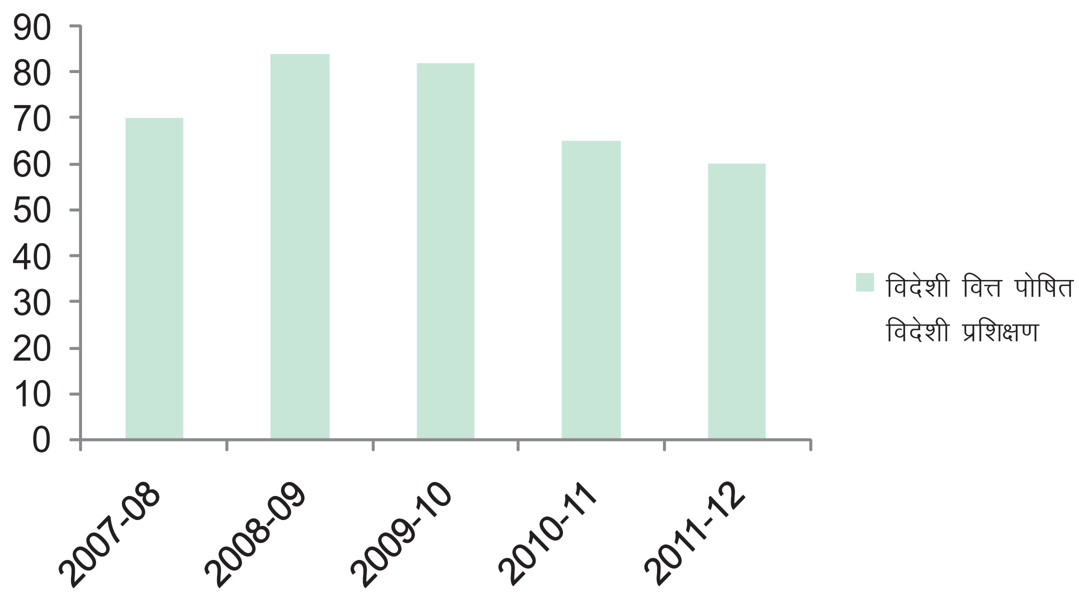

जेंडर मुद्दे

5.18 यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला अधिकारियों को प्रबंधन के उच्चतर स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के नामिकायन के दौरान उनके मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

5.19 वर्ष के दौरान केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव के रुप में कुल 81 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

5.20 इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, रेल दावा अधिकरण (भारतीय रेल) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों, कार्यकरण निदेशकों अकार्यकरण निदेशकों के पद पर नियुक्ति तथा अतिरिक्त प्रभार संभालने तथा अवधि विस्तार/अवधि के अविस्तार तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 25 महिला अधिकारियों को अनुमोदित किया गया।

5.21 वर्ष 2011–12 (दिनांक 13.12.2011 तक) के दौरान विभिन्न प्रशासनिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों में सदस्य/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रुप में 5 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

अध्याय–6
प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम

6.0 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी है और यह मुख्यतः प्रशिक्षण संबंधी नीतियों के प्रतिपादन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग सीधे तौर पर कतिपय प्रशिक्षण घटकों का कार्यान्वयन भी करता है।

प्रशिक्षण प्रभाग का उद्देश्य

- प्रशिक्षण में नीतिगत विषयों को शामिल करना
- प्रशिक्षण के कार्यात्मक क्षेत्रों की पहचान करना
- प्राथमिकता विकास क्षेत्र में लगे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना एवं उनका कार्यान्वयन करना
- प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण क्षमता का विकास

6.1 प्रशिक्षण प्रभाग का सर्वप्रमुख उद्देश्य ''सभी के लिए प्रशिक्षण'' को हासिल करना है, जिसका अर्थ यह है कि सिविल सेवाओं के न्यूनतम से लेकर उच्चतम स्तर के सभी अधिकारियों को नीति निर्माण में सटीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख कार्यकलाप

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण;
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कॅरिअर–मध्य प्रशिक्षण;
3. विदेशी प्रशिक्षण का घरेलू निधियन;
4. लोक नीति में स्नातकोत्तार कार्यक्रम;
5. प्रशिक्षण सहायता;
6. गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम;
7. प्रशिक्षण संस्थाओं का सक्षमता आवर्धन;
8. प्रशिक्षण में दूरस्थ/ई–शिक्षा पहल
9. ई–शासन पहल

वर्ष 2011–2012 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि के होते है। वर्ष के दौरान, विभिन्न संस्थाओं में एक सप्ताह के कुल 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इन कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए :

1. विश्व व्यापार संगठन और नई व्यापार प्रणाली;
2. आधुनिक प्रशासन में नैतिक मुद्दे;
3. प्रतियोगी कानून में आकलन पाठ्यक्रम ;
4. वित्तीय नीति और सूक्ष्म आर्थिक प्रबंधन;
5. सामुदायिक संघटन और प्रतिभागिता प्रबंधन;

6. उत्तारदायिता के माध्यम से शासन को बेहतर बनाना;

7. जलवायु परिवर्तन और सरकार की तैयारी ; प्रभाव , सुमेद्यता तथा अनुकूलन

8. लोक शासन में नैतिकता;

9. नेतृत्व विकास कार्यक्रम ;

10. लोक सेवाओं में नवाचार;

11. शहरी प्रबंधन और विकास;

12. जीवत आर्थिक वातावरण के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन का प्रबंधन;

13. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन;

14. विश्व व्यापार संगठन और संबंधित विषयों पर उपयुक्त पाठ्यक्रम ;

15. सामाजिक नीति और अभिशासन;

16. ई–शासन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन–ई शासन अवसर और चुनौतियां ;

17. सार्वजनिक निजी साझेदारी

18. ई शासन–शासन में पहल

19. लोक नीति और प्रबंधन

20. कृषि एवं ग्रामीण विकासः उभरने मुद्दे और नीति प्रत्युत्तर

6.3 इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, दो सप्ताह के दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में संयुक्त सिविल सैन्य प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में और भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के अधिकारियों हेतु संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून द्वारा संचालित किए गए।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का क्षमता निर्माण

6.4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने असम, मेघालय और सिक्किम के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के लिए दो–दो सप्ताह के दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम यशदा, पुणे और एम डी आई, गुड़गांव में आयोजित किए जिनमें से प्रत्येक संस्थान में क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर, 2011 में 30 सहभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्देश्य क्षमता निर्माण, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय तथा विकासात्मक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना था। इन कार्यक्रमों में अच्छे शासन, सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल थीं। इसके अतिरिक्त जनवरी–फरवरी, 2012 के दौरान आई आई पी ए, नई दिल्ली में मिजोरम के सिविल सेवा अधिकारियों के लिए 8 सप्ताह के आधारिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी अनुमोदन दिया गया है।

सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच कॅरिअर मध्य विमर्श

6.5 देश के विभिन्न भागों में राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और रक्षा संस्थानों में सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच कॅरिअर मध्य विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे की शक्ति से परस्पर सीख लेकर तथा एक दूसरे की कार्य संस्कृति, संस्कार और परिपाटी की सर्वोत्तम बातों को आत्मसात कर सशस्त्र बलों और सिविल

सेवा के अधिकारी लाभान्वित हो सकें। इससे, लंबे समय बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की भावी चुनौतियों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी।

6.6 वर्ष 2011 के दौरान मानव व्यापार, मानव अधिकार, ड्रग व्यापार, पर्यावरणात्मक सीमा प्रबंधन, असैन्य और सैन्य कार्यकरण को समझने, लेफ्ट विंग आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अपराध, पर्यावरणीय स्कैन तथा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर बल सहित आपदा प्रबंधन तथा तटीय जोन प्रबंधन के मुद्दे जैसे विषयों पर ऐसे दस विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कॅरिअर मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.7 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कॅरिअर मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों के कॅरिअर के कतिपय पहचान किए गए चरणों में अर्थात् क्षेत्र स्तर पर (7–9 वर्ष), नीति नियंत्रण स्तर पर (14–16 वर्ष) और अंतर–क्षेत्र नीति निर्माण और कार्यान्वयन स्तर (26–28 वर्ष) पर उनके अगले स्तर की क्षमताओं को उन्नत करने के उद्देश्य से जनवरी 2007 में आरंभ किया गया। चरण ्प्प् कार्यक्रम और चरण प्ट की अवधि 8 सप्ताह है तथा चरण–ट की अवधि 5 सप्ताह है जिनमें प्रत्येक में विदेशों में एक्पोजर विजिट किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली को किसी अधिकारी के कॅरिअर में कतिपय स्तरों पर ग्रेड/स्केल पदोन्नतियां प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा के रुप में विभिन्न चरणों को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए संशोधित किया गया। वर्ष 2007 से विभिन्न स्तर के 1500 से अधिक आई ए एस अधिकारी सफलता पूर्वक प्रशिक्षित किए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी(एलबीएसएनएए/मसूरी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकाय और सहभागी संस्थाओं के सहयोग से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री लंकाई प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों ने एस सी टी कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में भाग लिया।

6.8 वर्ष के दौरान 108 अधिकारियों ने चरण– III (20.6. 2011 से 12.8.2011 तक) में, 199 अधिकारियों ने दो दौर में (5वां दौर 18.4.2011 से 20.6.2011 तक, 6ठा दौर 22.8. 2011 से 14.10.2011 तक) और 85 अधिकारियों ने चरण– V (9.10;2011 से 11.11.2011 तक) में भाग लिया। अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय दौरे के भाग के रुप सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, कनाडा और यू एस ए जैसे देशों का दौरा किया।

सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में दीर्घकालिक घरेलू स्नातकोत्तर कार्यक्रम

6.9 इन कार्यक्रमों की परिकल्पना सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में कॅरियर मध्य प्रशिक्षण में सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई थीः–

i) नीति संबंधी दृष्टकोणों में अद्यतन प्रवृत्तियों के बारे में जागरुकता का विस्तार करना

ii) सार्वजनिक नीति के लिए तकनीकी विश्लेषणात्मक और नेतृत्वपरक कौशलों का विकास

iii) विशेषज्ञता में अवसर प्रदान करना

iv) उनके समक्ष अन्य देशों के लोक प्रबंधन की वैकल्पिक प्रणाली लाना

6.10 वर्तमान में आई आई एम, बंगलोर, एम डी आई, गुड़गांव और टेरी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सहभागियों को अंतर्राष्ट्रीय नीति परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्थानों के सहयोग से 6–8 सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय घटक शामिल किए गए हैंः

- मैक्सवेल स्कूल आफ सिटिजनशीप एंड पब्लिक अफेयर्स, साइप्रस यूनिवर्सिटी, यू एस ए के साथ आई आई एम बी
- एल बी जान्सन स्कूल आफ पब्लिक अफेयर्स, यूनिवर्सिटी आफ टेक्सास, यू एस ए और येल यूनिवर्सिटी, यू एस ए, ब्रांडेस यूनिवर्सिटी, वाल्थम, माश्चेश्टस के साथ टी आई आर आई
- साइन्सेज पी ओ, पेरिस के साथ एम डी आई

6.11 वर्ष 2002 से ए आई एस और समूह 'क' सेवाओं के 400 से अधिक अधिकारियों को इन संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया है। इस समय आई आई एम बी में सत्रह (17) अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 20 अधिकारी शीघ्र ही एम डी आई, गुड़गांव में प्रवेश लेंगे। टी ई आर आई के कार्यक्रम को जुलाई, 2012 तक स्थगित कर दिया गया है ताकि इसका शैक्षिक वर्ष और देश के अन्य कार्यक्रम समकालिक हों।

विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधियन (डीएफएफटी)

6.12 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित करता रहा है। विगत में इन कार्यक्रमों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता द्वारा निधियां प्रदान की जाती थीं। तथापि, अनेक वर्षों में यह सहायता कम हुई है। अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के महत्व और लाभों को ध्यान में रखते हुए 2001 में विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधियन की स्कीम शुरु की गई थी। इस स्कीम में विदेश स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं। इस स्कीम का दूसरा घटक विदेशी अध्ययन का आंशिक निधियन है। इन मामलों में भारत सरकार उन अधिकारियों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में या उनके वर्तमान या भावी कार्य के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों में अपने प्रयासों से दाखिला प्राप्त करते हैं।

6.13 वर्ष 2011–12 के दौरान निमनलिखित संख्या में अधिकारियों को दीर्घकालिक प्रशिक्षण और अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया और स्कीम के आंशिक निधियन घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गईः

दीर्घकालिक कार्यक्रम	40 अधिकारी
अल्पकालिक कार्यक्रम	198 अधिकारी
आंशिक निधियन	5 अधिकारी (दिसंबर, 2011 तक)

6.14 वर्ष 2010–11 तक डीएफएफटी स्कीम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पत्र वास्तविक रुप में प्राप्त किए जाते थे और उन पर कार्रवाई करते हुए मानवीय रुप में चयन किया जाता है। तथापि डीएफएफटी स्कीम के तहत इस वर्ष (2011–12) में आन लाइन प्रणाली शुरु की गई है जिसमें किसी भी दीर्घकालिक या अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आन लाइन आवेदन करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता अधिकारियों के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उनके आवेदन पत्र आनलाइन मोड में अग्रेषित करेंगे। डी एफएफटी स्कीम के इस प्रकार के कंप्यूटरीकरण का प्रयोजन विदेशी प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता लाना हैः–

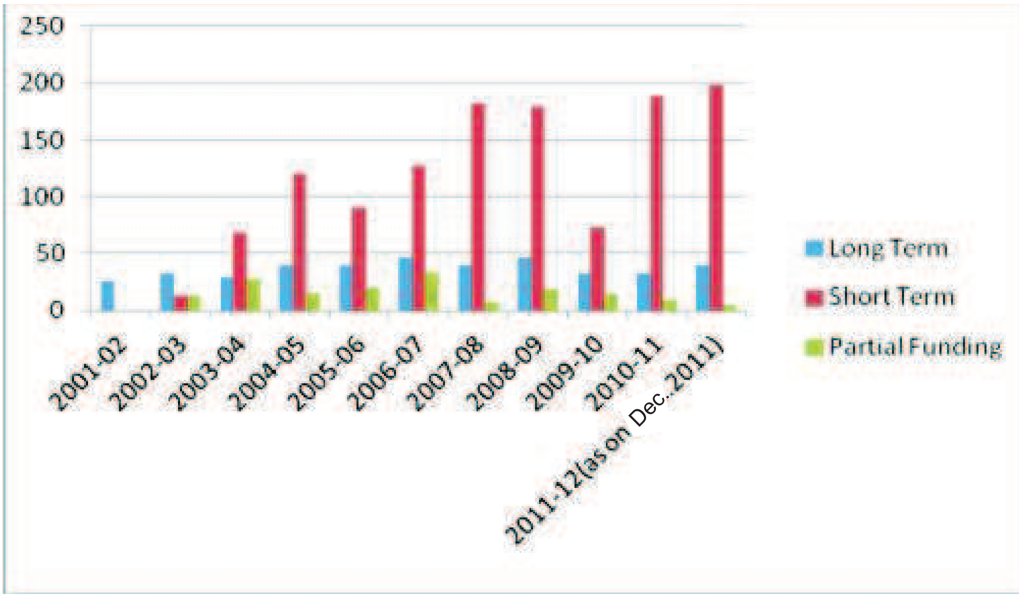

Number of participants under DFFT Schemes

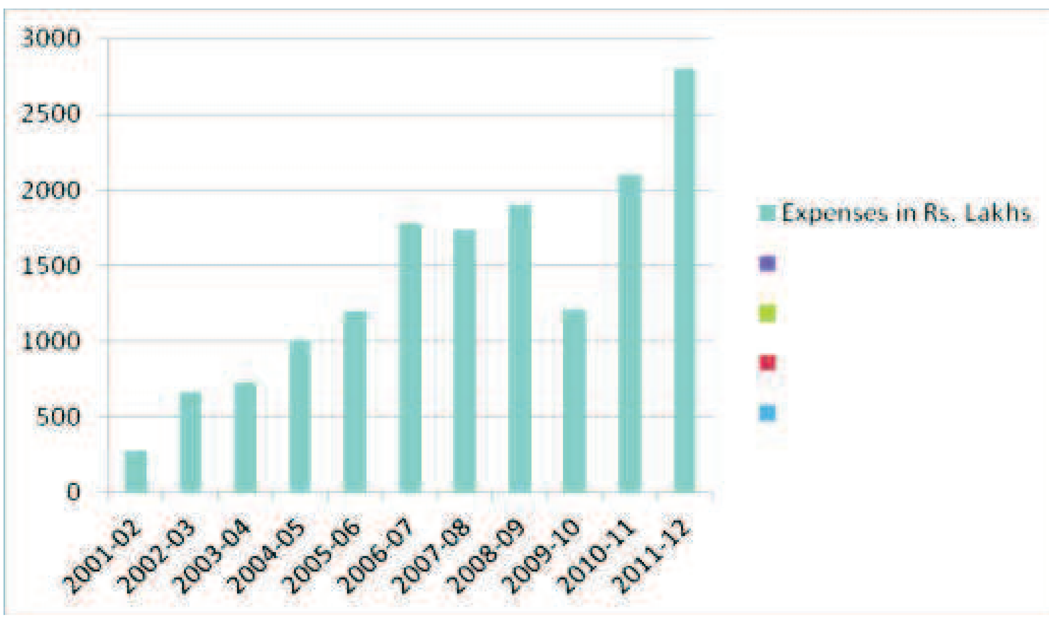

डी एफ एफ टी स्कीमों पर हुआ व्यय

राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन सम्मेलन

6.15 'नेशल कांफ्रेस आन हयूमन रिसोर्स मैनेजमेंट: टूवाड्र्स कंपीटेंसी बेस्ड परफार्मेंस मैनेजमेंट फार सिविल सर्विस' विषय पर दो दिवसीय दि सम्मेलन भारत सरकार के प्रशिक्षण प्रभाग तथा यूनाइटेड नेशंस डेवलमेंट प्रोग्राम द्वारा 'दि पार्क' होटल में 'पाथवेज फार एन इनक्लूसिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन (पी आई ए) प्रोजेक्ट के तत्वावधान में संयुक्त रुप से 28–29 नवम्बर, 2011 के नई दिल्ली में आयोजित किया गया ।

6.16 इस सम्मेलन का उद्देश्य सिविल सेवा में निष्पादन प्रबंधन के प्रति क्षमता आधारित दृष्टिकोण ज्ञान और परिपाटी के बारे में विचार–विमर्श करना और सीखना था। इस सम्मेलन का आशय अनिवार्य रुप से सिविल सेवा के लिए सक्षमता आधारित दृष्टिकोण की संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर इसके लाभ और हानि; निष्पादन प्रबंधन में क्षमता आधारित दृष्टिकोण लागू करने में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, निश्चित रुप से परिणाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सहित प्रणाली विज्ञान, भारतीय सिविल सेवा में क्षमता आधारित निष्पादन प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रणालीबद्ध परिवर्तनों तथा फोकस ग्रुप में विचार–विमर्श से सामने आने वाले प्रमुख विषयों के संबंध में की जाने वाली सिफारिशों की समझ विकसित करना था।

6.17 इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्‌घाटन कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री श्री वी नारायण सामी ने किया। इस अवसर पर श्रीमती अलका सिरोही, सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और श्री पैट्रिस कोएर बिजोट, यू एन रेजिडेंट प्रतिनिधि तथा यू एन रेजीडेंट कोआर्डिनेटर उपस्थित थे।

6.18 इस सम्मेलन में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/सामान्य प्रशासन विभागों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (अर्थात लेखा परीक्षा और लेखा, रेलवे, वन आदि) में मानव संसाधन प्रबंधन कार्यो से जुड़े लगभग 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। दो दिनों तक भारत, आस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यू के और पश्चिमी बालकान के वक्ताओं/विशेषज्ञों ने सहभागियों के साथ इस विषय पर अपने–अपने अनुभवों की साझेदारी की।

प्रशिक्षण सहायता

6.19 विषयपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम

''सभी के लिए प्रशिक्षण'' की इस योजना के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित केन्द्रीय सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित कर, इन संस्थानों को प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य स्वायत्ताशासी निकायों के वरिष्ठ और मंझले स्तर के अधिकारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध कौशल और ज्ञान विकसित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण पाठयक्रम हमारी सोसायटी में नए और महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करने की दृष्टि से अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभिप्रेत हैं। ये कार्यक्रम राज्यों के एटीआई के जिला और उप–जिला केन्द्रों से भी संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में व्यापक विषय समूहों के अंतर्गत विविध विषय शामिल किए गए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य लोक प्रशासन संस्थान और ग्रामीण विकास, अगरतला द्वारा आयोजित साईबर अपराध पाठ्‌यक्रम के सहभागी

6.20 वर्ष 2011–12 के दौरान, प्रशासन में आचार नीति, आपदा प्रबंधन, सूचना का अधिकार, जेंडर मुद्दे, विकेन्द्रीकृत योजना, वित्तीय प्रबंधन, ई–शासन, साइबर सुरक्षा, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि जैसे विषयों पर विभिन्न राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 1500 ऐसे अल्पकालिक पाठयक्रम आयोजित किए गए हैं। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के पूरा होने पर,

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य लोक प्रशासन संस्थान और ग्रामीण विकास, अगरतला द्वारा आयोजित साईबर अपराध पाठ्यक्रम के सहभागी

संस्थान द्वारा पाठयक्रम निदेशक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसका प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त फीडबैक, संस्थान को प्रदान किया जाता है।

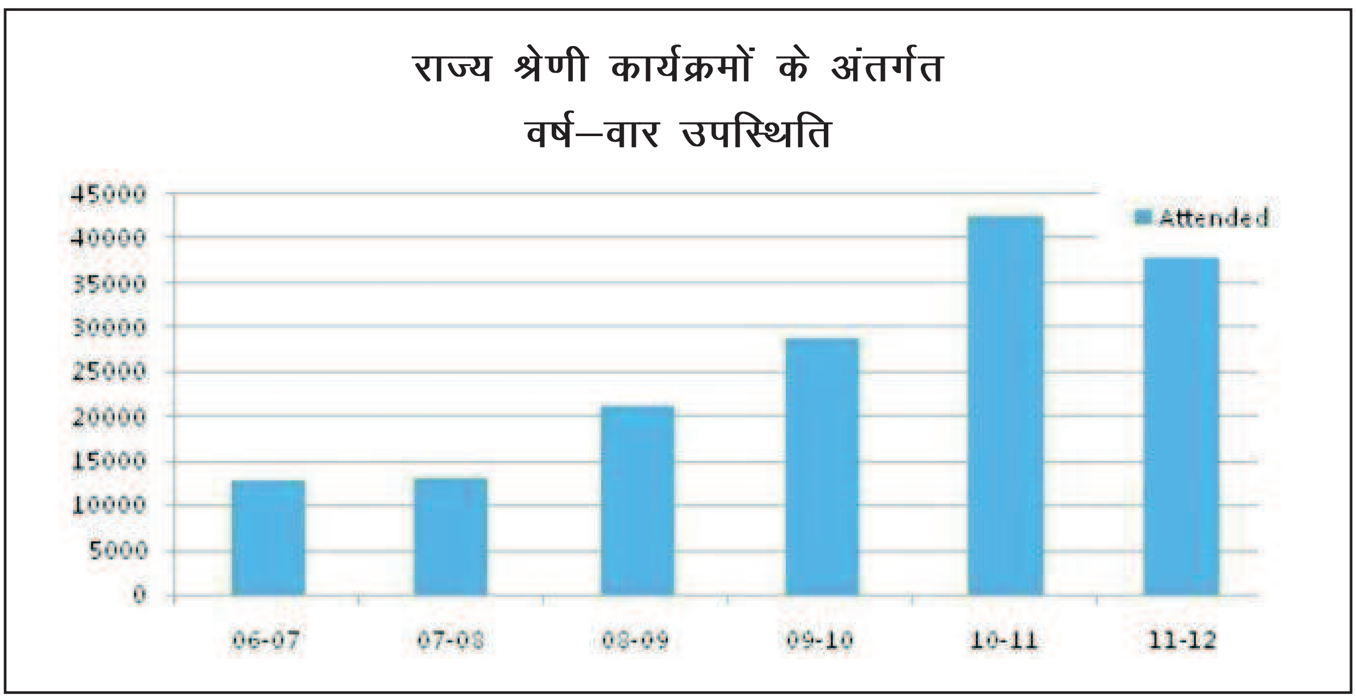

प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम

6.21 प्रशिक्षण संबंधी कार्यकरण में प्रशिक्षकों के महत्तव को समझते हुए प्रशिक्षण प्रभाग ने 1990 के दशक के शुरू में प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम आरंभ किए। आरंभ में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्य टेम्स वैली यूनिवर्सिटी, यू.के. के सहयोग से प्रशिक्षकों को पैकेज के विभिन्न प्रशिक्षण के मूल प्रशिक्षकों और मान्य उपयोगकर्ताओं के रूप में विकसित किए गए थे। कुछ समयावधि के बाद देश में व्यावसायिक प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों का एक संवर्ग, प्रवर्धक प्रभाव डालने और प्रसार करने की दृष्टि से विकसित करने के लिए स्वदेशी क्रियाविधि तैयार की गई। इस कार्यक्रम ने सरकारी कार्मिकों को प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रशिक्षण पाठयक्रम की रूप रेखा तैयार करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण के प्रति सम्यक दृष्टिकोण की अंतःस्थापना पर में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

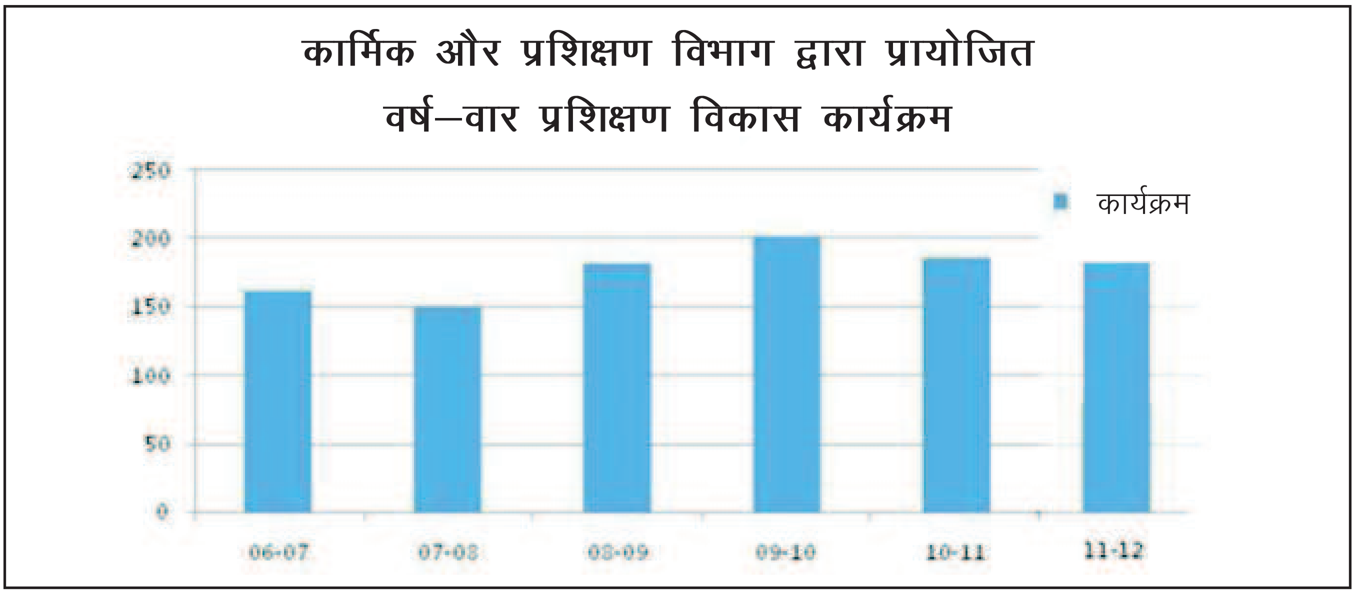

6.22 इस समय, प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं:

- प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण (टीएनए)
- प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी)
- सीधे प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस)
- प्रशिक्षण का मूल्यांकन (डीओटी)
- प्रशिक्षण प्रबंधन (एमओटी)
- अनुभवजन्य शिक्षण माध्यम
- परामर्श कौशल
- सरलीकरण कौशल
- राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण पाठयक्रमों का शुरू किया जाना

6.23 2011–12 के दौरान, विभिन्न पैकेजों पर लगभग 180 पाठयक्रम प्रायोजित किए गए हैं। विभाग ने विभिन्न पैकेजों में अब तक लगभग 52 मूल प्रशिक्षकों और 258 मान्यताप्रापत उपयोगकर्ताओं का एक समूह विकसित किया है, जिन्हें इन पाठयक्रमों को वंचालित करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

भारत सरकार

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ललिता महल रोड मैसूर–670011

केवल महिला अधिकारियों के लिए 'प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल' (डीटीएस) पर राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम **दिनांक 18–22 जुलाई, 2011**

प्रथम पंक्तिः वोलेट ग्रेस, कविता आर, जयश्री , के. राजेश्वर, इन्दरम्मा, अंजू डी एन सिंह, पाठ्यक्रम समन्वयकता डॉ. अमिता प्रसाद, आई.ए.एस , महानिदेशक, एटी आई, मैसूर, ज्योत्सना हिमुखे, गीता नायर फिरोजा बेगम, बेलगांव, एलटी कनिका शर्मा, सुहास सरभावीकर, एलटी शिखा अहलावत, ज्योति के चिम्मालागी

दूसरी पंक्तिः ले. मोनिका विष्ट, ले. तान्या रावत, निर्मल दी अय्यर, के.एस मंजुला, बी आर आशा शैलजा कुमारी, गीता एन शिराली, वी एस निर्मला, डी सी शीला, सुनंदा वी, डॉ दक्षयानी पटेल, चंदप्रभा

तीसरी पंक्तिः एस रेखा, डॉ. कांतिमती, बी आर प्रतिभा, परिमला वी मुगद, एस प्रमिला

प्रशासनिक संस्थान मैसूर द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (केवल महिला प्रशिक्षण के लिए महिला प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित

गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.24 राज्य सरकारों के प्रमुख सरकारी कर्मिकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम का बल प्रमुख कार्मिकों के मांग आधारित प्रशिक्षण पर है तथा इसे राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ए टी आई) के घनिष्ट सहयोग से आयोजित किया जाता है। सभी मुख्य सचिवों और राज्यों के ए टी आई को नए आई टी पी कार्यान्वयन और प्रबंधन दिशा निर्देश जारी कर, वित्त वर्ष के शुरु में 29 राज्यों को शामिल कर, दिल्ली, हैदराबाद और असम में तीन कार्यशालाएं आयोजित कर तथा इसके बाद चंडीगढ़, शिलांग और गोवा में इस कार्यक्रम की परिणाम मध्य समीक्षा कर इस कार्यक्रम को गति दी गई थी।

6.25 वर्ष 2010–11 के दौरान (31 दिसम्बर, 2011 तक) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 से अधिक जिलों में गहन प्रशिक्षण के लिए राज्यों के 13 राज्य एटीआई को 386.55 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है। इस क्षेत्र में शामिल किए गए कुछ सेक्टर हैः स्कूली शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजस्व, जल और सफाई, समेकित बाल विकास सेवाएं तथा पुलिस। इस कार्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय प्रलेखन सह–सुविधा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जिसके तहत आई टी वी नालेज पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एमजीएसआईपीए चंडीगढ़ में आई टीपी के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित करती हुई

प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का आवर्धन

6.26 राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के मुख्य प्रयास, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ही सम्पादित किए जाते हैं। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाएं, केन्द्र सरकार की परियोजनाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अपने–अपने राज्यों के अधिकारियों के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और आवश्यकता–आधारित प्रशिक्षण आयोजित करती हैं। इन प्रशिक्षणों की सफलता और विफलता, राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध आधारभूत संरचना द्वारा मुख्यतः निर्धारित होती है। इससे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यात्मक क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

6.27 इस घटक के अन्तर्गत, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर, प्रशिक्षण संस्थानों की नेटवर्किंग और प्रशिक्षण सामग्री को समेकित करने के रूप में आधारभूत संरचना का आवर्धन करने के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता दी जाती है। इन प्रशिक्षण संस्थानों को मामला अध्ययन, ई–लर्निंग पैकेज, प्रशिक्षण फिल्म विकसित करने, कार्यशालाओं का आयोजन करने, विशेष कार्यक्रम, संगोष्ठियां इत्यादि चलाने के लिए सहायता दी जाती है और उत्साहित किया जाता है।

6.28 वर्ष 2010–11 के दौरान (दिसम्बर, 2011 तक) उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को 2.92 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (पीपीपीएए)

6.29 लोक प्रशासन में सैंतीसवें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम को जुलाई, 2011 से मार्च, 2012 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा था। समूह 'क' में 10 वर्ष की सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु नौ माह का स्नातकोत्तार कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य प्रशासन विकास की चुनौतियों को पूरा करने के लिए उपस्कर तथा तकनीकों को और सामाजिक आर्थिक माहौल की समझ की व्यवस्था करना है। यह और अधिक उत्तरदायी प्रशासन बनाने के मत से प्रतिभागियों में अंतःवैयक्तिक कौशलों और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता विकास करने का भी प्रयास करता है।

सेवा	प्रतिभागियों की सं.
आईएएस	2
भारतीय रेल सेवा	7
आईपीएस	1
आई ट्रेड एस	1
आईएफओएस	3
आई आर एस (आईटी)	1
आईओएफएस	5
आई आर एस (आई सी एंड सीई)	2
आईपीओएस	1
सीईएस	2
इंडियन आर्मी	8
इंडियन एयर फोर्स	2
आईडीएएस	1
आईपी एंड टीएएफएस	1
इंडियन नेवी	1
जोड़	38

लोक प्रशासन के 37वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम में प्रतिभागियों का सेवा–वार ब्यौरा

निदेशकों/उप–सचिवों के लिए अभिविन्यास पाठयक्रम

6.30 केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में पदभार ग्रहण करने वाले उप सचिवों/निदेशकों के लिए एक सप्ताह के दो अभिविन्यास कार्यक्रम प्रायोजित किए गए थे। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) में संचालित किए गए कार्यक्रम नीति विनिर्माण कौशलों, संसदीय प्रक्रिया, प्रस्तावों के विनिर्माण और बजटीकरण तथा वित्तीय प्रबंधन पर केन्द्रित थे।

अध्याय–7
प्रशिक्षण संस्थाएं

7.0 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी इस विभाग से सम्बध्द, अग्रणी प्रशिक्षण संस्था है जो समूह 'क' सेवाओं के सभी अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई है। यह विभाग भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को भी सहायता प्रदान करता है जो प्रशासकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और लोक प्रशासन से सम्बध्द मुद्दों पर अनुसंधान करने के लिए एक स्वायत्त संगठन है जिसे लोक प्रशासन, लोक प्रशासन तथा सरकारी तंत्र के संदर्भ मे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने तथा तथा उनसे जुड़े शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

परिचय

7.1 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं में अधिकारियों के प्रशिक्षण की दृष्टि से एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है। यह अकादमी प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। संघ की अखिल भारतीय सेवाओं और सभी समूह 'क' सेवाओं में आने वाले अधिकारियों का एक सामान्य बुनियादी प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और भूटान की राजकीय सेवा के अधिकारियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, बुनियादी प्रशिक्षण पाठयक्रम के बाद संचालित किया जाता है। यह अकादमी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और राज्य सिविल सेवाओं से प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और करिअर मध्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित करने के साथ–साथ नीति से जुड़े मसलों पर कार्यशालाएं और सेमिनार भी संचालित करती है।

अकादमी का विज़न इस प्रकार है: ***"हम एक सतर्क, आचार–परक एवं पारदर्शी ढांचे में व्यावसायिक और अनुक्रियाशील सिविल सेवा निर्माण के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर सुशासन को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करते हैं।"***

पाठयक्रम

7.2 आधारिक पाठयक्रम, निश्चित रुप से ज्ञान विकसित करने पर केन्द्रित होते हैं; व्यावसायिक पाठयक्रम मूल रूप से कौशल अभिमुख तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठयक्रम मुख्य रूप से सरकारी ढांचे में वरिष्ठ पदों का कार्यभार ग्रहण करने की दृष्टि से नीति निर्धारण क्षमता बढ़ाने के लिए संचालित किए जाते हैं।

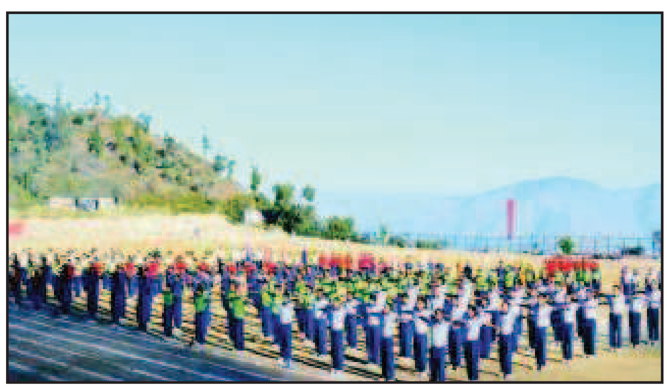

आधारिक पाठ्यक्रम में भाग लेते हुए अधिकारी

Foundation Course (15 Weeks)

7.3 यह प्रशिक्षण पाठयक्रम, संघ की अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और विभिन्न समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के सदस्यों के लिए अभिप्रेत है। पन्द्रह सप्ताह का यह प्रशिक्षण पाठयक्रम, प्रत्येक वर्ष सितम्बर से दिसम्बर तक संचालित किया जाता है। उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठयक्रम का उद्देश्य, देश के संवैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक–आर्थिक तथा विधिक ढांचे की बुनियादी समझ विकसित करने के साथ–साथ विभिन्न लोक सेवाओं के सदस्यों में मिलकर कार्य करने की दल–भावना कायम करके तथा उनमें सहयोग और परस्पर–निर्भरता के दृष्टिकोण को विकसित करके विभिन्न लोक सेवाओं के सदस्यों में व्यापक समन्वय लाना भी है।

7.4 आधारिक पाठयक्रम के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख कार्यकलाप हैं:

i) **ग्राम के दौरे का कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम, प्रशिक्षु अधिकारियों को किसी ग्राम से संबंधित किए गए अध्ययन के माध्यम से, ग्रामीण भारत की वास्तविकता का अहसास करवाने की दृष्टि से एक सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है।

ii) **ट्रैकिंगः** इस ट्रैकिंग का उद्देश्य, प्रशिक्षु अधिकारियों में साहसिकता की भावना कायम करने और उनमें मिलकर कार्य करने की दल–भावना को प्रोत्साहित एवं सशक्त करना है। ट्रैकिंग में समूह गतिशीलता, परस्पर वैयक्तिक संबंधों, मानववाद, साहस, सहनशीलता तथा प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान के द्वारा सीखने का अनुभव भी है।

iii) **पाठयेत्तर गतिविधियांः** प्रशिक्षुओं में विविध अभिरुचियों और अच्छे व्यक्तित्व की अपेक्षा की पहचान करने की दृष्टि से कौशल प्रदान करने के क्रम में पाठयेत्तर गतिविधियां अपराह्न में संचालित की जाती हैं। इसमें संस्कृतिक कार्यक्रम और एक अंक के नाटक की प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं।

7.5 इस वर्ष 3 समानांतर आधार पाठ्यक्रम एटीआई, हैदराबाद, एटीआई, भोपाल और एनएडीटी, नागपुर में आयोजित किए गए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम (26 सप्ताह)

7.6 आधारिक पाठयक्रम पूरा करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के तथा भूटान की राजकीय प्रशासनिक सेवा के पशिक्षु अधिकारियों को 26 सप्ताह के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम – चरण–I में प्रशिक्षित किया जाता है। उपर्युक्त प्रशिक्षण–पाठयक्रम का उद्देश्य, प्रशिक्षुओं में विभिन्न प्रकार की ऐसी जिम्मेदारियां संभालने की व्यावसायिक क्षमता विकसित करना है जो उन्हें अपने सेवाकाल के पहले दस वर्षों में निभानी पड़ती हैं। उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठयक्रम में, लोक प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर के अनुप्रयोग की बुनियादी जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ, लोक प्रणालियां और उनके प्रबंधन की समझ विकसित करने पर भी जोर दिया जाता है। उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठयक्रम चरण–I के पहले हिस्से के दौरान, प्रशिक्षु अधिकारियों को 9 सप्ताह के शीतकालीन अध्ययन दौरे (भारत दर्शन) पर भेजा जाता है जिसमें तीनों सशस्त्र सेनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र की इकाइयों, नगरपालिका संबंधी निकायों, स्वैच्छिक अभिकरणों विशेषकर कठिन स्थितियों में कार्य करने वाले और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों इत्यादि के सिविल प्रशासन में काम करने वाले सम्मिलित होते हैं।

जिला प्रशिक्षण (52 सप्ताह)

7.7 जिला प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षु अधिकारी जिला स्तर पर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखते हैं। इस अवधि के दौरान, वे जिला कलेक्टर और राज्य सरकार

के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। अधिकारियों को राज्य सरकार के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट तथा विभिन्न अन्य संस्थाओं के कार्य का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करने का अवसर मिलता है। अधिकांश राज्य सरकारें उन्हें तहसीलदार/मामलतदार, उपमंडल मजिस्ट्रेट, प्रखंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारियों, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालक का स्वतंत्र प्रभार संभालने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण पाठयक्रम फेज–II (8 सप्ताह)

7.8 जबकि बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठयक्रम चरण–I में, सैध्दांतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, चरण–II कार्यक्रम में जिले से संबंधित प्रशिक्षण के दौरान जमीनी वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाता है। यह समय अर्जित अनुभव के आदान–प्रदान करने का होता है क्योंकि सभी प्रशिक्षु अधिकारी, भारत के विभिन्न जिलों से, प्रशिक्षित होकर अकादमी में वापस आते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम चरण–II की विषय–वस्तु, पहले से प्राप्त किए गए सैध्दांतिक प्रशिक्षण सहित, क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक के दौरान हासिल किए गए जिले से संबंधित अनुभवों के समीकरण तथा जानकारी समाहित करने की दृष्टि से डिजाइन की गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मध्य कॅरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.9 उपर्युक्त कार्यक्रम (एम सी टी) 2007 में शुरू किया गया था। जबकि चरण–प्प् कार्यक्रम, 7–9 वर्ष की सेवा वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जाता है, चरण–IV कायक्रम, 14–16 वर्ष की सेवा वालों के लिए है। ये चरण–V कार्यक्रम 26–28 वर्ष की सेवा वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए है। वर्ष के दौरान एम सी टी पी के 5 दौर आयोजित किए गए। चरण–प्प् में 108 अधिकारियों ने, चरण–प्ट के दौरों में 199 अधिकारियों ने तथा चरण– VI में 85 अधिकारियों ने भाग लिया।

संयुक्त सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 सप्ताह)

7.10 राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में संयुक्त सिविल–सेना प्रशिक्षण कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्ताराखण्ड में संचालित किया जाता है। उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी, सम्मत पाठयक्रम दस्तावेज में विहित तरीके के अनुसार सिविल सेवाओं, सशस्त्र सेनाओं, अर्ध्द–सैनिक बलों से लिए गए थे। उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठयक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस, उत्तर–पूर्व की चुनौतियों, आसूचना, सेना, बाह्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, लेफ्ट विंग आतंकवाद, शासन से जुड़े मुद्दों, प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा, ओपन सोर्स विश्लेषण, हमारी नीतिपरक संस्कृति, विरोध एवं आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान 16वां व 17वां जेसीएम आयोजित किया गया जिसमें क्रमशः 37 और 29 सहभागियों ने भाग लिया।

भा.प्र.से., भा.पु.से. और भा.व.से. के अधिकारियों के लिए लिंग संबंधी मुद्दों/टी क्यू एम/कानून और व्यवस्था/आपदा प्रबंधन पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक सप्ताह)

7.11 अकादमी प्रत्येक वर्ष तीन से चार विषयों पर एक–एक सप्ताह की अवधि के तीन पाठयक्रम लिंग संबंधी मुद्दों, टीक्यूएम, कानून और व्यवस्था, आपदा प्रबंधन विषयों पर संचालित करती है। ये पाठयक्रम वरिष्ठता के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए होते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत/पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित अधिकारियों का प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण पाठयक्रम (10 सप्ताह)

7.12 अकादमी, राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक

सेवा में विभिन्न राज्यों से पदोन्नत/चुने गए अधिकारियों के लिए प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण पाठयक्रम संचालित करती है। उपर्युक्त पाठयक्रमों का उद्देश्य, ज्ञान, कौशल तथा सूचना को अद्यतन करना तथा उन लोगों के साथ दृष्टिकोणों, विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान के अवसर प्रदान करना है, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित कर ली है। अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नई प्रबंधकीय सोच, विचारों, तकनीक और कौशल पर व्यापक ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण के सहभागियों को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने पर बल दिया जाता है। उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठयक्रम दो सप्ताह के भारत दर्शन सहित आठ सप्ताह की अवधि के हैं। ये पाठ्यक्रम माड्युलर आधार पर चलाए जाते हैं जिनके जरिए ढांचा समेकित रुप में संगत विषय चुने जाते हैं और इन पर कार्रवाई की जाती है ताकि उनसे संबंधित सभी पक्ष समग्र रुप में शामिल किए जा सकें।

सेमिनार और कार्यशालाएं

7.13 वर्ष के दौरान 2–5 दिन के कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कुछ नियमित कार्यशालाएं हैं:

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्वर्ण जयंती की रिट्रीट

7.14 अकादमी, प्रत्येक वर्ष, उन अधिकारियों की एक रिट्रीट का आयोजन करती है जो 50 वर्ष पहले इस सेवा में आए थे। पहली बैठक 1997 में आयोजित की गई थी जो नये राष्ट्र की स्वर्ण जयंती का वर्ष था। इस बैठक में, स्वतंत्रता के समय सेवा में रहे भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सम्मिलित हुए थे। तब से सेवानिवृत्त अधिकारियों को तीन दिन की अवधि के लिए, संकाय और प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ अपने बहुमूल्य अनुभवों को बांटने की दृष्टि से आमंत्रित किया जाता है। ये वरिष्ठ अधिकारी अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक समसामयिक हैं तथा प्रशासन के बदलते परिवेश में महत्वपूर्ण अंतदृष्टि प्रदान करते है। उनके द्वारा की गई सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) को भेज दी जाती है।

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्षों और राज्य प्रशिक्षण समन्वयकों का सम्मेलन

7.15 सभी राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं का एक सम्मेलन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के 52–सप्ताह के जिला प्रशिक्षण के, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने; सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठयक्रमों सहित, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग के अन्य क्षेत्रों और जिला प्रशिक्षण में, कलेक्टरों के समुचित हितों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक तंत्र की अनुशंसा करते हुए तथा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए, कलेक्टरों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अकादमी ने सभी राज्यों की जिला प्रशिक्षण योजनाओं को मिलाकर और उसके आधार पर राज्य प्रशिक्षण योजनाओं में शामिल करने के कुछ बिन्दु सुझाए हैं। इस सम्मेलन से चरण–II में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से जिला प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक प्राप्त करने का अवसर भी सुलभ होता है।

अनुसंधान इकाइयां

7.16 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी अपने अनुसंधान कार्यकलापों के माध्यम से नीति निर्धारण की दृष्टि से सरकार को सहायता प्रदान करने में अद्वितीय रही है। इसी उद्देश्य से उपुर्यक्त अकादमी ने अनेक अनुसंधान एकक स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान

7.17 राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनएआईआर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के तत्वावधान में गठित एक स्वायत निकाय है।

यह पूर्ववर्ती ग्लेनमीर एस्टेट, वे कोजी नूक चार्लेविले रोड पर स्थित है जो अकादमी के मुख्य परिसर से एक किलोमीटर दूर है। इसे सौंपा गया प्रमुख कार्य प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधानात्मक गतिविधियां चलाना है ताकि ज्ञान का प्रसार किया जा सके और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को व्यवहार्य नीति संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वर्तमान में एन आई ए आर की अनुसंधान क्षमता को अधिक से अधिक करने के प्रयास जारी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अकादमी के अन्य अनुसंधान केन्द्र जैसे ग्रामीण अध्ययन केन्द्र (सी आर एस), राष्ट्रीय जेंडर प्रशिक्षण योजना और अनुसंधान केन्द्र (एनसीपीटीआर), आपदा प्रबंधन केन्द्र (सीडीएस तथा सरकारी और ग्रामीण विकास केन्द्र (सी सी आर डी), एन आई ए आर के साथ मिला दिए गए हैं ताकि यह नीति से जुड़े अनुसंधान तथा प्रसार गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए सिंगल स्टाफ शाप के रुप में काम कर सकें। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से एन आई ए आर ने हाल ही में राष्ट्रीय जल और सफाई केन्द्र स्थापित किया है। इसे जलवायु परिवर्तन केन्द्र स्थापित करने के लिए यू एन डी पी का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

प्रशिक्षण संस्थाओं में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम)

7.18 अकादमी के कार्यकलापों में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा लाने के लिए अकादमी अनेक कार्यकलाप आरम्भ करती है। इनमें कर्मचारी अभिमुख अनेक कार्यकलाप और अकादमी में प्रसुविधाओं और सेवाओं का उन्नयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, अकादमी ने संचालित किए जाने वाले लगभग सभी पाठयक्रमों में आवश्यक आदान के रूप में समग्र गुणवत्ता प्रस्तुत की है। वास्तव में प्रशिक्षण संस्थाओं में समग्र गुणवत्ता प्रदर्शन (टीक्यू एम) अकादमी द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बन चुका है। प्रशिक्षण संस्थाओं में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) से जुड़े कुछ विषय विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे आधारिक पाठयक्रमों आई ए एस चरण–I और सेवाकालीन पाठयक्रमों के शामिल किये जा रहे हैं।

7.19 ये आदान (जानकारी) प्रतिभागियों के लिए अत्यधिक उपयोगी और व्यावहारिक साबित हुए हैं और कुछ अधिकारियों के कार्यकरण में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे है ताकि बेहतर सेवा और बेहतर गुणवत्ता लाई जा सके ।

अकादमी की मूल भावना

7.20 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उद्देश्य सिविल सेवकों में अनुकरणीय दृष्टि और मूल्य समाहित करना है जो लोक सेवाओं के लिए अपेक्षित है । पेशेवर सिविल सेवक के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान देना अपेक्षाकृत आसान है और यह अकादमी की परपरांगत शक्ति रही है।

7.21 सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस, वंचित लोगों के लिए सहानुभूति एवं सम्मान जैसे मूल्यों को विकसित करने की दृष्टि से, अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें ललिता शास्त्री बालवाड़ी विद्यालय में सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जहां कर्मचारियों और जनसाधारण के बच्चों के लिए रियायती शुल्क–दर पर एलकेजी/यूकेजी और कक्षा–1 संचालित की जाती है। स्कूल में लगभग 100 बच्चों को दाखिल दिया गया है। उपर्युक्त प्रशिक्षु अधिकारियों ने मसूरी में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों से लगातार गहरा समन्वय कायम कर ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की समस्या पर भी ध्यान दिया है। प्रशिक्षु अधिकारी पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से भी श्रम–दान करते हैं। गरीबों का ध्यान रखने, लोगों की बात सुनने, सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध करने तथा सभी प्रशिक्षण पाठयक्रमों और सभी चर्चाओं में पूरी पारदर्शिता लाने पर जोर दिया जाता है। अधिकारियों को परामर्श समूहों में बांटा जाता है जिससे कि वे एक खुले वातावरण में अपनी धारणाओं पर

विचार–विमर्श कर सकें। यह मंच उन्हें अपने दृष्टिकोणों को उजागर करने के साधन के रूप में काम करता है।

अलमा मीटर के रूप में अकादमी

7.22 अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के सभी प्रशिक्षु अधिकारी अपना कॅरिअर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से आरंभ करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह संस्था विभिन्न सिविल सेवाओं के युवा अधिकारियों से एक संबंध कायम करती है। यह अकादमी अधिकारियों में एकता का सृजन करती है। अधिकारी इस संस्था का विरह के साथ स्मरण करते हैं।

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान

7.3.1 सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। मूलतः केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों के बुनियादी और सेवाकालीन प्रशिक्षण के पाठयक्रम संचालित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए उपर्युक्त संस्थान की गतिविधियों का दायरा, पिछले छः दशकों में बहुत बढ़ गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, संस्थान में ही दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, उपर्युक्त संस्थान द्वारा व्यवहार–कौशल, प्रबंधन तकनीक, वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यालय प्रबंधन में प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए भ्रमण–परक प्रशिक्षण का भी विशेष महत्व है और ये पाठ्यक्रम अपर सचिव और समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित किये जाते हैं। केन्द्र सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के विशेष अनुरोध पर, उपर्युक्त संस्थान, विभिन्न क्षेत्रों में, संस्थान, विभाग/कार्यालय/संगठन विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

7.3.2 वर्ष 2007–08 से सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन में लगा है जिसमें निदेशक स्तर के अधिकारियों तक कॅरिअर प्रोन्नयन से सम्बध्द मिड–कॅरिअर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा की जाती है। सी एस एस एस–सीटीपी अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आई एस टी एम में तैयार कर विकसित किए गए थे और तब शुरु किए गए थे।

7.3.3 इस वर्ष के दौरान, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान ने कुल 244 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 6572 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित अनुसार हैं:

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नई संवर्ग योजना के अनुसार आधारभूत और पुनःचर्या पाठयक्रम;

(ख) कार्मिक प्रशासन और कार्यालय प्रबन्धन

(ग) वित्तीय प्रबंधन

(घ) प्रबंधन सेवाएओं के अंतर्गत सुशासन, ज्ञान का प्रबंधन तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ड.) व्यावहारिक प्रशिक्षण और सचिवालय कौशल

(च) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

(छ) भ्रमणशील कार्यक्रम

(ज) सूचना का अधिकार

(झ) कंप्यूटर पाठ्यक्रम

(ट) सार्वजनिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंधन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ठ) मंत्रिमंडल टिप्पणियां तैयार करने के लिए कार्यशालाएं

(ड) उप सचिव/निदेशकों के लिए ओ सी डी पाठयक्रम

(त) सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों के लिए सी एस एस बैकलॉग प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों के सार नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1.	कैलेंडर तैयार (सीटीपी कोछोड़कर)	144	3331
2.	सी एस एस संवर्ग प्रशिक्षण योजना	52	1927
3.	सी एस एस संवर्ग प्रशिक्षण योजना	06	196
4	संगठन विशिष्ट कार्यक्रम	40	1084
5	अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम	02	01
	कुल	**224**	**6572**

7.3.4 नई प्रशिक्षण पहलें

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, सूचना के अधिकार के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में लगा है और इस संस्थान ने सूचना के अधिकार के क्षेत्र में बहुत ही प्रबल ज्ञान आधार विकसित किया है।

वर्ष के दौरान आई एस टी एम निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न रहा है:

(क) मंत्रालय/विभगों के 04 एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन अर्द्धदिवसीय कार्यशालाएं।

(ख) उप सचिवों/निदेशकों के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणियां तैयार करने के लिए 09 दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई।

(ग) अनुभाग अधिकारियों तथा अवर सचिवों के लिए मंडिमंडल टिप्पणियां तैयार करने के लिए 24 अर्द्धदिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।

(घ) प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का विकास प्रगति पर है।

(ड.) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आई सी एल एस) के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचान

(च) सीधे भर्ती किए गए 247 सहायकों के लिए (12 दिसम्बर, 2012 से 2 मार्च, 2012 तक) आधारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(छ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में 22 अर्द्धदिवसीय कार्यशाला आयोजित की (01 नवम्बर, 2011 से 05 दिसम्बर, 2011 तक)

(ज) सहायकों /अनुभाग अधिकारियों के लिए बैकलाग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बीटीसी)

(झ) मंत्रालयों के समेकित वित्त प्रभाग में कार्यरत अवर सचिव/उपसचिव और निदेशकों के लिए 3 दिवसीय विशिष्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया (23 से 25 अगस्त, 2011)

(ञ) सीधी भर्ती से आए स्टेनोग्राफर के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन मार्च, 2011 से आरंभ किया गया।

7.3.6 संकाय विकास

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान की एक प्रमुख शक्ति इसका संकाय है जिसमें विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी शामिल होते हैं। संस्थान नियमित रुप से अपने संकाय सदस्यों को आबंटित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने तथा तकनीकों के विकास के लिए उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल

होने के लिए प्रायोजित करता है। वर्ष के दौरान गुणवत्तायुक्त शासन, ई गवर्नेस और प्रशिक्षण तकनीक में 6 संकाय सदस्य प्रशिक्षित किए गए।

7.4 वर्ष 2011–12 के दौरान प्रमुख घटनाएं

(क) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

i) म्यांमार सरकार के डाक्टरों कार्मिकों के लिए (26–30 सितम्बर, 2011 तक) लोक प्रशासन और वित्त के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ii) राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा प्रायोजित एशिया प्रशांत के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (30 जनवरी, 2012– 4 फरवरी, 2012)

(ख) सी एस एस सवर्ग के निदेशक स्तर के सी एस एस दृ×१ टी पी के 'जी' स्तर के कार्यक्रम की तैयारी और आयोजन के लिए 4 जुलाई को प्रशिक्षण् आवश्यकता विश्लेषण किया गया।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अवसंरचना सहायता

आन लाइन भर्ती नियमों के लिए एन आई सी द्वारा विकसित साफ्टवेयर का परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए सहायता दी गई।

(घ) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आई एस टी एम) का आधुनिकीकरण

(क) 14(चौदह) संकाय कक्षों का जीर्णोद्धार

(ख) प्रशासनिक खंड के बड़े हाल को कक्षाओं के रूप में परिवर्तित करना

(ग) छात्रावास खंड में 50 कमरों का जीर्णोद्धार

(घ) पुस्ताकलय भवन के मेजेनाइन फ्लोर पर एक कक्षा और तीन सिंडिकेट कक्षाओं का निर्माण

(ङ) पुस्तकालय भवन के तलघर (बेसमेंट) में एक बड़ी कक्षा का निर्माण

(च) आई एस टी एम के प्रशासनिक खंड के सामने वाले हिस्से को ऊंचा करना

7.5 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

दिल्ली में अवस्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक समिति (सोसायटी) के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है। उपर्युक्त संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i) लोक प्रशासन और सरकार के तंत्र तथा प्रासंगिक शैक्षिक प्रयोजनों के संदर्भ में लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना तथा उपयुक्त अध्ययन की व्यवस्था करना;

ii) लोक प्रशासन से जुड़े मसलों के अध्ययन पाठयक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान और शोध का दायित्व संभालना, ऐसे अध्ययन पाठयक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और शोधों का आयोजन करना एवं इन्हें बढ़ावा देते हुए, सरल, सुकर और सुसाध्य बनाना;

iii) लोक प्रशासन को बढ़ावा देने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पत्रिकाओं और अनुसंधान दस्तावेजों और पुस्तकों के प्रकाशन का दायित्व संभालना और व्यवस्था करना;

iv) लोक प्रशासन के अध्ययन को सरल, सुकर तथा सुसाध्य बनाने के लिए पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं की स्थापना तथा उनका रखरखाव करना और सूचना का प्रसार करना;

v) लोक प्रशासन की सहायता के प्रयोजन से अनुमोदित संस्थाओं और निकायों के साथ सहयोग करना।

7.5.2 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षत विभाग से, योजनेतर सहायता अनुदान के रुप में 157.50 लाख रुपए की धनराशि तथा योजनागत अनुदान के रुप में 300 लाख रुपये प्राप्त करेगा।'

*बजट अनुमान 11–12 के आंकड़े

अध्याय–8

प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग

8.0 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (एवीडी) सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोध के क्षेत्र में एक नोडल अभिकरण है। इसका मुख्य कार्य, अन्य बातों के साथ–साथ, अनुशासन बनाए रखने तथा लोक सेवा से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किए जाने के सरकार की प्रतिबध्दता को आवश्यक दिशा देना है। इस संबंध में प्रयासों को बढ़ाए जाने की दृष्टि से पिछले वर्षों के दौरान निवारक कार्रवाई, निगरानी और सुरागरसानी के साथ–साथ निवारक तथा दंडात्मक कार्रवाई की अपनाई गई तीन स्तरीय रणनीति का इस वर्ष के दौरान भी अनुपालन किया गया। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की भ्रष्टाचार निरोध कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से की गई है। ऐसी निवारक सतर्कता पर बल दिया जाता रहा जिसमें चुनिंदा क्षेत्रों में मौजूदा नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं में उपयुक्त बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित सभी नीतिगत एवं प्रशासनिक मामलों का कार्य भी देखता है।

8.1 ए.वी. प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड–I और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के संबंध में अनुशासनिक मामलों की जांच–पड़ताल करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग निम्नलिखित मुद्दों पर राज्य सरकारों और भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर भी कार्रवाई करता है:

- भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों पर बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भारी शास्ति लगाए जाने के लिए राज्यों से प्रस्ताव;
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों के विरुध्द कार्रवाई शुरू करने के लिए अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियमों के अधीन अनुमति मांगते हुए राज्य से प्रस्ताव;
- पेंशन में कटौती की शास्ति लगाए जाने के लिए राज्य से प्रस्ताव;
- भारत सरकार के अधीन कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही/निलम्बन की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रस्ताव;
- राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा निलम्बन के विरुध्द प्रस्तुत की गई अपील;
- अधिकारियों के उपर्युक्त विरुध्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अभियोजन की मंजूरी के लिए अनुरोध'
- अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में राज्य सरकारों/विभागों को परामर्श/स्पष्टीकरण;
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों (ग्रेड–I और उससे ऊपर के स्तर) को पैनल में रखे जाने/पदोन्नति/तैनाती इत्यादि के समय उनकी

सतर्कता स्थिति संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाती है। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय डेटाबेस सहित एक कंप्यूटरीकृत सतर्कता सूचना पध्दति कार्य कर रही है और यह प्रसुविधा इस विभाग के सम्बध्द अनुरोधकर्ता प्रभागों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

अनुशासनिक कार्यवाहियां तथा अभियोजन के लिए स्वीकृति

8.2 दिनांक 01.04.2011 से 31.01.2011 तक की अवधि के दौरान 19 मामलों (भारतीय प्रशासनिक सेवा दृ 8, केन्द्रीय सचिवालय सेवा – 11) में अनुशासनिक कार्यवाहियों में अंतिम आदेश जारी किए गए। 2 मामलों में अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली के अन्तर्गत सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करने के संबंध में राज्य सरकारों के अनुरोध पर निर्णय को राज्य सरकारों को सूचित किया गया। इसी अवधि के दौरान ष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति की मंजूरी हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राज्य अन्वेषण एजेंसियों के अनुरोधों पर 16 मामलों (भारतीय प्रशासनिक सेवा दृ 15, केन्द्रीय सचिवालय सेवा – 1) में निर्णय दिया गया तथा आदेश जारी किए गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में अभियोजन की स्वीकृति की मंजूरी के संबंध में सूचना विभाग की वेबसाइट पर भी डाली गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के समूह 'क' एवं केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति हेतु वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 में क्रमशः 34, 24 तथा 16 अनुरोधों पर निर्णय लिए गए।

8.3 इसी प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा एवं केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में क्रमशः 7, 14 और 19 आदेश जारी किए गए।

अनुशासनिक मामलों असहमति के मामले

8.4 जिन मामलों में राष्ट्रपति जी अनुशासनिक प्राधिकारी होते हैं और उन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संबंधित विभाग में मतभेद हो तो उन मामलों में मौजूदा अनुशासनिक मामलों में राष्ट्रपति जी की ओर से अधिक एकरुपता लाने के लिए विभागों के केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों को न मानने का निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करना आवश्यक है। इसी प्रकार उन अनुशासनिक मामलों जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भारी शास्ति की सलाह दी जाती है और संघ लोक सेवा आयोग लघु शास्ति अथवा दोषमुक्ति के पक्ष में होता है, में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए असहमति के समाधान के लिए मामला इस विभाग को भेजा जाएगा। इस विभाग ने दिनांक 31.12.2011 तक ऐसे 9 मामले निपटाये हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त कनवेंशन

8.5 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन में भ्रष्टाचार निवारण हेतु अनेक उपाय निर्धारित किए गए हैं जिसमें प्रभावी ष्टाचार नीतियों और प्रणालियों का निर्माण और कार्यान्वयन; निवारक भ्रष्टाचार–रोधी निकायों का गठन करना; सिविल कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति आदि के लिए पारदर्शी पध्दति को अपनाना; सार्वजनिक पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु मानदण्ड निर्धारित करना और चयनित सार्वजनिक पद हेतु/राजनैतिक दलों की उम्मीदवारी के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना; लोक पदधारियों के लिए आचार संहिता स्थापित करना; लोक प्रापण और सार्वजनिक वित्त–प्रबंधन में पारदर्शिता,

प्रतियोगिता तथा वस्तुनिष्ठ–मानदण्ड आधारित प्रणालियां स्थापित करना; जनसाधारण को सूचना सुलभ कराना; न्यायपालिका के सदस्यों में भ्रष्टाचार के अवसरों की रोकथाम करना; निजी क्षेत्र में पारदर्शिता और उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करना; भ्रष्टाचार के विरुध्द संघर्ष में समुदाय आधारित संगठनों की सक्रिय भागीदारी और धनशोधन को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थान हेतु नियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करना।

8.6 इस कन्वेंशन पर वर्ष 2005 (9 दिसम्बर, 2005) में को हस्ताक्षर किए गए थे और इस अनुसमर्थन का लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को 9 मई, 2011 को जमा किया गया था। यह कन्वेंशन 8 जून, 2011 से प्रवृत्त हुआ है। भारत समीक्षा तंत्र के तहत वर्ष 2010 में शुरु होने वाले प्रथम समीक्षा चक्र के चौथे वर्ष में अध्याय–III और IV के प्रावधानों के संबंध में यू एन सी एसी के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

8.7 एवीडी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार रहा है। यह केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार, उनकी समय–पूर्व पुराने विभाग में वापसी तथा उनके चयन के बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों को प्रतिबंधित करने से संबंधित मामलों का भी कार्य देखता है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान (31.12.2011 तक) उनके संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को 35 पैनल भेजे गए थे। इनमें से 30 की मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियुक्ति की गई है। इसी अवधि के दौरान 08 केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों को उनके शुरुआती कार्यकाल समाप्त होने पर सेवा विस्तार दिया गया, 3 अधिकारियों को उनके चयन के पश्चात पदभार ग्रहण न करने के कारण प्रतिबंधित किया गया तथा समय–पूर्व कार्यकाल में वापस भेजने के 2 मामलों को अंतिम रूप दिया गया।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

8.8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मूलतः सरकार के एक संकल्प द्वारा दिनांक 11.02.1964 को गठित किया गया था। यह केन्द्रीय सरकार को सभी सतर्कता के मामलों में सलाह देता है। सरकार ने दिनांक 12.09.2003 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 45) द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया है।

8.9 आयोग के क्षेत्राधिकार में वे सभी संगठन आते हैं जिन्हें भारत संघ की कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(2)(क) के अनुसार, आयोग का क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' और संघ के कार्यों के संबंध में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तक निर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने अधिसूचना संख्या 418/2/2004–एवडी–प्ट दिनांक 12 सितम्बर, 2007 द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाले निगमों, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और कर्मचारियों के स्तर को अधिसूचित किया है।

8.10 केन्द्रीय सतर्कता आयोग सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ जनता के न्यूनतम वैयक्तिक संपर्क रखने वाली उपलब्ध प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा सरकारी संगठन

के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने पर जोर देता रहा है। इस कदम से अनुचित वित्तीय और अन्य लाभों के लिए अनियमित प्रणालियों में पड़ने की गुंजाइश कम होती है। आयोग ने ऐसी अनियमितताओं के समाधान और सुव्यवस्थित सुधार लाने के विचार से अपने उद्देश्य के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों को पणधारियों के साथ सम्पर्क हेतु एक साधन और भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु दोनों रूपों में वेब साइटों का व्यापक प्रयोग करने का निदेश दिया।

8.11 आयोग ने उनके ई–प्रस्तुती संकल्प कार्यान्वयन हेतु अनुप्रयोग सेवा प्रदाता का चयन करने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और खुली प्रस्तुति प्रक्रिया का अनुकरण करने की संगठनों को सलाह देते हुए दिशानिर्देशों को जारी किया है। इसके अलावा, ऐसा करते समय संगठन को इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए कि किसी दुरुपयोग से बचने के लिए प्रणाली में प्रभावी मुख्य प्रावधान रखे गए हैं। ई–प्रापण प्रणाली हेतु सुरक्षा विचारण पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में (क) अवसंरचना स्तर, (ख) रूपरेखा, (ग) अनुप्रयोग फैलाव और प्रयोग तथा (घ) कलंकित भंडारण और सम्प्रेषण, पर प्रतिभूतियों का अनुप्रयोग शामिल है। इसके अलावा, आयोग ने सार्वजनिक महत्तवपूर्ण आधारभूत (पीकेआई) कार्यान्वयन की सुरक्षा की आशंका को कम करने तथा वर्ष में कम से कम एक बार तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के किए जाने के क्रम में सभी राज्यों के विभागों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक ही मंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

8.12 प्रापण गतिविधि में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु आयोग की नवीनतम पहलों में से एक पहल सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य वाले अनुबंधों में सत्यनिष्ठा समझौता शुरू करना है। इस समझौते को अंगीकार करना सम्बध्द संगठन की ओर से स्वैच्छिक है। इस समझौते में अनुबंध में बोली से अंतिम अदायगी तक किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए खरीदार और विक्रेता के बीच एक पूर्व–बोली समझौते की परिकल्पना है। इस सत्यनिष्ठा समझौता में समझौते (पैक्ट) के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और समझौते के उल्लंघन संबंधी किसी शिकायत की जांच करने के लिए किसी स्वतं. बाह्य प्रतिष्ठित निगरानीकर्ता (आई ई एम) की नियुक्ति की परिकल्पना है।

8.13 आयोग ने मुख्य सरकारी विभागों/संगठनों में, सत्यनिष्ठा समझौते के अंगीकरण हेतु एक मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित कर सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। एसओपी में आईएमएस की भूमिका और कार्यकरणों, आईपी की विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया, आईपी आदि के आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है।

8.14 वर्ष 2010 की केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट दिसम्बर, 2011 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थी।

अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाहियों में शीघ्रता लाने के उपाय

8.15 सरकार ने अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाहियों की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक तीन–सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने जुलाई, 2010 में निम्नलिखित हेतु सिफारिश की है:

i) गवाहों और आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारियों को शक्ति सम्पन्न बनाने हेतु विभागीय जांच अधिनियम, 1972 में संशोधन;

ii) सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों, जांच अधिकारियों के पैनल का सृजन और समय पर जांच–पड़तालों की पूर्णता हेतु शुल्क में वृद्धि;

iii) लघु शास्ति अनुशासनिक जांच–पड़तालों की पूर्णता हेतु दो माह की समय–सीमा का निर्धारण और मुख्य शास्ति अनुशासनिक जांच–पड़तालों हेतु 12 माह;

iv) सीवीसी के द्वितीय स्तर का परामर्श करना छोड़ना;

v) राज्यों के मामलों के संबंध में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लघु शास्ति अनुशासनिक मामलों को छोड़कर अन्य में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करना छोड़ना

vi) राज्यों में सतर्कता आयुक्तों को सांविधिक दर्जा देना;

vii) मुख्य शास्ति अनुशासनिक जांच–पड़तालों में 'क्षमा याचना सौदा' की शुरुआत;

viii) पेंशन/उपदान में कटौती को शामिल करने की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मुख्य शास्ति;

ix) किसी सक्षम न्यायालय में विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात् भ्रष्टाचार के आरोपों पर सेवा से पदच्युति दिए जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 311 का संशोधन;

x) सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ–साथ विभिन्न समितियों और स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामलों में सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करना।

8.16 विशेषज्ञ समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों पर भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मंत्री समूह द्वारा विचार किया गया था। इन मुद्दों पर मंत्री समूह की सिफारिशें मंत्री समूह की प्रथम रिपोर्ट में निहित हैं। इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इनके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है। कुछ मामलों में पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशों की सचिवों की समिति द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के ढांचे तैयार करने के संबंध में सम्मेलन

8.17. एडीबी/एशिया और प्रशांत के लिए ओ इ सी डी भ्रष्टाचार विरोधी 'इनिशिएटिव' के संबंध में सम्मेलन की मेजबानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 28–29 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री श्री वी नारायण सामी तथा भारत सरकार के निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में एडीबी के उपाध्यक्ष जियाओ झाओ तथा ओई सी सी डी के महासचिव रिचर्ड ए वाउचर ने भी भाग लिया।

8.18. भ्रष्टाचार एक बहुमुखी समस्या है जिसके समाधान के लिए अनेक प्रकार के उपायों की अवश्यकता है। इस सम्मेलन से स्पष्ट हुआ है कि आज एशिया–प्रशांत में समग्र रुप से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसाइटी को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस बात को स्वीकार कर लिए जाने पर कि भ्रष्टाचार से सबको हानि होती है तथा इससे कारगर ढंग से निपटने में हर कोई योगदान कर सकता है, क्षेत्र में सामूहिक भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।

निष्कर्ष

8.19 सम्मेलन के निम्नलिखित निष्कर्षो से एशिया और प्रशांत (इनिसिएटिव) के भ्रष्टाचार विरोधी लक्ष्य को प्राप्त करने के एडीबी/ओईसीडी के लक्ष्य को प्राप्त करने में 28 सरकारों और अर्थव्यवस्थाओं ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

चूंकि भ्रष्टाचार, देशों की सीमाओं पर रुक नहीं जाता, इसलिए इस 'इनिसिएटिव' से अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच करने और अभियोग चलाने के लिए नए और कारगर तरीकों को प्रोत्साहन मिलता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, अन्वेषण शुरु करने के लिए अनौपचारिक चैनलों जैसे पुलिस से पुलिस संपर्क और विदेशी जन संपर्क अधिकारियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। सीमा पार के मामलों में सम्मिलित सभी क्षेत्राधिकार के लोगों द्वारा संयुक्त अन्वेषणों से भ्रष्टाचार के मामलों को पूरी तरह से प्रकाश में लाने और भ्रष्टाचारियों को कानून के समक्ष लाने में मदद मिलती है। जहां विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए औपचारिक चैनल जरुरी हों, उनमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। यह 'इनिसिएटिव' उन सदस्यों को और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अवसर दे सकता है जो बहु क्षेत्राधिकार वाले अन्वेषणों में अपनी औपचारिक एम एल ए क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हों। इनिसिएटिव अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुलिस एजेंसियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर सकता है कि सहायता करने वाले सदस्य बहु क्षेत्राधिकार वाले भ्रष्टाचार के मामलों में सूचनाएं साझा करें।

8.20 गैर आपराधिक विधि प्रवर्तन एजेंसियां जैसे टैक्स एजेंसियां, भ्रष्टाचार के मामलों में सुराग दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त मॉडल टैक्स कोड जैसे ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन में नए प्रावधानों के जरिए इनिशिएटिव सदस्य टैक्स एजेंसियों को अपने विधि प्रवर्तनकारी प्राधिकार में विदेशी टैक्स प्राधिकारियों से प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाओं को साझा करने योग बना सकते हैं। सदस्य गण अपने विधि प्रवर्तनकारी प्राधिकरणों और इस उपाय को अपनाने वाले बहुपक्षीय बैंकों तथा विश्व बैंक के बीच भ्रष्टाचार के अन्वेषण के संबंध में सूचनाओं को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। 'इनिशिएटिव' के सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि जमीनी स्तर के सिविल सोसाइटी के पहरेदार (वाच डाग) संगठन प्रायः सीमा पार के भ्रष्टाचार मामलों विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े मामलो में अन्वेषण संबंधी सुराग प्रदान कर सकते हैं।

8.21 एशिया प्रशांत में सार्वजनिक खरीददारी में भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। नई प्रौद्योगिकियों जैसे ई–प्रापण, प्रापण पद्धति को सरल बना कर बोली की प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता किए बिना उच्चतम स्तर की पादरर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। भ्रष्टाचार तथा बोली लगाने में धांधली करने में मिलीभगत की समस्या को सुलझाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी और उचित प्रतिस्पर्धा वाली एजेंसियों को घनिष्ठ रुप से मिल कर काम करना चाहिए। खरीददारी या प्रापण की पूरी प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता की भूमिका को पहचानने वाले व्यापक प्रापण कानून, प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सत्यनिष्ठा समझौता

ADB
7th Regional Conference of
ADB / OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific
Building Multidisciplinary Frameworks to
Combat Corruption

ADB
OECD
7th Regional Conference of
ADB / OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific
Building Multidisciplinary Frameworks to
Combat Corruption
September 2011, Vigyan Bhawan, New Delhi - India

अपनाने से सार्वजनकि प्रापण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। प्रापण संस्थाओं की क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेसिंयों के साथ सहयोग मजबूत किया जाना आवश्यक है।

8.22 एशिया प्रशांत में निजी क्षेत्र को उचित कार्पोरेट अनुपालन ढांचा अंगीकार कर और उसका कार्यान्वयन कर व्यापारिक लेन–देन में भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसे ढांचे को स्थापित करने के लिए ओईसीडी जैसी संस्थाओं द्वारा अच्छी पद्धति से संबंधित मार्गदर्शन के रुप में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानक इस संबंध में मॉडल बन सकते हैं और एम एम ई सहित सभी आकार की कंपनियों द्वारा अपनाए जा सकते हैं। भडाफोड़ करने वाला कोई चैनल ऐसे ढांचे का महत्वपूर्ण भाग होता है। कारपोरेट अनुपालन उपाय अपनाने, विशेष रुप के एसएमई में जिन्हें रिश्वत संबंधी चुनौतियों से निपटने और निवारक उपाय अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, में सरकार और व्यापारिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

8.23 सतर्क मीडिया सहित सिविल सोसाइटी द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अक्सर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों को बल मिलता है क्योंकि इसमें सूचनाओं और कानून तक लोगों को बेहतर पहुंच और सार्वजनिक क्षेत्र में हितों के टकराव से बचने के लिए विधान शामिल हैं। इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए ऐसे माहौल की आवश्यकता सुनिश्चित करनी आवश्यक है जिसमें सिविल सोसाइटी के संगठन फल–फूल सकें तथा सूचना कानूनों तक बेहतर पहुंच हो सके, विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों जैसे स्वतंत्र ओम्बड्समन को भ्रष्टाचार के आरोपो की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय चैनल स्थापित किए जा सकें।

लोकपाल विधेयक की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

8.24 लोकपाल प्राधिकारियों के विरुद्व शिकायतों, जिसमें उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार शामिल है, से निपटने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की लंबी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने लोकपाल विधेयक का प्रारुप तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित पांच व्यक्तियों तथा श्री अन्ना हजारे के पांच प्रतिनिधियों (जिसमें अन्ना स्वयं भी शामिल थे) को शामिल करते हुए 08.04.2011 को एक संयुक्त प्रारुपण समिति का गठन किया। समिति से विचार–विमर्श के आधार पर तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राजनीतिक दलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार ने एक संशोधित लोकपाल विधेयक तैयार किया जो 08.04.2011 को लोक सभा में पुनःस्थापित किया गया। छानबीन कर रिपोर्ट देने के लिए यह विधेयक 8 अगस्त, 2011 को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय से संबंधित विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने सभी पणधारियों से गहन विचार–विमर्श करने के उपरांत अपनी 48वीं रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें विधेयक के क्षेत्र और सामग्री दोनों के संबंध में व्यापक संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही सुझाव भी दिया गया है कि राज्यों में लोकायुक्त स्थापित करने के लिए संघीय विधान में प्रावधान किया जाए ताकि जिन राज्यों में ऐसी संस्था न हो वहां स्थापित करने के लिए शक्तियां प्रदान की जा सकें और जहां पहले से लोकायुक्त हैं उन राज्यों के कानूनों में एकरुपता लाई जा सके। समिति ने यह सिफारिश भी की कि लोकपाल और लोकायुक्तों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाए।

8.25 स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने लोकसभा में लंबित लोकपाल विधेयक, 2011 वापस ले लिया और 22.12.2011 को लोक सभा में एक व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया ताकि केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था स्थापित की जा सके। इस विधेयक में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर राष्ट्र के लिए एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचाररोधी रुपरेखा (रोड मैप) का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में अभियोजन से अन्वेषण को भी अलग किया गया है जिससे हितों का टकराव दूर होगा तथा व्यावसायिकता और विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार होगा। स्थायी समिति की सिफारिश की लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक संस्था बना दिया जाए, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 116वां संविधान संशोधन, विधेयक, 2011 पुनःस्थापित किया ताकि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा सके।

8.26. इन विधेयकों पर लोकसभा में 27.12.2011 को विचार किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया जबकि 116वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जा सका क्योंकि इस संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर विचार–विमर्श और इसे पारित करने के लिए 29.12.2011 को राज्य सभा में लिया गया। विचार–विमर्श अधूरा रहा तथा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 राज्य सभा द्वारा अभी पारित किया जाना है।

अध्याय–9

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

9.1 एक सिंहावलोकन

9.1.1 द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभिक चरण में, भारत सरकार को यह लगा कि युद्ध संबंधी गतिविधियों से जुड़े व्यय में भारी वृद्धि ने अविवेकपूर्ण और असामाजिक–सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों तरह के व्यक्तियों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का मौका दिया था। इस समस्या से निपटने के लिए, वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग से संबद्ध लेन–देन में रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का दायित्व सौंपते हुए तत्कालीन युद्ध विभाग में एक उप–महानिरीक्षक के अधीन विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया। 1942 के अंत में, विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज का दायरा बढ़ा दिया गया और उसमें रेल संबंधी भ्रष्टाचार के मामलों को भी शामिल किया गया जो बृहत रुप में युद्ध संबंधी सामान की आपूर्ति तथा उसे लाने–ले जाने से संबद्ध था।

9.1.2 1943 में, सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके माध्यम से, केन्द्रीय सरकार के विभागों के कामकाज के संचालन के सिलसिले में किए गए कुछ अपराधों के अन्वेषण के लिए विशेष पुलिस बल गठित किया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद भी एक आवश्यकता के रुप में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामलों के अन्वेषण हेतु किसी सरकारी अभिकरण की आवश्यकता को महसूस किया गया, इस अध्यादेश, जो सितम्बर 30, 1946 को व्यपगत हो गया था, को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश, 1946 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तदनुसार, उसी वर्ष दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियिम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) को अधिनियमित किया गया।

9.1.3 अधिनियम लागू कर दिए जाने के उपरांत, विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख का दायित्व, गृह विभाग को अंतरित कर दिया गया तथा भारत सरकार के सभी विभागों को इसके दायरे में लाने की दृष्टि से, इसके कामकाज का दायरा बढ़ा दिया गया। विशेष पुलिस स्थापना का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया और उसे सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू कर दिया गया, जिसे संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से राज्यों के संबंध में लागू किया जा सकता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और इस संगठन को आसूचना ब्यूरो के निदेशक के प्रभार के अधीन कर दिया गया। हालांकि, 1948 में पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना का एक पद सृजित किया गया तथा संगठन उनके प्रभार के अधीन कर दिया गया।

9.1.4 1953 में विशेष पुलिस स्थापना में आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियिम के अंतर्गत आने वाले अपराधों से निपटने की दृष्टि से, एक प्रवर्तन स्कंध स्थापित किया गया। समय गुजरने के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आयात एवं निर्यात अधिनियिम से भिन्न अन्य कानूनों के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक मामले भी विशेष पुलिस स्थापना को सौंपे जाने लगे। वर्ष 1963 तक विशेष पुलिस स्थापना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अन्वेषण के अलावा, भारतीय दंड संहिता की 91 विभिन्न धाराओं और 16 अन्य केन्द्रीय अधिनियिमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के अन्वेषण के लिए प्राधिकृत था।

9.1.5 इस बात की प्रबल आवश्यकता महसूस की गई कि केन्द्रीय सरकार का अपना केन्द्रीय अधिकरण हो जो न केवल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण

करे, बल्कि केन्द्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघनों, भारत सरकार के विभागों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों से संबंधित बड़ी धोखाधडियों, पारपत्र–धोखाधडियों, खुले समुद्रों में होने वाले अपराधों, एयरलाइन्स में होने वाले अपराधों तथा संगठित गिरोहों तथा पेशेवर अपराधियों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों का भी अन्वेषण करे। अतः, भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1963 के संकल्प द्वारा निम्नलिखित प्रभागों से युक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो गठित किया:

i) अन्वेषण और भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना);

ii) तकनीकी प्रभाग;

iii) अपराध–अभिलेख एवं सांख्यिकी प्रभाग,

iv) अनुसंधान प्रभाग;

v) विधिक एवं सामान्य प्रभाग; और

vi) प्रशासन प्रभाग

9.1.6 संकल्प में, अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) को निम्नलिखित काम सौंपा गया, यद्यपि इसे इसका अधिकार क्षेत्र और शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से मिलनी जारी रहीं:

- ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन लोक सेवक या तो स्वयं संलिप्त हों अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ संलिप्त हों और/अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संलिप्त हों;

- ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी परियोजना अथवा उसके उपक्रम अथवा भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित किसी सांविधिक निगम अथवा निकाय के हित अंतर्निहित हों;

- ऐसे केन्द्रीय कानूनों के उल्लंघनों से संबंधित मामले, जिन्हें लागू करने का सरोकार विशेषतः भारत सरकार का है, अर्थात

  (क) आयात एवं निर्यात नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन;

  (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के गंभीर उल्लंघन;

  (ग) पारपत्र–धोखाधडियां; (घ)केन्द्रीय सरकार के कामकाज से संबंधित शासकीय गुप्त बात अधिनियिम के अंतर्गत मामले; और

  (ङ) भारत रक्षा अधिनियम अथवा नियमावली के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों के मामले, विशेषतः जिनका सरोकार भारत सरकार से है।

- रेलवे अथवा डाक और तार विभाग से संबंधित ठगी अथवा धोखाधड़ी के गंभीर मामले, विशेषतः ऐसे मामले जिनमें अनेक राज्यों में सक्रिय पेशेवर अपराधी संलिप्त हों;

- खुले समुद्र में होने वाले अपराध;

- एयरलाइन्स में होने वाले अपराध;

- संघ राज्य क्षेत्रों में होने वाले महत्वपूर्ण तथा गंभीर मामले, विशेषतः जिनमें पेशेवर अपराधी संलिप्त हों;

- लोक संयुक्त स्टॉक कम्पनियों से संबंधित धोखाधड़ी, ठगी और गबन के गंभीर मामले;

- गंभीर प्रकृति के अन्य मामले जो संगठित गिरोहों अथवा पेशेवर अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जाएं अथवा ऐसे मामले जिनका विस्तार–फैलाव संघ राज्य क्षेत्रों समेत कई राज्यों में हो, मिलावटी दवाइयों के गंभीर स्वरुप के मामले, अंतर–राज्य पेशेवर गिरोहों द्वारा बच्चों के अपहरण आदि के महत्वपूर्ण मामले। ऐसे मामले, संबंधित राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर अथवा उनकी सहमति से हाथ में लिए जाएंगे।

- इस प्रभाग द्वारा जांच किए गए मामलों का अभियोजन।

9.1.7 भारत सरकार के दिनांक 2 फरवरी, 1964 के संकल्प द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक आर्थिक अपराध स्कंध स्थापित करके सुदृढ़ बनाया गया। इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दो अन्वेषण स्कंध थे: एक सामान्य अपराध प्रभाग, जो केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संलिप्तता वाले रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की देखरेख करता था तथा दूसरा आर्थिक अपराध प्रभाग, जो वित्तीय कानूनों के उल्लंधनों के मामलों को देखा करता था।

9.1.8 सितम्बर, 1964 में, उस समय विद्यमान परिस्थिति के मद्देनजर खाद्य–पदार्थों, अनाज की जमाखोरी, कालाबाजारी, तस्करी तथा मुनाफाखोरी के बारे में सूचना एकत्र करने तथा अंतर–राज्यीय विस्तार–फैलाव वाले मामले हाथ में लेने की दृष्टि से, खाद्य अपराध स्कंध बनाया गया। उसे 1968 में आर्थिक अपराध स्कंध में संविलयित कर दिया गया।

9.1.9 मूलतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबंटित कुछ कामकाज अन्य संगठनों को अंतरित कर दिया गया। अपराध अभिलेखों तथा सांख्यिकी प्रभाग से संबंधित कामकाज का कुछ भाग, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को तथा अनुसंधान प्रभाग से संबंधित कामकाज पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) को अंतरित कर दिया गया।

9.1.10 हत्याओं, अगवा किए जाने, अपहरणों, उग्रवादियों द्वारा अंजाम दिए गए अपराधों, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उल्लंघनों, बैंक तथा बीमा संबंधी बड़े पैमाने की धोखाधडियों जैसे पारम्परकि अपराधों में भी तथा भागलपुर में व्यक्तियों को अंधा करने, भोपल गैस त्रासदी आदि जैसे अन्य विशिष्ट मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अन्वेषण करवाने के अनुरोध विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते रहे। 1980 के दशक के आरंभ से ही संवैधानिक न्यायालयों ने भी हत्या, दहेज के लिए हत्या, बलात्कार आदि के मामलों में व्यथित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर मामले जांच/अन्वेषण हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजने आरंभ कर दिए। इन ताजा परिस्थितियों के मद्देनजर, 1987 में यह तय किया गया कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दो अन्वेषण प्रभाग होंगे, अर्थात भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग तथा विशेष अपराध प्रभाग। विशेष अपराध प्रभाग पारम्परिक अपराधों के मामलों के साथ–साथ आर्थिक अपराधों के मामलों को भी देखेगा। बैंक धोखाधडियों तथा प्रतिभूति–घोटालों से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने हेतु 1992 में बैंक धोखाधड़ी एवं प्रतिभूति प्रकोष्ठ सृजित किया गया।

9.1.11 पारम्परिक स्वरुप के महत्वपूर्ण तथा सनसनीखेज मामलों की जांच–पड़ताल करने की दृष्टि से विशेष प्रकोष्ठ सृजित किए गए जैसे कि श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने के लिए 1991 में विशेष अन्वेषण दल गठित किया गया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से संबंधित मामलों का अन्वेषण करने के लिए 1992 में विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ–IV सृजित किया गया तथा बम्बई में बम विस्फोटों से संबंधित मामले की जांच–पड़ताल करने के लिए 1993 में विशेष कार्य दल सृजित किया गया।

9.1.12 प्रतिभूति घोटाले से संबंधित मामलों के बढ़े हुए कामकाज तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिए जाने के साथ आर्थिक अपराधों में हुई वृद्धि के कारण, 1994 में एक अलग आर्थिक अपराध स्कंध स्थापित किया गया। तदनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निम्नानुसार तीन अन्वेषण प्रभाग गठित किए गए:

(क) **भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग:** केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उपक्रमों

तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी के मामलों की छानबीन/देखरेख करना।

(ख) **आर्थिक अपराध प्रभागः** बैंक धोखाधडियों, वित्तीय धोखाधडियों, आयात–निर्यात एवं विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों, स्वपाक औषधियों, पुरावशेषों, सांस्कृतिक धरोहर–स्वरुप संपत्ति की बड़े पैमाने पर तस्करी तथा अन्य विनिषिद्ध वस्तुओं आदि की तस्करी के संबंधित मामलों की छानबीन/देखरेख करना।

(ग) **विशेष अपराध प्रभागः** आतंकवाद, बम–विस्फोटों, सनसनीखेज नर–हत्याओं, फिरौती के लिए अपहरण, माफिया/अपराध जगत के बदमाशों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित मामलों की छानबीन/देखरेख करना।

9.1.13 विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में मौजूदा विधि प्रभाग को, जुलाई, 2001 में अभियोजन निदेशालय के रुप में पुनर्गठित किया गया। नया अभियोजन निदेशालय/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो निम्नलिखित मुख्य कार्यकरणों का निष्पादन करता हैः

i) अन्वेषण हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हाथ में लिए गए मामलों और जांच–पड़तालों में कानूनी सलाह देना।

ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषित किए गए अभियोजन के मामलों का संचालन और निगरानी।

iii) कानूनों का संशोधन अथवा नए कानूनों का प्रख्यापन।

iv) डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 3,5 और 6 के अंतर्गत अपराधों की अधिसूचना;

v) विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों हेतु कानूनी मुद्दों पर इनपुट्स उपलब्ध कराना;

vi) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बुलेटिन इत्यादि को कानूनी मुद्दों पर सहयोग।

vii) विशेष न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, प्रतिधारण परामर्शदाताओं और विशेष परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी मामले।

viii) दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 24 और 25 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अभियोजन अधिकारियों की अधिसूचनाओं का मुद्दा।

ix) उपर्युक्त मामलों पर संसदीय प्रश्नों हेतु इनपुट्स उपलब्ध कराना।

9.1.14 आज की तारीख में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निम्नलिखित प्रभाग हैंः

1. भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग;
2. आर्थिक अपराध प्रभाग;
3. विशेष अपराध प्रभाग;
4. नीति और अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग;
5. प्रशासन प्रभाग;
6. अभियोजन निदेशालय;
7. केन्द्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला।

9.1.15 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्वेषण करने की शक्तियां, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता आ रहा है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को केवल संघ राज्य–क्षेत्रों में अपराधों के अन्वेषण की अधिकारिता है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत इस अधिकारिता को रेलवे समेत अन्य क्षेत्रों में और राज्यों में भी लागू किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकारों ने इस संबंध में अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपनी सहमति दे दी हो। बल के उप–निरीक्षक के स्तर के तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी सदस्य, अन्वेषण के प्रयोजनों से संबंधित क्षेत्रों के थाने के प्रभारी पुलिस

अधिकारी को प्राप्त सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना केवल उन्हीं मामलों की जांच करने के लिए प्राधिकृत है जो समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

9.1.16 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश के एक प्रमुख–अग्रणी अन्वेषण अभिकरण के रुप में उभरा है तथा उस पर जनता, संसद न्यायपालिका और सरकार का भरोसा है। यह संगठन एक भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण से बहुआयामी, बहु–अनुशासनिक केन्द्रीय पुलिस एवं कानून प्रवर्तन करने वाले क्षमता, विश्वसनीयता से युक्त अभिकरण में विकसित हुआ है जिसे भारत में कहीं भी अपराधों की छानबीन करने और अभियोजन चलाने की विधिक शक्तियां है। आज की स्थिति के अनुसार, मौजूदा 74 केन्द्रीय अधिनियमों तथा 19 राज्यीय अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों को अधिसूचित किए जाने के अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 243 अपराध भी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।

9.1.17 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के पुलिस महानिरीक्षक के रुप में संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की निगरानी, केन्द्र सरकार के पास है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों के अन्वेषण को छोड़कर जिनमें इस कार्य की निगरानी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास है। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सीवीसी अधिनियम, 2003 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में, दो वर्ष का सुनिश्चित सेवाकाल प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से, ब्यूरो के निदेशक तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर के और उससे ऊपर के स्तर के अन्य अधिकारियों के चयन से संबंधित क्रियाविधि का भी उपबंध किया गया है।

9.1.18 अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 16 जोन और 60 शाखाएं हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में, राज्य राजधानी में अथवा बड़े नगर/मेट्रो में कम से कम सीबीआई की एक शाखा/एकक हो। 14 जनवरी, 2010 को सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली में महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 'टेकनीकल फोरेंसिक एंड कोओरडिनेशन' (टीएफसी) नामक एक नया जोन बनाया गया था। यह जोन न केवल नई बनाई गई टेकनोलोजिकल और फोरेंसिक सपोर्ट इकाइयों (टीएएफएसयू) की स्थापना और कार्यकरण सहित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा बल्कि अंतर–शाखा, अंतर–राज्य और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

9.2 मानव संसाधन

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 6950 है। इन पदों की जगह 5660 अधिकारी पद कार्यभार ग्रहण किए हुए है और 944 पद रिक्त है। विगत तीन वर्ष का एक तुलनात्मक श्रमशक्ति रेखाचित्र निम्नानुसार परिशिष्टित है:–

तुलनात्मक श्रमशक्ति रेखाचित्र (विगत तीन वर्ष)

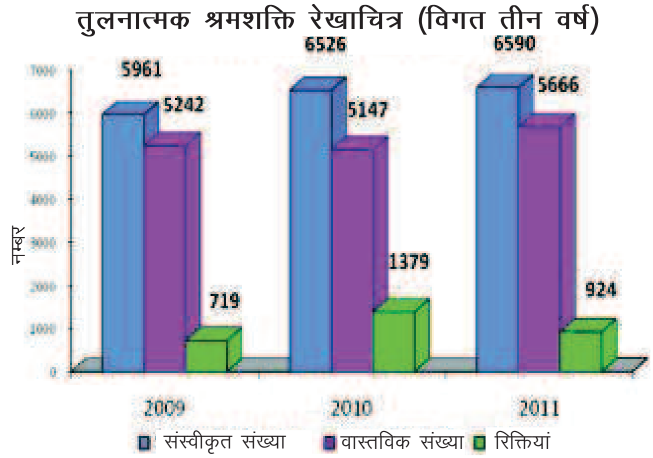

9.2.2 वर्ष 2011 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति की 32 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 573 कार्मिकों की पदोन्नति की गई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 75 कार्मिकों का स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की 04 बैठकों में हुआ। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर

रहे 11 कार्मिकों का संविलियित किया गया और 428 अधिकारियों को शामिल किया गया।

9.3 अपराधों की छानबीन से संबंधित काम–काज

9.3.1 वर्ष 2011 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1003 मामलों की जांच–पड़तालों को दर्ज किया। इनमें से 79 मामले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर हाथ में लिए गए और संवैधानिक न्यायालयों के निदेश पर 122 मामले दर्ज किए गए। वर्ष के अंत तक अन्वेषण/जांच–पड़ताल के अंतर्गत शेष 828 मामलों/जांच–पड़तालों सहित 992 मामलों का अन्वेषण/पूछताछ पूरी कर ली थी। वर्ष के दौरान 701 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए थे तथा 895 मामलों में निर्णय प्राप्त किए गए। वर्ष के अंत में विभिन्न न्यायालयों में 10022 मामले विचारण के अधीन थे।

पंजीकरण

9.3.2 1003 मामले दर्ज किए गए जिनमें 812 नियमित मामले तथा 191 प्रारंभिक मामले शामिल थे। 201 मामले लोक सेवकों द्वारा पदेय तरफदारी करने के एवज में घूस मांगने/स्वीकार करने के संबंध में दर्ज किए गए तथा 62 मामले आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां रखने के संबंध में दर्ज किए गए। नीचे दिए जा रहे रेखाचित्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामले/पूछताछ के तुलनात्मक आंकड़ों को चित्रित किया गया है।

विगत तीन वर्ष के दौरान मामलों का पंजीकरण

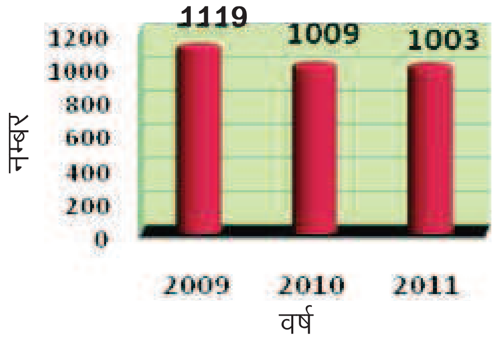

अन्वेषण

9.3.3 वर्ष 2011 के दौरान 992 मामलों/जांच–पड़तालों का अन्वेषण/जांच पड़ताल की गई। 838 नियमित मामलों में से, जहां कहीं आवश्यक था, 701 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति लेने के उपरांत सक्षम न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल किए गए। नीचे दिए जा रहे रेखाचित्र पिछले तीन वर्ष के दौरान छानबीन करके निपटाए गए मामलों को दर्शाते हैं।

विगत तीन वर्ष के दौरान छानबीन करके निपटाए गए

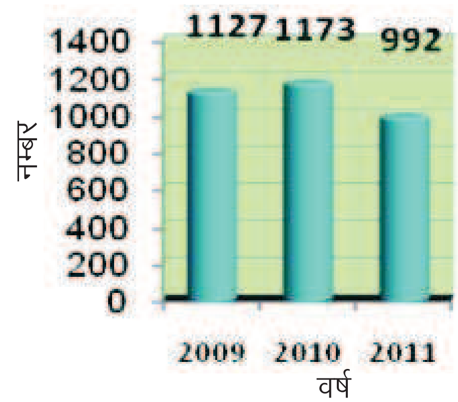

9.3.4 वर्ष 2010 के अंत में 815 मामलों की तुलना में वर्ष 2011 के अंत में 828 मामले अन्वेषण के अधीन थे। नीचे दिए जा रहे रेखाचित्रों में पिछले तीन वर्ष के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े दर्शाए गए हैं।

वर्ष के अंत में अन्वेषण के अधीन मामले

9.3.5 31.12;2011 तक की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय से अन्वेषण के अधीन चल रह रहे मामलों की संख्या 169 थी। नीचे दिए जा रहे रेखाचित्रों में वर्ष 2009, 2010 और 2011 के अंत में 1 वर्ष से अधिक समय से अन्वेषण के अधीन चल रहे मामले दर्शाए गए हैं।

वर्ष के अंत में अन्वेषण के अधीन एक वर्ष पुराने मामले

9.3.6 निम्नलिखित मिश्रित रेखाचित्र में वर्ष 2011 के दौरान छानबीन करके निपटाए गए मामलों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

वर्ष 2011 के दौरान छानबीन निपटान का ब्यौरा

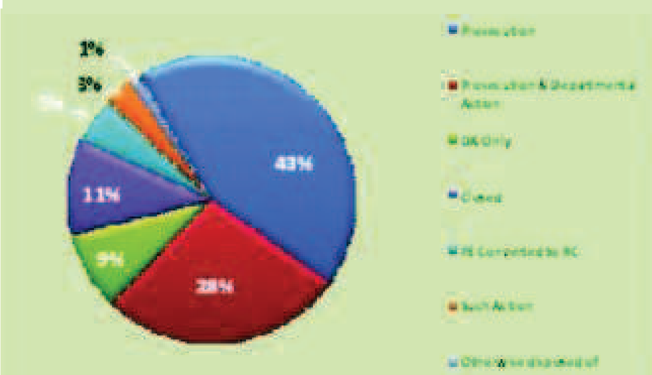

विचारण

9.3.7 वर्ष के दौरान, विचारण 895 मामले निपटा दिए गए और इनमें से 497 मामले दोषसिद्धि में, 209 मामले दोषमुक्ति में 35 मामले रिहाई में परिणत हुए तथा 154 मामले अन्यथा निपटा दिए गए। वर्ष 2011 के दौरान दोषसिद्धि दर 67 प्रतिशत थी। नीचे दिए जा रहे रेखाचित्र में, पिछले तीन वर्ष के दौरान विचारण करके निबटाए गए मामलों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

विगत 3 वर्ष के दौरान विचारण से निपटान

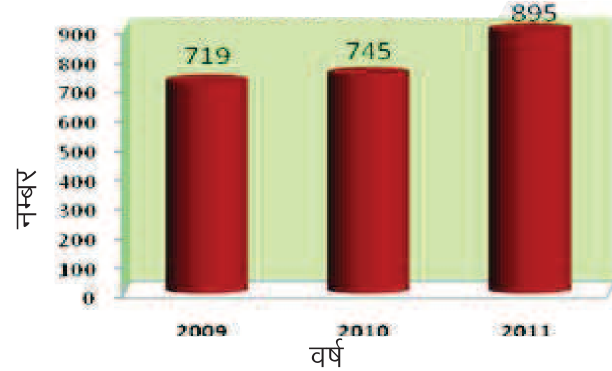

9.3.8 नीचे दिए गए रेखाचित्र में 2011 के दौरान न्यायालयों द्वारा निर्णय लिए गए मामलों का ब्यौरा दर्शाया गया है:

वर्ष 2011 के दौरान विचारण से निपटान

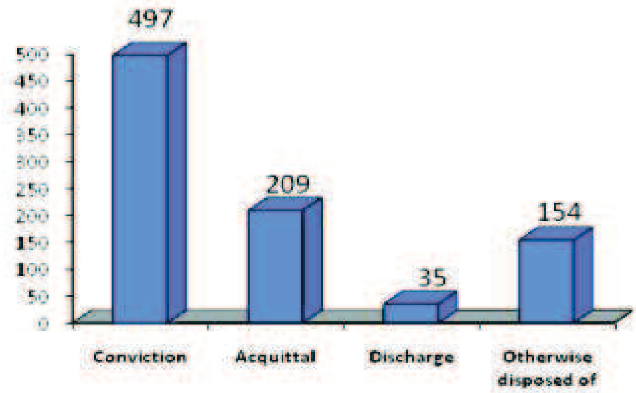

9.3.9 दिनांक 31.12.2011 तक स्थिति के अनुसार 10022 मामले विचारण के अधीन थे। नीचे दिए गए चार्ट में पिछले तीन वर्षों के दौरान विचारण के अधीन मामलों को दर्शाया गया है:

वर्ष के अंत में विचारण के अधीन मामले

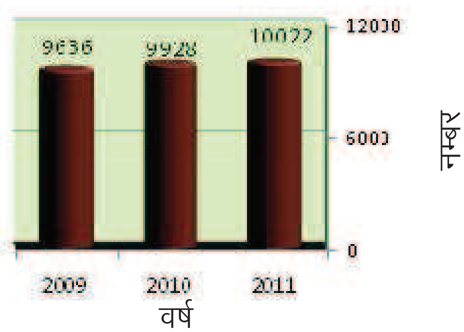

9.4 नीति और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग

9.4.1 भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है जो इस संगठन में 1949 में ही शामिल हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो (एनसीबी) निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो इसके प्रधान हैं, के साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अभिन्न अंग के रुप में कार्य करता है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य पुलिस बल तथा अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों को अधिक सक्रिय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीबी और अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग सेवा (आईपीसीसी) को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग एकक के रुप में विद्यमान समन्वय विंग का पुनर्गठन किया गया है। जहां तक एनसीबी का संबंध है, यह सभी इंटरपोल से संबंधित कार्य को देखता है, तथा आईपीसीसी याचना पत्र राज्य पुलिस बलों की ओर से प्रत्यर्पणों के अनुरोध को संभालता है।

9.4.2 इंटरपोल द्वारा एनसीबी इंडिया के साथ सहयोग में आयोजित सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण/बैठकें:

9.4.2.1 वर्ष 2011 के दौरान भारत/विदेश में आईसीपीओ इंटरपोल द्वारा आयोजित 82 सम्मेलनों/सेमिनारों/बैठकों आदि में वर्ष 2009 में 36 और 2010 में 57 अधिकारी उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने निम्नलिखित मुख्य प्रशिक्षण और सम्मेलनों को भारत में आयोजित किया:

- पांचवां इंटरपोल लाइजन आफिसर्स कांफ्रेस दिनांक 14.7.2011 को सी बी आई मुख्यालय, नई दिल्ली सी जी ओ कंपलेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- द्वितीय पुलिस लाइजन आफिसर्स कांफ्रेस, 2017 दिनांक 15.7.2011 को सी बी आई मुख्यालय, सी जी ओ कंपलेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो का ग्टप्प्ए द्विवार्षिक सम्मेलन 21.10.2011 से 22.10.2011 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- फरवरी, 2011 में थिम्पू (भूटान) में पाकिस्तान सरकार और भारत द्वारा बातचीत की प्रक्रिया शुरु करने संबंधी निर्णय के अनुसार में तथा 25–26 जून, 2010 को भारत के गृह मंत्री और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री की द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया शुरु करने के लिए 28–29 मार्च, 2011 को 28–29 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में भारत–पाकिस्तान गृह/आंतरिक सचिव स्तर की वार्ता आयोजित की गई।
- 4 मार्च, 2011 को श्रीमती अलका सिरोही, सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने 4 मार्च, 2011 को सी एफ एस एफ, सी बी आई नई दिल्ली का दौरा किया।
- 29 मार्च, 2011 को आई टी मामलों में माननीय प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा ने 29 मार्च, 2011 को सी बी आई मुख्यालय का दौरा किया।
- सुश्री आइसे सी केनइगो, वाइस चेयर केनिया एंटी करप्शन कमीशन ने शिष्टमंडल के साथ 30 मार्च, 2011 को सी बी आई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।
- माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने साथ 30 अप्रैल, 2011 को सी बी आई मुख्यालय स्थित सी बी आई गैलरी का दौरा किया।
- श्री लुइस फ्रीच, पूर्व निदेशक, एफ बी आई, यू एस ए ने सी बी आई के पूर्व निदेशक डॉ. आर के. राघवन के साथ 18 मई, 2011 को सी बी आई मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया और आर प्रताप सिंह, निदेशक, सी बी आई, श्री बलविंदर सिंह विशेष

निदेशक, सी बी आई तथा श्री वी के गुप्ता तत्कालीन अपर निदेशक सी बी आई से मुलाकात की।

- 12वां डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर–2011 दिनांक 03.06.2011 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मेट्रोपालिटन पुलिस, लंदन के पूर्व आयुक्त श्री लार्ड डयान ब्लेयर ने इस लेक्चर में भाग लिये।
- श्री स्टीवेन मार्टीनेज, निदेशक एफबी आई लास एंजिल्स ए डी आई सी और असिस्टेट स्पेशल एजेंट इनचार्ज (ए एस एसी) श्री विलियम ओंलेरी ने निदेशक, सी बी आई से शिष्टाचार मुलाकात की ओर मंगलवार 30 अगस्त, 2011 के सी बी आई मुख्यालय, नई दिल्ली में साइबर अपराध के बारे में विचार–विमर्श सत्र का आयोजन किया।
- दिनांक 28.09.2011 को श्री डेविड एम लुना, निदेशक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल थ्रेट्स एंड इलिसिट नेटवर्कस, एंटी क्राइम प्रोग्राम डिवीजन, आई एन एल के अमेरिकी दूतावास के एक पोलिटिकल कंट्रोल आफिसर के साथ श्री आर पी अग्रवाल हेड आफ दि जोन (स्पेशल क्राइम) सी वी आई नई दिल्ली से मुलाकात की।
- श्री रोनाल्ड के नोबल ने दूर संचार अपराध दूर करने में ठोस साझेदारी के बारे में विचार–विमर्श करके तथा सुरक्षित दुनिया हेतु इंटरपोल फंड के लिए चैरिटी क्रिकेट मैच की मेजबानी करने की संभावना के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए 15 से 17 दिसम्बर 2011 को नई दिल्ली का दौरा किया।

9.4.2.2 इंटरपोल कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि के रुप में निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2011 के दौरान इंटरपोल की अनेक बैठकों में भाग लिया। अनेक विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों से बातचीत की।

9.4.3 अनुरोध पत्र (एल आर)

9.4.3.1 आपराधिक मामलों की छानबीन में सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों को 49 अनुरोध पत्र भेजे गए। इनमें से 22 विभिन्न स्टेट पुलिस एजेंसियों से संबंधित हैं तथा 27 सी बी आई मामलों से संबंधित है। कुल 18 निष्पादन रिपोर्टें प्राप्त की गई थीं जिनमें से 13 सी बी आई मामलों में से संबंधित थी और 5 स्टेट पुलिस एजेंसियों से संबंधित थीं। इसी प्रकार विभिन्न देशों से 32 अनुरोध पत्र प्राप्त किए गए थे जिनमें से आपराधिक मामलों में सहायता देने का अनुरोध किया गया था तथा विभिन्न आई एल और/सीबीआई शाखाओं से प्राप्त आगे अनुरोधकर्त्ता देशों को भेजने के लिए 41 मामले विदेश मंत्रालय को भेजे गए थे।

9.4.4 प्रत्यर्पण/विवासन

9.4.4.1 आलोच्य अवधि के दौरान 01 वांछित भगोड़े (रेड कार्नर नोटिस का अभियुक्त) को विदेश से प्रत्यावर्तित किया गया और 12 भगोड़ों (रेड कार्नर नोटिस का अभियुक्त) को विदेश से विवासित किया गया था। 12 वांछित भगोड़ों (सभी रेड कार्नर नोटिस के अभियुक्त) का विदेशों में पता लगाया गया/बंदी बनाया गया। 08 वांछित भारतीय भगोडों (रेड कार्नर नोटिस का अभियुक्त) को उनके रेड कार्नर नोटिस के बढ़ाने में एल ओ सी खोले जाने के आधार पर भारत में बंदी बनाया गया।

9.4.5 संधियों की तैयारी करने में सहायता

9.4.5.1 आई पी सी यू ने वर्ष 2011 के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ एम एल ए टी एस/प्रत्यर्पण संधियों/संयुक्त कार्यकारी समूहों के वार्ताओं में भागीदारी की है।

- भारत और मलेशिया के मध्य आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता संधि के लिए कुआलालमपुर, मलेशिया में बैठक।

- संयुक्त कार्य समूह के बीच ढांका बंगलादेश में गृह सचिव स्तर की वार्ता।
- इंटरनेशनल फायर आर्म फोरेंसिक सिंपोजियम (आई एफएफएस) लियोंस, फ्रांस ।
- एम एल ए टी अनुरोधों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए ओटावा, कनाडा और वाशिंगटन, डी सी, यू एस ए में कनाडा और यू एस ए के अधिकारियों के बीच वार्ता।
- काउंटरफिटिंग और पायरेसी के संबंध में पेरिस, फांस में छठा वैश्विक कांग्रेस।
- गाबोरोने, बोट्सवाला में 21वां अफ्रीकी क्षेत्रीय सम्मेलन।
- धन शोधन अन्वेषण कार्यक्रम, कोलंबो, श्रीलंका ।
- कुआलमपुर, मलेशिया में इंटरपोल ए–24/7 काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग (सीटीसीबीपी) प्रग्रोम
- वियतनाम में एशिया क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन प्रबंधन (एआरआईईएमपी) 20 कार्यक्रम ।
- एशिया और दक्षिणी प्रशांत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अन्वेषण के संबंध में हांगकांग, चीन में 9वां इन्टरपोल–ट्रेन–दि ट्रेनर वर्कशाप।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कारोबार में घूसखोरी पर पेरिस, फ्रांस में ओ ई सी डी कार्य समूह।
- वियतनाम के पुलिस अधिकारियों के लिए मुख्यालय हो चि मिंच सिटी, वियतनाम में एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एस डी ओ एम डी के मुख्य विन्दुओं के संबंध मे चौथी बैठक तथा कोलम्बो, श्री लंका में एस डी ओ एम डी के मुख्य विन्दुओं के संबंध में बैठक से पूर्व पुलिस मामलों में 9वां सार्क सम्मेलन।
- दक्षिण एशिया में साइबर अपराध के विरुद्ध सहयोग विषय पर कोलम्बो, श्री लंका में आक्टोपस इंटरनेशनल वर्कशाप ।
- आई पी एस जी, लियोन, फ्रांस में सूचना प्रौद्योगिकी पर आई एल ई टी ए जी उप समूह की दूसरी बैठक।
- अपराध निवारण और दंड न्याय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग (यू एन सी सी पी जे) की वियना में 20 वां सत्र।
- लॉस एंजिल्स, यू एस ए में अमेरिका भारत विधि प्रवर्तन कार्यकारी विकास सेमिनार (एलईडीएस)
- प्रथम इंटरपोल ग्लोबल कंपलेक्स वर्किंग ग्रुप की लियोन, फ्रांस में बैठक।
- एन सी वी अध्यक्षों का लियोन फ्रांस में 7वां वार्षिक सम्मेलन।
- अवैध संवर्धन के विशेषज्ञों की वाशिंगटन, डी सी में बैठक।
- रणनीतिकारों की तीसरी बैठक, लियोन, फ्रांस
- साइट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, लियोन, फ्रांस में इंटरपोल रेडियोलोजिक एंड न्यूक्लियर टेराज्मिप्रिवेशन यूनिट को शुरु करने वाला प्लेनरी सत्र
- एशिया क्षेत्रीय विधि प्रवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम (ए आर एल ई एम पी) मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है।
- धन शोधन के विरुद्ध तथा आंतकवाद के वित्त पोषण के मुकाबले के संबंध में इंटरपोल विशेषज्ञ समूह की बैठक
- डबलिन, आयरलैंड में साइबरकान, 2011–चुनौतियां और समाधान पर डबलिन, आयरलैंड में सम्मेलन।
- टोरोंटा, कनाडा में 13वां अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा अन्वेषण सम्मेलन।
- लाल नोटिसों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ाने से संबंधित कार्य समूह की पेरिस, फ्रांस में तीसरी बैठक

- एशियन संगठित अपराध के संबंध में इंटरपोल एशिया–प्रशांत समूह की हो चि मिन्ह सिटी, वियतनाम में नौंवी बैठक
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारोबार में घूसखोरी पर ओ ई सी डी कार्यदल की बैठक
- छठी प्रचालनात्मक कार्य समूह की बैठक, परियोजना कलकान, दुसानबी, ताजिकिस्तान
- आई पी एस जी, लियोन, फ्रांस में इंटरपोल डी एन ए मानीटरिंग विशेषज्ञ समूह की 22वीं बैठक आयोजित की जानी है।
- सिंगापुर में प्रथम इंटरपोल साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला तथा तीसरी आई एल ई टी ए जी जी आर आई एस बैठक।
- लियोन, फ्रांस में दूसरी स्टार इंटरपोल परिसंपत्ति वसूली फोकल प्वांइट बैठक
- शंघाई, चीन में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण (आईएएसीए) सेमिनार
- थिम्पू, भूटान में सार्क इंटीरियर/गृह मंत्रियों की चौथी बैठक तथा अन्य संबंधित बैठकें।
- लास एंजिल्स, यू एस ए में स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक मेडिसिन एनगेजमेंट कोर्स
- वियना, आस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचार के निवारण के संबंध ओपेन एंडेड इंटर गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी और परिसंपत्ति वसूली के संबंध में इंटर गवर्नमेंट ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप मीटिंग
- जापान में अपराध निवारण पर समूह प्रशिक्षण कोर्स (आपराधिक न्याय का प्रशासन)
- लियोन, फ्रांस में आई सी जी कार्य दल की तीसरी बैठक
- मैड्रिड, स्पेन में 2011 अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रवर्तन आई पी अपराध सम्मेलन
- काठमांडू, नेपाल में 9वां इंडो–नेपाल संयुक्त कार्य समूह की बैठक
- इस्प्रा, इटली में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार
- पेरिस, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारोबार के संबंध में ओ ई सी डी कार्य समूह की बैठक
- दक्षिण कोरिया में कंप्यूटर फोरेंसिक के संबंध में 5वां इंटरपोल ट्रेन दि ट्रेनर कार्यशाला
- मोरक्को, मारकेश में 5वां आई ए सी ए वार्षिक सम्मेलन और आम बैठक
- हनोई, वियतनाम में आयोजित 80 वीं आम सभा का सत्र आयोजित किया गया।
- मेड्रिड, स्पेन को सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
- वाशिंगटन डी सी, वाशिंगटन में ग्लोबल काउंटर टेरजिज्म फोरम और आपराधिक न्याय/कानून का शासन कार्य समूह की उदघाटन बैठक
- इटली में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण सम्मेलन 2011, सिंगापुर
- कोलम्बो, श्रीलंका में एशिया और दक्षिण प्रशांत में एन सी बी अधिकारियों के लिए 10वां आई सी पी ओ इंटरपोल क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- आई पी एस जी लियोन, फ्रांस में चौथा आई लिंग प्रशिक्षण कार्यशाला
- कन्टैक्ट सम्मेलन, रोम के 24/7 प्वाइंट्स आई पी एस जी लियोन में इंटरपोल एन एस ओ सिंपोजियम 2011
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध दबाना 'सामान्य चुनौती' पर अबू धाबी यू ए ई में संगोष्ठी।
- घूसखोरी पर पेरिस, फांस में ओ ई सी डी कार्य समूह
- प्रिटोरिया, दक्षिण आफ्रीका में 23वीं इंटरपोल डी एन ए एम ई जी बैठक
- टोक्यो, जापान में सूचना प्रौद्योगिकी अपराध पर 13वीं इंटरपोल एशिया–दक्षिण प्रशांत कार्यकरण पार्टी

- भारत और इटली के बीच आपराधिक मामलों में एम एल ए टी के लिए बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- विधिक मामलों में छठे भारतीय थाईलैंड संयुक्त कार्य दल की बैठक नई दिल्ली में हुई।
- अनेक देशों में संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन के अनुसमर्थन के लिए गृह सचिव स्तर की बैठक (यू एन सी टी ओ सी) और तीन पूरक प्रोटोकाल/नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।
- भारत और पाकिस्तान के बीच आपराधिक मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में गृह मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की गई।
- भारत और बंगलादेश के बीच नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हुई।
- भारत और इटली के बीच प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के संबंध में नई दिल्ली में अंतःमंत्रालयी बैठक आयोजित की
- माननीय गृह मंत्री और दौरा करने वाले उप प्रधान तथा यू ए ई के आंतरिक मंत्री के बीच बैठक तथा करार पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किए गए।
- भारत और बंगला देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह (जे डब्लू जी) बैठक

9.4.6 विविध पूछताछ

9.4.6.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ड्राइविंग लाइसेंसों, विदेशियों की पहचान के संबंध में विविध अन्वेषणों, भारत में विदेशियों की गिरफ्तारी रिपोर्ट, आपराधिक पूर्ववृत्त, अंगुलीछापों की पहचान, गुमशुदा व्यक्तियों को विवासन, मादक पदार्थ व्यापार, भारत से चुराई गई पुरावस्तुओं की चोरियों की खोज और पंजीकरण, भारत में प्राधिकारियों द्वारा जब्त विदेशी जाली मुद्रा का परीक्षण, आदि विविध जांच–पड़ताल के बारे में 4193 मामले प्राप्त किए गए और उन पर कार्रवाई की गई।

9.5 सी बी आई अकादमी

9.5.1 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद के अपने परिसर में दिनांक 10 जनवरी, 1996 से कार्य कर रही है। वर्ष 2011 के दौरान, अकादमी ने वर्ष 2010 के 203 पाठयक्रमों की तुलना में 133 पाठयक्रम संचालित किए हैं।

9.5.2 वर्ष 2011 के दौरान, बेसिक प्रशिक्षण के लिए दिनांक 18.07.2011 को 76 उप–निरीक्षकों वाले ग्ट वें बैच ने हिस्सा लिया।

9.6 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करना

9.6.1 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शुरु किए गए बहुत से मामले अन्य विभिन्न अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। पी सी अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में सी बी आई मामलों के लंबित होने को देखते हुए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सी जे आई) ने 7.4.2008 को सरकार को पत्र लिख कर ऐसे अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने पर बल दिया जहां पी सी अधिनियम, 1988 के तहत केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए मामलों की ही सुनवाई की जाए तथा जहां प्रत्येक न्यायालय में अधिक से अधिक 50 मामलो की सुनवाई की जाए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि ये न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र और अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर कार्य करना प्रारंभ कर दें। इन मानदंडों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों की भ्रष्टाचार निवारण के तहत सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायाधीशों के 71 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक था ताकि लंबे समय से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके। राज्य सरकारों से विशेष न्यायालय स्थापित करने और इस प्रयोजन से होने वाली आवश्यक वित्तीय विवक्षा तथा उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। इन

विशेष न्यायालयों की स्थापना पर किए गए आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार के व्यय की इस संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़े प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को सी बी आई के बजटीय अनुदान से प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

9.6.2 तदनुसार सरकार ने विभिन्न राज्यो में 71 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। इनमें से 54 न्यायालय निम्नलिखित ब्यौरा के अनुसार कार्य कर रहे हैं:

राज्य का नाम	स्थान	प्रस्तावित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या	संस्वीकृत न्यायालयों की संख्या	कार्यरत न्यायालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	3	3	
	विशाखापत्तनम	2	2	
असम	गुवाहाटी	2	2	
बिहार	पटना	3	3	3
छतीसगढ़	रायपुर	1	1	01
दिल्ली	दिल्ली	15	15	12
गुजरात	अहमदाबाद	2	2	2
गोवा	गोवा	1	1	
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1		
हरियाणा	पचकुला	1	1	1
झारखंड	रांची	2	2	2
	धनबाद	4	4	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1	1	1
कर्नाटक	बंगलौर	2	2	2
	धारवाड़	1	1	1
केरल	तिरुवनंतपुरम	1	1	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1	1	1
	जबलपुर	1	1	1
महाराष्ट्र	मुंबई	3	3	3
	पुणे	1	1	1
	नागपुर	1	1	1
	अमरावती	1	1	1
उड़ीसा	भुवनेश्वर	4	4	
राजस्थान	जयपुर	2	2	2
तमिलनाडु	चेन्नै	3	3	3
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4	4	4
	गाजियाबद	2	2	2
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6	6	5
		71	70	54

अध्याय–10
संयुक्त परामर्शदायी तंत्र

10.1 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदायी और अनिवार्य विवाचन योजना का आरम्भ यूनाइटेड किंगडम के ह्वाइटली काउंसिल के तर्ज पर वर्ष 1966 में किया गया था। यह योजना नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के मध्य सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों के मध्य रचनात्मक वार्ता और विचार–विमर्श का प्लेटफार्म प्रदान करती है। यह योजना सामान्य तरह के मामलों में नियोक्ता के रूप में सरकार और कर्मचारियों के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करने और सहयोग के सर्वोत्तम उपायों तथा उन कर्मचारियों के कल्याण के लिए मिली–जुली लोक सेवा की दक्षता को और बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी।

10.2 संयुक्त परामर्शदायी तंत्र तीन टियर तंत्र प्रदान करता है:

(i) इसका शीर्ष निकाय राष्ट्रीय परिषद होती है (जिसके सचिव मंत्रिमंडल सचिव होते हैं);

(ii) अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर विभागीय परिषद (इसके अध्यक्ष संबंधित सदस्य होते हैं); और

(iii) अलग–अलग प्रत्येक कार्यालय के स्तर के आधार पर मुख्य रूप से स्थानीय समस्याओं के समधान के लिए क्षेत्रीय/कार्यालय परिषद (संबंधित संगठन के प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं),

संयुक्त परामर्शदायी तंत्र–योजना के कार्य–क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले आते हैं:–

- सेवा तथा कार्य की शर्तें;
- कर्मचारियों का कल्याण; तथा
- कार्यकुशलता और कार्य के स्तर में सुधार

(i) तथापि यह प्रावधान किया गया है कि भर्ती, पदोन्नति तथा अनुशासन के बारे में परामर्श केवल सामान्य सिद्धांतों के मामलों तक ही सीमित रखा जाता है और

(ii) अलग–अलग मामलों पर विचार नहीं किया जाता है।

10.3 संयुक्त परामर्शदायी तंत्र–योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर तथा विभागीय स्तर पर कर्मचारी–संघों से निरंतर बातचीत होती रही है तथा पारस्परिक विचार–विमर्श से कई महत्वपूर्ण मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम) की 46 बैठकें वर्ष 1966 में इस योजना के आरंभ से मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई हैं।

राष्ट्रीय विसंगति समिति

10.4 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उभरी विसंगतियों को हल करने के लिए, एक राष्ट्रीय विसंगति समिति का गठन सचिव (कार्मिक) की

अध्यक्षता में किया गया है। राष्ट्रीय विसंगति समिति की चार बैठकें सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में दिनांक 12 दिसम्बर, 2009, 27 मार्च, 2010, 15 फरवरी, 2011 तथा 5 जनवरी, 2012 को आयोजित की गईं जिनमें कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विसंगतियों पर विचार–विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना पर एक संयुक्त समिति का गठन संयुक्त सचिव (स्थापना) की अध्यक्षता में किया गया और समिति की तीन बैठकें दिनांक 25 मई, 2010, को 15 सितम्बर, 2010 और 15 मार्च, 2011 को आयोजित की गईं। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 5 जनवरी, 2012 को आयोजित राष्ट्रीय विसंगीत समिति की चौथी बैठक में रखी गई।

विवाचन

10.5 संयुक्त परामर्शदायी तंत्र–योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ऐसे मामलों में विवाचन का प्रावधान करना है जहां सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच

- वेतन और भत्तों,
- साप्ताहिक कार्य के घंटे; और
- छुट्टी

से संबंधित कर्मचारियों की किसी श्रेणी अथवा ग्रेड के मसलों पर कोई भी सहमति नहीं हो पाती है।

माध्यस्थम बोर्ड (बी ओ ए)

10.6 इस उद्देश्य के लिए, श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विवाचन बोर्ड (बीओए) की स्थापना की गई है जिसमें अध्यक्ष (जो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है), दो सदस्य (इनमें से एक कर्मचारी पक्ष द्वारा और एक सरकारी पक्ष द्वारा नामित है) शामिल हैं। इस विवाचन बोर्ड के अधिनिर्णय, दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, किंतु संसद को, अधिनिर्णयों को अस्वीकार करने अथवा संशोधित करने का अभिभावी प्राधिकार है। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र योजना के अंतर्गत असहमति संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए विवाचन बोर्ड को अब तक 259 मामले भेजे गए हैं। इन 259 मामलों में से 257 मामलों में विवाचन बोर्ड द्वारा निर्णय दे दिया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था/सामाजिक न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण स्वीकार नहीं किए जा सके कुछेक अधिनिर्णयों को छोड़कर कर्मचारियों के पक्ष में रहे अधिकांश निर्णय कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

विभागीय परिषद

10.7 विभागीय परिषद का कार्यकरण संयुक्त परामर्शदायी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जिसके गठन का महत्वपूर्ण प्रयोजन सद्भावात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करना तथा सरकार और कर्मचारियों के बीच उनमें सहयोग को सुनश्चित करना है।

10.7.1 वर्तमान परिषद के अध्यक्ष सचिव (कार्मिक) है तथा इस विभाग, व्यय विभाग, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी पक्ष की ओर से सदस्य हैं। परिषद की 57वीं बैंठक 2010 में आयोजित की गई थी तथा की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संकलित कर सरकारी और कर्मचारी पक्ष में परिचालित कर दी गई है। परिषद की 58 वीं बैठक 5 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई है।

अध्याय–II

प्रशासनिक अधिकरण

11.1 व्यथित सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा से जुड़े मामलों में न्याय दिलाने के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकरण– अधिनियम, 1985 के अधिनियमित किए जाने से एक नया अध्याय आरंभ हुआ। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम का मूलाधार है– भारत के संविधान के अनुच्छेद 323– क, जिसमें संघ और राज्यों के कार्यों से जुड़ी लोक सेवाओं में और पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा–शर्तों के बारे में विवादों तथा शिकायतों के बारे में न्याय– निर्णयन किए जाने की व्यवस्था करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण– अधिनियम, 1985 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में प्रशासनिक अधिकरण अपने दायरे के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवा से जुड़े मामलों के संबंध में अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।

11.2 प्रशासनिक अधिकरण, अपने अधिकार–क्षेत्र एवं अपनी कार्यविधि की दृष्टि से सामान्य न्यायालयों से अलग किस्म के हैं। वे अपने अधिकार– क्षेत्र का प्रयोग, अधिनियम के दायरे के अन्तर्गत आने वाले वादियों की सेवा से जुड़े मामलों के संबंध में ही करते हैं। वे सामान्य न्यायालयों से जुड़ी तकनीकी अड़चनों से भी मुक्त हैं। इस अधिनियम की प्रक्रियात्मक सरलता का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यथित व्यक्ति अधिकरण के समक्ष स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है। सरकार भी अपने विभागीय अधिकारियों अथवा वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए वादियों को केवल 50/– रुपए का नाममात्र का शुल्क अदा करना होता है। इसलिए, अधिकरण का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को जल्दी से और सस्ता न्याय दिलवाना है।

11.3 उपर्युक्त अधिनियम में एक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य– प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 01.11.1985 को स्थापित किया गया था। आज इसकी 17 नियमित न्यायपीठें हैं जिनमें से 15 उन स्थानों पर कार्य कर रही हैं जहां उच्च न्यायालयों की प्रधान न्यायपीठें हैं तथा शेष दो न्यायपीठें जयपुर और लखनऊ में हैं। ये न्यायपीठें, उच्च न्यायालयों के अन्य स्थानों पर भी सर्किट बैठकें आयोजित करते हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण न्यायपीठों के स्थान, उनकी स्थापना तिथि तथा उन स्थानों की सूची सहित जहां वे सर्किट बैठकें करते हैं, के साथ प्रत्येक न्यायपीठों के न्यायालयों की संख्या नीचे दी गई है:–

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के नाम, उन्हें स्थापित किए जाने की तारीख, न्यायालयों और सर्किट बैठकों की संख्या:

क्र. सं.	न्यायपीठ का नाम	स्थापित किए जाने की तारीख	प्रभागीय न्यायपीठों की संख्या	सर्किट बैठकें
1.	प्रधान न्यायपीठ	01.11.1985	6	
2.	अहमदाबाद	30.06.1986	1	
3.	इलाहाबाद	01.11.1985	4	नैनीताल
4.	बंगलौर	03.03.1986	1	
5.	चण्डीगढ़	03.03.1986	2	शिमला, जम्मू
6.	मद्रास	01.11.1985	2	
7.	कटक	30.06.1986	1	
8.	एर्नाकुलम	01.09.1988	2	
9.	गुवाहाटी	03.03.1986	1	शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला, इंफाल
10.	हैदराबाद	3.06.1986	2	
11.	जबलपुर	30.06.1986	1	इंदौर, ग्वालियर, बिलासपुर
12.	जयपुर	15.10.1991	1	
13.	जोधपुर	30.06.1986	1	
14.	कोलकाता	01.11.1985	3	पोर्ट ब्लेयर, गंगटोक
15.	लखनऊ	15.10.1991	1	
16.	मुम्बई	01.11.1985	2	नागौर, औरंगाबाद, पणजी
17.	पटना	30.06.1986	2	रांची

11.4 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होते हैं। अधिकरण को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों के अनुभव से लाभान्वित करने की दृष्टि से अधिकरण में सदस्य इन दोनों ही क्षेत्रों से लिए जाते हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष का एक पद है तथा सदस्यों के 65 पद हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सदस्य द्वारा अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होता है। उनकी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के बाद मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाती है। 30.06.2011 तक उत्पन्न हुई केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्तियों के विरूद्ध सभी सदस्यों का चयन किया जा चुका है।

11.5 राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी नौ राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं केरल में स्थापित किए गए। तथापि, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा हिमांचल प्रदेश अधिकरण अब समाप्त कर दिए गए हैं।

11.6 राज्य प्रशासनिक अधिकरणों में रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन से राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर की जाती है। उसके बाद, उनकी नियुक्तियों के संबंध में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में की जाती है।

11.7 वर्ष 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने की तारीख से लेकर फरवरी, 2012 तक (उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित हुए मुकदमों सहित) 603284 मामले निर्णयादेश के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 578618 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 24666 मुकदमें अनिर्णीत लंबित चल रहे हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आरंभ होने के बाद से दर्ज किए गए, निपटाए गए और लम्बित मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आरंभ होने के बाद से 29.2.2012 तक दर्ज किए गए, निपटाए गए और लम्बित मामलों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	अवधि	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले	अवधि के अंत में लंबित रहे मामले
1.	1985	2963	30	2933
2.	1986	23177	8934	17176
3.	1987	19410	15084	21502
4.	1988	19425	13769	27158
5.	1989	18602	13986	31774
6.	1990	19283	15495	35562
7.	1991	21623	17552	39633
8.	1992	25184	23782	41035
9.	1993	27067	28074	40028
10.	1994	26230	26409	39849
11.	1995	25789	23668	41970
12.	1996	23584	20667	44887
13	1997	23098	21981	46004
14.	1998	21911	18394	49521
15.	1999	22944	24566	47899
16.	2000	25146	31398	41647
17.	2001	25977	31953	35671
18.	2002	25398	29514	31555
19.	2003	25089	28076	28568
20.	2004	23825	27735	24658
21.	2005	21528	22408	23778
22.	2006	18722	17774	24726
23.	2007	17725	18674	23777
24.	2008	18287	20352	21712
25	2009	24496	23681	22527
26.	2010	26620	25477	23670
27.	2011	25869	24750	24789
	फरवरी, 2012 तक	4415	4538	24666
कुल		**603284**	**578618**	

11.8 प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14(2) ने केन्द्र सरकार को उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान, भारत देश के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों तथा भारत सरकार के अपने अथवा उसके द्वारा नियंत्रित निगमों अथवा समितियों के संबंध में लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अभी तक उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान 204 संगठनों के संबंध में लागू किए हैं।

11.9 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सभी सदस्यों का अखिल भारतीय सम्मेलन 6 नवम्बर, 2011 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सभी न्यायपीठों के सदस्यों ने भाग लिया। माननीय श्री वी. नारायणसामी, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री जे. एस. वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सोली सोराबजी, पूर्व सालिसीटर जनरल ने राजीव गांधी भाषण श्रृंखला में ''प्रशासनिक कानून के अर्थपूर्ण तथ्यों'' विषय पर दूसरा भाषण दिया।

अध्याय–12
कर्मचारी कल्याण

केन्द्र सरकार देश की सबसे बड़ी एकल नियोक्ता है और वह देश भर में कार्य कर रहे बहुसंख्य कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करने की प्रमुख जिम्मेदारी निभाती है। इस बात को महसूस करते हुए कि कर्मचारियों के कार्य करने की स्थिति और उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के रहन–सहन की स्थिति में सुधार से उनका मनोबल ऊंचा रहता है तथा कार्य स्थल में कार्य– कुशलता बढ़ती है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कर्मचारियों के कल्याण के विभिन्न उपायों में सहायता मुहैया करवाता है। कल्याण प्रभाग द्वारा किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया हैः–

1. कल्याण उपाय

12.1.1 आवासी कल्याण संघ

सरकारी कॉलोनियों के निवासियों में एक–दूसरे की मदद करने की भावना और सद्भाव विकसित करने एवं उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोविनोद के कार्य–कलापों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से दिल्ली/ नई दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में आवासी कल्याण संघ, जिन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श संविधान को अपनाया है, को मान्यता दी गई है। इन संघों के प्रबंध समितियों के सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए आदर्श संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर निर्वाचित किए जाते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मान्यता–प्राप्त संघों को ही अधिकतम 4500/– रुपए वार्षिक तक की अनुदान सहायता की स्वीकृति देता है।

12.1.2 क्षेत्र कल्याण अधिकारी

जिन आवासी कॉलोनियों में जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां क्षेत्र–कल्याण अधिकारी (ए डब्ल्यू ओ) नामित किए जाते हैं। ये क्षेत्र कल्याण अधिकारी विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों में, निवासियों और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये अधिकारी सरकारी कॉलोनियों के निवासियों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाने के मामले में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुलिस आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय और सम्पर्क बनाए रखने की दृष्टि से क्षेत्र अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में कार्य कर रहे राजपत्रित अधिकारियों को दो वर्ष की अवधि हेतु क्षेत्र कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्वैच्छिक और अवैतनिक आधार पर क्षेत्र कल्याण अधिकारी के रूप में नामित होने के इच्छुक अधिकारियों द्वारा अपने– अपने मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से आवेदन किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011–12 के लिए दिल्ली/ दिल्ली से बाहर 47 क्षेत्र कल्याण अधिकारी जनवरी 2011 में नामित किए गए हैं।

12.1.3 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां (सी जी ई डब्ल्यू सी सी)

दिल्ली से बाहर, उन स्थानों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कल्याण–समन्वय समितियों का गठन किया गया है, जहां केन्द्र सरकार के कम से कम पांच कार्यालय हैं और जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1000 से अधिक है। ये समितियां अपने– अपने अधिकार– क्षेत्र में आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यकलापों में समन्वय रखने के लिए जिम्मेदार हैं। स्थान विशेष पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुदान की राशि मंजूर जाती है।

12.2 केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (सी सी एस सी एस बी)

12.2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (सी सी एस सी एस बी), समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत निकाय है और यह समिति देश के सिविल कर्मचारियों में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली केन्द्रीय एजेंसी है। यह बोर्ड, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय क्लब के रूप में वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। आरम्भ में, इस बोर्ड का उद्देश्य केवल दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांस्कृतिक तथा खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। तदनन्तर, विभिन्न शहरों में क्षेत्रीय खेल बोर्डों की स्थापना की गई। बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय बोर्डों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय अनुदान सहायता स्वीकृत किया जाता है।

12.2.2 वर्ष 2011–12 के दौरान बोर्ड की गतिविधियां

12.2.2 (क) अंतर–मंत्रालय खेल प्रतियोगिताएं 2011–12

बोर्ड द्वारा 2011–12 के दौरान नई दिल्ली में खेल की 19 विधाओं में अंतर– मंत्रालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

12.2.2. (ख) 2011–12 के दौरान आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा (ए आई सी एस) प्रतियोगिताएं

ये प्रतियोगिताएं, जो केन्द्र सरकार के साथ– साथ राज्य/ संघ क्षेत्र सरकारों के सिविल कर्मचारियों के लिए भी खुली हैं, बोर्ड द्वारा राज्य/ संघ क्षेत्र सरकारों एवं क्षेत्रीय खेल बोर्डों के सहयोग से आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं का लक्ष्य सिविल कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ मुलाकात और बातचीत तथा खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना है। बोर्ड, ए आई सी एस प्रतियोगिता आयोजित करने वाले राज्य सरकारों/ संघ क्षेत्र प्रशासनों को व्यय के एक भाग की प्रतिपूर्ति करता है। 2011–12 में 13 विधाओं नामतः एथलेटिक्स, बास्केट बॉल, बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस (पुरूष एवं महिला), ब्रिज, कुश्ती एवं बालीबॉल में ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 13 ए आई सी एस प्रतियोगिताओं में से सी सी एस सी एस बी द्वारा नई दिल्ली में 3 विधाओं अर्थात लॉन टेनिस, ब्रिज एवं कुश्ती का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

डी एल टी ए, आर. के. पुरम, खन्ना स्टेडियम, नई दिल्ली में 22 दिसम्बर, 2011 को अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन

डी एल टी ए में ए आई सी एस प्रतियोगिता प्रगति पर

डी एल टी ए में 26 दिसम्बर, 2011 को ए आई सी एस लॉन टेनिस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

12.2.3 अनुदान सहायता एवं अन्य प्राप्तियां

बोर्ड ने भारत सरकार से अनुदान सहायता के रूप में 50 लाख रू. की राशि प्राप्त की।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान मैदान के किराए, सदस्यता शुल्क, कोचिंग शुल्क तथा प्रवेश शुल्क से 22.77 लाख रू. के राजस्व का सृजन किया गया।

12.2.4 सी सी एस सी एस बी का नागरिक घोषणापत्र

सी सी एस सी एस बी दिल्ली में स्थित सभी केन्द्र सरकार कर्मचारियों एवं उनके परिवारों से शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ–साथ मनोरंजन के लिए दिल्ली में बोर्ड की खेल सुविधाओं का भरपूर उपयोग करने तथा उनको सामने आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के बारे में सूचित करने तथा सरकारी कर्मचारियों के मध्य खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संवर्धन के बोर्ड के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से पूरा के लिए सुझाव देने की अपेक्षा करती हैं। अधिक विवरण कल्याण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट ूण्चमतेउपदण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।

12.2.5 बोर्ड की राष्ट्रीय परिसंघों से सम्बद्धता

बोर्ड, राष्ट्रीय स्तर पर खेल– कूद के अनेक संघों/ परिसंघों से सम्बद्ध है। बोर्ड की टीमें इन खेल संघों/ परिसंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं।

12.2.6 ट्रैकिंग कार्यक्रम

बोर्ड, भारतीय युवा छात्रावास संघ के सहयोग से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ट्रैकिंग कार्यक्रम प्रायोजित करता है। बोर्ड, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्वयं ट्रैकिंग कार्यक्रम करने के प्रति भी प्रोत्साहित करता है।

12.2.7 बोर्ड द्वारा रखरखाव की जा रहीं खेल सुविधाएं

बोर्ड, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली में खेल–कूद की सुविधाएं सुलभ करवाता है तथा उसका नई दिल्ली में विनय मार्ग पर एक खेल परिसर है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉस्केट बाल, लॉन टेनिस खेलने, तथा एथलेटिक्स की सुविधाएं हैं।

बोर्ड का भारती नगर, आर. के. पुरम, ब्रासी एवेन्यू और विनय मार्ग पर टेनिस कोर्ट भी है। ब्रासी एवेन्यू और विनय मार्ग खेल परिसर में क्रिकेट खेलने के लिए अभ्यास करने की पिचें हैं तथा ब्रासी एवेन्यू में एक वॉलीबाल और शूटिंग कोर्ट हैं। निर्माण भवन में कैरम, शतरंज और टेबल टेनिस खेलने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन सुविधाओं को रियायती दरों पर स्कूली बच्चों एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मुहैया कराया गया है।

12.2.8 सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/ आश्रितों के लिए वार्षिक क्रिकेट कोचिंग कैंप

बोर्ड ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/ आश्रितों के लिए 15 मई से 15 जून, 2011 तक विनय मार्ग खेल परिसर में ग्रीष्म कालीन क्रिकेट कोचिंग कैंप का सफलता पूर्वक आयोजन किया। इस कैंप में कुल 167 बच्चों ने भाग लिया।

12.3 गृह कल्याण केन्द्र

12.3.1 समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत गृह कल्याण केन्द्र (जी के के) को निम्नलिखित उद्देश्यों से स्थापित किया गया:–

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(ख) इन लोगों द्वारा अपने फुर्सत के समय को बेहतर तथा कुशल गृह व्यवस्था की दृष्टि से लाभदायक उपयोग किए जाने के लिए इन्हें गृह शिल्प तथा अन्य घरेलू कलाओं का तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।

(ग) ऐसी आर्थिक गतिविधियों का संचालन और प्रोत्साहन करना जिनसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों के लिए पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए लाभदायक रोजगार के अवसर मुहैया हो सके।

12.3.2 गृह कल्याण केन्द्र, गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड द्वारा अधिशासित है। यह बोर्ड, गृह कल्याण केन्द्र के संगठन और प्रशासन के लिए उत्तदायी है। अपर सचिव (एस एण्ड वी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

12.3.3 गृह कल्याण केन्द्र अपने उद्देश्यों के अनुसरण में निम्नलिखित कार्य कर रहा है:

(क) गृहणियों एवं बड़ी लड़कियों के लिए फुर्सत के समय कटाई, सिलाई एवं एंब्रॉइडरी की प्रशिक्षण कक्षाएं।

(ख) 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी–शिक्षा की व्यवस्था।

;(ग) 90 दिन से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए दिन देखभाल केन्द्र के लिए शिशुगृह।

;(घ) स्वास्थ्य क्लब तथा फिटनेस केन्द्र, मल्टी जिम तथा भारोत्तोलन, इन्डोर खेल जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस तथा कराटे, योग, नृत्य आदि की कक्षाओं जैसी मनोरंजक सुविधाएं।

(घ) सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों (जैसे कि विवाह आदि) के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अन्य लोगों के उपयोग के लिए किराए पर समाज सदन (सामुदायिक केन्द्र) उपलब्ध करना।

12.3.4 जी के के दिल्ली और दिल्ली से बाहर 25 हस्तकला केन्द्रों, 16 शिशु गृह/ दिन देखभाल केन्द्रों तथा 25 नर्सरी विद्यालयों का संचालन कर रहा है। 2010–11 की अवधि के दौरान, जी के के की गतिविधियों के एक भाग के रूप में केन्द्र सरकार कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के सदस्यों में शारीरिक तंदुरूस्ती को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से मनोरंजन कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान किया गया और उनका आयोजन भी किया गया। तदनुसार, केन्द्र ने दिल्ली में 10 और बंगलौर, चेन्नई, मुंबई तथा नागपुर प्रत्येक में एक–एक, कुल 10 व्यायामशालाओं/ फिटनेस केन्द्रों की स्थापना की। यह 45 समाज सदनों का प्रशासन देखता है, जिसमें से 30 दिल्ली में और 15 दिल्ली से बाहर हैं। इन समाज सदनों को केन्द्र सरकार कर्मचारियों तथा, जब भी उपलब्ध हों, अन्य लोगों को विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए किराए पर उपलब्ध किया जाता है। समाज सदनों को किराए पर देना जी के के की आमदनी का मुख्य स्रोत है। इन समाज सदनों में इंडोर खेलों, स्वास्थ्य क्लब, मल्टी जिम, कराटे, योग, नृत्य एवं संगीत कक्षाओं आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जी के के अपने कल्याण कार्यकलापों को दिल्ली में 15 परिसरों में और दिल्ली के बाहर 11 परिसरों में भी संचालित करता है। प्रत्येक स्टेशन पर गतिविधियों का ब्यौरा तथा प्रयोगकर्ताओं का ब्यौरा **अनुबंध–I** और **अनबध–II** मे दिया गया है इसे भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुदान में जी के के को 25 लाख रू. की राशि आबंटित की गई है।

(अनुबंध–I)

गृह कल्याण केन्द्र द्वारा 2011 के दौरान चलाए गए कल्याण कार्यकलापों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

स्थान	शिल्प केन्द्र	शिशु सदन	शिशु गृह / दिवस देखभाल केंद्र	स्वास्थ्य क्लब / जिम / फिटनेस सेंटर
दिल्ली	10	16	13	6 + 4 *
मुम्बई	6	4	-	1 *
चेन्नई	7	2	2*	1
जयपुर	1	-	1	-
देहरादून		2	-	-
नागपुर	-	-	-	1*
बंगलौर	-	-	-	1
फरीदाबाद	1	1	-	-
गाजियाबाद	-	-	-	1
कुल	25	25	16	15

* शेयरिंग आधार पर चलाया जा रहा है।

(अनुबंध–II)

2011 के दौरान कल्याण कार्यकलाप एवं दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर के प्रयोक्ताओं / विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	शिल्प केन्द्र	कार्यकलाप का नाम
1	शिशु गृह	541
2	शिशु सदन	2625
3	शिल्प	1000
4	स्वास्थ्य क्लब, फिटनेस केन्द्र	2437
5	इंडोर खेल	293
6	समाज सदनों की बुकिंग	2237
7	बहिस्रोतन कार्यकलाप (नृत्य, संगीत, कराटे, सौंदर्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, आयुर्वेदिक क्लीनिक	5091

12.4 केन्द्रीय भण्डार

12.4.1 संगठन का उद्देश्य

केन्द्रीय भण्डार के नाम से अपना कार्य कर रही केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1963 में एक कल्याण परियोजना के रूप में स्थापित की गई थी। उपर्युक्त समिति (प) गुणवत्ता वाली रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करके (पप) अपने खुदरा स्टोरों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक प्रभावी भूमिका निभाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा आम जनता की सेवा करने का प्रयास करती आ रही है।

12.4.2 नेटवर्क

यह समिति दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कोचीन, दमन, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं चण्डीगढ़ में 132 भंडारों/ शाखाओं के नेटवर्क का संचालन करता है।

12.4.3 किराना और उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री

केन्द्रीय भंडार दिल्ली में अपने 87 खुदरा दुकानों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की प्रयोगशाला परीक्षित दालों, मसालों, चावल आदि की बिक्री कर रहा है। केंन्द्रीय भंडार की कीमतें प्रचलित बाजार कीमतों से कम हैं।

केन्द्रीय भंडार कल्याण कार्यों में लगा रहा है और केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को संकट काल में कीमतों की वृद्धि को थामने में सहायता की। केन्द्रीय भंडार ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए दिल्ली सरकार की भागीदारी योजना के अन्तर्गत आटे को 139/– रू. प्रति 10 किग्रा. की दर से सफलता पूर्वक बेचा। केन्द्रीय भंडार ने प्याज और पीली मटर भी सस्ते कीमतों पर केन्द्रीय भंडार स्टोरों के माध्यम से वितरित किया।

खुदरा व्यापार में नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ कदम मिलाते हुए केन्द्रीय भंडार ने विद्यमान स्टोरों को चरणबद्ध रूप से इसके परिवेश, सजावट प्रणाली आदि के रूप में आधुनिकीकृत करने के लिए ठोस कदम उठाया है। इस दिशा में, महादेव रोड, एंड्र्यूज गंज, कालकाजी, सरोजिनी नगर एच– ब्लॉक एवं बी– ब्लॉक आदि में स्थित स्टोरों को उपभोक्ताओं को बेहतर खरीददारी वातावरण प्रदान करने के उद्वेश्य के साथ एक नया रूप दिया गया है और अन्य स्टोरों को चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकृत करने के लिए कार्रवाई शुरू किया गया है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा नई दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी में भी नए रिटेल स्टोर खोले गए हैं।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सामग्रियों, दालों और मसालों की खरीद और भण्डारण को इसके मुख्यालय कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत किया गया। केन्द्रीय भण्डार ने किराना और उपभोक्ता गोदामों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है और यह स्टोरों के भी चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण में केन्द्रीय भण्डार ने सभी गोदामों और 20 खुदरा स्टोरों को कम्प्यूटरीकृत किया है।

दिल्ली में खुदरा व्यापार तथा उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री कर रहे केन्द्रीय भण्डार के सभी स्टोरों को ग्राहकों के बिल बनाने के लिए अल्फा न्यूमेरिक नकद पंजीकरण मशीनें उपलब्ध कराए गए हैं। गोदामों में भार तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मुहैया करवाई गई हैं।

12.4.4 लेखन सामग्री व्यवसाय

केन्द्रीय भण्डार, केन्द्र सरकार/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण के अधीन केन्द्र सरकार के विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, तथा स्वायत्त निकायों को लेखन सामग्री एवं कार्यालय उपकरण मदों की बिक्री कर रहा है।

आर.के. पुरम (पूर्व तथा पश्चिम) ब्लॉक में स्थित केन्द्रीय भण्डार के लेखन सामग्री प्रभाग के उपभोक्ताओं के लिए बिल, खरीद और वस्तुसूची आदि जैसी गतिविधियों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

12.4.5 जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत दवाओं की बिक्री

केन्द्रीय भण्डार ने औषध विभाग, भारत सरकार की जन औषधि परियोजना के भाग के रूप में गुरू तेग बहादुर अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, तथा शास्त्री भवन में जन औषधि केन्द्र भी खोला।

केन्द्रीय भण्डार अपने विद्यमान औषधि विक्रेता दुकानों के माध्यम से दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों एवं अस्पतालों में भी दवा एवं संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है।

12.4.6 उपभोक्ताओं को लाभ

यह संस्था बाजार तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं में प्रचलित मूल्यों की तुलना में इसके द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य रखने में सक्षम हुई है। वास्तव में, केन्द्रीय भण्डार में प्रचलित बिक्री मूल्य अब बाजार में एक मानदण्ड के रूप में कार्य करता है। संस्था अपने बिक्री मूल्यों को सावधानी से नियंत्रित कर रहा है। कुछ किराना वस्तुओं एवं लेखन सामग्रियों में लाभ को और कम करके उपभोक्ताओं को अधिक लाभ दिया गया है।

बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्टोरों में वितरण से पूर्व किराना सामग्रियों का पूर्व परीक्षण शुरू किया गया है और स्टोरों के सेल्फ से उठाए गए नमूनों की यादृच्छिक परीक्षण को भी जारी रखा गया है। इन कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि बेची गई सामग्रियों की गुणवत्ता बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि को पूरा करेगा।

12.4.7 बहु राज्यीय सहकारी संस्था

केन्द्रीय भण्डार 8.9.2000 से बहु राज्यीय सहकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। हैसियत में इस बदलाव के साथ केन्द्रीय भण्डार देश के अन्य राज्यों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में समर्थ हुआ है।

12.4.8 बिक्री निष्पादन

केन्द्रीय भण्डार ने हाल ही में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल बिक्री और निवल लाभ क्रमशः 461.31 करोड़ रुपए तथा 485.97 लाख रुपए था। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान (अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक) कुल बिक्री और निवल लाभ क्रमशः 346 करोड़ रुपए तथा 351 लाख रुपए था।

केन्द्रीय भण्डार के पास 90.43 लाख रू. की संदत्त पूंजी है जिसमें से 31.3.2011 के अनुसार 68.18 लाख रू. सरकार द्वारा और 22.25 लाख रू. व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा अभिदत्त किया गया है।

यह संस्था अपने कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से 20 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर रहा है।

12.4.9 लाभांश

केन्द्रीय भण्डार एक लाभांश भुगतान करने वाली सहकारी संस्था है। केन्द्रीय भण्डार ने वर्ष 2010–11 के लिए 10 प्रतिशत लाभांश घोषित किया।

केन्द्रीय भण्डार ने वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय कोष में करों तथा लाभांश के रूप में 171.76 लाख रुपए का योगदान किया।

सचिव (कार्मिक) के साथ श्रीमती पूनम रावत, अध्यक्ष तथा श्री जगदीश भाटिया, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डार वर्ष 2009–10 के लिए लाभांश का चेक माननीय मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन को प्रस्तुत करते हुए

दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित मई, 2011 में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वारका, नई दिल्ली में नए केन्द्रीय भण्डार किराना उपभोक्ता स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर

महा निदेशक (जेल), श्री नीरज कुमार, भा. पु. से., जनवरी, 2012 में तिहार जेल परिसर, जनकपुरी, नई दिल्ली में नए केन्द्रीय भण्डार किराना उपभोक्ता खुदरा स्टोर का उद्घाटन करते हुए

श्री के. एल. सिन्हा, निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली में नवम्बर, 2011 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय भण्डार के प्रतिनिधियों / निदेशकों को संबोधित करते हुए

12.5 संस्कृति स्कूल

सरकार के निर्णय के अनुसरण में, सिविल सेवा समिति ने विशेष रूप से दिल्ली में स्थानांतरण पर आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने हेतु दिल्ली में एक विद्यालय स्थापित किया। शिक्षा का अधिकार (आर टी ई) अधिनियम तथा राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों में यथा निर्धारित वंचित वर्गों एवं कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत 25 विद्यार्थियों को नर्सरी विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है।

12.6 सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सी एस ओ आई)

12.6.1 समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत सिविल सेवा अधिकारी संस्थान 1998 में स्थापित किया गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों के हितों को बढ़ावा देना और सेवा का पूर्णतया पूर्ण एकीकरण सुरक्षित करने तथा सिविल सेवाओं के सभी पहलुओं में सहकारिता की भावना से ओत–प्रोत अधिकारियों का एक वर्ग तैयार करना है।

12.6.2 यह संस्थान, एम. एस. अपार्टमेंट, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली स्थित परिसर से कार्य कर रहा है। इस संस्थान को अनुदान सहायता सरकार द्वारा केवल पूंजी निवेश के लिए प्रदान किया जाता है।

12.7. विभागीय कैंटीनें

12.7.1 कर्मचारी कल्याण के उपाय के रूप में, केन्द्र सरकार के कार्यालयों/ उसकी संस्थापनाओं में कर्मचारियों को कार्य– समय के दौरान वाजिब दरों पर स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में तैयार पेय, नाश्ता तथा भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से विभागीय कैंटीनों/ टिफिन कक्षों की स्थापना की गई। वर्तमान में, केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लगभग 1350 मान्यता प्राप्त कैंटीनें/ टिफिन कक्ष चल रहे हैं। इन कैंटीनों में स्वच्छता और सेवा की गुणवत्ता आदि सुधारने की दृष्टि से विस्तृत अनुदेश समय–समय पर जारी किए जाते रहे/ जा रहे हैं। नीतिगत मामलों में कई आदेश जारी किए गए हैं।

12.7.2 प्रत्येक वर्ष निदेशक (कैंटीन) के विवेकाधीन कोष से कैंटीन कर्मचारियों के पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कैंटीन कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक संशोधित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

12.7.3 कैंटीन परिचरों के लिए होटल प्रबंधन संस्थान, पूसा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2011–12 के दौरान 141 कैंटीन परिचरों को प्रशिक्षित किया गया। 30 विभागीय कैंटीनों का भी निरीक्षण किया गया।

अध्याय–13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

13.1 सूचना का अधिकार, संविधान द्वारा दी गई परोक्ष गारंटी है। इसके बावजूद लोक प्राधिकरणों से नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए एक यथार्थ शासन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए तथा सभी लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया।

13.2 यह कानून व्यापक है और यह शासन के प्रायः सभी मामलों पर सूचना के खुलासे को शामिल करता है। यह केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर की सभी सरकारों पर लागू होने के साथ–साथ सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन तथा इसके द्वारा मुहैया कराई गई निधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त तौर पर वित्त पोषित निकायों पर भी लागू होता है। इसके अंतर्गत सभी विधायी निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा सभी संवैधानिक निकाय आते हैं।

13.3 इन अधिनियमों में सूचना का प्रचार–प्रसार करने के लिए द्वि– आयामी रणनीति लागू की गई है। इसमें व्यापक आधार पर स्वतः सूचना प्रकट करने/ प्रकाशित करने की जिम्मेदारी लोक प्राधिकारियों पर डाली गई है। इसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि लोक प्राधिकरण जनता द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करें तथा उन्हें सरकारी दस्तावेजों की जांच करने एवं विभिन्न कार्यों के नमूने एकत्र करने की अनुमति दें। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संबंधित जन सूचना अधिकारी से अनुरोध करना होता है। इस अनुरोध में मांगी जाने वाली सूचना तथा जिस पते पर सूचना भेजी जानी हो, उसको इंगित करके सूचना प्राप्त की जा सकती है। अनुरोध या तो डाक द्वारा भेजा जा सकता है अथवा इसे व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। इसे हिन्दी या अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्र की राजभाषा में भेजा जा सकता है तथा इसे ई मेल द्वारा भी भेजा जा सकता है।

13.4 इस अधिनियम में सूचना की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तंत्र बनाया गया है जिसमें लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, स्वतंत्र केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) तथा राज्य सूचना आयोग आदि शामिल हैं।

13.5 यह अधिनियम समय बद्ध आधार पर सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करता है। किसी लोक सूचना अधिकारी से मांगी गई सूचना 30 दिन के भीतर विनिर्दिष्ट पते पर भेजने की अपेक्षा है। किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना के मामले में सूचना 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सूचना नहीं दी जाती है तो अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी पर कठोर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी को विलम्ब के लिए 250/– रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना पड़ सकता है जो अधिकतम 25,000/– रुपए होगा।

13.6 इस सूचना अधिनियम में दो अपीलों की व्यवस्था की गई है। यदि आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती है या आवेदक प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील विभागीय अपीलीय प्राधिकारी को कर सकता है जो कि प्रायः लोक

सूचना अधिकारी का अगला वरिष्ठ अधिकारी होता है। यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह द्वितीय अपील 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को कर सकता है।

13.7 इस अधिनियम के प्रावधान अधिभावी स्वरूप के हैं, ताकि अन्य छोटे अधिनियमों के संचालन के जरिए इस योजना को समाप्त न किया जा सके। तथापि, देश की सुरक्षा, देश के वैज्ञानिक या आर्थिक हित से संबंधित कतिपय सूचनाओं तथा व्यापारिक गोपनीयता आदि से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने से छूट प्रदान की गई है। कुछ सुरक्षा या आसूचना संगठनों को भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सूचना को छोड़कर किसी भी सूचना को प्रकट करने से छूट प्रदान की गई है। ऐसे संगठनों से अपेक्षा है कि वह भ्रष्टाचार अथवा मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंध रखने वाली सूचना के बारे में आवेदनों और अपीलों को निपटाने के लिए लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को नामित करें।

13.8 भारत सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया है तथा सभी 27 राज्यों ने, जहां यह अधिनियम लागू होता है, राज्य सूचना आयोगों का गठन किया है। ये आयोग उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय हैं, जो अन्य बातों के साथ– साथ उनको की गई शिकायतों को देख सकते हैं तथा अपीलों का निपटारा कर सकते हैं। इन आयोगों को चूककर्ता जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्र सरकार तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के मामलों की अपीलों पर कार्रवाई करता है जबकि राज्य सूचना आयोग संबंधित राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित मामलों की अपीलों पर कार्रवाई करते हैं।

13.9 केन्द्रीय सूचना आयोग की जब स्थापना की गई थी, तब आरंभ में इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित पांच आयुक्त थे। बाद में सरकार ने आयोग को सुदृढ़ किया है और अब इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित आठ सूचना आयुक्त हैं।

13.10 यह अधिनियम संबंधित सरकारों को अधिकार देता है कि वे इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएं। केन्द्र सरकार ने दो नियमावली यथा सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (अपील कार्यवाही) नियमावली, 2005 अधिसूचित की हैं।

13.11 केन्द्रीय शुल्क नियमावली में व्यवस्था है कि सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए अनुरोध के साथ नकद के रूप में 10 रुपए का आवेदन शुल्क देय है, जिसकी समुचित रसीद दी जाएगी अथवा इसका भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा किया जा सकता है। आवेदक को दस्तावेजों को प्राप्त करने अथवा दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित के अनुसार आवेदन फीस के अतिरिक्त फीस अदा करना होता है:

(i) ए– 4 या ए– 3 आकार के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपए

(ii) बड़े आकार के पृष्ठ का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य

(iii) प्रति फ्लॉपी या डिस्क के लिए 50 रुपए

(iv) रिकार्डों के निरीक्षण के प्रथम घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं तथा प्रत्येक अगले घण्टे (अथवा उसके कुछ भाग) के लिए पांच रुपए (5/– रुपए)।

(v) मुद्रित रूप में सूचना प्रदान करने के लिए ऐसे प्रकाशन द्वारा नियत की गई कीमत पर अथवा प्रकाशन से उद्धरणों के लिए 2 रुपए प्रति फोटोकापी पृष्ठ।

13.12 गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

13.13 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अपील नियमावली में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार की नियमावली अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय नियमावली में, विशेष रूप से अपील के निम्नलिखित पहलुओं के लिए प्रावधान हैः–

(i) अपील की विषय–वस्तु

(ii) अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़

(iii) अपील पर निर्णय लेने की प्रक्रिया

(iv) आयोग द्वारा नोटिस देने की प्रक्रिया

(v) अपील करने वाले की व्यक्तिगत उपस्थिति

(ii) आयोग का आदेश

13.14 अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा करने वाले अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे रिकॉर्ड को अद्यतन बनाएं, आधारभूत ढांचे को सुधारें तथा अधिनियम में निर्धारित किए गए आवश्यक पुस्तिकाओं को प्रकाशित करें; लोक सूचना अधिकारियों सहित प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित करें और उनके विवरणें को प्रकाशित करें; स्व– प्रेरणा से प्रकटन के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन करें और सूचना तथा अपील के लिए आवेदनों को प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकरण के भीतर केन्द्रीय बिन्दु सृजित करें। सरकार ने सूचना मांगने वालों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक प्राधिकरणों के लिए प्रत्येक के लिए एक–एक, कुल पांच मार्गदर्शिका और सभी पणधारियों के प्रयोग के लिए समेकित मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। सूचना का अधिकार पर एक समर्पित वेबसाइट ्.तजप.हवअ.पद तैयार किया गया है जिसमें सूचना का अधिकार पर परिपत्र, अधिसूचना तथा दिशा–निर्देश, केन्द्रीय सरकार के मुख्य लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों का पता लगाने की सुविधा सहित महत्वपूर्ण सूचनाएं समाहित हैं। यह वेबसाइट सूचना का अधिकार से संबंधित अन्य साइटों से भी जुड़ी है।

13.15 सरकार ने, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना (2008–09–2009–10) के माध्यम से, राज्य सूचना आयोगों को सुदृढ़ करने और सूचना का अधिकार मामलों का निपटान करने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता को बढ़ाने के उपाय किए हैं। विभिन्न पणधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। शैक्षिक माध्यम में अन्तर्वेशन और मीडिया के माध्यम से सूचना का अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रयास किए गए हैं।

13.15.1 एस आई सी एवं ए टी आई को जागरूकता पैदा करने व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता जारी रखने के उद्वेश्य से 11वीं योजना अवधि के शेष दो वर्षों (2010–11 एवं 2011–12) के लिए 'सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्यवन के माध्यम से सरकार में पादर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार' शीर्षक से एक नई योजना अगस्त 2010 में शुरू किया गया।

13.15.2 उपर्युक्त प्लान योजना में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/ अपीलीय प्राधिकारियों, राज्य लोक सूचना अधिकारियों/ अपीलीय प्राधिकारियों, जागरूकता सृजन,

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना पर सूचना का अधिकार फेलोशिप इंटर्नशिप के घटक हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न लोक प्राधिकरणों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के लिए 22 अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/ राज्य लोक सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण पर 31 मार्च, 2012 तक 1729.46 लाख रू. की राशि खर्च की गई। जागरूकता सृजन के घटक में व्यापक मीडिया अभियान और मार्गदर्शिका पुस्तकों का प्रकाशन शामिल था। 31 मार्च, 2012 तक इस घटक पर 1729.46 लाख रू. खर्च किए गए।

13.15.3 योजना के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचना का अधिकार से संबंधित विषयों पर दाखिल आधारित अनुसंधान करने के लिए मीडिया/ सिविल सोसाइटी व्यवसायियों/ आर टी आई प्रशिक्षकों के क्षेत्र से अनुसंधानकर्ताओं के लिए चार लघु अवधि फेलोशिप शुरू किया है। फेलोशिप योजना में परिकल्पना की गई है कि अधिनियम की सफलता सहित इसके कार्यान्वयन की स्थिति को समझने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं उनको कैसे दूर किया जा रहा/ किया जाए तथा अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और क्या किए जाने की आवश्यकता है। संवीक्षा के अधीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 2011 से जून, 2001 तक 3 माह के लिए सूचना का अधिकार फेलोशिप हेतु चार व्यक्तियों को चुना गया और उन्होंने अपनी फेलोशिप रिपोर्ट सौंप दी है। इस घटक के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक 7.55 लाख रू. खर्च किया गया।

13.15.4 सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन, इसकी सफलता, कार्यान्वयन में बाधाओं, और अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान, अंतर वाले क्षेत्र को पाटने और अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के अनुभवों को एकत्रित एवं दस्तावेज बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने चुनिंदा लोक प्राधिकरणों में आर टी आई आवेदनों का विश्लेषण करने के लिए विधि में पांच वर्षों का एकीकृत पाठ्यक्रम करने वाले पूर्व स्नातकों एवं विधि में स्नातकोत्तर करने वालों के लिए एक लघु अवधि इंटर्नशिप शुरू किया है। संवीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विधि विश्यविद्यालय, दिल्ली के छह विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की पेशकश की गई है।

13.16 सूचना का अधिकार के लिए एक ब्रांड के सृजन की दृष्टि से, निम्नवत दिया गया एक लोगो 28 अक्तूबर, 2010 को सूचना का अधिकार के लिए अपनाया गया है। यह लोगो बहुत साधारण और प्रतिष्ठित है। इस पर सूचना के साथ एक कागज की शीट तथा सूचना देते हुए इसके पीछे प्राधिकारी की आकृति। यह सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के आदान– प्रदान की प्रक्रिया में दो मुख्य पणधारकों का प्रतिनिधित्व करता है।

13.17 सूचना का अधिकार पर एक विषय आधारित गीत 15 अगस्त, 2011 को प्रारंभ किया गया। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों, टेलीविजन के निजी चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो तथा रेडियो के निजी चैनलों के माध्यम से हिन्दी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आर टी आई गीत और आर टी आई लोगो दोनों के लिए एक श्रव्य–दृश्य एवं श्रव्य प्रचार अभियान किया गया। जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के हिन्दी क्षेत्रों में आर टी आई का एक दीर्घ संस्करण (तीन मिनट का) भी 30 सितम्बर, 2011 को डिजिटल थिएटरों (जहां 625 से अधिक सीटें थी) में प्रदर्शित किया गया।

13.18 एक पोर्टल 'आर टी आई गेटवे' को प्रारम्भ किया गया है जो समयावधि में, सृजित और संग्रहीत किए गए सूचना का अधिकार पर संसाधनों के एक विस्तृत भंडार तक पहुंच प्रदान करता है, जो सूचना का अधिकार कार्यान्वयन शासन पद्धति की व्यक्तिगत/ सांस्थानिक पणधारकों के अलग–अलग जरूरतों का समाधान कर सकता है।

13.19 सूचना का आधेकार अधिनियम के कार्यान्वयन की ओर रणनीति बनाने में सरकार सिविल समिति संगठनों को शामिल कर रही है। स्व– प्रेरणा से प्रकटन पर एक कार्य बल की स्थापना की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बेहतर स्व–प्रेरणा प्रकटन को सुगम बनाने के लिए इसमें सिविल समिति के प्रतिनिधि हैं।

13.20 केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्वेश्य से मंत्रिंडल सचिव की अध्यक्षता में एक खोज समिति का गठन किया गया। खोज समिति ने इच्छुक व्यक्तियों का विवरण आमंत्रित किया। प्रत्युत्तर में 214 आवेदन प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तीन व्यक्तियों के नामों को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च 2012 को तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई।

अध्याय–14

विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज एवं नागरिक घोषणापत्र

14.1 प्रधान मंत्री ने सरकार के विभागों और मंत्रालयों की कार्यक्षमता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए 11.9. 2009 को एक प्रणाली का अनुमोदन किया। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विभागों से परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें वर्ष के मुख्य उद्देश्यों और तदनुरूपी कार्रवाई का सार दिया गया हो। सरकारी निष्पादन के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 28.01.2010 को संपन्न हुई अपनी बैठक में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कार्यदक्षता की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली के चरण–II में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को शामिल करने का निर्णय लिया।

14.1.1 आर एफ डी की प्रस्तावति प्रणाली का सार सीधा–सादा है। इसमें तीन आधारभूत प्रश्नों पर ध्यान दिया गया है: (क) वर्ष के लिए सरकारी विभाग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? (ख) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन– सी कार्रवाई प्रस्तावित है? (ग) वर्ष के अंत में हम कैसे जान पाएंगे कि इन कार्यवाहियों को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है? अर्थात सार्थक सफलता के संकेतक क्या हैं? तदनुसार, इस विभाग ने वर्ष 2011–12 के लिए अपनी आर एफ डी तैयार की। विभाग का आर एफ डी विभाग के वेबसाइट www.persmin.gov.in पर उपलब्ध है।

14.2 विभाग की कार्यनीति और कार्यनीतिक योजना

वर्ष 2011–12 के लिए आर एफ डी कार्य के भाग के रूप में, इस विभाग ने अगले पांच वर्षों के लिए कार्यनीति और कार्यनीतिक योजना तैयार की है। कार्यनीति को तैयार करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने खुली बहस के साथ–साथ पणधारियों के साथ अनेक प्रकार से विचार–विमर्श किया और विभाग के अन्दर ज्ञानवर्धन सत्र आयोजित किया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मसूरी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिससे विभाग की कार्यनीति को विकसित करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त हुई। अगले पांच वर्षों के लिए विभाग की कार्यनीति को फरवरी, 2011 में अंतिम रूप देकर अनुमोदित किया गया।

14.2.1 विभाग की कार्यनीति में लोक सेवा में बदलते माहौल के अनुरूप कदम उठाते हुए लोक सेवा में पारदर्शिता सहित कार्य कुशलता लाकर निष्पादन में सुधार लाने की चुनौतियों का सामना करने के प्रयास किए गए हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए छह कार्यनीतिक उद्देश्य और मूल कार्यनीतिक कार्रवाई नीचे सूचीबद्ध हैं:

कार्यनीतिक लक्ष्य

(i) सबसे उपयुक्त को आकर्षित करना।

(ii) उत्कृष्टता का पोषण।

(iii) उत्कृष्टता को प्रेरणा देना।

(iv) केन्द्रीय सचिवालय में कनष्ठि और मध्यम प्रबंधन को पुनर्जीवित करना।

(v) सतर्कता प्रशासन को सशक्त बनाना।

(vi) सार्वजनिक मामलों में अधिक पारदर्शिता लाना।

मुख्य कार्यनीतियां / कार्यनीतिक कार्रवाई

(i) व्यापक विश्वसनीय, पारदर्शी और वृहद कार्मिक नीति का ऐसे स्पष्ट जनादेश के साथ व्याख्या करना जिस पर कोई समझौता न हो।

(ii) सिविल सेवा परीक्षा में, सही ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से युक्त सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अपेक्षित सुधार लाना।

(iii) सेवा के सभी स्तरों के लिए ब्रांड छवि बनाना।

(iv) पूर्व परिभाषित और भरपूर प्रचारित चयन मानदंड सहित कार्य विवरणों का स्पष्ट उल्लेख कर भर्ती और नियोजन प्रक्रिया को वस्तुपरक बनाना और स्वेच्छाचारिता के तत्व को समाप्त करना।

(v) प्रणाली की प्रभावकारिता को अधिकतम बढ़ाकर और मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके कार्य वातावरण को समृद्ध बनाना।

(vi) सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को समाज में पर्याप्त और प्रभावी प्रतिनिधित्व देना।

(vii) ;अपपद्धकार्य प्रशिक्षण पर ऑन–लाइन प्रशिक्षण, परामर्श सहित क्षमता विकास के लिए नवीन तरीकों का विकास करना।

(क) प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कार्यालय या संगठन को वेतन बजट का कम से कम 2.5 प्रतिशत अलग रखने के सिद्धांत के पालन को सुनिश्चित करना और प्रत्येक योजना में अनिवार्य रूप से क्षमता निर्माण घटक के तत्व की भी शुरुआत करना।

(ख) सीखते समय सम्मेलनों / संगोष्ठियों के माध्यम से उपलब्धि को हासिल करने वाले और प्रबुद्ध विद्वानों के साथ परस्पर विचार करना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के माध्यम से विकास करना।

(viii) समग्र नीतिगत ढांचा विकसित करना, सृजनात्मकता, नवाचार, संवेदनशीलता और नीतिपरक मूल्य विकसित करने के लिए एक समुचित संगठनात्मक संस्कृति जिससे सरकार के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता लाया जा सके।

(क) संगठनों / एजेंसियों को अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना।

(ix) अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को दक्षता ढांचे के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे निम्नलिखित सुनिश्चित हो सके:

(क) प्रत्येक कार्य व्यक्ति द्वारा अपेक्षित दक्षता के साथ निष्पादित किया जाना

(ख) मूल और क्षेत्र विशिष्ट दक्षताएं – दृष्टिकोण पर विशेष बल सहित

(ग) पांच वर्ष में कम से कम एक बार प्रवेश प्रशिक्षण के साथ– साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(x) निम्नलिखित के माध्यम से प्रशिक्षण और विकास के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करना:

(क) व्यापक रूप से शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद का गठन और प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

(ख) सभी के लिए प्रशिक्षण हेतु उद्देश्यों को प्राप्त करने में ए टी आई के साथ सहयोग करना।

(xi) कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।

(xii) उप आर एफ डी/ समूह/ प्रभाग स्तर पर वार्षिक कार्य योजना में यथा प्रतिबिंबित बेंचमार्क पृवत्ति के आधार के संदर्भ में व्यक्तियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए निष्पक्ष और विश्वसनीय मानदण्ड तैयार करना।

(xiii) वर्तमान योजनाओं की समीक्षा और असाधारण निष्पादन के लिए मौद्रिक/ गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की नई योजनाओं की शुरुआत।

(xiv) प्रति वर्ष उत्कृष्ट अधिकारियों के विशिष्ट प्रतिशत की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से बनाई गई प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा पुरस्कृत करना।

(xv) प्रदर्शन की पहचान तथा प्रोत्साहन की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रबंधित सभी सेवाओं/ संवर्गों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एच आर आई एस) का प्रयोग।

(xvi) ऐसे व्यक्तियों की पहचान, चयन और पोषण करना जो विभाग/ संगठन को सुदृढ़ नेतृत्व और दिशा प्रदान करें।

(xvii) मंत्रालयों/ विभागों में जनशक्ति की आवश्यकताओं का सही और समयानुसार आकलन करना:

(क) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित योजना बनाना और वर्तमान पदों के आबंटन पर आधारित जनशक्ति का पूर्वानुमान

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संवर्ग प्रबंधन प्रणाली

(ग) केन्द्रीय सचिवालय में कनिष्ठ/ मध्यम प्रबंधन कर्मचारियों का पुनः आकलन

(घ) विभिन्न पदों के लिए दक्षता ढांचे का विकास

(ड.) ई ए प्रणाली की शुरुआत की व्यवहार्यता का आकलन

(xviii) मंत्रालयों की जरूरतों के साथ–साथ कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति तथा नियोजन।

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सीधी भर्ती नीति की समीक्षा

(ख) क्रमिक तरीके से व्यक्तिगत विकास योजना की प्रणाली की शुरुआत करना

(ग) सी टी पी के अनुसार सभी कर्मचारियों को दक्षता तंत्र आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना

(घ) अधिष्ठापन प्रशिक्षण को संस्थागत रूप देना

(ड.) नवीन उपस्करों अर्थात ऑन– लाइन प्रशिक्षण, परामर्श द्वारा निरंतर प्रशिक्षण

(च) कर्मचारियों का नियोजन – वृत्ति उन्नति की व्यक्तियों की जरूरत, कुशल कर्मचारियों के लिए विभागों की जरूरत और अवसरों में निष्पक्षता तथा निष्ठा के प्रोत्साहन के लिए सरकार की जरूरत में संतुलन कायम करना।

(xix) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना:

(क) मंत्रालयों और सी एस प्रभागों में कोर मानव संसाधन प्रबंधकों का विकास करना।

(ख) आई सी टी का प्रयोग करके कुशलता और कारगरता के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

और संवर्ग एककों में मानव संसाधन कार्यों के वितरण को सरल बनाना।

(ग) मंत्रालयों और कर्मचारियों के साथ सुस्थिर तरीके से खुले और पारदर्शी संबंध के लिए प्रणाली को संस्थागत रूप देना।

(घ) कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रणाली की समीक्षा और और उसे सुदृढ़ बनाना।

(xx) व्यक्तिगत दावों और परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति के लिए वर्तमान नियमों और पद्धतियों के सरलीकरण द्वारा सरकार में विश्वास अभाव को कम करना।

(xxi) प्रवेश स्तर पर मनोवैज्ञानिक रूपरेखा के माध्यम से निवारक तंत्र विकसित करना।

(xxii) निम्नलिखित के माध्यम से सभी स्तरों पर संगठनात्मक मूल्यों की स्थापना, प्रतिपादन और पोषणः

(क) सभी स्तरों पर आचार शास्त्र पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) नियमित विभागीय कार्रवाई (आर डी ए) मामलों को विनियमित करने वाले नियमों और पद्धतियों की समीक्षा और संशोधन ताकि उल्लंघन करने वालों से निश्चित तौर पर और तेजी से निपटना सुनिश्चित हो।

(ग) वैकल्पिक विवाद समाधान और परस्पर बातचीत से तय दण्ड द्वारा उल्लंघन को दण्ड देने की प्रक्रिया को सुधारना;

(घ) सभी स्तरों पर सम्प्रेषण की प्रणाली को सुधारना और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना;

(xxiii) लोक सेवकों में ☐ष्टाचार की रोकथाम और पता लगाने के लिए संस्थागत रचनातंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(xxiv) जिनको सजा मिली हुई है, उनका उदाहरण देकर और उपलब्धियों के प्रदर्शन द्वारा सरकार के लोक और मीडिया दृष्टिकोण में सुधार लाना।

(xxv) जनता से जुड़े विभागों में विवेकाधिकार को कम करने और और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए आई सी टी उपस्करों को विकसित करना ।

(xxvi) लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः प्रेरणा से प्रकटन के प्रावधानों के प्रभावूपर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रणाली को संस्थागत रूप देना।

(क) स्वतः प्रेरणा द्वारा प्रकटन के लिए विस्तृत नियमावली और नमूना तैयार करना।

(ख) लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए स्वतः प्रेरणा प्रकटन की लेखा– परीक्षा।

(xxvii) जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और नागरिक समाज तथा मीडिया के साथ प्रभावपूर्ण सहयोग द्वारा मांग पक्ष को सुदृढ़ करना

(क) सूचना का अधिकार के लिए दीर्घ अवधि सम्प्रेषण कार्यनीति का कार्यान्वयन और विकास, जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, सी आई सी/ एस आई सी, सी एस ओ और मीडिया के प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित करता है।

(ख) सूचना का अधिकार लोगो और मीडिया प्रचार के प्रभावपूर्ण प्रयोग द्वारा सूचना के अधिकार के पहचान को स्थापित करना।

(ग) राज्य सरकारों और एस आई सी को उनके जागरूकता लाने के प्रयास में सहयोग करना।

(घ) अधिनियम, नियमावली, मार्गदर्शी पुस्तकों इत्यादि के प्रकाशन के माध्यम से, प्रशिक्षण और इस बारे में राज्य सरकारों और सी एस ओ के प्रयासों को समर्थन देने के माध्यम से सूचना के अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए आम जनता में क्षमता निर्माण करना।

(xxviii) अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों और सूचना आयुक्तों को सौंपी गई भूमिका निभाने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाना।

(क) सी पी आई ओ / ए ए को प्रशिक्षण और एस पी आई ओ और ए ए के प्रशिक्षण के लिए राज्यों को सहयोग।

(ख) आई सी का क्षमता निर्माण।

(ग) केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों में सूचना का अधिकार अनुरोधों को संभालने के लिए पद्धतियों को सरल बनाना और अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

(घ) डी ए आर पी जी के परामर्श से केन्द्रीय लोक प्राधिकरणों में रिकार्ड प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा और उनको सरल बनाना।

(ङ.) अनवरत आधार पर सी पी आई ओ और ए ए की जानकारी को अद्यतन बनाना।

(xxix) निम्नलिखित के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करना:–

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम और नियमावली तथा संबंधित पद्धतियों की जरूरत के अनुसार समीक्षा और संशोधन।

(ख) सूचना का अधिकार और जानकारी के प्रचार के बारे में 'जानकारी प्रबंध' के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्थापना करना।

(ग) सी आई सी/आई सी के चयन के लिए पद्धतियों की समीक्षा।

(घ) सी आई सी के निर्बाध कार्य करने के लिए सरकार – सी आई सी के संबंधों की समीक्षा।

(ङ.) अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सरकार, सूचना आयोगों और सी एस ओ के बीच विचारों के नियमित आदान – प्रदान के लिए एक मंच की स्थापना।

(च) अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर सर्वेक्षण, अनुसंधान और अध्ययन करना और उनका समर्थन करना।

(xxx) निम्नलिखित द्वारा आई सी टी के प्रयोग के माध्यम से सूचनाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार करना:

(क) केन्द्रीय लोक प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार आवेदनों को प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना।

(ख) सूचना का अधिकार आवेदनों और पहली अपीलों को ऑन– लाइन भेजने और अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए एक पोर्टल की स्थापना।

(ग) आई सी टी का प्रयोग कर प्रवासी भारतीयों को सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना।

विस्तृत कार्यनीति और कार्यनीतिक योजना विभाग की वेबसाइट www-persmin-gov-in पर उपलब्ध है।

14.2.2 तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए आर एफ डी हेतु उद्वेश्यों के रूप में मुख्य कार्यनीति और कार्यनीतिक कार्यकलापों को लेते हुए अपना आर एफ डी तैयार किया है।

14.2.3 विभाग का नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र और सेवोत्तम अनुरूपी लोक शिकायत प्रणाली

आर एफ डी की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार, विभाग ने अपना नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र तैयार किया है तथा सेवोत्तम अनुरूपी लोक शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित किया है।

14.3 यद्यपि यह विभाग मूल रूप से सरकारी संगठनों और सरकारी कर्मचारियों से व्यवहार करता है तथापि, इसकी बहुत छोटे स्तर की सेवा नागरिकों से संबंधित है, विशेष रूप से वे आवेदक जिनका नाम आयोगों (संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग आदि) द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए भेजा जाता है। आवेदक, तब तक एक नागरिक माना जाता है जब तक वह सरकार की लोक सेवाओं में नियुक्त नहीं हो जाता है। इस विभाग द्वारा की जाने वाली सेवा का मुख्य भाग सरकारी एजेंसियों या सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसलिए इस विभाग द्वारा बनाए गए घोषणापत्र का नाम नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र रखा गया है। इस घोषणापत्र में, विभाग ने विभिन्न प्रभागों द्वारा दी जा रही कुछ मूल सेवाओं और उनके मानदण्डों की पहचान की है। इसे पणधारियों के साथ विचार– विमर्श करके एक कार्य बल द्वारा किया गया है। सेवाओं की पहचान करते समय, मापनीय और सत्यापनीय सेवाओं और उनके मानदण्डों पर बल दिया गया है। चार्टर में नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र में उल्लखित सेवाओं से संबंधित अपना एक शिकायत निवारण तंत्र भी है।

परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार विभाग के नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र की समीक्षा कार्य– निष्पादन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित तदर्थ कार्य बल द्वारा की गई। तदर्थ कार्य बल ने विभाग के प्रयासों की सराहना की और कुछ परिवर्तन/ बदलाव सुझाए, जिसे पूरा किया गया और संशोधित घोषणापत्र को लक्ष्य तारीख तक विभाग के वेबसाइट में डाला गया। विभाग के संशोधित नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र में विभिन्न प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, उत्तरदायी अधिकारियों के नाम और सपंर्क का ब्यौरा, सेवा मानक और लिया जाने वाला समय, सन्निहित प्रक्रिया और अपेक्षित दस्तावेजों का विवरण शामिल है। संशोधित नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर 16.1.2012 को अपलोड किया गया। घोषणापत्र में लोक शिकायत अधिकारियों के नाम व संपर्क के ब्यौरे भी शामिल है। नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र में शामिल सेवाएं निम्नलिखित हैं:

- ए सी सी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों का संसाधन।
- सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा का आबंटन।
- जिन आवेदकों को सेवा आबंटित किया गया है, उनका बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन।
- ६ सरकारी विभागों/ संगठनों के लिए छुट्टी की सूची जारी करना।
- राष्ट्रीय परिषद (जे सी एम) के कर्मचारी पक्ष सचिवालय को अनुदान सहायता जारी करना।
- अनुशासनात्मक मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ असहमति वाले मामलों पर सलाह प्रदान करना।

- ए सी आर/ए पी ए आर से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण।
- तदर्थ नियुक्तियों को बढ़ाने/ अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई करना।
- भर्ती नियम बनाने/ उनमें संशोधन करने/ छूट देने के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना (आर आर एफ ए एम एस पर ऑन–लाइन प्राप्त प्रस्तावों सहित)।
- व्यक्तिगत विदेश यात्राओं/ और प्रतिनियुक्ति के लिए संवर्ग निकासी।
- सरकारी संगठनों में पदों को भरने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- विदेश प्रशिक्षण के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह – एक वर्ष) एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह तक) की घरेलू अनुदान राशि के तहत अधिकारियों का नामांकन।
- लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (ए पी पी पी ए) के लिए अधिकारियों का नामांकन।
- सेवाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, पी डब्ल्यू डी और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण के मुद्दे पर मंत्रालयों/ विभागों को सलाह/ स्पष्टीकरण।
- हवाई बिलों के अतिरिक्त, सभी प्रकार से पूर्ण रूप से प्रस्तुत किए गए बीजकों के लिए विक्रेताओं को भुगतान।

नागरिक/ ग्राहक घोषणापत्र के कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और विभाग और अधिक सेवाओं को शामिल करने व सेवा मानकों को सुधारन के लिए प्रतिबद्ध है।

लोक शिकायक निवारण तंत्रः

विभाग केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस), जो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) द्वारा विकसित एवं निगरानी किए जा रहे एक आनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2011 के दौरान विभाग को सी पी जी आर ए एम एस में 2335 शिकायतें प्राप्त हुई और 1882 शिकायतों का निपटान किया गया।

इसके अतिरिक्त, विभाग नागरिकों एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों से कागजी शिकायतें भी प्राप्त करता है। शिकायतों को प्राप्त किया जाता है और जांच एवं समाधान के लिए विभिन्न प्रभागों को अग्रेषित किया जाता है। जो शिकायत इस विभाग से संबंधित नहीं होते हैं उनको संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को अग्रेषित किया जाता है और याचकों को तदनुसार सूचित कर दिया जाता है।

विभाग में शिकायतों के निवारण एवं सी पी जी आर ए एम एस के कार्यान्वयन के प्रदर्शन की प्रभाग दृ वार आवधिक समीक्षा संयुक्त सचिव (ए टी एंड ए) द्वारा की जाती है और प्रदर्शन में सुधार के उपायों को उनके साथ उठाया जाता है।

संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए निदेशक हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को बैठक रहित दिन रखा जाता है ताकि नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए 10.00 बजे से 1.00 बजे तक संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर सकें। शीघ्र निपटान एवं लंबन से बचाव सुनिशिचत करने के लिए लोक शिकायतों के निपटान की प्रगति की निगरानी प्रत्येक माह की जाती है।

सूचना एवं सुविधा केन्द्रः

इस विभाग के सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आई एफ सी) की स्थापना नार्थ ब्लॉक एवं लोक नायक भवन दोनों में नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए एक हेल्प डेस्क के साथ की गई है। नागरिकों को सुविधा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा आई एफ सी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और इसके कार्यकलापों के बारे में सूचना का प्रसार भी करता है। आई एफ सी की स्थापना नागरिकों के लिए सरल पहुंच को ध्यान में रखते हुए की गई है।

कर्मचारी शिकायत निवारण

विभाग ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र आरंभ किया है। एन आई सी की तकनीकी सहायता से अंतर विभागीय वेबसाइट में कर्मचारियों द्वारा शिकायतों को अनलाइन दाखिल करने की सुविधा को सक्षम बनाया गया है। संबंधित अनुभागों द्वारा शिकायतों के निवारण/ निपटान की निगरानी निदेशक (प्रशासन) द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निदेशक (प्रशासन) ने कर्मचारियों के सदस्यों से दो परस्पर बातचीत का खुला सत्र आयोजित किया।

अध्याय–15

सरकारी काम–काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

15.0 संघ की राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से मंत्रालय ने सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा 1967 में यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसके तहत बनाई गई राजभाषा नियमावली, 1976 के साथ– साथ राजभाषा विभाग द्वारा समय– समय पर जारी विभिन्न आदेशों/ अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संगठित प्रयास करना जारी रखा।

कार्यान्वयन और अनुवाद के लिए तंत्र

15.1 मंत्रालय में इस समय उप निदेशक (राजभाषा) के अधीन दो सहायक निदेशकों और अन्य सहायक कर्मचारियों सहित एक संपूर्ण राजभाषा प्रभाग है। यह प्रभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्य के साथ– साथ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित कार्य भी करता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में उप निदेशक (राजभाषा) के अधीन आवश्यक सहायक कर्मचारियों से युक्त एक पृथक राजभाषा प्रभाग है।

राजभाषा प्रभाग, राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा कर्मचारियों को हिन्दी भाषा सीखने, हिन्दी टाइपलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी करता है।

यह प्रभाग, संसदीय और बजटीय मामलों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/ डेस्कों से प्राप्त सामग्रियों, जैसे कि सामान्य आदेशों, नियमों, कोड, मैनुअलों, मानक प्रपत्रों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों (अन्य मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित अनुबंधों के अलावा), प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य भी करता है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति

15.1.1 माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति भी मंत्रालयों/ विभागों में सरकारी कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों एवं उपायों के संबंध में सुझाव देती है।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.1.2 इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 28.06.2008 को समाप्त हो गया। समिति का पुनर्गठन उन्नत चरण में है। समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही समिति की बैठक आयोजित की जाएंगी।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

15.1.3 केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है। इस समिति के निदेशों का विभाग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

15.1.4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर विचार– विमर्श के लिए

और विभाग में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देने के लिए 26.4.2011 और 3.11.2011 को आयोजित की गई।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यू पी आर) और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

15.2 कर्मचारियों द्वारा सरकारी कार्य में हिन्दी में किए गए कार्य का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभागों/ अनुभागों से आंकड़े एकत्र करके एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित की जाती है और नियमित आधार पर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसी प्रकार, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ) और हिन्दी टाइपलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

15.2.1 वर्ष के दौरान हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए 16 कर्मचारियों को नामित किया गया।

नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं

15.2.2 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम–काज हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना मंत्रालय में चल रही है। इस योजना के अंतर्गत हिन्दी में मूल रूप से टिप्पण और आलेखन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन

15.2.3 हिन्दी पखवाड़े के दौरान (14 सितम्बर, 2011 से 13 अक्टूबर, 2011) हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, सामान्य हिन्दी ज्ञान और वर्तनी, अनुवाद और हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तथा सराहनीय प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। 35 सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कारों के रूप में कुल 38000/– रुपए प्रदान किए गए।

हिन्दी कार्यशालाएं

15.2.4 कर्मचारियों को सरकारी काम–काज अधिक से अधिक हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सम्बद्ध और अन्य कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

15.3 सम्बद्ध और अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:–

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां:

15.3.1 मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालयों के अपने– अपने हिन्दी एकक हैं और उनकी अपनी– अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। इन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

प्रशिक्षण संस्थान

15.3.2 मंत्रालय के अधीन दो प्रशिक्षण संस्थाओं अर्थात् लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल बी एस एन ए ए ए), मसूरी तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आई एस टी एम), नई दिल्ली ने प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में भी सुलभ करने की दिशा में काफी प्रगति की है। आई एस टी एम में सभी प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में

उपलब्ध है।

निगरानी तथा निरीक्षण:

15.3.3 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति और वार्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की राजभाषा प्रभाग में समीक्षा की गई और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में की गई प्रगति की विस्तृत चर्चा मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में की गई और कमियों को दूर करने के उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया।।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राजभाषा प्रभाग का एक अधिकारी दल मंत्रालय के प्रभागों/ अनुभागों और सम्बद्ध कार्यालयों का चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करता है और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए समय– समय पर मार्ग एवं उपायों का सुझाव भी देता है।

अध्याय–16
वित्तीय प्रबंध

16.1 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के बजट प्रावधान निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमों और विनियमों के निर्माण/ व्याख्या; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति, अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और वरिष्ठ तथा मध्य प्रबंध स्तर पर पुनश्चर्या पाठयक्रम; सेवा शर्तें, सतर्कता, अनुशासन, कैरिअर और जनशक्ति योजना आदि का कार्य सौंपा गया है। इस प्रावधान में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, गृह कल्याण केन्द्र, आवासी कल्याण संगठन, संस्कृति विद्यालय आदि को अनुदान सहायता शामिल है। इसमें, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार के लिए अभिप्रेत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम 'सूचना का अधिकार अधिनियम प्रसार' का प्रावधान भी शामिल है।

(ख) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को, प्रशासनिक सुधार, ओ एंड एम और नीति, केन्द्रीय सरकार एजेंसियों से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों का समन्वय और निवारण, सिविल सेवा दिवस/ प्रधान मंत्री पुरस्कार/ मुख्य सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी से संबंधित मामले सौंपे गए हैं। इसमें सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधार पर प्रायोगिक परियोजना के लिए भी प्रावधान हैं; तथा

(ग) पेंशन एवं पेशनभोगी कल्याण विभाग जो उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों को अनुषंगी हित लाभ आदि और पेंशनभोगी पोर्टल जैसे सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी योजनाओं को प्रशासित करता है।

16.2 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो कि लोक सेवकों की शिकायतों, विशेषकर उनकी शिकायतों के निवारण में देरी की समस्या को दूर करने, को देखने के लिए स्थापित किया गया है, के स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान किया गया है।

16.3 कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना संबंधी व्यय और केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों आदि में निम्न श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं के आयोजन पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी के लिए कार्यालय स्थान की खरीद का प्रावधान भी शामिल है।

16.4 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो कि भ्रष्टाचार मामलों में लिप्त लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, फर्मों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच और अभियोजन का कार्य करता है, के व्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ई–गवर्नेंस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय

के लिए कार्यालय भवन का निर्माण एवं भूखण्ड की खरीद तथा कार्यालय का निर्माण/ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए आवासीय परिसर का प्रावधान भी शामिल है।

16.5 इस प्रावधान में, (क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान; (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी; (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान, और (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये संगठन बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें आधारभूत पाठयक्रम, पुनश्चर्या पाठयक्रम, मध्य–कैरिअर प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, ताकि सभी स्तरों/ श्रेणियों पर कार्यरत सचिवालय में कार्य करने वाले लोगों को नवीनतम नियमों और विनियमों, अभिरुचि इत्यादि की पर्याप्त जानकारी हो। सीधी भर्ती से आए सहायकों के वेतन, जिन्हें 6 माह के आधारभूत पाठ्यक्रम पर जाना अपेक्षित है और सी एस एस अधिकारियों की घरेलू/ विदेशी यात्राओं/ पाठयक्रम शुल्कों आदि पर व्यय, जिन्हें अगली उच्च श्रेणी में पदोन्नति पाने की पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, को भी केंद्रीय रूप से मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। इसमें प्रशिक्षण योजनाओं अर्थात सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेश प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधि पोषण उपलब्ध कराने और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान भी शामिल हैं। इसमें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन, (क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन; और (ख) सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं के संवर्धन का प्रावधान भी शामिल है।

16.6 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना से जुड़ा प्रभारित व्यय और लोकपाल के लिए सांकेतिक प्रावधान के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा सम्पन्न कोर केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रक्रिया के लिए योजना प्रावधान भी शामिल है।

16.7 लोक उद्यम चयन बोर्ड और केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना से जुड़े व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण, केन्द्रीय सूचना आयोग की योजना स्कीम जिसमें रिकार्डों का डिजिटाइजेशन, वीडियो सम्मेलन की सुविधा की स्थापना, प्रचार सामग्री आदि शामिल हैं, और राज्य सूचना आयोगों के कार्यालय भवनों के निर्माण में राज्य सरकारों को आंशिक सहायता देने के लिए अभिप्रेत एक नया योजना प्रावधान भी शामिल है।

16.8 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भुगतान किए गए गृह निर्माण अग्रिम के संबंध में राज्य सरकारों के लिए ऋण हेतु भी प्रावधान किया गया है जिसका मंत्रालय के बजट में केंद्रीकृत रूप से प्रावधान किया गया है।

16.9 योजना और गैर– योजना आबंटन/ व्यय की झलकियां इस प्रकार हैंः–

16.10 क) ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को 12वीं पंच वर्षीय योजना 2012–2017 में जारी रखने का प्रस्ताव है।

1.	सभी के लिए प्रशिक्षण दृ प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता एवं परियोजना मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण
2.	विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधि पोषण
3.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान
4.	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन
	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन
5.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन
6.	सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना
7.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की योजना स्कीम : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण
8.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ई–गवर्नेंस
9.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुंबई कार्यालय के लिए भूखण्ड की खरीद कार्यालय परिसर का निर्माण
10.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तकनीकी एवं फॉरेंसिक सहायता इकाई की स्थापना
11.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए समग्र आधुनिकीकरण एवं भूखण्ड की खरीद/भवन का निर्माण
	केन्द्रीय सूचना आयोग की योजना स्कीम
12.	केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय भवन का निर्माण (पूंजीगत)
13.	केन्द्रीय सूचना आयोग की अन्य योजना स्कीम (राजस्व)
	सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार : (केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम)
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार
15.	प्रशासनिक सुधार के लिए योजना स्कीमें
16.	पेंशनभोगियों का पोर्टल

ख) 12वीं पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित दो नए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(i) ''केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों का आधुनिकीकरण एवं अवसंचना सुदृढीकरण'' के लिए भी प्रस्ताव किया गया था जिसके लिए योजना आयोग का 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

मांग संख्या 72, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

वार्षिक योजना परिव्यय 2011–12 (करोड़ रु. में)

	कार्यक्रम/योजना का नाम		11वीं योजना वास्तविक परिव्यय	वास्तविक 2010-11	बजट अनुमान 2011-12	वास्तविक 2011-12 30/12/2011) तक	अनुमानित व्यय (संशोधित अनुमान) 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
	केन्द्रीय क्षेत्र योजना						
1	सभी के लिए प्रशिक्षण–प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता एवं परियोजना मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण	राजस्व	67.50	17.03	18.00	13.38	18.00
2	विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधि पोषण	राजस्व	68.20	20.94	28.00	16.64	28.00
3	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान	राजस्व	10.00	2.53	3.00	1.58	3.50
4	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं का संवर्धन	राजस्व	4.32	5.00	20.00	3.89	10.00
	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं का उन्नयन						
5	**लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन**						
		राजस्व	27.00	10.06	5.08	3.17	5.52
		पूंजीगत	81.00	20.94	32.74	13.14	25.49
6	सुशासन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना	राजस्व	43.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की योजना स्कीम						
7	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण	राजस्व	5.40	0.81	1.00	0.003	1.15
8	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ई–गवर्नेंस	राजस्व	3.78	0.05	14.76	0.00	11.84
9	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुंबई कार्यालय के लिए भूखण्ड की खरीद कार्यालय परिसर का निर्माण	पूंजीगत	0.00	0.00	22.29	17.00	9.00
10	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तकनीकी एवं फॉरेंसिक सहायता इकाई की स्थापना	राजस्व	0.00	0.57	0.10	0.00	3.32
11	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय भवन का निर्माण	पूंजीगत	59.40	86.73	0.10	0.00	17.27
12	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए समग्र आधुनिकीकरण एवं भूखण्ड की खरीद/भवन का निर्माण	राजस्व	0.00	0.00	25.00	0.00	4.40
		पूंजीगत	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
	केन्द्रीय सूचना आयोग की योजना स्कीम						
13	केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय भवन का निर्माण	पूंजीगत	18.50	0.00	1.00	0.00	0.30
14	केन्द्रीय सूचना आयोग की अन्य योजना स्कीम (सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन)	राजस्व	8.10	1.70	1.30	0.70	0.95
		पूंजीगत		0.00	1.50	0.00	0.00
	केन्द्रीय सतर्कता आयोग की योजना स्कीम						
15	सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा सम्पन्न कोर केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रक्रिया	राजस्व	0.00	2.28	1.00	0.82	2.36
	सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम						
16	सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार	राजस्व	0.00	9.18	26.60	18.74	24.60
17	राज्य सूचना आयोगों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (पूंजीगत) परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान)	राजस्व	0.00		25.00	0.00	0.00
18	भारत सरकार के कर्मचारियों की ई– सेवा पुस्तिका और अन्य सेवा रिकार्डो का सृजन और रखरखाव	राजस्व	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग						
19	**प्रशासनिक सुधारों के लिए योजना स्कीमें**	राजस्व	94.90	16.67	20.11	8.80	17.00
	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग						
21	**पेंशनभोगियों का पोर्टल**	राजस्व	2.70	0.24	0.42	0.06	0.42
	कुल		493.80	194.73	260.00	82.74	183.12
	राजस्व		334.90	87.06	190.87	52.60	131.06
	पूंजीगत		158.90	107.67	69.13	30.14	52.06

गैर–योजना आवंटन

(करोड़ रु.में)

	वास्तविक 2010-11	ब अ 2011-12	वास्तविक दिसम्बर 2011 के अनुसार	सं अ 2011-12
राजस्व				
न्याय का प्रशासन (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) (मुख्य शीर्ष–2014)				
वेतन	44.72	48.50	38.00	48.50
अन्य	10.33	9.48	6.45	12.88
कुल	55.05	57.98	44.45	61.38
लोक सेवा आयोग (एसएससी) (मुख्य शीर्ष–2051)				
वेतन	15.86	16.35	12.58	16.35
अन्य	36.39	21.86	16.06	38.03
कुल	52.25	38.21	28.64	54.38
सचिवालय सामान्य सेवाएं (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) (मुख्य शीर्ष–2052)				
वेतन	42.91	44.17	35.50	45.17
अन्य	26.66	32.24	7.26	21.10
कुल	69.57	76.40	42.76	66.26
पुलिस–आपराधिक जांच एवं सतर्कता (सीबीआई एवं इंटरपोल एवं समन्वय विंग) (मुख्य शीर्ष–2055)				
वेतन	208.45	199.06	186.36	238.40
अन्य	57.54	44.47	38.81	59.23
कुल	265.99	243.53	225.17	297.63
प्रशिक्षण (एलबीएसएनएए, आईएसटीएम एवं अन्य प्रशिक्षण योजनाएं) (मुख्य शीर्ष–2070)				
वेतन	14.41	14.89	13.53	20.54
अन्य	37.40	40.02	28.92	40.32
कुल	51.81	54.90	42.45	60.85
सतर्कता (सीवीसी एवं लोकपाल) (मुख्य शीर्ष–2070)				
वेतन	11.47	13.00	10.13	13.00
अन्य	3.90	3.74	3.17	4.74
कुल	15.38	16.74	13.30	17.74
अन्य व्यय (पीईएसबी एवं सीआईसी) (मुख्य शीर्ष–2070)				
वेतन	5.48	5.91	3.92	5.40
अन्य	8.27	7.61	5.28	8.55
कुल	13.75	13.53	9.20	13.95
कुल (राजस्व)				
वेतन	343.32	341.87	300.03	387.35
अन्य	180.49	159.42	105.94	184.84
कुल	523.81	501.29	405.97	572.19
पूंजीगत				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय सी बी आई– मोटर वाहन/ यंत्र एवं उपकरण (मुख्य शीर्ष– 4055)	0.0	0.00	0.00	0.03
लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय कर्मचारी चयन आयोग (मुख्य शीर्ष– 4059)	0.00	0.49	0.00	0.49
राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम एआईएस अधिकारियों को एचबीए (मुख्य शीर्ष–7601)	5.00	5.00	0.00	0.10
कुल (पूंजीगत)	5.00	5.49	0.00	0.62
महा योग	528.81	506.78	405.97	572.81
वेतन	343.32	341.87	300.03	387.35
अन्य	185.49	164.91	105.94	185.46

अब तक, इस मंत्रालय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई एक टिप्पणी लंबित है जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मसौदा की गई कार्रवाई टिप्पणी के पुनरीक्षण के लिए उत्तर दिया गया।

16.13 विधिक लेखा– परीक्षा पैरा

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया पैराग्राफों की संख्या
1.	कर्मचारी चयन आयोग	34
2.	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	17
3.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	32
4.	कल्याण विभाग	20
5.	केन्दीय सतर्कता आयोग	8
6.	केन्द्रीय सूचना आयोग	18
7.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	4
8.	संघ लोक सेवा आयोग	6
9.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	1
10.	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान	10
11.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	10
12.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	15
	जोड़	**175**

सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा– परीक्षा आपत्तियों का शीघ्र समाधान करने की हिदायत दे दी गई है।

प्रशासनिक सुधार

और

लोक शिकायत विभाग

प्राक्कथन

यह विभाग श्रव्य–दृश्य मीडिया तथा प्रकाशन के माध्यम से सफल गवर्नेंस प्रथाओं के दस्तावेज तैयार करने और उनके प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है। यह विभाग सुधारों को बढावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग के क्षेत्र में भी कार्यकलापों को चलाता है । सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण इस विभाग के प्रमुख हैं । इसमें एक अपर सचिव, एक संयुक्त सचिव, 7 निदेशक/उप सचिव तथा 14 अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं । इस विभाग में प्रशासनिक सुधार, संगठन तथा पद्धति, ई–गवर्नेंस, प्रलेखन एवं प्रचार–प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रशासन तथा समन्वय एवं लोक शिकायत नामक सात प्रभाग हैं । इस विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध – I** पर दिया गया है ।

भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं :–

1. ई–गवर्नेंस तथा प्रशासनिक सुधार श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रचार प्रसार सहित ।
2. संगठन एवं पद्धति ।
3. निम्नलिखित से संबंधित पहलुओं की नीति बनाना, समन्वय करना तथा निगरानी करना :–

   (क) सामान्य लोक शिकायतों का निवारण करना ; तथा

   (ख) लोक प्रबंधन मामलों में राज्य सरकारों, व्यावसायिक संस्थानों आदि से संपर्क ।
4. (क) लोक प्रबंधन में अनुसंधान ; तथा

   (ख) लोक प्रबंधन मामलों में राज्य सरकारों, व्यावसायिक संस्थानों आदि से संपर्क ।
5. केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका का प्रबंधन ।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निम्नलिखित विजन, मिशन एवं कार्यकलाप हैं :–

हमारा विजन

सभी नागरिकों के हित के लिए गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लक्ष्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाना

हमारा मिशन

- ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता का संवर्धन करना और सरकारी ढांचों और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों का अनुसरण करना
- शिकायत निवारण पर बल सहित नागरिक–केन्द्रिक प्रशासन का संवर्धन करना
- ई–गवर्नेंस में नवाचार
- सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रलेखन एवं प्रचार–प्रसार

उद्देश्य

(i) सरकारी नीतियों, ढांचों तथा प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधारों का संवर्धन करना ।

(ii) ई–गवर्नेंस के माध्यम से सुधारों को बढावा देना

(iii) नीति निर्माण तथा मामलों के निवारण संबंधी विषयों का समन्वयन ।

(iv) सरकारी ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रयोगा का विस्तार

कार्य

(i) नागरिक केन्द्रित पहलुओं में ई–गवर्नेंस को बढावा देना ।

(ii) ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना ।

(iii) प्रशासनिक सुधार से संबंधित विषय ।

(iv) सरकारी वेबसाइटों पर दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन ।

(v) प्रशासनिक सुधार पर कोर ग्रुप तथा मंत्रियों के समूह को सेवा प्रदान करना ।

(vi) त्रैमासिक पत्रिका–सरकार में प्रबंधन तथा मासिक न्यूज लेटर – नागरिक/सिविल सेवा समाचार का प्रकाशन ।

(vii) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों/सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(viii) सिविल सेवा दिवस, मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक सुधार सचिवों के सम्मेलन का आयोजन ।

(ix) श्रेष्ठ प्रथाओं तथा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार से संबंधित मामलों का प्रलेखन और प्रचार–प्रसार ।

(x) गवर्नेंस ज्ञान केन्द्र – श्रेष्ठ प्रथाओं का एक पारस्परिक क्रिया पोर्टल ।

(xi) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका ।

(xii) सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता ।

(xiii) ई–गवर्नेंस के माध्यम से सुधार उपाय कराने हेतु क्षमता निर्माण, परिवर्तित प्रबंधन तथा सरकारी प्रकिया की पुनः अभियांत्रिकी ।

(xiv) लोक प्रशासन तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय तथा सहयोग ।

(xv) सामान्यतः लोक शिकायतों तथा विशेष रुप से केन्द्र सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतों के निवारण की मॉनीटरिंग करना तथा सुविधाजनक बनाना ।

(xvi) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से लोक शिकायतों के कुशल प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रेमवर्क का सृजन एवं उन्न्यन और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में इसकी शुरुआत ।

(xvii) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु सेवोत्तम ढांचे के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना/करना ।

(xviii) संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और उनसे ऊपर के अधिकारियों की शिकायतों हेतु स्थायी समिति को सेवा प्रदान करना ।

(xix) राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना ।

कार्य निष्पादन

वर्ष 2011–12 के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के परिणाम प्रारुप दस्तावेज के अनुसार इस विभाग के उददेश्यों पर आधारित वर्ष के दौरान इस विभाग द्वारा निम्न कार्यकलापों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है :–

1. **उद्देश्य** :– सरकारी नीतियों, ढांचों तथा प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधारों को बढावा देना

   i. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शेष दो रिपोर्टों से संबंधित शिकायतों पर विचार करना।

   ii. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शेष स्वीकृत सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

   iii. अनुसंधान/पृष्ठभूमि लेख तैयार करना ।

   iv. लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार ।

   v. सामाजिक जवाबदेही ढांचा ।

   vi. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन के लिए ढांचा बनाना ।

   vii. गवर्नेंस रिपोर्ट की स्थिति को अंतिम रुप देना ।

   viii. सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण ।

   ix. केन्द्राय सचिवालय कार्यालय पद्धति में ई–नियम पुस्तिका ।

2. **उद्देश्य** : ई–गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों को बढावा देना ।

   i. 5 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में ई–ऑफिस अनुप्रयोग का कार्यान्वयन ।

   ii. ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना ।

   iii. ई–गवर्नेंस के मुददों पर चुनिन्दा शोध–पत्रों के सार–संग्रहण का प्रकाशन करना, पिछले वर्ष के पुरस्कार–विजेताओं के मामला अध्ययनों, चुनिन्दा विषयों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ विषयों के संकलन का प्रकाशन करना ।

   iv. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत 3 वर्षीय मास्टर प्रशिक्षण योजना को अंतिम रुप देना ।

3. **उद्देश्य** :– लोक शिकायतों से संबंधित विषयों के लिए नीति बनाना तथा समन्वयन करना ।

   i. 90 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में लोक शिकायतों के निवारण पर समीक्षा बैठकों का आयोजन करना ।

   ii. 90 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में सी पी जी आर ए एम एस प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना ।

   iii. दो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सी पी जी आर ए एम एस पायलट परियोजनाओं को पूरा करना।

   iv. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों/राज्यों के लिए सेवोत्तम पर 4 कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

4. **उद्देश्य** :– गवर्नेंस ज्ञान तथा श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रचार–प्रसार

i. सिविल सेवा दिवस का आयोजन ।

ii. मुख्य सचिवों के सम्मेलन का आयोजन ।

iii. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक सुधार के सचिवों के सम्मेलन का आयोजन ।

iv. श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रलेखनों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना ।

v. श्रेष्ठ प्रथाओं पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना ।

vi. त्रैमासिक पत्रिका – सरकार में प्रबंधक (एम आई जी) , मासिक – न्यूजलेटर सिविल सेवा समाचार (सी एल एन) और श्रेष्ठ प्रथाओं पर एक पुस्तक का प्रकाशन ।

vii. श्रेष्ठ प्रथाओं पर वृत चित्रों का निर्माण ।

viii. गवर्नेंस ज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना ।

ix. आईबीएसए नव प्रवर्तन पुरस्कार कार्यक्रमों को अंतिम रुप देना ।

x. कार्मिक प्रबंधन और लोक सेवा प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में सिंगापुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना ।

xi. प्रबंधन और नेतृत्व विकास तथा ब्राजील में लोक सेवा प्रदायगी पर आईबीएसए सेमिनार ।

xii. आईबीएसए सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय केन्द्राय बिन्दु संबंधी बैठक ।

xiii. सिंगापुर,ब्राजील और दक्षिण अप्रीका के साथ लोक प्रशासन के क्षेत्र में द्विपक्षीय / बहुपक्षीय सहयोग करने हेतु कार्य योजना को अंतिम रुप देना ।

5. **उद्देश्य** :– परिणाम प्रारुप दस्तावेज प्रणाली का कुशल कार्यकरण

i. अनुमोदन के लिए मसौदे को समय पर प्रस्तुत करना ।

ii. परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना ।

6. **उद्देश्य** :– मंत्रालय / विभाग की आंतरिक कुशलता / प्रतिक्रियाशीलता / सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाना ।

i. सेवोत्तम का कार्यान्वयन ।

ii. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) अनुपालन सुनिश्चित करना ।

iii. विभागीय कार्य–कलापों से संबंधित ☐ष्टाचार प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ।

iv. आईएसओ 9001 प्रमाणन का कार्यान्वयन करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ।

7. **उद्देश्य** :– वित्तीय जवाबदेही ढ़ांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

i. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को समय पर प्रस्तुत करना ।

ii. लोक लेखा समिति की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों को लोक लेखा समिति सचिवालय को समय पर प्रस्तुत करना ।

iii. 31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी लंबित टिप्पणियों को शीघ्र निपटाना ।

iv. 31.3.2011 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत लोक लेखा समिति की रिपोर्टों पर लंबित एटीआर को शीघ्र निपटाना ।

अध्याय–17

प्रशासनिक सुधार

17.1 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर. सी.)

लोक प्रशासन प्रणाली को पुनर्सज्जित करने के लिए एक विस्तृत रुपरेखा तैयार करने हेतु श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2005 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) का गठन किया गया । आयोग से सरकार के सभी स्तरों पर सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, जारी रखने योग्य और कुशल प्रशासन बनाने के लिए उपाय सुझाने का आग्रह किया गया । इसने सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :

(i) सूचना का अधिकार : सुशासन के लिए मुख्य कुंजी (9.6.2006)

(ii) मानव सम्पदा का व्यापक विस्तार : हकदारियां और अधिशासन –एक मामला अध्ययन (31–7–2006)

(iii) संकट प्रबंधन : निराशा से आशा की ओर (31–10–2006)

(iv) शासन में नैतिकता (12–2–2007)

(v) सार्वजनिक व्यवस्था : सभी के लिए न्याय .....सभी के लिए शांति (26–6–2007)

(vi) स्थानीय शासन (27–11–2007)

(vii) संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण – संघर्ष से संयोजन तक (17–3–2008)

(viii) आतंकवाद का सामना करना (17–9–2008)

(ix) सामाजिक सम्पदा – एक साझी नियति (08–10–2008)

(x) कार्मिक प्रशासन को पुनर्सज्जित करना – नई ऊंचाइयां चढना (27–11–2008)

(xi) ई–गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना – उन्नति की ओर बढना (20–01–2009)

(xii) नागरिक केन्द्रिक प्रशासन – शासन का केन्द्र बिन्दु (30–3–2009)

(xiii) भारत सरकार का संघटनात्मक ढांचा (19–5–2009)

(xiv) वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना (26–5–2009)

(xv) राज्य और जिला प्रशासन (29–5–2009)

17.2 प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया यह है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले सिफारिशों पर विचार किया जाता है । इन के मतों पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधारों पर कोर समूह (सी जी ए आर) द्वारा विचार किया जाता है । तत्पश्चात, उन्हें विचार हेतु मंत्री समूह के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद मंत्री समूह के मतों और सिफारिशों को प्रधानमंत्री की सूचना/निर्देशों के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

17.3 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने और सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के साथ–साथ निर्णयों को कार्यान्वित करने संबंधित मंत्रालयों / विभागों को दिशा–निर्देश देने के लिए सरकार ने दिनांक 30.3.2007 को तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (जी ओ एम) का गठन किया था । इसे केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2009 को पुनर्गठित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार पर कोर ग्रुप ने सभी 15 रिपोर्टों की जांच कर ली है ।

17.4 मंत्रियों के इस समूह ने अब तक बारह रिपोर्टों नामतः (i) सूचना का अधिकार : सुशासन की मुख्य कुंजी (प्रथम रिपोर्ट); (ii) मानव सम्पदा का व्यापक विस्तार : हकदारियॉं और अधिशासन – नरेगा से संबंधित एक मामला अध्ययन (द्वितीय रिपोर्ट); (iii) संकट प्रबंधन : निराशा से आशा की ओर (तीसरी रिपोर्ट); (iv) शासन में नैतिकता (चौथी रिपोर्ट); तथा (v) स्थानीय अधिशासन (छठी रिपोर्ट) (vi) संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण (सांतवी रिपोर्ट), (vii) नागरिक केन्द्रिक प्रशासन – शासन का केन्द्र बिंदु (बारहवीं रिपोर्ट), (viii)सामाजिक सम्पदा–एक साझी नियति(नौंवीं रिपोर्ट), (ix) भारत सरकार का संघटनात्मक ढांचा(तेरहवीं रिपोर्ट), (x) ई–गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना – उन्नति की ओर बढना (ग्यारहवीं रिपोर्ट), (xi) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना (चौदहवीं रिपोर्ट) और (xii) राज्य और जिला प्रशासन (पन्द्रहवीं रिपोर्ट) पर विचार कर लिया है। इन रिपोर्टों पर मंत्री समूह के निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । आतंकवाद का सामना करना (आठवीं रिपोर्ट) संबंधी रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई है और यह समझा गया है कि इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई पहले से की जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 13 रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है । शेष 2 रिपोर्टों (रिपोर्ट संख्या अ और ग) पर मंत्री समूह द्वारा अभी विचार किया जाना है ।

17.5 ऊपर दी गई प्रत्येक रिपोर्ट के ब्यौरे संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं :–

(i) सूचना का अधिकार : सुशासन की मुख्य कुंजी:

इस रिपोर्ट में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है । इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 16 –06 – 2008 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस रिपोर्ट में 62 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 39 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और 23 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं ।

(ii) मानव सम्पदा का व्यापक विस्तार : हकदारियॉं और अधिशासन :

इस रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में उल्लेख किया गया है । इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 13.12.2007 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई । इस रिपोर्ट में 114 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 88 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और 26 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं ।

(iii) संकट प्रबंधन : निराशा से आशा की ओर :

इस रिपोर्ट में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाली आपदा स्थितियों से निपटने के लिए प्रतिक्रिया एवं समुत्थान की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए सिफारिशें की गई हैं । इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 13.12.2007 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस रिपोर्ट में 142 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 136 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और 6 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं ।

(iv) शासन में नैतिकता :

इस रिपोर्ट में आयोग ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को कवर करते हुए विभिन्न विधायी : संस्थागत तथा प्रक्रियात्मक उपायों से संबंधित सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 12 – 08 – 2008 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी । इस रिपोर्ट में 134 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 79 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 34 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई हैं तथा 21 सिफारिशों को अन्य फोरा को संदर्भित कर दिया गया है।

(v) सार्वजनिक व्यवस्था : सभी के लिए न्याय.... सभी के लिए शांति :

इस रिपोर्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तथा सहायक मुददों पर केन्द्रित है। इस रिपोर्ट में 51 खंडों के अंतर्गत 165 सिफारिशें हैं । गृह मंत्रालय ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं । प्रशासनिक सुधारों पर कोर ग्रुप (सीजीएआर) की एक बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2008 को आयोजित की गई थी। प्रशासनिक सुधार पर कोर ग्रुप(सीजीएआर) की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर विचार करने हेतु मंत्री समूह(जी ओ एम) की बैठक अभी आयोजित की जानी है ।

(vi) स्थानीय अधिशासन :

इस रिपोर्ट पर वास्तविक प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यकता पर एक विशिष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय अधिशासन से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया गया है। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 03.09. 2008 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी । इस रिपोर्ट में 256 सिफारिशें निहित है जिनमें से 230 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 24 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 2 सिफारिशें आस्थगित कर दी गई हैं ।

(vii) संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण – संघर्ष से संयोजन तक :

इस रिपोर्ट में भारत को परेशान करने वाले अनेक संघर्षों की पृष्ठभूमि और उभरते हुए पहलुओं की जॉच करने का प्रयास किया गया है। इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 8.12.2009 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी । इस रिपोर्ट में 126 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 111 सिफारेशें स्वीकार कर ली गई हैं और 15 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है ।

(viii) आतंकवाद का सामना करना :

यह रिपोर्ट आतंकवाद का सामना करने हेतु क्षमता निर्माण करने पर है । इस रिपोर्ट में 23 सिफारिशें निहित हैं और इस पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है । यह समझा गया है कि इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई से पहले से की जा चुकी है ।

(ix) सामाजिक सम्पदा – एक साझी नियति :

इस रिपोर्ट में विभिन्न तरेकों जिसमें सामाजिक सम्पदा द्वारा सरकार के कार्यनिष्पादन में सुधार लाया जा सकता है, पर विचार किया गया है । इसमें सामाजिक सम्पदा संस्थानों के ढांचे एवं कार्यकलापों, नियमित सामाजिक जवाबदेही, स्वयं सहायता समूहों और स्व– विनियामक प्राधिकरणों पर विचार किया गया है । इन सिफारिशों पर

विचार करने के लिए 27.01.2010 करे मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस रिपोर्ट में 66 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 36 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 11 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा 19 सिफारिशें आस्थगित कर दी गई हैं ।

(x) **कार्मिक प्रशासन को पुनर्सज्जित करना – नई ऊंचाइयां चढना :**

इस रिपोर्ट में सिविल सेवाओं से संबंधित मुददों पर विचार किया गया है। इसमें नियुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य निष्पादन में वृद्धि और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, सिविल सेवकों की तैनाती से संबंधित सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट में 22 उप शीर्षकों के अंतर्गत 97 सिफारिशें निहित हैं। मंत्री समूह (जी ओ एम) की बैठक अभी आयोजित की जानी है ।

(xi) **ई–गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना – उन्नति की ओर बढ़ना :**

इस रिपोर्ट में आयोग ने शासन में विशिष्ट मुददों पर विचार करते हुए ई–गवर्नेंस के पहलुओं की जांच की है । इस रिपोर्ट में 17 उप–शीर्षकों के अंतर्गत 47 सिफारिशें निहित हैं । मंत्री समूह (जी ओ एम) की बैठक 17.06.2010 को आयोजित की गई थी । 47 सिफारिशों में से 46 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और 1 को अस्वीकृत कर दिया गया है ।

(xii) **नागरिक केन्द्रिक प्रशासन : गवर्नेंस का सार :**

इस रिपोर्ट में आयोग ने उन शासन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिनसे प्रशासन को और अधिक नागरिक केंद्रिक बनाया जा सकता है। इस रिपोर्ट पर मंत्री समूह जी ओ एम की 08.12. 2009 को आयोजित बैठक पर विचार किया गया और 50 सिफारिशों में से 41 सिफारिशों को स्वीकार किया गया तथा 9 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गईं ।

(xiii) **भारत सरकार का संघटनात्मक ढांचा :**

इस रिपोर्ट में आयोग ने भारत सरकार के संघटनात्मक ढांचे में सुधार लाने के लिए सिफारिशें की हैं क्योंकि अन्य सुधारों का संपोषण एक सक्रिय, उत्तम और लचीले संघटनात्मक ढांचे के निर्माण से गहनता से अंतः संबंधित है । इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए 27.01.2010 को मंत्री समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी । इस रिपोर्ट में 37 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 32 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और 5 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है ।

(xiv) **वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ करना :**

इस रिपोर्ट में आयोग ने सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। सिफारिशों पर विचार करने के लिए मंत्री समूह की एक बैठक, 14–3–2011 को हुई थी । इस रिपोर्ट में 36 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 33 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, 2 को स्वीकार नहीं किया गया है और 1 सिफारिश आस्थगित कर दी गई है ।

(xv) **राज्य एवं जिला प्रशासन :**

इस रिपोर्ट में राज्य और जिला स्तर पर लोक प्रशासन से संबंधित सिफारिशें की गईं हैं। इसमें आधुनिकीकरण, कार्यों एवं शक्तियों के अंतरण, प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र, जन भागीदारी, जिम्मेदारी में वृद्धि, प्रक्रिया के सरलीकरण और शक्तियों का प्रत्यायोजन के मुद्दे पर विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में 57 उप शीर्षकों के अंतर्गत 158 सिफारिशें निहित हैं । मंत्री समूह की बैठक 17.06.2010 को आयोजित की गई थी। इन 158 सिफारिशों में से 134 सिफारिशें

स्वीकार कर ली गई हैं और 24 सिफारिशों को व्यवहार्य नहीं पाया गया था ।

सिविल सेवा दिवस

17.6 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रुप में सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के लिए एक अवसर के रुप में मनाया जाता है । इस प्रकार का पहला समारोह 21–04 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया । इस अवसर पर सिविल सेवकों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाता है । 21 अप्रैल का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इस तारीख को देश के प्रथम गृह मंत्री श्री बल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया था ।

17.7 21 अप्रैल, 2011 को छठे सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2009–10 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए तीन श्रेणियों यथा वैयक्तिक समूह और संगठन में पांच पहलों को पुरस्कार प्रदान किया । इस अवसर पर इस विभाग द्वारा संकलित प्रशासनिक सुधार पहलों पर एक पुस्तक 'पीपुल फर्स्ट' का भी विमोचन किया गया। 'शासन में पारदर्शिता और नैतिकता, लोक सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाना, अवसंरचना विकास की चुनौतियां' जैसे विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई जिसमें समाज के विशिष्ट सदस्यों ने भी भाग लिया और अपने विचारों का आदान–प्रदान किया ।

सिविल सेवा दिवस 2011का उद्घाटन सत्र

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना

17.8 भारत सरकार ने केन्द और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किये गये असाधारण और नवप्रवर्त्तनकारी कार्य–निष्पादन को अभिस्वीकृति एवं मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' शुरु किया है । इस योजना के अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेमी प्रकार की ड्युटी और जिम्मेदारियों का निर्वहन और/अथवा सामान्य रुप से कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन पुरस्कार के लिए पात्र नहीं बनायेगा। वे पहले परियोजनाएं जिनके गुणात्मक एवं मात्रात्मक निष्कर्ष/परिणाम बहुत ही ऊंचे हैं और जिनसे अनेक नागरिकों/पणधारियों को लाभ पहुंचा हो उन पर विचार किया जा सकता है । केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यरत अधिकारी व्यक्तिगत रुप से अथवा एक समूह या एक संगठन के रुप में पुरस्कारों के लिए पात्र हैं । समूह नामांकन के अंतर्गत, समूह के सभी सदस्यों को नामांकित की गई पहल में सक्रिय रुप से और प्रत्यक्ष रुप से शामिल होना चाहिए ।

17.9 वैयक्तिक, समूह और संगठन श्रेणियों के अंतर्गत अधिकतम 15 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । इस पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एक पदक

(ii) एक स्क्रोल, और

(iii) एक नकद पुरस्कार

वैयक्तिक श्रेणी में पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये है । समूह के मामले में कुल पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम राशि 1 लाख रुपये होगी । एक संगठन के लिए पुरस्कार की राशि 5

PM addressing the Inaugural session of Civil Services Day 2011

लाख रुपये होगी । पुरस्कार की इस राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17क) (i) के अंतर्गत आयकर में छूट प्राप्त है । किसी व्यक्ति अथवा अधिकारियों के किसी समूह या किसी संगठन के नामांकन केन्द्र सरकार के विभाग/मंत्रालय/राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों और अन्य, पणधारियों द्वारा किए जाएंगे। पहलों की जांच सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी। यह समिति अपनी ओर से भी विचारणीय पहलों को शामिल कर सकती है। इस समिति द्वारा छांटी गई पहलों पर स्थल अध्ययन किये जाते हैं। यह समिति अध्ययन रिपोर्टों पर भी विचार करेगी और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित

शक्ति प्राप्त समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी । विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए पहलों पर शक्ति प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा यह समिति नामितियों को समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी कह सकती है । उसके बाद शक्ति प्राप्त समिति पुरस्कारों के लिए सिफारिश किए गए अधिकारियों की सतर्कता स्थिति एवं समग्र कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद प्रधानमंत्री को विचार के लिए अपनी सिफारिशें करेगी। विशेषज्ञ समिति और शक्ति प्राप्त समिति दोनों में सदस्यों का नामांकन प्रधानमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

वर्ष 2009–10 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की सूची **अनुबंध– ।।** में दी गई है ।

17.10 मुख्य सचिवों का सम्मेलन

वर्ष 2010 से सरकार ने मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन का भी संस्थानीकरण किया है । इस प्रकार का पहला सम्मेलन 1–2 फरवरी, 2010 को आयोजित किया गया था । दूसरा वार्षिक सम्मेलन 4– 5 फरवरी, 2011 को आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन का उद्‌घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था । यह सम्मेलन पारस्परिक प्रक्रिया का संस्थानीकरण करता है और केन्द्र तथा राज्यों के बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक स्थायी मंच के रुप में काम करता है । यह उन वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार – विमर्श का अवसर भी प्रदान करता है जिनका देश पर संपूर्ण रुप से प्रभाव पडता है और जो प्रासंगिकता के चुनिंदा क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों की व्यापक रुपरेखा तैयार करते हैं । यह सम्मेलन राष्ट्र के विकास की दिशा में एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है । इस दूसरे वार्षिक मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उठाए गए मुद्दे में "गवर्नेंस में पारदर्शिता और नैतिकता", फ्लैगशिप कार्यक्रम – विचारणीय क्षेत्र; 'आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुख्य मुददे' 'आर एफ डी पहलों का प्रस्तुतीकरण', विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में मुख्य सचिवों के पहले वार्षिक सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती सत्र भी सम्मलित थे । तीसरा वार्षिक मुख्य सचिवों का सम्मेलन 3–4 फरवरी, 2012 को आयोजित किया जाएगा ।

17.11 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कार्य योजना के अंतर्गत अध्ययन भी करवाए जा रहे हैं । ये निम्नलिखित हैं :–

गवर्नेंस रिपोर्ट की स्थिति(एस ओ जी आर)

17.12 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राज्य स्तर पर गवर्नेंस के आकलन के लिए एक साधन उपलब्ध कराने हेतु एक अध्ययन की शुरुआत की गई जिसे राज्य सरकारों द्वारा ऐसे क्षेत्रों जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सके । यह उम्मीद की गई थी कि पैरामीटर की पहचान हेतु गवर्नेंस की स्थिति का आकलन नीति निर्माताओं और विकास कर्ताओं को कुछ निर्णयों के निहितार्थों को समझने में सहायता प्रदान करेगा ।

17.13 इन उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इस परियोजना का आरंभ गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसी राज्य में गवर्नेंस की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक ढ़ांचे और एक उपयुक्त तरीके का विकास करने हेतु किया जा रहा है । इस परियोजना द्वारा गवर्नेंस की गुणवत्ता, सेवा प्रदायगी और गरीबी में कमी के मध्य मूल संयोजन को मान्यता प्रदान की जाती है ।

17.14 गवर्नेंस रिपोर्टों की स्थिति की कार्यविधि को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद अंतिम रुप दिया गया है । इस मसौदा कार्यविधि को दिनांक 27 –03–2009 को राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में एक

व्यापक श्रोतागणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां शैक्षणिक, सिविल सोसाइटी, अनुसंधानिक निकायों के प्रतिनिधियों, केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों (जहां प्रयोग किए गए), योजना आयोग, बहुपक्षीय अभिकरणों को आमंत्रित किया गया था ।

17.15 गवर्नेंस रिपोर्ट की स्थिति के लिए ढांचे का अनुमोदन राज्यमंत्री (कार्मिक एवं पेंशन) द्वारा कर दिया गया है । उपर्युक्त विषय पर सचिवों की समिति (सी ओ एस) हेतु मसौदा टिप्पणी पर टिप्पणियां मांगने के लिए इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों को परिचालित किया गया है ।

आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध ढांचा

17.16 डी एफ आई डी के एक भाग के रुप में सी एवं ए जी और पी एम ओ के परामर्श के आधार पर मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में जोखिम प्रबंध के लिए आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध ढांचा विकसित करने हेतु एक अध्ययन किया गया है। इस परियोजना के परामर्शदाता मै. अर्नस्ट एवं एंग लिमिटेड (ई एवं आई) थे ।

17.17 इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्ययवाद की प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं शामिल करना है ताकि उन लक्ष्यों, उद्देश्यों और प्रयोजनों जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, को प्राप्त करने में संबंधित मंत्रालयों के सामने आ रही कठिनाईयों/मुद्दों को समाप्त किया जा सके और प्रभावी रुप से व्यवस्थित किया जा सके ।

17.18 आईसी आर एम ढांचे के द्वारा किसी भी योजना के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाएगा । यह (i) परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु संभाव्य मामलों/जोखिमों/बाधाओं को पहचानने और (ii) इन जोखिमों/मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय करने और कार्रवाई करने के द्वारा किया जाता है। आई सी आर एम प्रक्रिया में परिभाषित गतिविधियां हैं: (i) जोखिम मूल्यांकन (जोखिम की पहचान के साथ–साथ जोखिम की प्राथमिकता) (ii) जोखिम निरुपण/न्यूनीकरण (iii)जोखिम को मॉनीटर करना (iv) जोखिम का बीमा और (v) जोखिम का पुनः मूल्यांकन अध्ययन के एक भाग के रुप में, मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग द्वारा विभिन्न देशों के श्रेष्ठ प्रथाओं पर भी गौर किया गया है ।

17.19 मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट में जोखिम को व्यापक शीर्षों/श्रेणियों यथा योजना एवं कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी योजना के तहत संकलित किया है ।

17.20 नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के सम्मुख दिनांक 7–12–2010 को एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया था । ढांचे को कार्यान्वित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण की कार्यात्मकता को दिखाने के लिए उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कृत्रिम दीर्घ चालित प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया गया । योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्रिया कलाप में जोखिम प्रबंधन की अवधारणा के निर्माण हेतु विकसित किए गए ढांचे को उपयुक्त माना गया है । इस रिपोर्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

राज्यमंत्री (पीएमओ एवं पीपी) के सम्मुख भी ढांचे और कृत्रिम प्रोटोटाइप उपकरण पर प्रस्तुतीकरण किए गए जिसके दौरान राज्यमंत्री (पीएमओ एवं पीपी)ने उपकरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है । अब इस उपकरण को विकसत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

17.21 उपर्युक्त विषय पर सचिवों की समिति (सी ओ एस) हेतु मसौदा टिप्पणी पर टिप्पणियां मांगने के लिए इसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों को परिचालित किया गया है ।

सामाजिक जवाबदेही तंत्र पर अध्ययन

17.22 डीएफआईडी कार्यक्रम के एक भाग के रुप में विभाग द्वारा "सामाजिक जवाबदेही तंत्र" नामक एक अध्ययन किया जा रहा है जो नागरिकों (विशेष रुप से गरीबों और उपेक्षित व्यक्तियों) को लोक सेवकों और राजनीतिज्ञों के साथ एक अधिक सूचित, प्रत्यक्ष और रचनात्मक तरीके से बातचीत करने की योग्यता में वृद्धि करने के तरीकों का पता लगाया जा सकेगा ताकि राष्ट्रीय कार्यकमों के अंतर्गत सेवाओं का प्रभावी रुप से वितरण हो सके। राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) जो लाल बहादुर शास्त्रा् राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल बी एस एन ए ए) मसूरी की एक इकाई है को सामाजिक जवाबदेही से संबंधित आवश्यक जेनेरिक उपस्कर/ढांचा जिसे भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं/कार्यकमों में अपनाया जा सकता है, का विकास करने का कार्य सौपा गया है ।

17.23 सामाजिक जवाबदेही दायित्व निर्माण करने की दिशा में एक प्रस्ताव है जो नागरिक वचनबद्धता पर निर्भर करती है अर्थात जहाँ इसके सामान्य नागरिक अथवा नागरिक संबंधी सामाजिक संस्था जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से सहभागी होते हैं सही जवाबदेही हेतु पात्र हैं । सामाजिक जवाबदेही पहले गरीबी में कमी के संवर्धन से और प्रभावी एवं धारणीय विकास संबंधी कोर लक्ष्यों से प्राप्त किए जाते हैं । तीन मुख्य तर्क जो सामाजिक जवाबदेही के महत्व का आधार हैं : (i) गवर्नेंस, (ii) विकास की बढ़ी हुई प्रभावकारिता तथा (iii) सशक्तिकरण। सामाजिक जवाबदेही तंत्र कार्रवाई (मतदान के अतिरिक्त) के एक विस्तृत क्षेत्र को दिखलाता है जिसे नागरिक, समुदाय और नागरिक संस्था संबंधी संगठन जवाबदेह सरकारी अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं । इसमें लोक नीति निर्माण, बजटीय सहभागिता, सार्वजनिक व्यय ट्रेकिंग, लोक सेवा प्रदायगी का नागरिक मॉनीटरिंग, पक्ष समर्थन अभियानों में नागरिक भागीदारी शामिल है ।

17.24 इस अध्ययन की एक सुपुर्दगी योग्य एक कुंजी यह है कि "किस प्रकार सामाजिक जवाबदेही तंत्र को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रुपरेखा और कार्यान्वयन के मुख्यधारा से जोडा जा सकता है ?" विकसित किए गए यंत्र/ढांचा का भविष्य में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों "जो संचालन में है अथवा जिनकी रुप रेखा तैयार की जाएगी" में अनुप्रयोग के लिए संभावना सहित जेनेरिक सामाजिक दायित्व विकसित करने में निवेश के रुप में उपयोग करने हेतु केरल उत्तराखंड और बिहार में चलाए जा रहे दो कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन आर एच एम) और सर्व शिक्षा अभियान की क्षेत्रीय वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया गया था । एन आई ए आर द्वारा रुपरेखित यंत्रों में निम्नलिखित शामिल हः

- सामाजिक लेखापरीक्षा यंत्र के रुप में नागरिक रिपोर्ट
- सहभागी निष्पादन मॉनीटरिंग साधन (पी पी एम टी)
- सार्वजनिक व्यय और इनपुट टैकिंग प्रपत्र (पी आर टी आई एफ)
- आधारभूत ढांचे का निर्माण

17.25 इस रिपोर्ट में कवर किए गए मुख्य मुद्दों की मोटी रुपरेखा पर विचार विमर्श करने हेतु स्टेकहोल्डरों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था(एनआईआरडी) में दिनांक 6 मई, 2011 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया

गया था । प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को निम्नलिखित बिन्दुओं में शामिल किया गया है :–

(क) सरकार को सामाजिक जवाबदेही हितैषी उपायों का सक्रिय रुप से समर्थन करना चाहिए ।

(ख) जहां तक संभव हो सामाजिक लेखा परीक्षा और छानबीन परिणाम कार्य स्वतंत्र और प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों के जरिए कराया जाना चाहिए ।

(ग) स्टेकहोल्डरों / प्रयोक्ता समूहों आदि का वयन उनके बीच चुनाव के आधार पर होना चाहिए और इन्हें आयोजना, वित्त और प्रशासन में पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए।

(घ) जागरुकता उत्पन्न करने तथा सामुदायिक क्षमता निर्माण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए सूचना शिक्षा और संचार में एक केंद्रित तथा कन्वर्जेंट दृष्टिकोण होना चाहिए।

(ड़) सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों का समवर्ती मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(च) सामाजिक जबावदेही साधनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में भी शामिल किया जाना चाहिए।

(छ) सरकार की सामाजिक क्षेत्रों की सभी स्कीमों चाहे वह भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा संचालित हो, में सामाजिक जबावदेही के उपयुक्त साधनों को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।

17.26 उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करते हुए पीपीपी परियोजनाओं सहित भारत सरकार द्वारा संचालित सरकार की सामाजिक क्षेत्रों की सभी स्कीमों में सामाजिक जबावदेही साधनों को मुख्यधारा में लाने पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति के समक्ष एक नोट प्रस्तुत किया गया है।

सहायकों, अनुभाग अधिकारियों तथा अवर सचिवों के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.27 यह विभाग मंत्रालयों / विभागों में विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों के अनुकूलन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रहा है। आई एस टी एम, सी एस प्रभाग–कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, प्र.सु. एवं लो.शि. विभाग और लाइन मंत्रालयों के गहन सहयोग से अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की गई । आई एस टी एम प्रशिक्षण डिजाइन तथा प्रशिक्षण सामग्री की रुपरेखा तैयार करता है तथा समस्त समन्वय एवं संभार तंत्र संबंधी कार्यों की व्यवस्था करता है । प्रशिक्षण के डिजाइन और विषयवस्तु को लाइन विभागों के सहयोग से तैयार किया जाता है । 2010 में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण में भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों को प्रशिक्षित किया गया :

पहला चरण

- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जल संसाधन मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राल

दूसरा चरण

- शहरी विकास मंत्रालय
- कृषि मंत्रालय

- श्रम मंत्रालय
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय

17.28 इस प्रशिक्षण का तीसरा चरण वित्तीय वर्ष 2011–12 में जारी है । इसमें निम्नलिखित मंत्रालय / विभाग शामिल हैं :–

- नैगम कार्य मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- पर्यटन मंत्रालय
- राजस्व विभाग
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- जहाजरानी मंत्रालय
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- वित्तीय सेवाएं विभाग
- उपभोक्ता–कार्य विभाग

अध्याय–18

लोक शिकायत

18.1 कार्य आवंटन नियम, 1961 के अनुसार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग पर अन्य कार्यों के आवंटन के साथ (क) सामान्यतः लोक शिकायतों के निवारण तथा (ख) विशेष रुप से केंद्र सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतो से संबंधित मुख्य के लिए नीति बनाने, समन्वय और मॉनीटरिंग का उत्तरदायित्व है। इस कार्यकलाप के लिए लोक शिकायत प्रभाग दिसम्बर 1987 से उत्तरदायी है। इस प्रभाग को वर्ष 1997 से प्रतिक्रियाशील सरकार के मंच के अंतर्गत अनेक नागरिक केंद्रिक पहलों के लिए भी उत्तरदायी बनाया गया है। लोक सेवा प्रदायगी में सतत आधार पर सुधार करने के लिए इसमें नागरिक चार्टर, सूचना एवं सुविधा केंद्र और सेवोत्तम नामक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) ढांचा शामिल है जिसके परिणामस्वरुप भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक 15700:2005 के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है। लोक सेवा प्रदायगी में गुणवत्ता आधारित सुधार लाने के उद्देश्यार्थ भारत सरकार के सभी 82 मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में कार्यशाला के जरिए क्यूएमएस सेवोत्तम ढांचे को कायार्न्वित किया गया है तथा इसे 12 महीने की अवधि के दौरान प्रायोगिक के जरिए 10 मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया गया है। क्यूएमएस सेवोत्तम के 14 प्रायोगिक से यह पुष्टि होती है कि यह ढांचा लोक सेवा प्रदायगी में सतत सुधार करने के लिए विविध गरीब हितैषी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है।

लोक शिकायत पर नीतिगत दिशा–निर्देश जारी करने की साधारण शुरुआत से आज लोक शिकायत के कार्य क्षेत्र में लोक सेवा प्रदायगी में गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा को शुरु करने तथा शिकायत निवारण तंत्र को वैधानिक रुप देने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार विशेषकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू हो जाने तथा भारत सरकार द्वारा शुरु की गई अन्य नागरिक केंद्रिक पहलों के बाद वर्षों से लोक शिकायत प्रभाग के कार्यों और उत्तरदायित्वों की जटिलता और महत्व में वृद्धि हुई है। जैसे कि वर्ष 2011–12 में यह प्रभाग नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 भी तैयार कर रहा है।

18.2 जैसे कि वर्ष 2011–12 में लोक शिकायत प्रभाग निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलों के जरिए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहा है:–

(क) भारत सरकार के सभी 82 मंत्रालयों/विभागों और उसके अधीनस्थ संगठनों में अपने ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) संस्करण 4.0 का तकनीकी उन्नयन करने के लिए आईसीटी अनुप्रयोग ।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थानीय भाषा इंटरफेस के साथ सी पी जी आर ए एम एस का विस्तार करना।

(ग) नागरिक केंद्रिक पहल के भाग के रुप में भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशकों के अद्यतन

संपर्क ब्यौरे का पूरे पृष्ठ का वार्षिक विज्ञापन प्रकाशित करना, विज्ञापन के बाद संपर्क ब्यौरे की अद्यतन सूची पूरे वर्ष भर सी पी जी आर ए एम एस की पोर्टल पर उपलब्ध रहती है।

(घ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के लोक सेवा प्रदायगी में सतत सुधार लाने के लिए वार्षिक विज्ञापन और कार्यशाला के जरिए क्यू एम एस सेवोत्तम ढांचे का प्रचार–प्रसार करना।

(ड़) मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में क्यू एम एस सेवोत्तम की 12 महीने की प्रायोगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।

(च) पाँच विभिन्न पहलों जिसमें नागरिक चार्टर भी एक भाग है, के जरिए भारत सरकार और राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र में नागरिक चार्टर तैयार करना/ कार्यान्वयन करना।

(छ) नागरिक केंद्रिक पहल के रुप में– नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011

18.3.1 (क)भारत सरकार में शिकायत निवारण तंत्र की नीति – यह प्रभाग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एव विभागों में एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने पर नीति विषयक दिशा निर्देशों को बनाता है। इसके लिए दिशा निर्देशों के संकलन को समय–समय पर प्रकाशित किया जाता है। लोक शिकायत निवारण के लिए दिशा–निर्देशों का संकलन का नवीनतम संस्करण जिसमें जीआरएम, नागरिकों/ग्राहकों चार्टर तथा सूचना सुविधा पटल शामिल हैं, का अगस्त, 2010 में द्विभाषी रुप में प्रकाशित किया गया है और इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को प्रसारित कर दिया गया है। इसे बेबसाइट- www-darpg-nic-in भी देखा जा सकता है।

18.3.2 केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मानीटरिंग प्रणाली संस्करण 4.0 :– 27 सितम्बर, 2010 को केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के उन्नयित रुपान्तरण का उद्घाटन कर दिया गया है जिसमें शिकायत निवारण पर नागरिक संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करने की अतिरिक्त सुविधा है । सीपीजीआरएएमएस नागरिकों के लिए देश या विश्व के किसी हिस्से से उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट आधारित सुविधा है। यह http://pgportal-gov-in और www-darpg-nic-in के जरिए भी अभिगम्य है। भारत सरकार में स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण की भी प्रभावी निगरानी के लिए यह एक तंत्र है । यह प्रणाली 82 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्य करती है जिसमें उनके अंतर्गत उत्तरदायी 6000 केन्द्र भी शामिल हैं । सी पी जी आर ए एम एस के माध्यम, नागरिक ऑन लाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और तत्काल आगे के संदर्भों के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं । यह संख्या उनकी शिकायत के निवारण की प्रगति की जॉच और अनुस्मारक भेजने के लिए उपयोगी हैं । नागरिकों के पास अपनी शिकायत प्रत्यक्ष रुप से संबंधित मंत्रालय/विभाग में दर्ज करने अथवा उसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को भेजने के विकल्प उपलब्ध हैं । लोक शिकायत प्रभाग द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों को निवारण हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है । भविष्य में उत्पन्न होने वाली सदृश शिकायतों की रोकथाम के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु शिकायत संभावित क्षेत्रों के विश्लेषण के लिए पद्धति के माध्यम से भी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है । दिनांक 7.12.2011 की स्थिति के अनुसार सी पी जी आर

ए एम एस द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्राप्त की गई और निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	कुल	कुल
2011	1,60,534	1,38,986
2010	1,39,201	1,18,011
2009	1,07,935	53,243

सीपीजीआरएएमएस से संयोजित क्षेत्रीय कार्यालयों/संगठनों की संख्या वर्ष 2010–11 के 1500 से बढ़कर वर्ष 2011–12 तक 6000 हो गई है ।

18.3.3 डाक द्वारा अथवा दस्ती रुप से प्राप्त शिकायतः शिकायतों को डाक द्वारा भेजने अथवा दस्ती रुप से देने के लिए कोई प्रारुप निर्धारित नहीं है। नागरिक अपनी शिकायत पोस्टकार्ड/अंतर्देशीय पत्र या किसी कागज पर भेज सकते हैं। डाक/दस्ती रुप से प्राप्त सभी प्राप्त शिकायतों को लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक की ओर से सी पी जी आर ए एम एस में दर्ज किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस पर पावती तैयार की जाती है और डाक द्वारा भेजी जाती है, तथा ऐसे सभी मामलों में सीपीजीआरएएमएस के जरिए प्राप्त अंतिम निवारण उत्तर भी डाक द्वारा भेजा जाता है।

18.3.4 लंबित शिकायतों की मासिक मानीटरिंग और सीपीजीआरएएमएस के संस्करण 4.0 पर प्रशिक्षण : सीपीजीआरएएमएस से संबंधित लंबित शिकायतों के की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है । अप्रैल, 2011 से 5 दिसम्बर, 2011 तक 87 मंत्रालयों/विभागों के 123 अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लोक शिकायत प्रभाग द्वारा सीपीजीआरएएनएस के संस्करण 4.0 पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है (i) जनवरी, 2011 से 5 दिसम्बर, 2011 तक भारत सरकार के 62 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 203 अधिकारियों को सीपीजीआरएएमएस संस्करण 4.0 में प्रशिक्षित किया गया था। (ii) सीपीजीआरएएमएस से संयोजित क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या वर्ष 2010 में लगभग 1500 से बढ़कर वर्ष 2011 के दौरान लगभग 6000 हो गई है।

18.3.5 राज्यों में सीपीजीआरएएमएसः– इस प्रणाली को स्थानीय भाषा इंटरफेस के साथ विशिष्ट बनाया गया है तथा वर्ष 2010 में ओडिशा और हरियाणा सरकार तथा मई 2011 में राजस्थान सरकार में इसका शुभारंभ किया गया।

18.3.6 (ख) सूचना का प्रचार–प्रसार :– देश भर की विभिन्न भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों में (i) भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशकों के संपर्क ब्यौरे और (ii) सतत आधार पर लोक सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए सेवोत्तम नामक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के बारे में पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित करना (2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार करना। वर्ष 2010–11 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए 2 मार्च 2011 को 38 दैनिक समाचार पत्रों में लोक शिकायत के निदेशकों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 1–2 अक्टूबर, 2011 को 66 दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। (ii) सेवोत्तम पर पहला विज्ञापन जून, 2011 को चुनिंदा प्रमुख शहरों के 20 दैनिक समाचार पत्रों में 31.03.2011 को प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2011–12 में व्यापक प्रचार के लिए इसे दिसम्बर, 2011 में अंग्रेजी, हिंदी और 13 अन्य भाषाओं के 78 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, (क) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया और इसे जनवरी, 2011 में प्रकाशित किया गया तथा (ख) सेवोत्तम के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश, सितम्बर, 2011 तैयार किया गया तथा इसका वर्ष 2011–12 में आयोजित सेवोत्तम में क्षमता निर्माण पर चार कार्यशालाओं में 450 प्रतिभागियों में प्रचार किया गया। इन दिशा–निर्देशों को www.darpg.gov.in पर सेवोत्तम के अंतर्गत देखा जा सकता है।

18.4.1 सरकारी संगठनों द्वारा सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता लाने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) सेवोत्तम ढांचा लोक सेवा प्रदायगी की

गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) सेवोत्तम ढांचे का विकास किया गया है। यह मंत्रालयों/विभागों और नागरिकों को शामिल करते हुए सतत आधार पर सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आकलन–सुधार ढांचे का संस्थानीकरण करने हेतु एक नागरिक केन्द्रिक पहल है। सेवोत्तम में लोक सेवा संगठनों के तीन आयाम शामिल हैं जो निम्नानुसार हैः– (क) नागरिक/ग्राहक चार्टर जो सेवा प्रदायगी मानकों को विनिर्दिष्ट करता है, (ख) शिकायत निवारण तंत्र जो चार्टर के मानकों के अनुसार सेवा प्रदायगी नहीं होने पर सक्रिय हो जाता है, (ग) चार्टर के मानकों के अनुसार सेवा प्रदायगी के लिए संगठन की सेवा प्रदायगी क्षमता। प्रकाशित मानकों के आधार पर '' नौ बिन्दु गुणवत्ता अनुपालन'' मानदंड का विकास किया गया है। 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सेवोत्तम प्रायोगिक परियोजना जो जून, 2010 में पूरी हो गई है, के परिणामस्वरुप निम्नलिखित एककों को भारतीय मानक 15700:2005 के तहत प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।

1.	नई दिल्ली, प्रधान डाक घर	वर्ष 2008 में
2.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	वर्ष 2008 में
3.	सी बी ई सी के अधीन केंद्रीय उत्पाद निदेशालय 1 दिल्ली	वर्ष 2010 में
4.	सेवा कर दिल्ली	वर्ष 2010 में
5.	उत्पाद और सीमा शुल्क, दिल्ली एयरपोर्ट	वर्ष 2010 में
6.	केंद्रीय उत्पाद, हैदराबाद III	वर्ष 2011 में
7.	आयकर सेवा केंद्र पुणे	वर्ष 2010 में
8.	आयकर सेवा केंद्र कोच्चि	वर्ष 2011 में

18.4.2. भारत सरकार और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सेवोत्तमः– वर्ष 2011–12 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में क्यूएमएस सेवोत्तम प्रायोगिक के अगले चरण का आरंभ करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के मुख्य सचिवों को वर्ष 2011–12 में आरंभ होने वाले सेवोत्तम प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उनकी इच्छुकता की पुष्टि करने और इस कार्य के लिए प्रायोगिक एकक की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। 16 मंत्रालयों/विभागों से 18 प्रायोगिक यूनिट तथा चार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से 5 क्षेत्रों में प्रायोगिक के लिए जबाव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2011–12 में इन प्रायोगिक के आरंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

18.4.3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सेवोत्तम ढांचे का अध्ययन किया है। इसने '' नागरिक केन्द्रिक प्रशसन–शासन का केंद्र बिन्दु नामक अपनी 12 वीं रिपोर्ट में '' सात उपाय माडल'' नामक सेवोत्तम के एक सरलीकृत रुप का प्रतिपादन किया है इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। इसने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भी सात उपाय माडल को अपनाने का सुझाव देने की सिफारिश की है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु इन दोनों सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12 वीं रिपोर्ट को www.darpg.nic.in पर देखा जासकता है।

18.4.4. सेवोत्तम पर कार्यशालाएं :– भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में क्यूएमएस सेवोत्तम के कार्यान्वयन संबंधी सूचना का प्रचार–प्रसार करने के लिए इस विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में प्रत्येक 2 दिवस की चार कार्यशाला और वर्ष 2011–12 में चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। वर्ष 2010–11 की कार्यशालाओं में नागरिक/ ग्राहक चार्टर और शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित इस ढांचे के पहले दो माडयूलों को ही कवर किया गया था। इसके अनुक्रम में इस ढांचे के क्षमता निर्माण के तीसरे माडयूल को पूरा करने हेतु सभी 82 मंत्रालयों/विभागों के लिए दिनांक 21–22 सितम्बर, 2011 और 18–19 अक्टूबर, 2011 को सेवोत्तम के लिए क्षमता निर्माण पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों हेतु सेवोत्तम के लिए क्षमता निर्माण पर चौथी कार्यशाला।

मंत्रिमंडल सचिव ने दूसरी कार्यशाला का शुभारंभ किया था और इन कार्यशालाओं में संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के 135 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इन दो कार्यशालाओं के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में क्यूएमएस सेवोत्तम के सभी तीन माडयूलों का प्रचार–प्रसार पूरा हो गया है। सेवोत्तम के लिए हेल्प डेस्क जिसे वर्ष 2010 में sevottam@nic.in पर सृजित किया गया था, वर्ष 2011 में भी कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के लिए 2 कार्यशालाएं दिनांक 21–22 सितम्बर, 2011, 18–19 अक्टूबर, 2011 को आयोजित की गई थी। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सबसे पहले क्षमता निर्माण पर दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 24–25 नवम्बर, 2011 और 29–30 नवम्बर, 2011 को विज्ञान भवन सौध में आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर, इसमें प्रधान सचिव/सचिव स्तर के 140 अधिकारियों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत को हब के रुप में मानते हुए आई सी डी एस, पी डी एस, पी एच सी, प्राथमिक शिक्षा, पंचायती सेवाएं और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए लोक सेवा प्रदायगी हेतु क्षमता निर्माण के लिए इन दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन कार्यशला से प्राप्त परिणाम में छह प्रक्रिया–मानचित्र और पंचायत स्तर सेवा प्रदायगी एककों के लिए व्यवहार्य सेवा मानकों का सृजन शामिल है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर के संगठनों में संगत सेवाओं को संबंधित नागरिक चार्टर में शामिल किया जाना है। इन दोनों कार्यशालाओं में राज्य मंत्री (पीपी) ने दिनांक 25 और 30 नवम्बर 2011 को समापन भाषण दिया और ट्राफियां और प्रमाण–पत्र प्रदान किए। वर्ष 2011–12 के कार्यशालाओं में (i) छत्तीसगढ़ में पी डी एस (ii) तमिलनाडु में कार्यकलाप आधारित सीख (iii) गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (iv)

कर्नाटक में आई सी डी एस (v) केरल के विशेष संदर्भ में ग्राम पंचायत का नागरिक चार्टर (vi) नैगम कार्य मंत्रालय में एम सी ए 21 (vii) भारतीय डाक में सेवोत्तम की यात्रा (xiii) प्राथमिक शिक्षा में जबावदेही (ix) सी बी डी टी में सेवोत्तम और (x) सी बी ई सी में सेवोत्तम पर प्रस्तुतीकरण के जरिए लोक सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित किया है ।

18.5 नागरिक / ग्राहक चार्टर : दिसम्बर, 2010 तक निम्नलिखित पांच पहलों के माध्यम से प्रभाग द्वारा नागरिक चार्टर को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

18.5.1 पहली पहल सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों में नागरिक चार्टर की और दूसरी पहल सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में नागरिक चार्टर की है । दोनों की शुरुआत मई, 1997 में हुई थी । इन दोनों पहलों के अंतर्गत विशेष पोर्टल http://www-goicharters-nic-in पर सूचीबद्ध नागरिक चार्टरों की संख्या में बढोतरी इसकी प्रगति को प्रतिबिम्बित करती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010 से सभी मंत्रालयों / विभागों के नागरिक / ग्राहक चार्टर उनके वेबसाइटों पर अपलोड किए जाते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से उनके वार्षिक रिपोर्टों में अपने नागरिक / चार्टर के विषय में सूचना शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है ।

18.5.2 तीसरी पहल निरंतर सुधार द्वारा सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता लाने के लिए सेवोत्तम ढांचे के द्वारा नागरिक चार्टर को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए है। यहाँ सेवोत्तम के तीन घटकों में से एक के रुप में नागरिक ग्राहक चार्टर की सिर्फ निर्माण एवं समीक्षा ही नहीं की जा रही है अपितु इसे संबंधित मंत्रालय / विभागों की सेवा प्रदायगी प्रक्रिया से जोडा भी जा रहा है । उदाहरणस्वरुप, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सेवा प्रदायगी के अपनी नयी मानीटरिंग प्रणाली के एक भाग के रुप में अपने नागरिक चार्टर में दिए गए सभी सेवा प्रदायगी मानकों को शामिल कर लिया है। उन्होंने पुणे, उदयपुर और कोच्चि में आयकर सेवा केन्द्र (ए एस के) अथवा आयकरदाता सेवा केन्द्र (टी पी एस सी) नामक एक एकल खिडकी सेवा प्रदायगी इकाई का भी सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया है । इन एएसके केंद्रों के माध्यम से इनके नागरिक चार्टर में दिए गए सेवा प्रदायगी के सभी नागरिक चार्टर मानकों को कार्यरुप में बदला जा रहा है ।

18.5.3 चौथी पहल में नागरिक / ग्राहक चार्टर को शामिल करते हुए गरीबी कम करने के लिए क्षमता निर्माण (सी बी पी आर) गुणवता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) के अंतर्गत चार राज्यों मे वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक शुरु किए गए सेवोत्तम पर चार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रायोगिक परियोजनायें हैं । ये हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उडीसा प्रत्येक के एक विभाग में हैं । (क) हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों सहित एक नया नागरिक चार्टर तैयार किया गया है । शिमला नगर निगम के 'जल एवं स्वच्छता इकाईयों के लिए प्रयोक्ता नियमावली' जिसमें सेवा मानक शामिल हैं। www-darpg-nic-in पर उपलब्ध है। (ख) कर्नाटक में : ग्रामीण स्तर पर आंगनवाडी केन्द्र के जरिए स्वीकृत बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत इनकी सेवा प्रदायगी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (डी डब्ल्यू सी डी) हेतु एक नया नागरिक चार्टर तैयार किया गया है । क्षेत्र के लिए दस्तावेज 'प्रयोक्ता नियमावली' के रुप में www-darpg-nic-in पर उपलब्ध है। (ग) मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पी एच एफ डब्ल्यू) विभाग के लिए सेवा मानकों सहित एक नागरिक चार्टर बनाया गया है । (घ) उडीसा में : उडीसा सरकार ने खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कल्याण (एफ एस एवं सी डब्ल्यू) विभाग और खुर्दा जिले के बालीपटना ब्लॉक में सेवा प्रदायगी की इसकी उर्ध्वाधर श्रृंखला तथा साथ साथ 'मधुसूदन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव मैनेजमेंट' के क्षमता निर्माण का चयन किया है ।

इन सभी चार राज्यों की प्रायोगिक परियोजनाएं जनवरी, 2011 में पूरी हो गई हैं ।

18.5.4 नागरिक चार्टर के लिए पांचवीं पहल द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट के अनुसार है : द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में 'नागरिक केंद्रिक प्रशासन–शासन का केंद्र बिंदु' नामक अपनी 12वीं रिपोर्ट में नागरिकों के साथ अंतः क्रिया करने हेतु एक दस्तावेज के रुप में नागरिक चार्टर को और प्रभावी बनाने की सिफारिश की है । भारत सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है । सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अपने नागरिक चार्टर की समीक्षा कर नागरिकों से अंतः क्रिया करने के लिए उनको उपकरण के रुप में और अधिक प्रभावी बनाने हेतु करने का आग्रह किया गया है ।

18.6 नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 : सरकार के निर्णय के अनुसार इस प्रभाग द्वारा मसौदा नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 तैयार किया गया है । सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद नागरिकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर 2.11.2011 से 23.11.2011 तक रखा गया था । आम जनता से बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं । भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 7 दिसम्बर, 2011 तक उनकी टिप्पणियां देने के लिए भी अनुरोध किया गया था । मसौदा विधेयक को अंतिम रुप देने से पहले इन पर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्याय–19

संगठन एवं पद्धति प्रभाग

सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

19.1 सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्लान योजना को वर्ष 1987–88 में शुरु किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिक उपकरणों के प्रयोग, लागत प्रभावी और स्थान प्रभावी रिकार्ड प्रबंधन के द्वारा कार्यात्मक लेआउट, खुले कार्यालयों का सृजन और कागजी कार्य में कमी के माध्यम से कार्य के वातावरण में सुधार लाना था । कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता में बेहतर लोक सेवा डिलीवरी एवं लोक संतुष्टि के उद्देश्यों के साथ वृद्धि करने के लिए इसे एक साधन बनाने की परिकल्पना की गई थी। इस योजना में जिसमें व्यापक और एकीकृत योजना, आधुनिक कार्य स्टेशन, वास्तविक पैरामीटरों में समानता तथा आधुनिकीकृत इकाईयों के रखरखाव पर जोर दिया गया है ।

19.2 इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच एक छानबीन समिति द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव (प्र.सु.लो.शि.) द्वारा की जाती है और योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग तथा शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी इसके सदस्य हैं ।

19.3 यह योजना बहुत लोकप्रिय रही है और अपने उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त कर सकी है । अभी तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को 425 प्रस्तावों के लिए 58.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । इस योजना में एक अंतर्निमित तंत्र है जो लाभार्थी मंत्रालयों/विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजना की लागत का 25: का सहयोग देना होगा, जबकि शेष 75: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत देना होगा । इस योजना का उद्देश्य केवल एक मॉडल के रुप में सेवा प्रदान करना है। जिसके लिए आधुनिकीकरण के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता है ।

19.4 प्रत्येक वर्ष धन की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है क्योंकि अधिक से अधिक मंत्रालयों/विभागों को इस योजना और इसे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जानकारी हो रही है। इस विभाग द्वारा प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त होने वाले सुझावों के माध्यम से इस योजना की प्रभावकारिता को निरंतर मॉनिटर किया जाता है ।

19.5 इस विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन पर नजर रखी है जिसमें प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । यह विभाग इस योजना के अंतर्गत 31.3.2011 तक जारी सभी धनराशियों की स्थिति के उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सफल रहा है । इसने आधुनिकीकृत एककों के अनेक, मौका अध्ययन भी किये हैं । वर्ष 2002 में एक स्वतंत्र अभिकरण मै. जे पी एस एसोसिएट्स के माध्यम से प्रभावी आकलन कराया गया था। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का एक व्यापक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष दिया कि आधुनिकीकरण की कार्यवाही एक अच्छा कदम है आधुनिकीकरण के उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा उक्त एजेंसी ने निम्नलिखित अप्रत्यक्ष लाभ भी बताएं हैं :– बेहतर नैतिकता, कार्यस्थल पर

गौरव महसूस करना, एक आधुनिक कार्यालय की छवि बनाए रखने के लिए कार्यकुशलता में सुधार, अपनत्व की भावना में वृद्धि और बेहतर तरीके से मिलजुल कर कार्य करना । वर्ष, 2008 में मै. विप्रो लिमिटेड नामक एक बाहरी परामर्शदाता से इस योजना को x योजना से xi योजना तक जारी रखने के बारे में निर्णय करने के लिए एक अन्य मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में xi प्लान में स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई है । उन्होंने यह सलाह भी दिया है कि योजना के अंतर्गत विभाग को और अधिक व्यापक प्रस्ताव देने तथा और अधिक निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता है । परामर्शदाताओं की योजना को जारी रखने की सिफारिश का व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) द्वारा मूल्यांकन किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी एस एम ओ पी)

19.6 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को एक नोडल अभिकरण के रुप में केन्द्रा्य सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी एस एम ओ पी) के माध्यम से सचिवालयीन कार्य के लिए कार्यविधियां निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केन्द्री्य सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी एस एम ओ पी) का समग्र उद्देश्य कार्य में उत्पादकता की वृद्धि करना तथा उसकी तर्कसंगति में बदलाव किए बिना एक उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध कराना है जो कार्यविधियों और प्रक्रियाओं/दिशा–निर्देशों के विकास के माध्यम से कार्य वातावरण में परिवर्तन को दर्शाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि बड़ी भूमिका जैसे कार्य वातावरण में हो रहे विकास द्वारा आश्वासन परिवर्तनों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में संशोधित के 13वें संस्करण को अंतिम रुप दे दिया गया है और मुद्रण कार्य चल रहा है तथा शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा ।

ई–मैन्युअल

19.7 ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई–ऑफिस वातावरण में एक समान रुप में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा ई–मैन्युअल की व्यवस्था को अपनाए जाने के लिए केंद्रीय सचिवालय ई–कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका को अंतिम रुप दे दिया गया है ।

अभिलेख प्रतिधारण समय सूची

19.8 अंतिम अभिलेख प्रतिधारण समय सूची वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगतियों और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियम पर विचार करते हुए इस विभाग का अभिलेख प्रतिधारण समय सूची को संशोधित करने का प्रस्ताव है । इस विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों को अभिलेख प्रतिधारण समय–सूची में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु पहले ही पत्र लिख दिया है । अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की पंचवर्षीय कार्यनीतिक योजना के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान अभिलेख प्रतिधारण समय सूची को अंतिम रुप दिया जाना है ।

अध्याय–20
ई–गवर्नेंस

ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन

20.1 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा वर्ष 1997 से प्रत्येक वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं एक राज्य सरकार के सहयोग से ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। यह सम्मेलन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधकों तथा सक्षम व्यक्तियों, विशेषज्ञों, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के विद्वानों इत्यादि को ई–गवर्नेस के विभिन्न पहलों से संबंधित चर्चा, विचारों और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ।

सम्मेलन के दौरान राज्यमंत्री (पीपी) द्वारा दीप प्रदीपन

20.2 ई–गवर्नेस पर 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 10 – 11 फरवरी, 2011 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, महाराष्ट सरकार के संयुक्त तत्वाधान से जयपर किया गया । इस सम्मेलन का विषय "ग्रामीण ई–सेवा प्रदायगी" था और इस सम्मेलन में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग, शिक्षा एवं सिविल संस्था के विद्वान उपस्थित रहे और इसमें उन्हें ई–गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न पहलों पर चर्चा, विचारों और अनुभवों की वृद्धि हेतु एक मंच प्रदान किया गया। इस सम्मेलन के उदघाटन के दौरान ई–गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए ।

उद्घाटन समारोह – 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

20.3 प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ई गवर्नेंस पहलों को अनुकरणीय तरीके से कार्यान्वित करने वाले सरकारी संगठनों/संस्थाओं को पुरस्कृत करके ई–गवर्नेंस में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और इसका संवर्द्धन करता है । निम्नलिखित श्रेणियों में ई–गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हैं :–

(क) सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता

(ख) आई सी टी आधारित सर्वोत्तम प्रणाली का अनुकरणीय क्षैतिज स्थानान्तरण

(ग) नागरिक–केंद्रिक सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता कार्य निष्पादन

(घ) ई–गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का नव–प्रवर्तनकारी प्रयोग

(ड.) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आई सी टी का अनुकरणीय प्रयोग

(च) सर्वोत्तम सरकारी वेबसाइट

(च) क्षेत्रीय पुरस्कार : (वर्ष 2010–11 के लिए केंद्रित क्षेत्र : कृषि)

20.4 फरवरी, 2012 के दूसरे सप्ताह के दौरान भुवनेश्वर, ओडिशा में 15वें राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है । सम्मेलन का विषय प्रभावी ई–सेवा प्रदायगी था । वर्ष 2011–12 का फोकस क्षेत्र स्थानीय शासन है ।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार ग्रहण समारोह : 14वां राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सम्मेलन

ई ऑफिस : राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना

20.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई ऑफिस मिशन मोड़ परियोजनाओं में से एक है । एन ई जी पी मंत्रिमंडल द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित है । इस परियोजना का उद्देश्य केन्द्र्रा्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों में कार्य प्रवाह के तंत्र और सहयोगी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिकाओं के माध्यम से कार्यात्मक कुशलता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग है। ''ई–ऑफिस'' अथवा कोई भी कम कागजी पहल में मुख्य रुप से कार्यप्रवाह ऑटोमेशन और ज्ञान–प्रबंधन शामिल होता है, जिसमें दस्तावेज/रिकार्ड प्रबंधन, संगठन में कार्य प्रवाह की सैटिंग और नियंत्रण, कार्य–आबंटन और निगरानी, ऑडिट ट्रायल रखरखाव, कार्य–निष्पादन, बैंच–मार्किंग एवं कार्यात्मक एम आई एस सृजित करना भी सम्मिलित है ।

ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना पर पहली कार्यशालाः 15.6.2011

20.6 आरंभ में, इस परियोजना को सितम्बर, 2010 में तीन प्रायोजिक स्थलों अर्थात् प्र.सु. एवं लो.शि. विभाग, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ई–गवर्नेंस प्रभाग मे कार्यान्वित किया गया था । इस परियोजना का कार्यान्वयन एन आई सी द्वारा किया जा रहा है ।

20.7 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध योजना को अपनाया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की कार्यनीतिक योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 तक ई–ऑफिस कार्यान्वयन के लिए 29 मंत्रालयों/विभागों को कवर करने का प्रस्ताव है । आरंभ में इस विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में 5 मंत्रालयों/विभागों में परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए अपने आर एफ डी में लक्ष्य निर्धारित किया है । इस प्रक्रिया में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में ई–ऑफिस कार्यान्वयन की इच्छुकता के आधार पर 12 मंत्रालयों/विभाग में कार्य आरंभ किया है ।

20.8 मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए सहमति दी है, के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए 15 जून, 2011 को एक अनुकूलन कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस पहल को ओर आगे बढ़ाने के लिए 2 दिसम्बर, 2011 को दूसरी कार्यशाला आयोजित की गयी थी। इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा ''द ई–ऑफिस प्रेमवर्क : ए वे फारवर्ड फार द गवर्नमेंट'' पुस्तिका का विमोचन भी किया गया था। इस विभाग ने सुशासन के लिए एक पहल के तौर पर ई–ऑफिस पहल का भी चुनाव किया है तथा विभाग की अन्य पहल अर्थात् सेवोत्तम के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय को इसकी रिपोर्ट की जाती है ।

ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना पर दूसरी कार्यशालाः 02.12.2011

20.9 इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने परिवर्तन प्रबंधन और व्यवसाय कार्य प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी ढांचा तैयार करके केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सरकारी प्रक्रिया संरचना ढांचा को अंतिम रुप देने की कार्रवाई कर रहा है।

20.10 इस विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय ई–ऑफिस पद्धति नियम पुस्तिका को भी अंतिम रुप दे दिया गया है और शीघ्र ही इसे परिचालित किया जा रहा है।

20.11 ई–ऑफिस का उद्देश्य :

(i) कार्यप्रवाह में स्वचलन : सभी क्रियाओं द्वारा उचित रुप से परिभाषित कार्यप्रवाह प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिनमें से अधिकांश स्वचालित और प्रचलित जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रणाली के उपयोग की प्रणाली द्वारा निष्पादित हैं;

(ii) नियमित क्रियाओं का स्वचलन : नियमित कार्यों जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी निर्णय की आवश्यकता नहीं होती को स्वचालित किया जा सकता है और प्रणाली द्वारा समय के नियमित अंतराल में निष्पादित किया जा सकता है;

(iii) सूचना की शीघ्र प्राप्ति : दस्तावेजों, सांख्यिकियों इत्यादि विभिन्न प्रारुपों में उपलब्ध सूचना के संचय, सुधार, संचार, एकता और प्रकाशन के लिए ई–कार्यालय द्वारा एक प्रणालीगत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा;

iv) अपेक्षित पुस्तकों और फाइलों के प्रकार से निपटने के लिए प्रणाली सक्षम होगा; और

उन्नत पारदर्शिता

(v) भौतिक फाइल को ई–फाइलों के रुप में उचित रुप से परिवर्तित किया जाएगा ;

किसी दिए गए समय पर फाइल को आसानी से ढूंढने की स्थिति से विलम्ब रुकेगा और आसानी से फाइल मिल पाएगी तथा

(vi) परियोजना उचित वेबसाइटों के जरिए सूचना के प्रकाशन को आसान बनाएगी ।

कार्य की मॉनीटरिंग और निष्पादन प्रबंधन के जरिए बेहतर जवाबदेही

(vii) डैशबोर्डस, सतर्कता आदि की ऑनलाइन उपलब्धता ताकि विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्य का मॉनीटरन और मूल्यांकन नियमित रुप से किया जा सके; और

गोपनीयता और सुरक्षा

(viii) सरकारी मंत्रालयों और विभागों की फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक हैण्डलिंग की यह एक पूर्वापेक्षा है और ई–आफिस के अधीन अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी;

(ix) उचित पहुंच नियंत्रण कार्यान्वित किया जाएगा;

(x) उच्च शिक्षा प्रौद्योगिकी लगाई जाएगी और

(xi) सुरक्षा परीक्षण को जन समर्थन दिया जाएगा ।

आधुनिक कार्यालय वातावरण

(xii) पारम्परिक कार्यालयों का साथ–साथ सुधार किया जाएगा ।

(xiii) कम कागजी कार्यालय ।

xiv) इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय की उन्नत क्षमता और वैध बनाना। ई–आफिस वातावरण में प्रचालन के लिए स्टाफ की क्षमता निर्मित की जानी है और

(xv) कार्यालय पद्धतियां और अन्य संबंधित दिशा–निर्देशों को ई–आफिस के कार्यान्वयन के अनुरुप परिवर्तित किया जाएगा ।

20.12 कार्यनीति

(क) तकनीकी मानकों को परिभाषित किया जाएगा,

(ख) ई–मैन्युअल (ई–कार्यालय पद्धतियों का केंद्रीय सचिवालय मैन्युअल) देना,

(ग) कार्य मॉडलों का सृजन,

(घ) ई–कार्यालय वातावरण के चयन और प्रचालन के लिए एक साधारण पद्धति का सृजन करना,

(ड.) उपर्युक्त सभी एक मानक रोड मैप तैयार करने के लिए विभाग को समर्थ बनाएगा,

(च) सुरक्षा / गोपनीयता ।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना (वित्तीय वर्ष 2012–17) के अंतर्गत प्रशिक्षण योजना

20.13 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण योजना को अंतिम रुप देने की कार्रवाई कर रहा है।

20.14 इस दस्तावेज का उद्देश्य ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का विशेष रुप से उल्लेख करना है और मूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आम समझ विकसित करना भी है। मास्टर प्रशिक्षण योजना निम्नलिखित रुपरेखा को प्रस्तुत करता हैः– (i) ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए विभिन्न भूमिकाओं के लिए अपेक्षित मूल योग्यता (ii) प्रदायगी तंत्र (iii) संस्थागत ढांचा (iv) व्यापक पाठ्यक्रम (v) फीडबैक तंत्र और (vi) प्रमाणन।

अध्याय–21

अंतर्राष्ट्रीय विनियम एवं सहयोग

21.1 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एवं सहयोग प्रभाग) सिविल सेवाओं, समग्र रुप से कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबंधित सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों के संदर्भ में काम करने वाला एक केन्द्रीय अभिकरण है जिसमें कार्यक्रमों का आयोजन करना, विदेशी शिष्टमंडलों के भारत दौरे तथा भारतीय शिष्टमंडलों के विदेश दौरों का आयोजन करना जो भारत और अन्य देशों यथा चीन,मलेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों/ समझौतों(द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिसका कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एक संस्थागत सदस्य है के साथ सहयोग के संबंध में चलाई जाने वाली परियोजनाओं/द्विपक्षीय उपायों का ही एक अंग होते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार में सूचना, श्रेष्ठ प्रथाओं तथा कार्मिकों की हिस्सेदारी को सक्षम बनाना है । वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित कार्यकलापों को चलाने के एक शासनादेश के साथ यह घटक शुरू किया गया था :

तुलनात्मक अध्ययन पर विशेषज्ञों तथा संयुक्त शोध का आदान–प्रदान।

सामग्री तथा सूचना का विनिमय ।

देश पार संस्थाओं से विशेषज्ञों का स्थानान्तरण ।

कार्यशालाओं, सम्मेलन के माध्यम से विनियमन आवागम तथा अनुभवों की हिस्सेदारी के लिए सदस्यता तथा विनिमय कार्यक्रम ।

मुख्य सरकारी कार्मिक ।

श्रेष्ठ प्रथाओं की हिस्सेदारी पर समकक्ष समीक्षा तंत्र ।

इस समय ऐसे पांच देश हैं जिनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं : चीन, मलेशिया(द्विपक्षीय) दक्षिण अप्रीका(द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय : यथा आई बी एस ए) ब्राजील (आई बी एस ए के अंतर्गत) और सिंगापुर (द्विपक्षीय)। इसमें एक दूसरे के देशों का दौरा करना और सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंध, लोक प्रशासन और गवर्नेंस के क्षेत्र में विद्यमान समझौता ज्ञापनों के अधीन कार्यक्रमो/ परियोजनाओं तथा कार्यकलापों का संचालन करना शामिल है ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान(आई आई ए एस), ब्रसेल्स, बेल्जियम के साथ सहयोग

21.2 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) मंत्रालय वर्ष 1998 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आई आई ए एस) का संस्थागत सदस्य है । प्रत्येक वर्ष आवश्यक शुल्क का भुगतान कर इसकी सदस्यता का नवीकरण किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आई आई ए एस) जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, की स्थापना प्रशासनिक विज्ञान के विकास का संवर्द्धन करने, लोक प्रशासनिक एजेंसियों का बेहतर संगठन बनाने और

संचालन करने, प्रशासनिक मामलों और तकनीक में सुधार लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लोक प्रशासन के प्रति कटिबद्ध है। तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में यह विश्व के सभी क्षेत्रों के लोक प्रशासन के विशेषज्ञों को अपने व्यावहारिक अनुभवों को पारस्परिक रुप से बांटने और उस पर परिचर्चा करने तथा सैद्धांतिक विश्लेषण करने के लिए एकल मंच प्रदान करता है ।

राष्ट्रमंडलीय लोक प्रशासन व प्रबंधन संघ (सी ए पी ए एम) ओटावा, कनाडा के साथ सहयोग :

21.3 राष्ट्रमंडलीय लोक प्रशासन व प्रबंधन संघ (कापाम) जिसका मुख्यालय ओटावा, कनाडा में स्थित है, एक सदस्यता प्राप्त संगठन है जो कि समस्त राष्ट्रमंडलीय देशों में लोक प्रबंधन को मजबूत बनाने और लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करने के प्रति कटिबद्ध है । वर्ष 1991 में हरारे में राष्ट्रमंडल के शासन अध्यक्षों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरुप इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी । राष्ट्रमंडलीय लोक प्रशासन व प्रबंधन संघ ने प्रारंभ से अब तक राष्ट्रमंडल देशों में 1100 से अधिक सदस्यों का एक नेटवर्क बनाया है।

वर्ष 1997 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राष्ट्रमंडलीय लोक प्रशासन में प्रबंधन संघ (सी ए पी ए एम) का एक संस्थागत सदस्य बन गया। इसकी सदस्यता ग्रहण करने से भारत सरकार सी ए पी ए एम द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों यथा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण पुरस्कारों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपाटी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, संगोष्ठियों और अधिवेशनों के माध्यम के साथ सी ए पी ए एम द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकाशनों, जर्नलों और अध्ययन संबंधी रिपोर्टों के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र में अद्यतन विकास संबंधी सूचना प्राप्त करती है। भारत सरकार के नामिती के बतौर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय वर्ष 2010–2012 की अपधि के लिए कापाम निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष एक पदेन सदस्य हैं ।

कापाम अंतर्राष्ट्रीय नव–प्रवर्तन पुरस्कार कार्यक्रम

21.4 सन् 1998 से कापाम ने एक द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय नव–प्रवर्तन पुरस्कार कार्यक्रम शुरु किया है। इस पुरस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र राष्ट्रमंडल में सरकारी सुधारों में नई पहलों के विचार–विमर्श को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कापाम का प्रयास सरकार में सुधार के नए तरीके शुरु करना, विभिन्न देशों को परिवर्तन और सुधार के नमूनों के विभिन्न आयामों के प्रति जागरुक करना, जनता को गुणवत्ता परख सेवा उपलब्ध कराना तथा विभिन्न सदस्य देशों के बीच संचार और आदान–प्रदान को सुदृढ़ करना है । इससे राष्ट्रमंडलीय देशों की सरकारों के प्रबंधन संबंधी नई गतिविधियों और नवीनीकरण के प्रयासों के अनुभवों का आदान–प्रदान करने का मौका मिलता है ।

भारत कापाम पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत से ही इसमें भाग लेता आ रहा है और इसने वर्ष 1998, 2000, 2002, 2004 तथा 2010 में स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2002, 2004 एवं 2006 में रजत पदक जीते हैं ।

कापाम पुरस्कार समारोह 14–15 अक्तूबर, 2010 को कापाम द्विवार्षिक सम्मेलन के संयोजन में माल्टा में आयोजित किया गया। कापाम द्वारा विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों से प्राप्त बारह अंतिम परियोजनाओं में से भारत से निम्नलिखित तीन परियोजनाओं का चयन किया गया ।

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदायगी एवं जल संरक्षा हेतु सामुदायिक विनियोजन के लिए व्यवस्थित नवप्रवर्तन (गुजरात सरकार)। (श्रेणी : नागरिक विनियोजन एवं संवाद) ।

(ख) वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली, कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम लि. (कर्नाटक सरकार) (श्रेणी : लोक सेवा प्रबंधन एवं जवाबदेही) ।

(ग) मिशन कंवर्जेंस (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) (श्रेणी: सरकारी सेवा और कार्यक्रम में नवप्रवर्तन) ।

परियोजना दृ मिशन कंवर्जेंस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया जो ''भविष्य की लोक सेवा हेतु नवप्रवर्तन का परिष्करण'' नामक समग्र पुरस्कार विषय के अंतर्गत श्रेष्ठ संपुष्टीकृत और प्रदर्शित उत्कृष्टता थी अभी इसने सरकारी सेवा और कार्यक्रम दृ श्रेणी में एक पुरस्कार भी जीता ।

नागरिक विनियोजन और संवाद श्रेणी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदायगी और जल संरक्षा हेतु सामुदायिक विनियोजन के लिए व्यवस्थित नवप्रवर्तन (गुजरात सरकार)–परियोजना को एक पुरस्कार प्रदान किया गया ।

कापाम नेतृत्व विकास कार्यक्रम

21.5 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (प्र. सु. लो. शि. वि.) द्वारा 6–8 जुलाई, 2011 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में राष्ट्रमंडलीय लोक प्रशासन में प्रबंधन संघ (सी ए पी ए एम) नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

2. इस कार्यक्रम को नेतृत्व संबंधी अध्ययनों में नवीन प्रवृत्तियों को चिन्हांकित करने के लिए बनाया गया है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) लोक सेवा नेतृत्व संदर्भ

(ii) नेतृत्व पर एक प्रशंसात्मक जांच

(iii) नेतृत्व : संभावना की कला

(iv) कार्य में नेतृत्व

(i) नेतृत्व की भाषा

(iv) खोज के माध्यम से नेतृत्व

(vii) नेतृत्व कौशल

(viii) कार्यनीति संबंधी कौशल

(ix) प्रतिबद्धता आधारित नेतृत्व मॉडल

(x) कठिन निर्णयों की चुनौती

3. मुख्य भाषण श्री रमेश सी मिश्रा, सचिव (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) द्वारा दिया गया । उन्होंने यह कहा कि ''अच्छे नेतृत्व के लिए अधिकार की पारंपरिक भावना के परे मूल्यवान मानवीय गुणों की आवश्यकता है'' ।

4. तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 30 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इसका अभिप्राय आज के प्रतिस्पर्धात्मक जगत में प्रतिभागियों के नेतृत्व संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए और अनुभवात्मक शिक्षा पद्धतियों के आधार पर आत्म जागरुकता के विकास, भावात्मक ज्ञान एवं निर्णयों में कार्यनीति संबंधी प्रयोजन पर लक्षित है तथा यह प्रतिभागियों को सीखने के अनुभव प्रदान करता है ।

भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका (आई बी एस ए) फोरम

21.6 आई बी एस ए पहलों की तात्कालिकता एवं समेकन तथा सुशासन के संवर्द्धन के लिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग को मान्यता देते हुए तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने की इच्छा से तीनों देशों ने यह माना है कि संयुक्त प्रयास और सहयोग लोक प्रशासन और शासन

को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सामाजिक सम्मिलन के प्रति प्रेरित करने में सहायता करते हुए उन्हें सक्रिय खिलाड़ियों के रुप में बना देगा ।

भारत के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 13 सितम्बर, 2006 को ब्रशिलिया (ब्राजील) में भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका चर्चा मंच की पहली शिखर बैठक में मिले थे । तीनों देशों के बीच लोक प्रशासन और गवर्नेंस के क्षेत्र में सहयोग के त्रिपक्षीय आदान–प्रदान को बढ़ावा देने की इच्छा से उनके संबंधित राष्ट्रीय विधान के मुताबिक समानता और आपसी हित के आधार पर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को सहमत हुए । इस अवसर पर जारी किये गये संयुक्त घोषणा–पत्र में यथा उल्लेखित आई बी एस ए शिखर बैठक के निर्णय के अनुसरण में लोक प्रशासन पर तीनों देशों द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया है । भारतीय कार्यदल की अध्यक्षता सचिव, प्र.सु. एवं लो.शि. विभाग द्वारा की जाती है ।

लोक प्रशासन पर इस आई बी एस ए कार्य दल को गवर्नेंस तथा लोक प्रशासन के कार्य के समेकन तथा समर्थन की मुख्य भूमिका सौंपी गई है। लोक प्रशासन पर इस कार्यदल द्वारा अगस्त, 2006 में कार्य शुरु किया गया था; इसके द्वारा अभी तक सात बैठकें आयोजित की गई हैं और सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को अपनाया गया है:

(i) एकीकृत मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

(ii) ई–गवर्नेंस

(iii) मानव संसाधन विकास

(iv) नागरिक उन्मुखी सेवा प्रदायगी

(v) ⍁ष्टाचार – निरोध तथा आचार संहिता

(vi) जवाबदेही और पारदर्शिता

इन क्षेत्रों में सहयोग, समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सहमति के सार का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 को दूसरी आई बी एस ए शिखर बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षर किये गये थे । आई बी एस ए समझौता ज्ञापन को आई बी एस ए देशों के बीच विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों की आदान–प्रदान के लिए पहचान करते हुए कार्यवाही के वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

तीनों देशों द्वारा प्रादेशिक एवं वैश्विक लोकतंत्र तथा गवर्नेंस, आर्थिक और सामाजिक प्रतिबद्धता पर सहयोग हेतु परिपक्वता तथा उत्सुकता का प्रदर्शन किया गया है। लोक प्रशासन में आई बी एस ए कार्यकारी समूह की प्रतिष्ठित सत्ता से हमारी वचनबद्धता, लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस संबंधी समर्थन और प्रभाव विश्व, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना सुनिश्चित किया गया है। इसके द्वारा पहले से ही समृद्ध दक्षिण–दक्षिण संबंध को दृढ़ किया गया है और विशिष्ट प्रोत्साहन मिला है ।

प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता निर्माण और लोक सेवा प्रदायगी'' में दक्षिण–दक्षिण प्रथाएं नामक तीसरा आईबीएसए सेमिनार 8–10 सितम्बर, 2010 को पलामा, प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया ।

कार्य दल की 7 वीं बैठक 5–6 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में हुई, श्री आर सी मिश्रा, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारतीय पक्ष के अगुवा और लोक प्रशासन पर आई बी एस ए कार्य दल के मौजूदा अध्यक्ष ने आई बी एस ए भागीदारों से लोक प्रशासन के क्षेत्र में समय सीमा में निष्पादित किए जाने वाले और गंभीरता से माँग की जाने वाली सुपुर्दगी योग्य वस्तुओं में रुपांतरित करके उनकी पुरानी वचनबद्धताओं को विकसित करने और आयोजित करने का आग्रह किया ।

कार्य दल ने विचार–विमर्श किया और रुझान के पहचान किये गए क्षेत्रों पर आई बी एस ए समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए तीनों पक्षों द्वारा अपनाए गए कार्य योजना के संदर्भ में आगे का फैसला लिया – (i) लोक प्रशासन पर आई बी एस ए वास्तविक केंद्र (ii) एकीकृत मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (iii) ई–गवर्नेंस, (iv) नागरिक परक सेवा प्रदायगी, (v) लोक प्रशासन पर आई बी एस ए ढांचा (vi) मानव संसाधन विकास तथा (vii) भ्रष्टाचार निरोध, पारदर्शिता एवं जवाबदेही ।

लोक प्रशासन पर भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका वेब पोर्टल शुरू किया गया

21.7 लोक प्रशासन पर भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) वेब पोर्टल को लोक प्रशासन तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में आईबीएसए कार्यक्रम के अंतर्गत सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत श्री आर सी मिश्रा द्वारा 30.11.2012 को प्रारंभ किया गया ।

यह वेब पोर्टल जो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का वास्तविक केन्द्र है, लोक प्रशासन पर विचारों और जानकारी के आदान–प्रदान को आईबीएसए भागीदारों के बीच सुविधाजनक बनाने हेतु उनके लिए एक व्यापक रेंजवाला वेब आधारित संसाधन और पारस्परिक क्रिया प्लेटफार्म है।

इस वेब पोर्टल का उद्देश्य लोक प्रशासन तथा विकास से संबंधित विषयों के क्षेत्र में आईबीएसए अनुभवों तथा श्रेष्ठ प्रथाओं में हिस्सेदारी के लिए एक ज्ञान आधार को सृजित करना है।

भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने इस फोरम के माध्यम से अपने त्रिपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को पुनःस्वीकार किया है। आईबीएसए वेब–पोर्टल लोक प्रशासन तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में सभी तीन देशों के बीच आपसी सहयोग में उल्लेखनीय उपलब्धि है । इससे आगे पहले से फल–फूल रहे आईबीएसए रिश्ते को प्रोत्साहन मिलेगा

लोक प्रशासन तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत–मलेशिया सहयोग

21.8 सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रतिनिधित्व में भारत सरकार तथा लोक सेवा विभाग के प्रतिनिधित्व में मलेशिया सरकार के बीच 14 मई, 2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये ।

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आदान–प्रदान एवं सहयोग के लिए पहचान किए गए हितों के विभिन्न क्षेत्रों में एक सिविल सेवा संयुक्त कार्यदल (जे डब्ल्यू जी सी एस) गठित किया गया है जो भारत और मलेशिया के एक अंतर्सरकारी तंत्र है । दोनों देशों के संबंधित पक्षों द्वारा नामित किए गए व्यक्ति इस सिविल सेवा संयुक्त कार्यदल (जे डब्ल्यू जी सी एस) के सदस्य हैं। सचिव (प्र.सु. एवं पेंशन) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने भारत की ओर से जबकि महानिदेशक, लोक सेवा विभाग ने मलेशिया की ओर से नेतृत्व किया।

मलेशिया की ओर से सहयोग पहचान किए गए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करता है :

(i) मानव संसाधनों का विकास

(ii) नियोक्ता – कर्मचारी संबंध

(iii) सिविल सेवकों के वेतन तथा भत्ते

(iv) सार्वजनिक पेंशन व्यवस्था

(v) कर्मचारी कल्याण

(vi) लोक सेवा प्रदायगी की वैकल्पिक प्रणालियाँ

(vii) सरकार का आकार ठीक करना

(viii) ग्राहक / नागरिक चार्टर पहलें

(ix) सरकार में टी क्यू एम और आई एस ओ प्रमाणीकरण

(x) प्रशिक्षण : प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी

(xi) ई–शासन

(xii) प्रबंधन स्तर पर सिविल सेवा मामले

(xiii) ब्रष्टाचार निरोध कार्यनीति

(xiv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

(xv) लोक शिकायत निवारण तंत्र (पी जी आर एम)

अनुभवों की भागीदारी और श्रेष्ठ प्रथा की बैंचमार्किंग उपरोक्त सूची में शामिल क्षेत्रों में सहयोग की प्रमुख रणनीति है ।

भारत–मलेशिया संयुक्त कार्यदल की तृतीय बैठक 6–7 जनवरी, 04 को नई दिल्ली में हुई थी । जे डब्ल्यू जी सी एस द्वारा कार्य–योजना के अंतर्गत सूची में सम्मिलित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में दोनों तरफ के कार्य–दलों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई और की गई प्रगति पर उनकी संतुष्टि व्यक्त की गई ।

भारत और मलेशिया द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में वर्ष 2003 और 2004 के लिए अपनाई गई कार्य–योजना श्रेष्ठ प्रथाओं को सीखने तथा वितरण को शामिल करते हुए सूचना के आदान–प्रदान तथा दोनों तरफ के विशेषज्ञों के आदान–प्रदान की एक बहुत उपयोगी पहल है ।

दोनों पक्ष द्विपक्षीय कार्यरत संबंधों के संवर्धन के लिए तथा एक कार्य योजना के रुप में सहयोग कार्यक्रम विकसित करने हेतु सहयोग के नये आयाम खोजने का कार्य करेंगे ।

सिविल सेवा कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत–चीन सहयोग

21.9 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और चीन जन गणतंत्र के बीच सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रपति के 26 मई से 31 मई, 2010 तक चीन के दौरे के दौरान 27 मई, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र:

i **क्षमता निर्माण और कार्यकुशलता उन्नयन**

ii **लोक सेवा प्रदायगी की उन्नत पद्धति**

- क. ग्राहक परक सेवाएं
- ख. शासन में गुणवत्ता प्रबंधन
- ग. लोक शिकायत निवारण तंत्र

iii **मानव संसाधन विकास – सिविल सेवाएं**

- क. नियुक्ति प्रक्रिया एवं नीतियां
- ख पदोन्नति नीतियां / कैरियर प्रगति नीतियां
- ग कार्य निष्पादन समीक्षा
- घ. कार्मिक मध्यस्थता तंत्र सहित सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच विवादों के मैत्रीपूर्ण संकल्प के लिए तंत्र / मशीनरी

iv **सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन**

v **सार्वजनिक क्षेत्र सुधार**

समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं ।

कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत–सिंगापुर सहयोग

21.10 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में विशेष रूप से लोक प्रशासन और सेवाओं की प्रदायगी के क्षेत्र में सिंगापुर के साथ प्रशासनिक अनुभवों की हिस्सेदारी और आदान–प्रदान की संभावना का पता लगाया जिससे कि गवर्नेंस की मौजूदा पद्धति को सुधारा जा सके और अनुक्रियाशीलता, जवाबदेही, पारदर्शिता की भावन को मन में जागृत किया जा सके तथा लोक सेवा प्रदायगी, अच्छे गवर्नेंस, लोक सेवा सुधार और क्षमता निर्माण तथा दक्षता उन्नयन के संदर्भ में लोक सेवा उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सके ।

इन निर्दिष्ट तथ्यों को स्वीकारते हुए कि दोनों देशों के बीच उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र लोक सेवा सुधार और अच्छा गवर्नेंस है, दोनों देशों के बीच कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन 8. 11.11 को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कर लिया गया है ।

सार्क सदस्य राज्यों के मंत्रिमंडल सचिवों की बैठक

21.11 सामान्य विषयों जैसे प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, निष्पादन प्रबंधन और ई–गवर्नेंस के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए सार्क मंत्रिमंडल सचिवों की एक बैठक दिनांक 13–14 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में हुई थी । बैठक में सदस्य राज्यों के सभी मंत्रिमंडल सचिवों और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया ।

सार्क सदस्य राज्यों के मंत्रिमंडल सचिवों की इस पहली बैठक को कराने में भारत सरकार की पहल का स्वागत किया गया । यह नोट किया गया कि सार्क अब कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, अपने अस्तित्व के पहले दो दशकों में निर्धारित की गई पद्धतियों को प्रशंसनीय ढंग से पूरा किया है । मंत्रिमंडल सचिवों ने स्वीकार किया कि सार्क से संबंधित कार्यों को सार्क के मंत्रालयों के अनुरुप अग्रता दिए जाने की आवश्यकता है । इन देशों द्वारा प्रशासनिक सुधारों में किए जा रहे प्रयासों पर बैठक में विचार–विमर्श किया गया । इन विचार–विमर्शों में नागरिकों को अधिकार देने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए और कारगर तथा जनता मैत्री प्रशासन के जरिए वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष योजनाओं को शामिल किया गया ।

सदस्य राज्यों ने अपने देशों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर भी विचार और उनके द्वारा उसके प्रभाव पर भी विचार–विमर्श किया गया । उनके प्रस्तुतीकरण में मंत्रिमंडल सचिवों ने संबंधित देशों में नीति अनुभवों का विस्तृत लेखा–जोखा रखा जिसमें ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सफल घटनायें सम्मिलित थीं ।

बैठक में नोट किया गया कि दक्षिण एशिया में दक्षिण क्षेत्रों का विकास एवं बडी विकासात्मक चुनौती है और इसलिए सुदृढ़ समुदाय सहभागिता सहित सभी हितधारकों के व्यापक प्रयास, निर्धनत उपशमन प्रयासों की सफलता और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास नाजुक हैं । बैठक में प्रशंसा की गई कि यद्यपि क्षेत्रों द्वारा झेली जा रही चुनौतियां सामान्य हैं, परन्तु एक देश में सामाजिक, सास्कृतिक स्थिति पर निर्भर रहते हुए विशिष्ट अंतर हो सकते हैं ।

बैठक ने निष्पादन प्रबंधन और मूल्यांकन पद्धतियों के महत्व को नोट किया जो सेवा प्रदायगियों के सुधार और विकास के लिए अनिवार्य है । वे विभिन्न कार्यों (नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों) के लिए विभागीय और

वैयक्तिक उद्देश्यों को जोड़ते हैं और विभिन्न संस्थागत और वैयक्तिक हितधारकों के निष्पादन के उचित और सतुलित मूल्यांकन के जरिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मूल्यांकन की प्रगति के उद्देश्य को समर्थ बनाते हैं ।

सार्वजनिक सेवाओं के प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व और ई–गवर्नेंस सहित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रसारण को बैठक में महत्व दिया गया जो दक्षिण एशिया सहित विकासशील देशों में एक सदा बढ़ता हुआ महत्व प्राप्त कर रहा है। इसे नोट किया गया कि वैयक्तिक सार्क देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी में विशिष्ट व्यवहार विकसित किए हैं जो उनकी संबंधित राष्ट्रीय विकास अग्रताओं के समाधान में मानव, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों के उपयोग को आवश्यक बनाती है ।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सिफारिशे जो सार्क मंत्रिमंडल सचिवों की पहली बैठक में की गई थी, को कार्यान्वित किया जा रहा है और कुछ को कार्यान्वित कर दिया गया है ।

अन्य देशों के साथ विनिमिय तथा सहयोग

21.2 अन्य देशों के साथ विनिमय तथा सहयोग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कनाडा, अफगानिस्तान, भूटान और इंडोनेशिया भ्रमणकारी शिष्ट मंडलों के साथ भी व्यस्त रहा है । इन देशों के साथ चर्चा में सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन सहित सुधार पहलों, क्षमता निर्माण तथा दक्षता उन्नयन, सिविल सेवाओं को सशक्त बनाने, ई–गवर्नेंस सूचना के अधिकार द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने तथा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्कता को सुदृढ़ करने के क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया गया ।

अध्याय–22

प्रलेखन एवं प्रचार प्रभाग

22.1 राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने समय–समय पर सुशासन की दिशा में कई बार पहल की है। किन्तु इन पहलों/व्यवहारों की संकल्पना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया का आलेखन कई बार समाचार–पत्रों की खबरों और औपचारिक संक्षिप्तियों तक ही सीमित रह गया है । प्रधानतः ऐसा इसलिये हुआ है कि जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हुए थे उनके पास इसे लेखबद्ध करने हेतु या तो समय नहीं था अथवा धैर्य का अभाव था और पेशवर प्रलेखन के अभाव में, उन्हें अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों अथवा अन्यत्र अपनाए जाने की दृष्टि से, इन पहलों का मूल्यांकन संभव नहीं है ।

22.2 विभाग का प्रलेखन और प्रचार प्रभाग मूलतः इन कार्यों का दस्तावेजीकरण, उदभव काल और केन्द्र, राज्य/संघ क्षेत्रों के सरकारों के सुशासन व्यवहारों का प्रचार करता है ताकि इनके अनुभवों को एक–दूसरे तक पहुंचाया जा सके और इन्हें अन्यत्र भी अपनाया जा सके । इसके अलावा, यह प्रभाग सावधिक प्रकाशन भी निकालता है और एक समृद्ध तथा अच्छे उपकरणों से सुसज्जित पुस्तकालय के रुप में लोक प्रशासन, प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास संबंधी संदर्भ सामग्री का एक संग्रह भी रखता है ।

22.3 इस प्रभाग द्वारा डील की जा रही गतिविधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(i) सुशासन प्रथाओं के व्यवसायिक प्रलेखन और प्रचार के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता – इस योजना का उद्देश्य राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों द्वारा शुरु की गई सुशासन पहलों के व्यावसायिक प्रलेखन और प्रचार को एक दूसरे को अनुभवों की जानकारी का आदान–प्रदान करने और उन्हें अन्यत्र दोहराये जाने की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है । अब तक इस विभाग द्वारा 18 विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 48 सुशासन पहलों के व्यावसायिक प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभाग द्वारा निम्नलिखित सात पहलों के व्यावसायिक प्रलेखन के लिए प्रत्येक को 3 लाख रूपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है :–

क) लघु सिंचाई कार्यक्रम, महाराष्ट्र

ख) रेनवाड़ी गाँव में सक्रिय जन भागीदारी के साथ आदर्श जलापूर्ति

ग) गर्भाशय कैंसर की जांच तमिलनाडू

घ) हृदय वाहिनी संबंधी रोगों की रोकथाम तथा उपचार कार्यक्रम, तमिलनाडू

ड.) स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, तमिलनाडू

च) जनजातीय स्वास्थ्य पहले, तमिलनाडू

छ) मल्कापुर 24ग7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी, महाराष्ट्र

(ii) श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रस्तुतीकरण की शृंखला – अन्य कम विकसित राज्यों में इस प्रकार की सफलताओं

का अनुकरण करने की भावना जागृत करने के प्रयोजन से मंत्रिमंडल सचिव द्वारा जनवरी, 2005 में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की प्रस्तुतीकरण की श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी देने के साथ एक नवीन प्रक्रिया शुरु की गई है । इसका प्रस्तुतीकरण सचिवों के चयनित समूह और राज्य सरकार तथा केन्द्राय सरकार के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष किया जा रहा है । प्रस्तुतीकरण करने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं के विजेताओं को आमंत्रित किया जाता है । केन्द्र के साथ–साथ चुनिन्दा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष विविध विषयों पर ऐसे 21 प्रस्तुतीकरण पहले से आयोजित किए गए हैं । इस वर्ष 12 अगस्त 2011 को (प) नवी मुम्बई नगर निगम के शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र सरकार (पप) गुजरात सरकार के सिकल सेल ऐनिमिया कंट्रोल प्रोग्राम तथा (पपप) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन पर प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया ।

यह सफल क्रियाकलापों के अभिवकताओं द्वारा उपस्थित अधिकारियों के बीच अपने अनुभवों का उल्लेख करने तथा सफल और असफल कार्यक्रमों से शिक्षा ग्रहण करने का एक उपयोगी मंच सिद्व हुआ है । हमारा यह अनुभव रहा है कि हमारे देश में नवीनतम विचारों और परियोजनाओं की कोई कमी नहीं है । अन्य राज्यों में इनका अनुकरण करने और अपनाने के लिए अत्यधिक श्रमसाध्य प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि इस दिशा में उठाए गए सफल कदम मात्र उत्कृष्टता स्तर प्राप्त क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहें ।

Presentation on Best Practices held on 12th August, 2011

(iii) **"गवर्नेंस में उत्कृष्टता" पर क्षेत्रीय सम्मेलन** :– वर्ष 1997 में आयोजित किए गए मुख्य मंत्रियों के अधिवेशन के फलस्वरुप ही प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक मांग पत्र और जबावदेही प्रशासन, प्रभावी और त्वरित जन शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शिता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार तथा श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रसारण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक कार्य योजना अपनाई गई है । गैर–सरकारी संगठनों, प्रबुद्ध व्यक्तियों और जनसंचार के प्रतिनिधियों सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के अन्य दावेदारों को एक ही मंच पर सुशासन प्रक्रियाओं के प्रारुपण और क्रियान्वयन के क्षेत्र में अर्जित अपने–अपने अनुभवों की पारस्परिक रुप से सहभागिता करने का सुअवसर प्रदान करने के प्रयोजन से क्षेत्रीय अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा है । नागरिक मांग पत्रों सहित सुशासन की प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, निर्णायक स्तर के अधिकारी, गैर–सरकारी संगठनों/उपभोक्ता संगठनों आदि के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेंगे । इस वर्ष विभाग ने 15–16 सितंबर, 2011 को पटना में पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया ।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुशासन के संवर्धन के लिए नए सुधारों के प्रति प्रतिभागियों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना है। सुशासन को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के अधिकारी और शासन तथा प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ इन सम्मेलनों के मुख्य सहभागी/प्रतिभागी होते हैं ।

(iv) **पुस्तकों का प्रकाशन** – यह प्रभाग समूचे देश में सर्वोत्तम उपायों के बारे में व्याख्यान श्रृंखलाओं/प्रस्तुतीकरणों आदि का आयोजन करता है । ये व्याख्यान/प्रस्तुतीकरण प्रशासकों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं और सफलताओं की कथाओं का प्रसार–प्रचार करने से इसकी अन्यत्र पुनरावृत्ति सुविधाजनक हो सकेगी । अतः इन व्याख्यानों/

15–16 सितम्बर, 2011 को पटना में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र

प्रस्तुतीकरणों के संकलन को पुस्तकों के रुप में प्रकाशित करने से इसके प्रचार–प्रसार और परिणामतः लंबे समय तक इसकी पुनरावृत्ति संभव हो सकेगी । इस विषय पर प्रभाग ने पहले ही पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। ये है –आइडिया दैट हैव वर्कड, विचार जो कामयाब हुए (आइडिया दैट हैव वर्कड का हिन्दी रुपान्तरण) लर्न फ्रोम देम, इनसे सीखें (लर्न फ्रोम देम का हिन्दी रूपान्तरण) तृण में भव्यता, छतविहीन मीनारें तथा सुनने द्वारा प्रबंध इन सर्च ऑफ लाइट और पीपुल फर्स्ट ।

(v) श्रेष्ठ प्रथाओं पर वृत्तचित्र फिल्मों का प्रस्तुतीकरण – प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का एक उद्देश्य सुशासन सेवाओं का संवर्धन करना है। कई राज्यों ने प्रशासन तथा सेवा प्रदायगी के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता हासिल कर ली है । यह लाभप्रद होगा यदि विचारों का आदान–प्रदान करके एक–दूसरे के अनुभवों से फायदा उठाया जाए । विभाग समूचे देश में श्रेष्ठ प्रथाओं पर वृत्तचित्र फिल्मों के प्रस्तुतीकरण का आयोजन करता है । ये फिल्म प्रशासकों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती हैं और सफलताओं की कथाओं का प्रसार–प्रसार करने से इसकी अन्यत्र पुनरावृत्ति सुविधाजनक हो सकेगी । इस प्रकार की 38 वृत्तचित्र फिल्मों का प्रस्तुतीकरण पहले ही किया जा चुका है और 5 और पर कार्य किया जा रहा है ।

(vi) गवर्नेंस ज्ञान केन्द्र (जी के सी): प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने गुड गवर्नेंस पहलों और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के एक वेब आधारित भंडारण का डिजाइन बनाने और विकास करने के लिए एक पहल शुरु की थी । गवर्नेंस ज्ञान केन्द्र में वेब आधारित डिजिटल भंडार और क्षेत्र के विशेषज्ञों, संसाधन व्यक्तियों, विश्लेषकों सहित तकनीकी व्यवसायी को शामिल करके बनाया गया सहायता दल भी शामिल है जो भंडारण का दौरा करने वाले उपयोगकर्ताओं की रुपरेखा से संगत ज्ञान संसाधन के आयामिक अद्यतन और मामला अध्ययनों को निरंतर सुनिश्चित करते हैं । डिजिटल भण्डारण की परिकल्पना भारत और विदेशों में

26 अप्रैल, 2011 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 'पीपुल फर्स्ट' पुस्तक का विमोचन

'सुशासन प्रथाओं' के विभिन्न चयनित मामला अध्ययनों के संबंध में डिजिटल विषय–वस्तुओं के सरल सुधार के लिए अधिकार में लेने, सुव्यवस्थित करने और भंडारण करने में समर्थ बनाने वाले एक उपकरण के रुप में की गई है । जीकेसी पोर्टल www.indiagovernance.gov.in पर देखा जा सकता है।

यह पोर्टल लोक सेवकों को उनके द्वारा सामना किये जा रहे दिन–प्रतिदिन की चुनौतियों का व्यावहारिक और कार्यान्वित किये जाने योग्य समाधानों को ढुढने हेतु मदद करने के लिए लक्षित है । यह शासन में सुधार हेतु सहयोगी ज्ञान विनिमय के लिए एक मंच के रुप में कार्य करता है । यह गवर्नेंस ज्ञन का एक विस्तृत एवं प्रतिष्ठित समूह भी प्रदान करता है जिसका उपयोग सिविल सोसायटी द्वारा लोक सेवा प्रथाओं और सुधारों की बारीकियों को समझने के लिए किया जा सकता है । इस समय पोर्टल में उचित रुप से प्रलेखित 190 श्रेष्ठ प्रथायें और 375 मामला अध्ययनें वर्किंग पेपर, टूलकिट, नीति संबंधी ब्रीफिंग शामिल हैं ।

(vii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिवों(एआर) का सम्मेलन– इस नई पहल का उद्देश्य है (i) लोक सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा किए गए सुधारों/पहलों के क्षेत्र में राज्यों के अनुभव बांटने के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना, प्रशासन को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना; तथा प्रशासन को नागरिक हितैषी बनाना, (ii) उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां और (iii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत

सरकार द्वारा राज्यों / संघ शासित सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करना । पहला और दूसरा सम्मेलन 21 अगस्त, 2009 और 24 सितम्बर, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में और तीसरा उसी स्थान पर 2 सितम्बर, 2011 को आयोजित किया गया । इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राज्यमंत्री (पी पी) द्वारा किया गया ।

(viii) सरकार में प्रबंधन का प्रकाशन – एक तिमाही पत्रिका – प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासकों, शिक्षाविदों, स्कालरों तथा लोक प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध में अन्य इच्दुक व्यक्तियों के बीच विचारों और मतों के स्पष्ट आदान–प्रदान के लिए एक फोरम प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1969 से ''सरकार में प्रबंधन'' नामक एक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। इस पत्रिका का केन्द्र बिन्दु लोक प्रशासन की व्यावहारिक परिस्थितियों की प्रबंध तकनीकों की प्रबंधन तकनीकों के अनुप्रयोग और प्रत्यक्ष स्थितियों के अनुभव के आधार पर अच्छे प्रबंध के सिद्धांतों की परिकल्पना पर है । वर्ष 2011–12 में 'शासन में नैतिकता और 'शासन में जवाबदेही' विषयों पर आधारित दो विशेष अंकों को जारी किया गया ।

(ix) 'सिविल सर्विसेज़ न्यूज' का प्रकाशन – एक मासिक न्यूजलेटर – यह न्यूजलेटर सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी, 1988 से प्रकाशित किया जा रहा है । इस मूल्य वाले प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य कार्मिक प्रबंधन, पेंशन, प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायतों तथा सिविल सेवकों के हितों के अन्य मामलों के बारे में केन्द्र में होने वाले अद्यतन विकासों का सिविल सेवकों को सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रुप में काम करता है ।

(X) विभाग के विभिन्न प्रभागों द्वारा सानुरोध कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों की प्राप्तियों का अभिलेखन ।

अनुबंध–1

15.12.2011 की स्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का संगठनात्मक ढांचा

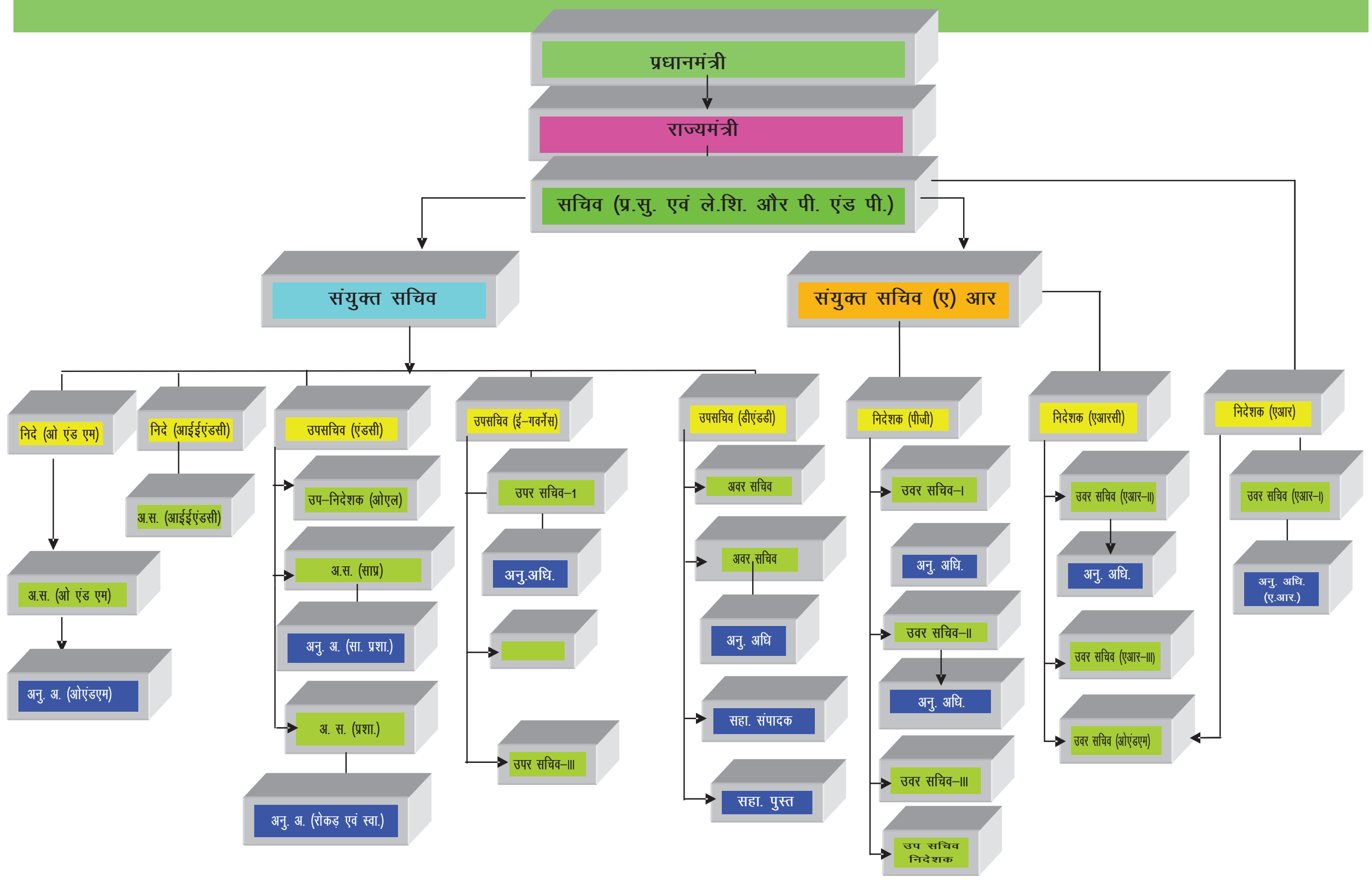

टिप्पणी : 1. लोक शिकायत और आईईएंड सी प्रभागों के अध्यक्षएक ही निदेशक है ।

2. अवर सचिव (ओ एंड एम) आधुनिकी करण कार्य के लिए निदेशक (ए आर सी) को रिपोर्ट करते हैं ।

3. अवर सचिव (ओ एंड एम) प्रशासनिक सुधार पहलों के लिए निदेशक (ए आर) को रिपोर्ट करते हैं ।

अनुबंध– ।।

वर्ष 2009–10 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं की सूची

(I) पुरस्कार श्रेणी – व्यक्तिगत

1. श्री प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.

पहल : दूरियों को पाटता – बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का कायापलट – एक सफल कहानी

(II) पुरस्कार श्रेणी – दल

दल सदस्य

1. श्री राजेंद्र गणेशलाल होलाणी, मुख्य अभियंता
2. श्री सदानंद काशीनाथ भोपाले, सेक्शन अभियंता
3. श्री सुनील यशवंत बासुगड़े, सेक्शन अभियंता
4. श्री उत्तम पांडुरंग बागड़े, सेक्शन अभियंता

पहल : मल्कापुर 24ग7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी

(III) पुरस्कार श्रेणी – दल

दल सदस्य

1. श्री विजय शांतीलाल नाहटा, भा.प्र.से.
2. सुश्री वर्षा विश्वजीत भगत

पहल : शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र (ई टी सी) – स्वप्न से यर्थाथ

(IV) **पुरस्कार श्रेणी – संगठन**

1. स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएँ एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्तालय, गुजरात

पहल – सिकल सेल ऐनिमिया कंट्रोल प्रोग्राम गुजरात सरकार

(v) पुरस्कार श्रेणी – संगठन

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई एस टी), हिमाचल प्रदेश सरकार

पहल – हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक कचरे का स्थायी प्रबंध :

संकल्पना से नीति तक

अनुबंध–III

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

प्रकाशन का वर्ष	पुस्तक का शीर्षक	टिप्पणियां
2004	आइडिया दैट हैव वर्क्ड	
2007	लर्न फ्रोम देम	
2008	स्पलेंडर इन द ग्रास	तृतीय सिविल सेवा दिवस, 2008
2008	रूफलेस टॉवर्स	
2008	मैनेजमेन्ट बाई लिसनिंग	
2009	ब्रिंगिंग योर ओन बाइट्स	चतुर्थ सिविल सेवा दिवस, 2009
2009	''इन से सीखें'' (लर्न फ्रोम देम) का हिन्दी अनुवाद	
2009	''विचार जो कामयाब रहे'' आइडियाज दैट हैव वर्क्ड का हिन्दी अनुवाद	
2010	इन सर्च ऑफ लाईट	पंचम सिविल सेवा दिवस, 2010
2011	पीपुल फर्स्ट	छठा सिविल सेवा दिवस, 2011

(वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 के पृष्ठ सं. 198–199 के पुस्तक अनुभाग के अंत में नई पुस्तक 'पीपुल्स फर्स्ट' के विषय में विवरण जोड़ने हेतु)

पीपुल फर्स्ट

नौ पहलों का यह व्यापक संग्रह भारत में उन नवप्रर्वतनों को जिन्होंने वर्ष 2008–09 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त किया है को दर्शाता है । प्रणाली विज्ञन की दृढ़ता के साथ प्रलेखन की योजना बनाई गई है और इसमें सीधे पहलकर्त्ता द्वारा आने की प्रमाणिकता है । यह पुस्तक नवप्रवतनों की गतिशीलता को समझने का तथा परिवर्तन के प्रबंधन का उत्कृष्ट स्रोत है ।

प्रशासनिक सुधार

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31.08.2005 को किया गया था और इसने विचारार्थ सरकार को 15 रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं । मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार पर कोर ग्रुप ने सभी 15 रिपोर्टों की जांच का कार्य पूरा कर लिया है । मंत्री समूह ने अब तक ग्यारह रिपोर्टों पर विचार किया है । इन रिपोर्टों पर मंत्री समूह के निर्णय कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं । ''आतंकवाद का सामना करना'' (आठवीं रिपोर्ट) नामक रिपोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा देखा गया है और यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली गई है । इस प्रकार, कुल मिलाकर अब तक 13 रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है। शेष 2 रिपोर्टों (रिपोर्ट सं. ट, और ग) पर अभी मंत्री समूह द्वारा विचार किया जाना है।

अभिनव पहल

1. प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 2 लंबित रिपोर्टों पर मंत्री समूह की बैठक आयोजित करना
    - सार्वजनिक व्यवस्था : सभी के लिए न्याय .... सभी के लिए शांति पर पांचवीं रिपोर्ट
    - कार्मिक प्रशासन को पुनर्सज्जित करना – नई ऊंचाईयां चढ़ना पर दसवीं रिपोर्ट
2. भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट (आतंकवाद का सामना करना पर आठवी रिपोर्ट के अलावा जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है और यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली गई है)की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मॉनीटरिंग पर ध्यान केन्द्रित करना ।
3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सुविधा/प्रचार–प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करना।

सिविल सेवा दिवस

भारत सरकार ने वर्ष 2006 और उससे आगे प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सभी सिविल सेवकों के लिए उनको नागरिकों के प्रति पुनःसमर्पित करने और लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए उनकी वचनबद्धता का नवीकरण करने हेतु एक अवसर के रुप में ''सिविल सेवा दिवस'' के रुप में मनाना शुरु किया है । ऐसा पहला कार्यक्रम 21.04.2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था । 21.04.2011 को पांचवें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने तीन श्रेणियों अर्थात् व्यक्तिगत, समूह और संगठन में पाँच पहलों को 2009–10 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार प्रदान किए ।

अभिनव पहल

अगला सिविल सेवा दिवस 21.04.2012 को आयोजित किया जाएगा।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार

भारत सरकार ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों के द्वारा किए गए असाधारण और नव–प्रवर्तनकारी कार्य को अभिस्वीकृति, मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने हेतु ''लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार शुरु किया है ।

अभिनव पहल

चालू वर्ष के लिए 35 नामांकनों का लघु सूचीयन किया है । परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ समिति

ने स्वयं जम्मू और कश्मीर में पंचायत निर्वाचन के संचालन के पहल पर विचार करने का विचार किया है । दिनांक 21. 04.2012 को पुरस्कार दिए जाएंगे

मुख्य सचिवों का सम्मेलन

सरकार ने वर्ष 2010 और उससे आगे मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन के कार्यक्रम की भी शुरुआत की है । ऐसा पहला सम्मेलन 1–2 फरवरी, 2010 और दूसरा 4–5 फरवरी, 2011 को आयोजित किया गया था और दोनों का उदघाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ।

अभिनव पहल

तीसरा सम्मेलन 3–4 फरवरी, 2012 को आयोजित किया गया जाएगा ।

गवर्नेंस रिपोर्ट की स्थिति (एसओजीआर)

सरकार ने ऐसे क्षेत्र जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रयुक्त किए जा सकने वाले एक साधन की उपलब्धता करवाने हेतु राज्य स्तर पर गवर्नेंस का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरु किया । यह प्रत्याशा थी कि पैरामीटरों की पहचान करने के लिए गवर्नेंस की स्थिति के मूल्यांकन से नीति निर्माता और विकास पेशेवरों को कतिपय निर्णयों की जटिलताओं को समझने में सहायता मिलेगी ।

गवर्नेंस रिपोर्ट स्थिति की पद्धति को समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक विचार–विमर्शों के बाद अंतिम रुप दिया गया था । मसौदा पद्धति 27.03.2009 को एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में व्यापक श्रेणी के दर्शकों/श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, अनुसंधान निकायों के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों (जहां पायलट किया गया था) योजना आयोग और बहुपार्श्विक एजेंसियों को आमंत्रित किया गया था, राज्य मंत्री (कार्मिक एवं पेंशन) द्वारा गवर्नेंस रिपोर्ट की स्थिति के ढांचे को अनुमोदित कर दिया गया है ।

अभिनव पहल

इस विषय पर सचिवों की समिति (सी ओ एस) के लिए एक मसौदा टिप्पणी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों को उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु परिचालित की गई है ।

आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री कार्यालय के सुझाव के आधार पर मंत्रालयों/विभागों में जोखिम प्रबंध व्यवस्था करने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन (आईसीआरएम) ढ़ांचे को विकसित करने के लिए एक अध्ययन शुरु किया गया था ।

आईसीआरएम ढ़ांचा किसी स्कीम के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा । यह कार्य (i) एक स्कीम के सफल कार्यान्वयन हेतु संभाव्य चिंताओं/जोखिमों/ बाधाओं को अभिनिर्धारित करके और (ii) इन जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपायों का डिजाइन बनाकर और उनको क्रियाशील बनाकर किया जाता है। आईसीआरएम प्रक्रिया में परिभाषित कार्यकलाप ये हैः (i) जोखिम मूल्यांकन (जोखिम अभिनिर्धारण के साथ–साथ जोखिम प्राथमिकीकरण), (ii)जोखम शोधन/न्यूनीकरण, (iii) जोखिम मॉनीटरिंग (iv) जोखिम वादा (v)जोखिम पुनर्मूल्यांकन ।

अभिनव पहल

साधन तैयार किए जा रहे हैं और इनका उपयोग भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों में किया जाएगा । इस विषय पर सचिवों की समिति (सी ओ एस) के लिए एक मसौदा टिप्पणी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु परिचालित की गई है ।

सामाजिक जवाबदेही तंत्रों पर अध्ययन

इस विभाग द्वारा ''सामाजिक जवाबदेही तंत्र'' नामक एक अध्ययन शुरु किया गया था जो और अधिक अवगत, सीधे और सृजनात्मक ढंग से लोक सेवकों और राजनीतिज्ञों नागरिकों (विशेषकर गरीब और सीमांत) की क्षमता को बढ़ाने के साधनोपायों का पता लगाएगा ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं को प्रभावकारी ढंग से वितरित किया जा सके । राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर), राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी (एबीएसएनएए) मसूरी के एक एकक को सामाजिक जवाबदेही से संबंधित आवश्यक सामान्य साधन/ढ़ांचा जिसे भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक क्षेत्र स्कीम/कार्यक्रमों में भी अपनाया जा सके, विकसित करने का कार्य सौंपा गया था ।

अभिनव पहल

रिपोर्ट में शामिल किए गए मुख्य मुद्दों की रुपरेखा की जीर्णता पर विचार–विमर्श करने के लिए 6 मई, 2011 को एनआरआरडी, हैदराबाद में स्टैकहोल्डरों (भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभाग) के साथ एक एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

सचिवों की सहमति (सी ओ एस) के समक्ष उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने के द्वारा पी पी परियोजनाओं सहित सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली, सरकार की सभी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में सामाजिक जवाबदेही उपकरणों को मुख्य धारा में लाने पर विचार करने हेतु एक टिप्पणी प्रस्तुत की गई है ।

लोक शिकायत

कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार यह विभाग (क) सामान्य रुप से शिकायतों के निवारण और (ख) केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों संबंधी मुद्दों के लिए नीति और समन्वयन के लिए उत्तरदायी है । इस विभाग में लोक शिकायत विभाग इस कार्यकलाप के प्रति उत्तरदायी है । इस में प्रो–पूअर सेवा प्रदायगी पर विशेष ध्यान सहित लोक सेवा प्रदायगी में उत्तरोत्तर सुधार के लिए सिटीज़न चार्टर, सूचना सुविधा पटल और सुधार उपाय शामिल हैं । इस उद्देश्यार्थ, निरंतर सुधारों के जरिए सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम मॉडल विकसित किया गया है और इसे केन्द्र में और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दोनों में कार्यान्वित किया जा रहा है । लोक शिकायतों पर नीति–विषयक दिशा–निर्देशों को जारी करने के जरिए इसकी साधारण शुरुआत से लोक शिकायत का क्षेत्र आज सभी केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा प्रदायगी में गुणवत्ता प्रबंधन की संकल्पना की शुरुआती परिकल्पना करता है । अब तक एक दर्जन से अधिक पायलेटों को पूरा कर लिया गया है।

अभिनव पहल

(क) केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) का उन्नयित रुपांतरण अब सभी केन्द्राय मंत्रालयों/विभागों और 5600 क्षेत्रीय इकाइयों को जोड़ता है ।

(ख) भारत सरकार के 32 मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके 22 सितंबर, 2011 से 30 नवंबर, 2011 तक सेवोत्तम ढांचे पर चार कार्यशाला ।

(ग) वर्ष 2011–12 में सेवोत्तम के अंतर्गत नई प्रायोगिक परियोजनाओं को लेना/शुरू करना ।

कार्यालयों का आधुनिकीकरण

सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर योजनागत स्कीम आधुनिक सहायताओं, लागत प्रभावी और स्थल प्रभावी अभिलेख प्रबंधन का प्रयोग करके कार्यात्मक

नक्शों, खुले कार्यालयों के सृजन, कागजी कार्य की कमी के जरिए कार्य वातावरण को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 1987–88 में शुरू की गई थी । अंतिम उद्देश्य के रूप में बेहतर सेवा प्रदायगी और जन संतुष्टि के साथ कार्यबल की कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक साधन होने की परिकल्पना की गई थी । यह स्कीम वृहद और एकीकृत आयोजना, आधुनिक कार्य केन्द्रों, आधुनिकीकृत एककों के वास्तविक पैरामीटरों और अनुरक्षण में एकरूपता पर बल देती है ।

इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की जांच एक छानबीन समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष अपर सचिव (प्र.सु. एवं लो.शि.) है और इसमें योजना आयोग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, और समेकित वित्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय से सदस्य लिए गए हैं ।

अभिनव पहल

अधिकारियों के स्थलों के आधुनिकीकरण के लिए मानकीकृत डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं । आज दिनांक तक 425 प्रस्तावों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 58.81 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है ।

केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी)

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) के माध्यम से सचिवालय कार्य के लिए पद्धतियां निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका का समग्र उद्देश्य कार्य उत्पादकता को बढ़ाना तथा उनके मूल तक को बदले बिना अनुक्रियाशील प्रशासन प्रदान करना है जो प्रक्रियाओं और पद्धतियों/दिशा–निर्देशों के तदनुरूपी विकास के माध्यम से बदलते हुए कार्यकरण वातावरण को प्रतिबिम्बित करेगा ।

अभिनव पहल

(क) सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों की भूमिका जैसे कार्यकरण माहौल में हो रहे विकासों द्वारा आशान्वित परिवर्तनों के प्रकाश में एक संशोधित केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के एक संशोधित 13वें संस्करण को अनुमोदित कर दिया गया है और छपाई पर है तथा इसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा ।

(ख) **ई–मैन्युअल** –ई ऑफिस मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक समान रुप से ई–ऑफिस वातावरण में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा अपनायी जाने वाली एक केन्द्राय सचिवालय ई–कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका को अंतिम रुप दे दिया है।

(ग) **अभिलेख प्रतिधारण समयसूची** – अंतिम अभिलेख प्रतिधारण समयसूची वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी । द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगतियों और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन पर विचार करते हुए इस विभाग का अभिलेख प्रतिधारण समयसूची को सशोधित करने का प्रस्ताव है । इस विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अभिलेख प्रतिधारण समयसूची में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु पहले ही पत्र लिख दिया है । कई सुझाव प्राप्त किए गए हैं तथा वे परीक्षाधीन हैं एवं संशोधित अभिलेख प्रतिधारण समय सूची को वर्ष 2012–13 में अंतिम रुप दिया जाना है ।

ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एक राज्य सरकार के सहयोग से 1997 से प्रतिवर्ष ई–गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है । यह सम्मेलन विभिन्न ई–गवर्नेंस पहलों के बारे में चर्चा करने और विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी सचिवों सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों केन्द्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधकों और संसाधन व्यक्तियों, विशेषज्ञों, उद्योग और शैक्षिक सस्थाओं आदि के बुद्धिजीवियों को एक मंच उपलब्ध करवाता है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ई–गवर्नेंस पर 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन 10–11 फरवरी, 2011 को औरंगाबाद में आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन का विषय ''ग्रामीण ई–सेवा प्रदायगी'' था । इस सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं और सिविल सोसायटी के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और इसने उनको विभिन्न ई–गवर्नेंस पहलों के बारे में चर्चा करने, विचारों और अनुभवों को बढ़ाने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया । इस सम्मेलन के उदघाटन के दौरान ई–गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

अभिनव पहल

ई–गवर्नेंस पर 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8–9 फरवरी, 2012 को भुवनेश्वर, ओडीसा में आयोजित किया गया ।

- इस सम्मेलन का विषय प्रभावी ई–सेवा की ओर था । इसके उप विषय निम्नलिखित थे :

– सूचना का लोकतंत्रीकरण

– सामाजिक लेखा परीक्षा

– स्थानीय शासन

ई–ऑफिस दृ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना। ई–ऑफिस, राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अतर्गत मिशन मोड परियोजना और (एमएमपी) में से एक परियोजना है । राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के साथ ई–ऑफिस को भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है । यह परियोजना कार्य प्रवाह तंत्रों और सहबद्ध कार्यालय पद्वति नियम पुस्तिकाओं में सुधार के जरिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कार्य संचालन कुशलता को पर्याप्त रूप से सुधारने पर लक्षित है । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ''ई–ऑफिस'' परियोजना अथवा किसी अन्य कम–कागजी जिसमें प्रमुखतः कार्य प्रवाह स्वचालन और दस्तावेज अभिलेख प्रबंधन, संगठन में कार्यप्रवाह को निर्धारित करने और नियंत्रित करने, कार्य आवंटन तथा लेखा परीक्षाओं जांचों की ट्रेंकिंग और अनुरक्षण करने निष्पादन बेंच मार्किंग प्रचालन एमआईएस का सृजन करने सहित ज्ञान प्रबंध शामिल है, को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

अभिनव पहल

इस परियोजना को सितंबर, 2010 में 3 प्रायोगिक स्थलों यथा प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ई–गवर्नेंस प्रभाग में शुरु किया गया । इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा चरणबद्ध रुप से किया जा रहा है । वर्ष के दौरान 12 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना को विभाग द्वारा सुशासन हेतु एक पहल के रुप में भी चुना गया है तथा मंत्रिमंडल सचिवालय को रिपोर्ट दे दी गई है ।

अध्याय–23

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

23.1 पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की स्थापना 1985 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के एक भाग के रुप में देश में केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं के मद्देनजर की गई थी। यह विभाग भारत सरकार की पेंशन तथा सेवा से संबंधित अन्य लाभों तथा पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों के निपटाने के संबंध में एक आम नीति बनाने हेतु नोडल अभिकरण है। इस विभाग ने बेहतर सुविधा तथा पेंशनभोगियों के कल्याण हेतु पेंशन प्रणाली को कारगर बनाने हेतु वर्षों से कई कदम उठाए हैं।

23.2 यह विभाग निम्नलिखित से संबंधित नियमों को शामिल करता है:

i. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972

ii. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का/सारांशीकरण नियमावली, 1981

iii. केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली

iv. सामान्य भविष्य निधि (सी.एस) नियमावली, 1960

v. अंशदायी भविष्य निधि (इंडिया) नियमावली, 1962

23.3 पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत एक वेब आधारित पेंशनभोगी पोर्टल, एक मशीन मोड परियोजना (एम.एम.पी) को विकसित किया है। इसे दिनांक 30.03.2007 को जनव्यापी बनाया गया है। पोर्टल पेंशनभोगियों की आन लाइन शिकायतों के पंजीकरण के साथ–साथ पेंशन संबंधी सूचना के प्रचार हेतु खुला है। इसके दो घटक (क) पारम्परिक अप्रभावित घटक (ख) पारस्परिक प्रभावित घटक हैं। पारस्परिक अप्रभावित भाग में पेंशन नियमों पर अद्यतन सूचना और उसके अंतर्गत जारी विभिन्न अनुदेश तथा पेंशनभोगियों के डाटा संचय आते हैं। पारस्परिक प्रभावित भाग में पेंशन संबंधी नियम (रोड मैप), पेंशन की आन लाइन गणना, परिवार पेंशन आदि तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों का आन लाइन पंजीकरण तथा आन लाइन सी पी ई एन जी आर ए एम एस आते हैं जिनमें स्थानीय प्राधिकारियों (अर्थात राज्य स्तर पर) से मामलों के संबंधी बातचीत की जाती है पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों के संबंध वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में भी उनकी सहायता की जाती है।

पेंशन और पेंशभोगी कल्याण मंत्रालय की सहायता से एन आई सी ने सी पी ई एन जी आर ए एम एस का अद्यतन रुप विकसित किया है जो केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपी जी आर ए एम एस) के समेकन पर आधारित है। यह प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग तथा सी पी ई एन जी आर ए एम एस के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा इसका प्रशासन पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अद्यतन रुप के अंतर्गत, पेंशन से जुड़ी शिकायतें अन्य शिकायतों के साथ संयुक्त की जाएंगी और इसलिए मंत्रालयों/विभागों को अनेक स्रोतों से शिकायतें प्राप्त नहीं होंगी। इससे सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए भी शिकायतों का निपटान करना आसान हो जाएगा क्योकि वे सी पी जी आर ए एम लाग आन करके पेंशन संबंधी शिकायतें देख सकते है। पहले उन्हें सी पी ई एन जी आर ए एम एस तथा

सी पी जी आर ए एम एम को अलग–अलग आन करना पड़ता था। सी पी ई एन जी आर ए एम एम के अद्यतित रुप का उदघाटन राज्य मंत्री (कार्मिक) ने 11.10.2011 का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया।

पेंशनभोगी शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े कार्य के निपटाने में संलग्न 99 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने इस समारोह में भाग लिया।

विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित कर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रेषित उनके विभाग मंत्रालय से जुड़ी लंबित शिकायतों के निवारण के लिए उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता रहा है मंत्रालयों/विभागों को शिकायतों के निवारण संबंधी बातों से अवगत कराने के लिए विभाग द्वारा कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है।

योजनागत स्कीम 'पेंशनर्स पोर्टल' को 12वीं योजनावधि के दौरान जारी रखने के लिए समेकित वित्त प्रभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

23.4 हाल के कुछेक घटनाक्रम नीचे दिये गए हैं :

(i) केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में लिए गए कुछ निर्णयों को शामिल करने के लिए सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में दिनांक 8.6.2011 को अधिसूचना जारी की गई है।

(ii) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप वर्ष 2006 के पूर्व तथा वर्ष 2006 के बाद के पेशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन/निःशक्तता पेंशन आदि के बारे में विनियमित करने वाले प्रावधानों को और उदार बनाया गया था। इनमें शामिल हैं:

- न्यूनतम पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को 1275 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह करना।
- वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की संशोधन पूर्व मूल पेंशन में 40 प्रतिशत तक की न्यूनतम बढ़ोत्तरी;
- 80 वर्ष तथा इसे ऊपर उम्र वाले वृद्ध पेंशनभोगियों को पेंशन के 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की सीमा वाली अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी;
- 10 वर्षों की अर्हक सेवा (33 वर्षों की अर्हक सेवा के स्थान पर) पूरी होने पर पूरी पेंशन की मंजूरी;
- ग्रेच्युटी की सीमा को 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना;
- निःसंतान विधवा के पुनर्विवाह करने पर भी कुटुम्ब पेंशन जारी रहना;
- सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर कुटुम्ब पेंशन को 7वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष करना;
- ड्यूटी का निष्पादन करते समय अपना जीवन गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि 5 लाख/7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख/15.00 लाख रुपए करना;
- 100 प्रतिशत निःशक्त पेंशनभोगियों के लिए नियमित परिचारक की स्वीकृति जो सी सी एस (असाधारण पेंशन) नियमावली के अनुसार सेवानिवृत हुए;

- 10 वर्ष से कम समय तक सेवा में रहने वाले तथा निःशक्ति होकर सेवा छोड़ देने वाले सरकारी कर्मचारियों को निःशक्तता पेंशन की स्वीकृति ।
- बर्मा सिविल पेंशनभोगियों के मामले में 3500 रुपए प्रति माह की दर से कुटुम्ब पेंशन के भुगतान को जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं जबकि म्यांमार सरकार ने पेशनभोगी की मृत्यु के 10 वर्षों के बाद अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद पेंशन नही देने की अनुमति दी थी;
- छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरुप पूर्व फ्रेंच पेंशनभोगियों को देय न्यूनतम पेंशन 01.01. 2006 से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह कर दी गयी है। दमन और दीव संघ क्षेत्र प्रशासन ने भी भूतपूर्व पुर्तगाली पेंशनभोगियों के मामलें में भी इस प्रकार बढ़ोतरी करने की सहमति दे दी है;
- विभाग सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विभिन्न मुद्दों/पहलुओं तथा विशेष रुप से 6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर विभिन्न आदेशों पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करता रहता है।

(iii) मस्तिष्क की किसी बीमारी/विलांगता से ग्रस्त (मंद बुद्धि) या शारीरिक रुप से अपंग या निःशक्त सरकारी सेवक के पुत्र/पुत्री को मेडिकल बोर्ड (इस संबंध में यथानिर्धारित) से चिकित्सा प्रमाणपत्र एक बार प्रस्तुत करना होगा यदि निःशक्तता स्थायी हो तथा 5वर्षों में एक बार प्रस्तुत करना होगा यदि निःशक्तता अस्थायी हो।

(iv) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर (अर्थात भाइयों/बहनों) को कुटुम्ब पेंशन आजीवन अनुमत्य की गई है।

(v) गायब होने की सूचना वाले तथा जिनके बारे में कोई पता न हो, ऐसे सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के अर्ह पारिवारिक सदस्य को कुटुम्ब पेंशन पुलिस प्राधिकरणों में एफआईआर दर्ज करने की तिथि के 6 महीने बाद स्वीकृत होगी।

(vi) सेवा में मृत्यु तथा निःशक्तता के मामलों में विशेष लाभ–पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम सीमा में वृद्धि होने के परिणामस्वरुप कुटुम्ब पेंशन तथा निःशक्तता पेंशन (श्रेणी 'ख', 'ग', 'घ' और 'ड' के लिए) की न्यूनतम सीमा बढ़ा दी गई।

(vii) सरकारी सेवक द्वारा लिए गए सरकारी आवास की लाइसेंस फीस तथा नुकसान के कारण रोके जाने वाली ग्रेच्युटी की धनराशि अब सरकारी सेवक को देय ग्रेच्युटी धनराशि का 10 प्रतिशत होगी। इस संबंध में पूर्व सीमा ग्रेच्युटी का 10 प्रतिशत या एक हजार रुपए, जो भी कम हो, थी।

(viii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के परिवारों को सभी स्रोतों से दी जाने वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि की सीमा को दिनांक 01.01.2006 से हटा दिया गया है। ऐसे भुगतान की प्रत्येक मामले में पूर्व सीमा 20 लाख रुपए थी।

(ix) नई पेंशन योजना के प्रारंभ होने पर, अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 और केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली में दिनांक 30.12. 2003 को संशोधन किया गया था। संशोधित

नियमावली के अंतर्गत अशक्तता पेंशन/अपंगता पेंशन और कुटुम्ब पेंशन/असाधारण कुटुम्ब पेंशन/उदार पेंशनभोगी पंचाट राहत का लाभ दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को नही दिया गया है। दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की पीड़ा को ध्यान में रखकर जो अशक्तता/अपंगता के कारण कार्यमुक्त हो गए हों, और ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को जो 01.01.2004 को अथवा उसके बाद सेवा के दौरान दिवंगत हो गए हों, नई पेंशन योजना में शामिल ऐसे केन्द्रीय सिविल सरकारी कर्मचारियों को उपदान, कुटुम्ब पेंशन, अशक्तता पेंशन इत्यादि प्रसुविधाओं को अनंतिम आधार पर देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार दे दिए गए भुगतानों को अधिसूचित होने वाले नियमों के अनुसार देय भुगतानों से समायोजित किया जाएगा।

(x) 31.12.2003 को अथवा उससे पूर्व के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, केन्द्रीय स्वायत संघों, राज्य सरकार, राज्य स्वायत निकायों में नियुक्त और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार संयुक्त सेवा पर आधारित पेंशनभोगी प्रसुविधाओं को जारी रखने के क्रम में उनके संबंधित सरकारी/संघों की पुरानी गैर–अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासित हों, की आवाजाही को जारी रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(xi) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 11.09.2001 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 1996 के पूर्व के पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को यथा अनुमेय समान एनेलॉगी पर केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के अंतर्गत दिनांक 01.01.2006 को पेंशन/कुटुम्ब पेंशन आहरित कर रहे पेंशभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को परिशोधित समानता के संशोधित आदेश इस विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2010 को जारी किए गए है।

(xii) सी सी एम (असाधारण पेंशन) नियम 1939 में विभाग के दिनांक 15.2.2011 की अधिसूचना सं; 33/2/2010–पी एंड पी डब्लू (एफ) द्वारा संशोधन किए गए हैं।

23.5 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन की परिणति) संशोधन नियम, 2010 में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन की परिणति/नियम 1981 में संशोधन के संबंध में दिनांक 9.11.2010 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधन किए थे।

स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (एससीओवीए):

23.6 सरकारी कार्यो के लिए एक स्वैच्छिक उपायों को सक्रिय करने के अलावा इस विभाग की नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर सूचना प्रदान करने की दृष्टि से राज्य मंत्री (कार्मिक) की अध्यक्षता में इस विभाग द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस विभाग की बैठक सितंबर, 2011 में आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न पेंशनभोगी संगठनों तथा कुछ मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभों से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई।

पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहतः

23.7 पेंशनभोगियों/कुटुक्ब पेंशनभोगियों को देय मंहगाई राहत की दरें समय–समय पर संशोधित हुई हैं। यह निम्नलिखित दरों पर देय हैं:

i. 1.1.06–शून्य

ii. 1.7.06–2 प्रतिशत

iii. 1.1.07–6 प्रतिशत

iv. 1.7.07–9 प्रतिशत

v. 1.1.08–12 प्रतिशत

vi. 1.7.08–16 प्रतिशत

vii. 1.1.09–22 प्रतिशत

viii. 1.7.09–27 प्रतिशत

ix. 1.1.10–35 प्रतिशत

x. 1.7.10–45 प्रतिशत

xi. 1.1.11–51 प्रतिशत

xii. 1.7.11–58 प्रतिशत

महंगाई राहत का शीघ्रता से संवितरण करने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरणों (जैसे बैंकों/कोषागारों/डाकघरों(को सक्षम बनाने के लिए आदेशों की प्रतियां उन्हें तथा मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाती हैं। सभी संबंधियों की सुविधा के लिए इन आदेशों को साथ–साथ इस विभाग की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

23.8 विभिन्न संदर्भों एवं शिकायतों के समाधान संबंधी प्रणाली को देखना पेंशन एवं पेंशन से संबंधित मामलों का नोडल विभाग देने के कारण पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से काफी संख्या में मामलें प्राप्त होते हैं। विभाग पेंशन नियमावली की व्याख्या पर सलाह देता है तथा पेंशन नियमावली के प्रावधानों से शिथिलता के लिए मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मामलों पर विचार करता है। इस विभाग में पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों से सीधे काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा इनमें से अधिकांश शिकायातें को समाधान के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय पेंशन समस्या समाधान एवं निगरानी तंत्र (सीपीईएनजीआरएएमएस) द्वारा यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालयों ने एनआईसी की सहायता से शिकायतों के निवारण के लिए विकसित किया है।

परिणामी ढांचा दस्तावेज 2011–12

23.9 मंत्रिमंडल सचिवालय (निष्पादन प्रबंधन प्रभाग) के निदेशों पर इस विभाग ने वर्ष 2011–12 के लिए एक परिणामी ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार किया है। इसमें सूचीबद्ध गतिविधियां/लक्ष्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए कार्य चल रहा है।

23.10 विभाग सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभों में इसे संदर्भित मामलों पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों को आवश्यक सलाह तथा परामर्श देता है जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों पर किसी मुद्दे से संबंधित सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों द्वारा संदर्भित मामलों में सरकारी विभागों द्वारा दायर किए गये प्रति–शपथपत्रों की पुनरीक्षा शामिल है।

जनशक्ति की स्थिति :

23.11 विभाग में स्वीकृत पद संख्या तथा कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

समूह	स्वीकृत पद की संख्या	कार्यरत कर्मचारी
'क'	12	11
'ख'	23	21
'ग'	8	3
'घ'	6	6
योग	49	41

वित्तीय प्रबंधन

23.12 विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षें के दौरान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को किए गए आवंटन तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैंः–

वर्ष 2009–10 का लेखा परीक्षा विवरण

वर्ष 2009–10 के लेखा की लेखा–परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लेखा पर रिपोर्ट में 15 लेखा–परीक्षा टिप्पणियों/पैरा सामने लाए गए। इन टिप्पणियों/पैराओं पर इस विभाग की प्रतिक्रिया से लेखा–परीक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है। चूंकि एक टिप्पणी/पैरा छोड़ दिया गया है, इसलिए लेखा परीक्षा विभाग अगली लेखा परीक्षा के दौरान तथ्यों की संपरीक्षा करेगा।

हिन्दी पखवाड़ा

23.13 सरकारी टिप्पणी एवं आलेखन तथा पत्राचार में प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने की भावना का प्रचार करने के लिए अक्टूबर, 2011 के तीसरे चौथे सप्ताह में विभाग द्वारा हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के बीच निबंध लेखन तथा टिप्पण एवं आलेखन में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिए गए।

(हजार रुपए)

वितरण	2009–10		2010–11		2011–12	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
योजनेतर	29800	25685	28400	27919	32400	17600*
योजनागत	5000	195	5000	2307	4200	1000*

**** 31–10–2011 तक की स्थिति के अनुसार**